Friday, 29 August, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

आठवाँ सत्र
Eigth Session

Rack No. 57(1)
Acc. No. 8.12.67
PARLIAMENT LIBRARY

Preservation Unit
4-8-92
Fumigated
On 5.1.84
Parliament Library

[खंड 32 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 28, शुक्रवार, 29 अगस्त, 1969/7 भाद्र, 1891 (शक)

No 28, Friday, August 29, 1969/Bhadra,7 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
811.	राज्यों की लाटरियां	State Lotteries	1
812.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज की प्रयोगशाला में आग लग जाने से एक शोधकर्ता छात्रा का जीवित जल जाना	Burning alive of research scholar in fire in the Laboratory of Medical College of B.H.U.	3
814.	नक्सलवादियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Anti-National activities of Naxalites .	5
815.	नियमित सेवाओं के लोगों की शिकायतों पर विचार करने के लिए स्थापित समन्वय समिति की सिफारिश	Recommendations of coordination Committee set up to look into the Grievances of members of regular services . . .	10
816.	त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान	Place of Sanskrit in three language formula.	11
817.	नक्सलवादियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Steps taken against Naxalities . . .	6
818.	आसाम में विदेशी धर्म-प्रचारक	Foreign Missionaries in Assam. .	14

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अल्प सूचना प्रश्न

S.No.Q. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
12. खगरिया तथा बेगूसराय में बाढ़	Floods in Khagaria and Begusarai	17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	*Written Answers to Questions*	

ता० प्र० संख्या

S.Q.Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
813. राज्यों में सर्वसम्पन्न पर्यटक निदेशालयों की स्थापना	Full fledged Tourist Directorates in States	24
819. 1969 के केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणामों पर समाचार पत्रों में हुई टिप्पणियों के बारे में सरकार का मत	Opinion of Government regarding comments in press on Central Higher Secondary Examination Results (1969) . .	25
820. समान शिक्षा नीति	Uniform education policy . .	25
821. ग्वालियर में होटल	Hotel at Gwalior	26
822. कथक केन्द्र का असन्तोषजनक कार्य	Poor performane of Kathak Kendra	26
823. राजस्थान में पाकिस्तानी घुसपैठ	Pak. infiltration into Rajasthan .	27
824. दिल्ली में अभिकरणों की उत्तरोत्तर वृद्धि	Multiplicity of agencies in Delhi	27
825. दिल्ली में अखिल भारतीय छात्र संघ की बठक	Meeting of All India Students Federation at Delhi	28
826. असम पुनर्गठन विधेयक के प्रारूप पर चर्चा	Discussions of draft-Assam reorganisation Bill	28
827. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में नियुक्ति के लिए अनुसंधान सहायकों की परीक्षा	Examination of research assistants for appointment in central Hindi directorate and commission for scientific and technical terminology	29
828. दिल्ली परिवहन उपक्रम को हुई हानियां	Working losses of D.T.U. . . .	29

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
829.	मुंगेर (बिहार) में साम्प्रदायिक दंग	Communal disturbances in Monghyr .	30
830.	आर्थिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन	Reorganisation of States on economic considerations	30
831.	पर्यटकों की संख्या में वृद्धि	Increase in tourist traffic	31
832.	भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के लिए नई प्रशिक्षण व्यवस्था	New Training system for I.A.S. probationers	31
833.	भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाना	Enriching of Indian Languages .	32
834.	आनन्द मार्ग की गतिविधियां	Activities on Anand Marg . .	32
835.	मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों का विकास	Development of Aerodromes in M.P.	33
836.	इन्दौर में दंगे	Disturbances in Indore . . .	33
837.	राष्ट्रीय दक्षता दल निदेशालय में पदों के भरने पर प्रतिबन्ध	Ban on filling up of posts in National fitness corps directorate . . .	34
838.	इंजीनियरी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता की अनियोजित वृद्धि	Unplanned increase in admission capacity of engineering institutions . . .	35
839.	सड़क कराधान जांच आयोग का प्रतिवेदन	Road texation inquiry commission report	36
840.	भारतीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में राज्यों के डाक्टरों को शामिल करना	Inclusion of Doctors from states in I.H.S. Cadre	37

अतारांकित प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos. :

5265.	स्वामी रामतीर्थ के विश्व बन्धुत्व के आदर्शों का प्रचार	Propagation of ideals of Swami Ram Tirtha on universal brotherhood . .	37

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5266.	उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान मुस्लिम मजलिस द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार	Communal propaganda by Muslim Majlis during elections in U.P. . . .	37
5267.	गुजरात में होटलों तथा रेस्तोरांओं की कमी	Dearth of hotels and restaurants in Gujarat	38
5268.	सड़कों के निर्माण के लिए गुजरात को नियत किया गया धन	Amount allocated to Gujarat by centre for construction of roads . . .	39
5269.	टायर खरीदने के लिए दिल्ली परिवहन उपक्रम को ऋण देना	Advancing of loans to D.T.U. for purchase of tyres	39
5270.	महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश को गुजरात के साथ मिलाने वाली सड़कों तथा पुलों का निर्माण	Construction of roads and bridges to link Maharashtra Rajasthan and M.P. with Gujarat	40
5271	गुजरात में पुरातत्वीय सर्वेक्षण या खोज कार्य।	Archaeological surveys / excavation work in Gujarat	40
5272.	गुजरात मैं प्राचीन अवशेषों को बनाये रखना।	Maintenance of ancient remains in Gujarat	41
5273.	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के निदेशक द्वारा स्टाफ कार का कथित दुरुपयोग।	Alleged misuse of staff car by director, Zoological Survey of India . .	41
5274.	कुछ अन्तराष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा यात्रियों से कुछ अधिक समान के लिये भाड़ा न लिया जाना।	Passangers not charged for some extra weight by some international Airline companies	42
5275.	भारतीय वनस्पति उद्यान, कलकत्ता के नैमित्तिक श्रमिक	Casual labourers working in Indian Botanical garden Calcutta . . .	42
5276.	दिल्ली विश्वविद्यालयों से संबंध कालिजों के अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करना	Termination of services of teachers of colleges affiliated to Delhi University .	43
5277.	पटना के निकट सब्बलपुर में गंगा नदी पर पुल	Bridge over Ganga at Sabbalpur near Patna	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5278. भारत-अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान योजना का पुनरारम्भ	Revival of Indo-U.S. Education Foundation Scheme	45
5279. रामकृष्णपुरम सैक्टर 2, नई दिल्ली की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कल्याण संस्था	Class IV Employees Welfare Association sector II, R. K. Puram, New Delhi. .	45
5280. नागपुर के कालिजों तथा संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता	Aid by University Grants Commission to colleges and institutions in Nagpur .	46
5281. सरकारी क्षेत्र में नागपुर में होटल की स्थापना	Starting of a hotel in Publice Sctor at Nagpur	46
5282. नेपाली शिष्टमंडल की भारत यात्रा	Nepalese Delegation's visit to India .	47
5283. कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा शिक्षा मंत्रालय में फालतू पद घोषित करना	Declaration of surplus posts in Education Ministry by S.L.U. . .	47
5284. जिला न्यायाधीश, दिल्ली के पास लम्बित शिकायतें	Complaints pending with District Judge, Delhi.	49
5285. पांच दिन तक बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना	Non-payment of salaries to Bihar non-Gazetted employees for five days . .	51
5286. कुवंर सिंह राजपथ (बिहार) का निर्माण	Construction of Kanwar Singh Rajpath (Bihar)	51
5287. बिहार में सलाहकार समितियां, बोर्ड तथा अन्य संगठन	Consultative Committees, Boards and other organisations in Bihar	52
5288. पिलानी (राजस्थान) में निर्मित टैलीविजन सैट	Television sets manufactured at Pilani (Rajasthan)	52
5289. विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक संस्था से धन लेने का केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध आरोप	Allegation against a Union Minister for getting Finance from the Foreign Christian Missionary Institutions . .	52
5290. दिल्ली में मेवों और ऊनी धागों पर अन्तर्राज्य बिक्री कर की कमी	Reduction in inter-State Sales Tax on dry fruits and woollen yarn in Delhi .	53

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5291	कोयले से गैस बनाने वाले प्लाट पर फिजूल खर्ची	Infructuous expenditure on coal gasification plant	53
5292.	लौ शोफ्ट पिग आइरन पायलट प्लांट, जमेशदपुर	Low shaft Pig Iron Pilot Plant, Jamshedpur	53
5293.	हिन्दी आशुलिपिकों की भर्ती	Recruitment of Hindi stenographers .	54
5294.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों की सेवा अवधि को बढ़ाना	Extension of tenure of Senior Research Officers of Scientific and Technical Terminology commission . . .	54
5295.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की इमारत के लिये कूलरों की व्यवस्था	Provision of coolers for building for housing Central Hindi Directorate and C.S.T.T.	55
5296.	दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों द्वारा जनता से रुपया ऐंठना	Extorting money from public by Delhi policemen	55
5297.	रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गये अभ्यर्थियों नियुक्ति न होना	Non-recruitment of candidates sponsored by employment exchanges . . .	56
5298.	पाराद्वीप पत्तन पर रेत का जमा (लिटोरल ड्रिफिटिंग) हो जाना	Littoral drifting of sand at Pardeep Port	56
5299.	भारत सोवियत सहयोग	Indo-Soviet co-operation . . .	57
5300.	लाल किले पर सोन-एटा-लुमेर का प्रर्दशन की पांडु-लिपि में संशोधन	Revision of script of Sonet Lumiere display at Red Fort, Delhi . . .	57
5301.	राज्य मंत्रिमंडलों के आकार के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C.'s recommendations regarding size of State Cabinets	58
5302.	समितियों और आयोगों से सम्बन्धित भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश	Former Chief Justices of India associated with committees/commissions . .	58

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5303.	राज्यों को विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये सहायता	Assistance to states for preparation of text books at university level in their own languages.	59
5304.	अन्य राज्यों के निवासियों की किसी राज्य की सरकारी सेवा में नियुक्ति	Appointment of Resident's of Any State to Government Service in Other States	59
5305.	भारत में ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries in India. . .	60
5306.	हाकी खेल में सुधार करने संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of the Enquiry Committee regarding improving of hockey game in India .	61
5307.	साम्प्रदायिक दंगों संबंधी दयाल आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही	Action on Dayal Commission on Communal disturbances	63
5308.	ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries	63
5309.	आसाम में साई जनसख्या	Christian population in Assam .	64
5310.	उपसचिवों से ऊपर के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों के मामले	C.B.I. cases against Central Governement officers of their status of Deputy secretaries and above	65
5311.	शिक्षा का माध्यम	Medium of education . . .	66
5312.	शिक्षा का माध्यम अग्रेंजी होने के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट	Low standard of education due to English as Medium of Instructions . . .	67
5313.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया	Shiping Corporation of India . . .	68
5314.	पृथक् राज्यों के लिये आन्दोलन	Agitation for separate States . . .	69
5315	फैजाबाद डिविजन में उच्चतर शिक्षा के लिये एक विश्वविद्यालय अथवा संस्थान की स्थापना	Setting up of university or institution for higher studies in Faizabad division (U.P.)	70

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5316.	अयोध्या में स्वर्ग द्वार घाट का विकास	Development of Swargdwara Ghat at Ayodya	70
5317.	उत्तय प्रदेश सरकार की केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त योजनायें	Schemes of U.P. Government to be financed from Central Road Fund . .	71
5318.	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Hilly Tourists Centres of U.P.	71
5319.	संघ लोक सेवा आयोग में क्षेत्रीय भाषायें	Regional languages in U.P.S.C. exams. .	72
5320.	दिल्ली में पुलिस द्वारा जांच	Police investigations in Delhi . .	72
5321.	दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर नियुक्त पुलिस कर्मचारियों की संख्या	Strength of police personnel posted at different Police Stations in Delhi .	73
5322.	दिल्ली परिवहन उपक्रम के बारे में किये गए समय और लागत सम्बन्धी अध्ययन	Time and cost studies made in respect of D.T.U.	73
5323.	भारतीय नौवहन निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of Shipping Corporation of India	74
5324.	केरल में नया जिला बनाया जाना	Formation of a new district in Kerala .	74
5325.	सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन उपक्रम को अपने अधिकार में लेना	Taking over of D.T.U. by Government	75
5326.	शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdulla	75
5327.	दिल्ली छावनी में सट्टा खेलने के कारण पांच व्यक्तियों की गिरफ्तारियां	Arrest of five persons for playing satta in Delhi Cantt.	76
5328.	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम	Media of instruction in Universities. .	76
5329.	शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के अराजपत्रित कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें	Confidential reports of non-gezetted employees of Education Ministry . .	76

अता०प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5330.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में प्रशासन निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Director of Administration in Central Hindi Directorate and C.S.T.T.	77
5331.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनुसंधान सहायकों द्वारा किया गया अनुवाद कार्य	Translation work done by Research Assistants in Central Hindi Directorate .	77
5332.	न्यायालय के सामने झूठी गवाही	False Evidence before courts .	77
5333.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	Commission for scientific and technical terminology .	78
5334.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा नियम पुस्तकों प्रपत्रों का अनुवाद	Translation of Manuals and forms by Central Hindi Directorate .	78
5335.	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा गैर तकनीकी कार्य का किया जाना	Technical Staff of Commission for scientific and technical terminology Central Hindi Directorate doing non technical work	79
5336.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा अनुवाद कार्य	Translation work by Central Hindi Directorate .	79
5337.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में मार्गदर्शी योजना आरम्भ करना	Introduction of Pilot schemes in Central Government Offices. .	80
5338.	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय संगठन की स्थापना	Setting up of National Organisation by university students .	81
5339.	दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा दल शिविर	National Service Corps Camp at Delhi .	81
5340.	मंत्री और सचिव का उत्तरदायित्व--उत्तरदायित्व की परिधि	Minister *vis* a *vis* Secretary—jurisdiction of responsibility. .	82
5341.	भारतीय इतिहास को फिर से लिखना	Re-writing of Indian History .	82

अतां० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5342.	पुराने स्मारकों की गिरती हुई दशा	Deteriorating conditions of old monuments	83
5343.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रदेश के लिए वाणिज्य तथा व्यापार प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा को मान्यता	Recognition of National diploma in Commerce and Business Administration for admission to post graduate course	83
5344.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य विषय का पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence course in commerce at post graduate level at Aligrah University	84
5345.	वाणिज्य तथा व्यापार प्रबन्ध के डिप्लोमाधारियों का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला	Admission of diploma-holders in commerce and business management to post graduate courses . .	84
5346.	गुजरात में अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of teachers in Gujarat	85
5347.	भारत में रिकार्ड प्लेयर पिक-अप का निर्माण	Manufacture of record player pickup in India	86
5348.	गुजरात राज्य में नि:शुल्क शिक्षा के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding free education in Gujarat	86
5349.	दिल्ली से नैनीताल तक विमान से यात्रा	Air travel from Delhi to Nanital . .	87
5350.	अन्तर्देशीय नदी परिवहन के लिए सांविधानिक व्यवस्था	Establishment of statutory machinery for inland river transport	87
5351.	बरामद किये गये विदेशी शस्त्रास्त्र	Foreign arms unearthed . . .	87
5352.	राजस्थान के बीस परिवारों का पाकिस्तान चला जाना	Migration of 20 Rajasthan families to Pakistan	87
5353.	कलकत्ता में पोटाशियम का बरामद किया जाना	Recovery of potassium in Calcutta .	88
5354.	भारतीय औद्योगिकी संस्था कानपुर से मास्टर आफ टैक्नोलोजी की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार दिया जाना	Employment of students obtaining degrees of Master of Technology from I.I.T. Kanpur	88

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5355.	रानीगंज कोयला क्षेत्र की एक कोयला खान में श्रमिकों पर अत्याचार	Torture of workers in a colliery in Raniganj coal area	89
5356.	चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास योजनायें	Road development scheme in the fourth plan	89
5357.	केन्द्रीय आसूचना विभाग पर व्यय किया गया धन	Money incurred on Central Intelligence Bureau	90
5358.	नेफा में इमारती लकड़ी तथा बासों की बिक्री	Sale of timber and bamboo in Nefa . .	90
5359.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे गए मामले	Cases referred to C.B.I. in M.P. . .	90
5360.	मध्य प्रदेश में दुर्व्यवहार तथा अन्य कारणों से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को मुअत्तिल किया जाना	Central Government officers in M.P. suspended for misbehaviour and other reasons	91
5361.	मध्य प्रदेश में विश्रामगृहों आदि का निर्माण	Construction of rest houses etc. in M.P. .	91
5362.	मध्य प्रदेश में भाषाओं के बिकास के लिये सहायता	Assistance for development of language in M.P.	91
5363.	शान्ति कार्यों के लिए अनाज योजना	Food for peace shipment . .	92
5364.	राज्यों को राष्ट्रीय योग्यता दल के नियंत्रण का हस्तांतरण	Transfer of control of National Fitness corps to states	92
5365.	पंजाबियों के साथ कथित भेदभाव	Alleged discrimination against Punjabis .	93
5366.	भारतीय नौवहन निगम द्वारा किए गए व्यापार का मूल्य तथा आकार	Value and volume of business of shipping corporption of India	93
5367.	नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्राहलय के लिए सुरक्षा की व्यवस्था	Security measures for national museum, New Delhi.	93
5368.	देश के सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि	Increase in road accidents in the country .	94

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
5369.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों की कमी	Shortage of Hindi stenographers in central government offices	95
5370.	उड़ीसा में चिल्का झील का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Chilka Lake as a tourist centre in Orissa	95
5371.	राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति	Appointment of Chairmen of state public service commissions	95
5372.	दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के वेतनक्रम	Grades of Delhi Police Employees. .	96
5373.	घुसपैठियों का देश में आना	Intrusion of infiltrators]	96
5374.	सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन तथा पाकिस्तान के एजेंटों द्वारा थानों का लूटा जाना	Looting of police stations by Chinese and Pakistan agents in border areas . .	96
5375.	संघ लोक सेवा आयोग की स्टेनोग्राफरों की परीक्षा	U.P.S.C. stenographers' examination .	97
5376.	बेगमपट पर टर्मिनल केन्द्र का निर्माण	Construction of terminal complex at Begumpet	97
5377.	विजयावाडा हवाई अड्डों पर टर्मिनल केन्द्र का निर्माण	Construction of terminal complex at Vijayawada Aerodrome . . .	98
5378.	विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थी	Indian Students studying in foreign countries	98
5379.	हुसैनीवाला सीमा पर पकड़े गए विदेशी	Foreigners arrested at Hussainawala borders	99
5380.	जातिवाद उन्मूलन समिति का प्रतिनिधि मंडल	Jativad Unmoolan Samiti Delegation .	99
5381.	संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के चुनने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Administrative reforms Commissions recommendations of selection of members of U.P.S.C.	99
5382.	सिरसका (अलवर) में पुलिस प्रशिक्षण संस्था	Police Training Institute at Siraska .	99
5383.	उड़ीसा में माओ के इश्तिहारों का पाया जाना	Mao posters found in Orissa . .	100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5384.	काश्मीर में साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी दयाल आयोग	Dayal Commission on Communal disturbances in Kashmir	100
5385.	विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर अध्ययन की पुस्तकों का अनुवाद	Translation of books of higher studies in different Indian languages .	101
5386.	भाषाएं पढ़ाने की सरल प्रगाली	Easy system of teaching languages . .	101
5387.	बद्रीनाथ में एक होटल खोलना	Setting up of a hotel at Badrinath. .	102
5388.	पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध आरोप	Charges against Shankaracharya of Puri	102
5389.	दरियागंज (दिल्ली) अग्नि कांड	Daryaganj (Delhi) fire incident	103
5390.	आसूचना ब्यूरो और केन्द्रीय जांच ब्यूरो में काम करने वाले कर्मचारी	Staff working in Intelligence Bureau and C.B.I.	103
5391.	गांधी शताब्दी वर्ष में बन्दियों के कारावास की अवधि कम करना	Reduction of sentence period of prisioners in Gandhi Centenary Year .	104
5392.	गृह कल्याण केन्द्र	Graha Kalyan Kendra	104
5393.	बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई अस्पृश्यता को उचित बताने वाली पुस्तक	Book justifying untouchability prescribed by Bombay University. .	106
5394.	भारतीय सीमा पर विदेशी धर्म प्रचारकों के माध्यम से सी० आई० ए० की गतिविधियां	C.I.A. operations on Indian border through Foreign Missionaries . .	106
5395.	पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय का अपवंचन किया जाना	Leakage of foreign exchange earnings from Tourists	107
5396.	उड़िया के विकास के लिए सहायता	Assistance for development of Oriya language	108
5397.	मंत्रियों तथा उच्च सिविल अधिकारियों के बीच गतिरोध	Crisis between Ministers and senior civil government employees . . .	108

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5398.	बिहार विधान सभा	Bihar Legislative Assembly . . .	108
5399.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पी०टी०ओ० सम्बधी रियायत	P.T.O. concession, to Central Government employees	109
5400.	सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति आदि के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C. recommendation regarding recruitment, promotion etc. of government employees	109
5401.	मध्य प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए अपर्याप्त धन का नियतन	Insufficient allocation for development of education in M.P.	110
5402.	जून, 1969 में अम्बाला में हथियार और गोला बारूद का बरामद होना	Recovery of arms and ammunition in Ambala during June, 1969 . .	110
5403.	आन्ध्र प्रदेश में आदिम जातीय श्रमिकों की हत्या	Murder of tribal workers in Andhra Pradesh	111
5404.	सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विद्रोही कुकी और मिजो लोगों का चीन जाना	Kuki and Mizo hostiles leaving for China for military training . . .	111
5405.	दिल्ली में अपराधों की वृद्धि	Increase in crimes in Delhi . . .	112
5406.	भारतीय पुरा तत्वीय सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली के महा निदेशक के विरुद्ध मामला	Case against Director General, archaeological survey of India, New Delhi . .	112
5407.	आसूचना विभाग के अधिकारियों को वर्दी भत्ते के भुगतान में विलम्ब होना	Delay in disbursement of dress allowance to Officers of Intelligence Bureau . .	113
5408.	गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रतिनियुक्त तथा सीधे भर्ती किये गए व्यक्तियों की पदोन्नति की शर्तें	Terms and conditions for promotion of deputationists and direct recruits in Intelligence Bureau and C.B.I. . . .	114
5409.	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इतिहास, संस्कृत तथा दर्शन शास्त्र हिन्दी में पढ़ाया जाना	Teaching History, Sanskrit and Philosophy in Hindi by Delhi University . .	114

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5410.	14 जून, 1969 को दिल्ली में एक युवती की मृत्यु	Death of a woman in Delhi on 14-6-69 .	115
5411.	असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेंट (आर० टी० ई०) परीक्षा 1959	Assistant Superintendent (R.T.E.) Examination, 1959. . . .	115
5412.	बमियान, अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों की मरम्मत	Repair to two mammoth statues of Budha at Bamiyan Afghanistan	116
5413.	नक्सलवादी	Naxalites .	116
5414.	मनीपुर में षड़यत्र	Lot in Manipur	117
5415.	हरियाणा राज्य परिवहन बसों में सामान की रक्षा के लिए एक कुली की व्यवस्था	Provision of a coolie in Haryana State Transport Buses for safety of luggage	117
5416.	बिहार सरकार के भूतपूर्व परिवहन मंत्री को राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना	Submission of Memorandum by Government employees to former minister of Transport of Bihar Government .	118
5417.	लखनऊ रेजीडेन्सी के ऐतीहासिक भवन पर अंग्रेजों द्वारा 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के लिये अपमानजनक उत्कीर्ण शिलालेख	Inscriptions derogatory to freedom fighters in 1857 imprinted by Britishers on historic building of Lucknow Residency	118
5418.	जार्ज टाउन (गियाना) में गांधी जयन्ती समारोह में शराब पिलाया जाना	Liquors served at Gandhi Jayanti celebrations in George Town (Guyana) . .	119
5419.	पटना सैंट्रल जेल के लिए निरीक्षकों (विजिटरस) का नामांकन	Nomination of Visitors for Patna Central Jail	119
5420.	शिक्षा मंत्रालय के योजना निदेशक के पद पर नियुक्ति	Appointment to the post of Director of Planning Ministry of Education .	120
5421.	बिहार के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Bihar Police Officers	120

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5422.	मनीपुर में मनीपुर के भूतपूर्व महाराजा के आग्नेयास्त्रों की बिक्री	Sale of former Manipur Maharaja's fire arms in Manipur	121
5423.	सरकारी अधिकारियों तथा विधायकों के बीच सम्बन्ध के लिए आचार संहिता	Code of conduct for relationship between officials and legislators . . .	122
5424.	खगौल (पटना जिला) में जगजीवन स्टेडियम में हुई एक संगीत सभा	Musical concert held in Jagjiwan Stadium in Khagaul (Patna District) . . .	122
5425.	भागलपुर अध्यापक प्रशिक्षण, कालेज के लिए उर्दू का अध्यापक	Urdu teacher for Bhagalpur Teacher Training College	123
5426.	पटना विश्वविद्यालय को स्थानांतरित सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान में बिलम्ब	Delay in payment of dearness allowance to government employees transferred to Patna University	123
5427.	दिल्ली के स्कूलों में यौन शिक्षा	Sex education in Delhi schools . .	124
5428.	दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का त्यागपत्र	Resignation of Vice Chancellor of Delhi University	124
5429.	मैट्रिक के बाद के पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों की शिक्षा	Scheduled castes education in post matriculation courses	125
5430.	दिल्ली के विभिन्न कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का दाखिला	Admission of S.C. and S.T. students in various colleges in Delhi . . .	125
5431.	युवक कल्याण की योजनाओं के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों की नियुक्ति	Recruitment of S.C. and S.T. Officers for schemes on Youth Welfare . .	125
5432.	ग्रामीण पुस्तकालयों का विकास	Development of rural libraries . .	126

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5433.	शिक्षा को उत्पादन-प्रधान तथा रोजगार प्रधान बनाना	Education as production oriented and job oriented . . .	126
5434.	राजनीतिज्ञों द्वारा गुण्डों को प्रश्रय के बारे में दिल्ली के उप राज्यपाल का कथित व्यतव्य	Reported statement by Lt. Governor of Delhi on patronising of Goondas by politicians	127
5435.	विद्रोही मिजो	Mizo Rebels	127
5436.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अपने कर्मचारियों के वेतनमान-भत्तों में संशोधन करने के अधिकार	Powers of Union Territory Governments to revise pay scales-allowances of their employees . .	128
5437.	मनीपुर में दाल की सप्लाई करने के लिए करार	Agreement for supply of dal in Manipur .	128
5438.	मनीपुर में मीति की जनगणना	Census of meities in Manipur	129
5439.	तीसरे और दूसरी श्रेणी के स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर	Employment of Third and Second Class Graduates	130
5440.	दक्षिण और उत्तर भारत के लिए समान लिपियां	Common scripts for South and North India	130
5441.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था द्वारा हिन्द महासागर की खोजबीन	Exploration of Indian Ocean by National Institute of Oceanagraphy .	131
5442.	फोर्ड-राकफेलर फाऊंडेशनों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुदान	Grants to Delhi University by Ford/ Rockfeller Foundations .	132
5443.	मानव सम्बन्ध संस्था	Institute of Human Relations	132
5444.	नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सामान्य शयनागार किस्म का आवास	Dormitory Type of Accommodation to University students in the National Stadium, New Dlehi .	133

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5445.	केरल राज्यों में मन्दिरों के जीर्णोद्धार के लिए सहायता	Assistance for renovation of temples in Kerala State . .	133
5446.	रेलवे कर्मचारियों की समस्यायें	Problems of Railway Employees .	133
5447.	हिमाचल प्रदेश में बलदेव-सिंह की कथित हत्या	Alleged murder of Baldev Singh in Himachal Pradesh .	134
5448.	हिमाचल प्रदेश में बलदेव सिंह की कथित हत्या	Alleged murder of Baldev Singh in Himachal Pradesh	135
5449.	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली	Glossary of Technical and Scientific terms	135
5450.	विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को तैयार करने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for production of books in regional languages at University Level	136
5451.	राष्ट्रीय भाषा स्कूल-विश्वविद्यालय की स्थापना	Opening of National Language School University . . .	137
5452.	आई० आई० टी० के निकट गांवों को मिलाने के लिए दक्षिण दिल्ली में लिंक रोड	Link Road in South Delhi to connect villages near I.I.T. . .	138
5453.	विदेशों से जहाजों की खरीद	Procurement of Vessels from Abroad .	139
5454.	त्रिपुरा और आसाम के लिए पर्यटन विकास का कार्यक्रम	Tourism Development programme for Tripura and Assam .	140
5455.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का कार्य-संचालन	Working of the National Research Development Corporation .	140
5456.	गांधी शताब्दी समारोह	Gandhi Centenary Celebrations . .	141
5457.	लद्दाख में मुस्लिम बहुल जिला	Muslim majority District in Ladkah .	141
5458.	चंडीगढ़ में बिक्री कर की दर में वृद्धि	Increase in the Rate of Sales Tax in Chandigarh	141

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5459. टायर न होने के कारण दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों का अप्रयुक्त रहना	D.T.U. buses lying idle for want of tyres	142
5460. सौराष्ट्र में केशोद हवाई अड्डे का विकास	Development of Keshod Airport in Saurashtra . .	142
5461. रक्षा बेड़ा बनाने का प्रस्ताव	Proposal to have a salvage fleet	143
5462. परामर्शदात्री समितियों में निर्दलीय संसद् सदस्यों को शामिल करना	Inclusion of independent members of Parliament in consultative committees .	143
5463. बिहार में गंडक नदी पर डुमरिया पुल	Duamaria Bridge over river Gandak in Bihar	144
5464. संसद् सदस्यों के शिष्ट मंडलों की विदेश यात्रा	Visits of Delegations of Members of Parliament Abroad	144
दिनाँक 25 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 999 और दिनांक 8 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2735 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण	Statements correcting Answers to U.S.Q. Nos. 999 dated 25-7-1969 and 2735 dated 8-8-1969 . . .	144
पश्चिम बंगाल से आये अध्यापकों के बारे में	*Re*. Teachers from West Bengal .	145
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table . .	145
संसदीय समितियां	Parliamentary Committees	149
कार्यवाही का सारांश	Minutes. . . .	149
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . .	149
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House.	150
सरकार की शिक्षा नीति और शिक्षा के लिये धन राशि के नियतन के संबंध में याचिका	Petition *re*. Government's Education Policy and allocation of funds of Education . . .	151
औद्योगिक लाइसेंस नीति की क्रियान्विति के लिये जांच आयोग की स्थापना के संबंध में वक्तव्य	Statement *re*. setting up of Commission of Inquiry on Administration of Industrial Licensing Policy	151
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy .	151

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member .	151
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandekar . .	151
संयुक्त समितियों के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिये समय को बढ़ाया जाना	Extension of Time for Presentation of Reports of Joint Committees	152
(एक) पेटेंटस विधेयक; और	(i) Patents Bill ; and	152
(दो) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक	(ii) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	152
उत्तर प्रदेश विधान सभा की घटनाओं के बारे में	Re. Happenings in U.P. Vidhan Sabha	152
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution on Disapproval of Banaras Hindu University (Amendment) Ordinance . . .	157
और	and	
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक	Banaras Hindu University (Amendment) Bill . . .	157
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	157
श्री रामधन	Shri Ram Dhan .	157
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh .	158
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . .	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions .	160
तिरेपनवां प्रतिवेदन	Fifty-Third Report . .	160
वैदेशिक व्यापार, सामान्य बीमा आदि के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प-अस्वीकृत	Resolution *Re.* Nationalisation of Foreign Trade, General Insurance etc.—Negatived	161
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	161
श्री एस आर० दामानी	Shri S. R. Damani	162
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	162
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi . . .	163
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha . . .	167

अता० प्र० स०

U.S.Q. No. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGE
बेरोजगारी के बारे में संकल्प -	Resolution *Re.* Unemployment	170
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu .	170
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu . .	173
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion	175
सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries . . .	175
श्री सीता राम केसरी	Shri Sitaram Kesri	175
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	176

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 29 अगस्त, 1969/7 भाद्र, 1891 (शक)

Friday, August, 29, 1969/Bhadra 7, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों की लाटरियां

*811. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या देश में चल रही राज्यों की लाटरियों पर प्रतिबंध लगान सम्बंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन लाटरियों के कारण लोगों में जुए और सट्टे की बुरी आदत पड़ती जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विचाराधीन विधान का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमान् । इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने राज्यों को राज्यों की लाटरियां चलाने के लिए, यदि वे ऐसा चाहें इस शर्त के साथ कि ऐसी किसी लाटरी क टिकट दूसरे राज्य में उस राज्य की सरकार की स्पष्ट अनुमति के बिना नही बेंचे जा सकेंगे, अनुमति दी है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Mahant Digvijai Nain : May I know whether Government have laid down any policy for running a lottery at the Government level and whether State Governments are running lotteries with the permission of the Central Government and if not, what is the reaction of the Government in regard thereto?

Shri Vidya Charan Shukla : They have been permitted to run lotteries.

Shri Mahant Digvijai Nath : May I know whether the Reserve Bank of India or the State Bank of India has any control on these State lotteries ? May I also know whether Government have any arrangement to see that dishonest tactics are not adopted in this matter ?

Shri Vidya Charan Shukla: The Central Government are only concerned with the grant of permission. After obtaining permission the State Governments, while running these lotteries, keep in view the fact that nothing should happen which may create suspicion that injustice or favouritism is being done to anybody Certain Complaints of this nature were received but after inquiry it was found that they were baseless. This statement of mine is based on the information received from State Governments. However, some complaints have been received about the sale of lottery tickets in another State. These lotteries are run under the sole control of State Government concerned and the Reserve Bank of India has nothing to do with it.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्रासवर्ड पहेलियों के लिए बुद्धि अपेक्षित थी किन्तु उन्हें बन्द कर दिया गया है। चिट फंड और लाटरियां नितान्त संयोग पर निर्भर रहती हैं अतः यह जुआ है । इस जुए की अनुमति क्यों दी जा रही है और केन्द्रीय सरकार का इसमें सहयोग क्यों रहा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यद्यपि इसमे संयोग का कुछ अंश है किन्तु इसे जुआ आदि नहीं कहा जा सकता है । यह राज्य सरकारों की परियोजनाओं के लिए धन, जिसकी राज्यों को बहुत आवश्यकता है जुटाने का एक साधन है । इसलिये राज्य सरकारों के अनुरोध पर मंत्रिमंडल ने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया तथा अच्छी तरह विचार करके राज्यों को लाटरियां चलाकर राजस्व प्राप्त करने की अनुमति दे दी है । हमने केवल इस उपाय का सुझाव दिया है कि एक राज्य की लाटरी के टिकट दूसरे राज्य में बिना उस राज्य की अनुमति के न बेचें जायें ।

Shri Manubhai J. Patel : May I know the annual income earned by each State on account of these lotteries ?

Shri Vidya Charan Skhula: Replies to such questions have geen given twice and the relevant information has already been furnished to the House. If you permit me, I can again lay that information on the Table of the House.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Government have banned speculation in oils, crops, elections etc. and the persons found guilty of indulging in speculation are prosecuted. Lotteries run by the State Governments also come under the category of speculation keeping in view the fact that the Central Government have permitted the State Governments of this Type of speculation, may I know whether they will also permit the other types of speculation ?

Shri Vidya Charan Shukla: There is a world of difference between speculation and a lottery and also between their objectives. Therefore, I do not agree that speculation may also be allowed like lottery. If the hon. Member likes, he may bring forward a Private Member's Bill to this effect.

श्री रा० कृ० बिड़ला : मंत्री महोदय से यह सुनकर कि लाटरियां जुए की श्रेणी में नहीं आती हैं, मुझे आश्चर्य हुआ । देश में लाटरियों से अधिक निम्न कोटि का और कोई जुआ नहीं हो सकता है । यह खेद की बात है कि केन्द्र द्वारा अथवा राज्यों द्वारा इस प्रकार के जुए तथा लाटरियों के द्वारा धन जुटाया जा रहा है । इन सब बातों को देखते हुए क्या सरकार देश में इस सब से बड़ी सामाजिक कुरीति को समाप्त करेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : लाटरियों का स्वरूप क्या है यह सब अपने अपने विचार की बात है । माननीय सदस्य इसे जुए से भी निकृष्ट मान सकते हैं । किन्तु में माननीय सदस्य से इस मामले में सहमत नहीं हूं । इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद हमने यह निर्णय किया कि यदि राज्य अपनी परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु लाटरियां चलाना चाहें तो हमें उनके इस कार्य मे बाधक नहीं होना चाहिए । हमने राज्यों को लाटरी चलाने की अनुमति दे दी क्योंकि संविधान के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था है ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : निर्धन लोग इस जुए के शिकार हुए हैं । वे इस जुए से धन कमाना चाहते हैं ।

श्री सोमचंद सोलंकी : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने पहले क्रासवर्ड पहेलियां तथा अन्य विदेशी लाटरियां बन्द कर दी थीं ? गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों को छोड़ कर सब राज्यों ने लाटरियां धन जुटाने के लिए चला दी हैं । इस सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त अवश्य होंगे । क्या सरकार इस प्रकार लाटरियां चला कर जुए से धन अर्जित करना बन्द करेगी ? क्या सरकार भावी पीढ़ी के लिए उचित तरीकों से धन कमाने का एक आदर्श स्थापित करेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : गैर सरकारी पार्टियों को लाटरियां चलाने आदि की अनुमति देना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है । उसका केन्द्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । राज्य सरकारों को अनुमति देने का काम केन्द्रीय सरकार का है । जब राज्य सरकारें लाटरियां चलाना चाहती हैं, तो हम उनके इस कार्य में बाधक नहीं होना चाहते हैं ।

श्री क० लकप्पा : सम्पूर्ण देश के लिए खतरा है क्योंकि कांग्रेस के शासन में देश की आर्थिक स्थिति संकट में है । राज्यों ने लाटरियां इसलिये चलाई हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार राज्यों की विभिन्न योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने में असमर्थ रही है । क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को पर्याप्त सहायता देगी ताकि किसी को भी अनिश्चितता की स्थिति का सामना न करना पड़े ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं समझता हूं कि इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है ।

श्री क० लकप्पा : मेरी बात स्पष्ट है । क्या राज्य सरकारों को धन देना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है जिससे उन्हें लाटरियां न चलानी पड़ें ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के कथन में कोई प्रश्न नहीं दिखाई देता है ।

श्री सोनावने : क्या यह देखने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई व्यवस्था है कि इन लाटरियों से प्राप्त धन का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिये किया जाये जिनके लिए ये चलाई जा रही हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : संघ राज्य क्षेत्रों में इस बात का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होगा कि जिन शर्तों के साथ लाटरियां चलाने की अनुमति दी गई है, वे पूरी की जा रही हैं ।

जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है ; वे इस मामले में स्वतन्त्र है । हम आशा करते हैं कि लाटरियों से प्राप्त धन का प्रयोग उन्हीं कार्यों के लिये किया जायेगा जिनके लिए वे चलाई गई हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस बात को देखते हुए कि लाटरियों के रूप में जुए को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या सरकार जुआ अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके "कैसिनो" की स्थापना को बढ़ावा देगी जिससे अधिक धन प्राप्त होने के साथ साथ अधिक पर्यटक भी आएं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं, अपितु एक सुझाव है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज की प्रयोगशाला में आग लग जाने से एक शोधकर्ता छात्रा का जीवित जल जाना

*812. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** :
श्री जे० के० चौधरी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक योग्य शोधकर्ता डा० कुमारी सुरजीत

पाण्डा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मैडिकल कालिज की प्रयोगशाला में विस्फोट द्वारा लगी आग से जिन्दा जल गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में एक न्यायकि जांच करने का प्रस्ताव है जिससे यह ज्ञात हो सके कि क्या यह दुर्घटना असावधानी के कारण हुई या उस दुर्घटना में कोई षडयंत्र निहित था ; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। चिकित्सा विज्ञान कालेज की सर्जिकल अनुसंधान प्रयोगशाला की कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, कुमारी सुरजीत कौर पाण्डा, विश्वविद्यालय के प्राणि विज्ञान विभाग में 12 मई, 1969 को लगी आग से जल कर मर गई थी।

(ख) जी नहीं। क्योंकि विश्वविद्यालय तथा पुलिस द्वारा पहले से ही इस मामले की जांच की जा चुकी है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित उपायों के अपनाये जाने का प्रस्ताव है।

(1) गौ-धूलि के पश्चात किसी को भी कमरे में अथवा प्रयोगशाला के अन्दर अकेला काम नहीं करने दिया जाये। कम से कम दो व्यक्ति वहां होने चाहिये।

(2) छात्राओं को सूर्योस्त के पश्चात तब तक नहीं ठहरना चाहिये जब तक कि विभागाध्यक्ष उन्हें विशेष कार्य के लिये अनुमति प्रदान नहीं करें।

(3) बिजली की तारें तथा विद्युत यंत्रों की प्रत्येक दो वर्षों में जांच की जानी चाहिये।

(4) समय समय पर ईंधन पाइप लाइनों की जांच की जानी चाहिये।

(5) सभी विभागों को ट्रालियों पर रखे कार्बन डाइआक्साइड से भरे हुए सिलेन्डर दिये जाने चाहिये जिन्हें विभागीय भवनों में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर रख दिया जाना चाहिये।

(6) भवनों के बहुत से सुविधाजनक स्थानों पर पानी और बालू रेत की भरी हुई लोहे बाल्टियां रखी जानी चाहिय।

(7) आग पकड़ने वाले तथा दहनशील मिश्रणों वाले भण्डार गृहों आदि में आपातकाल के लिये आग बुझाने वाले यंत्रों तथा पानी के हौज प्रदान किये जाने चाहिये।

(8) मिश्रणों को एकत्र करने के संबंध में विभागों को सरकारी नियमों का पालन करना चाहिये (भण्डार गृहों का ढ़ाचा और मात्रा)

(9) विभाग के सभी भवनों के चारों ओर बहुत से पानी के नलों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : The sad end of the life of a brilliant Research Scholar. Dr. (Kumari) Surjit Kaur Pandha is the result of Carelessness on the part of the Government. I want to know from the hon. Minister whether other employees of the University were also present in that room when the said research scholar was there ? Whether some other work was also going on there ? Whether the fire broke out due to some electrical defect or had some one.put some explosive material there which caused fire and the girl was burnt ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस प्रतिभाशाली युवा लड़की की असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर बड़ा दुख है। वह सच्ची लगन से कार्य करने वाली एक अध्ययनशील छात्रा थी।

डा० पंढा : पहली मंजिल के कमरा नं 37 में थी। वहां दो अन्य अनुसन्धान छात्र भी थे जो निचली मंजिल पर कार्य कर रहे थ, और आग लगते ही ये दोनों व्यक्ति जल्दी से बाहर आये और उन्होने आग बुझाने वाले कार्यालय से सम्पर्क किया, तथा आग बुझाने वाले वहां बीस मिनट में पहुंच गये।

जिन परिस्थितियों में डा० पंडा की मृत्यु हुई, वे बड़ी विचित्र है, विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने इसकी जांच की है। पुलिस ने भी जांच की और यह पता लगाया कि या तो यह एक दुर्घटना थी या फिर आत्महत्या का मामला था। मैंने स्वंय जांच रिपोर्ट पढ़ी है तथा मेरा सुझाव है कि केवल उस युवा महिला की सम्मानपूर्ण याद के कारण ही नहीं बल्कि परिवारिक भावना के कारण भी। अब इस दुर्घटना के बारे में भी अधिक ब्यौरे में जाने की जरूरत नहीं है। इस से किसी को लाभ नहीं होगा। इससे केवल उसके परिवार वालों को ज्यादा दुख होगा जिनको पहले ही अपनी बेटी की मृत्यु से गम्भीर क्षति हुई है।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : I want to know whether he had issued certain instructions to the University to the effect that at the time of doing experiments nobody should remain above in the room, as we could not fiind out whether this incidents was caused by some explosive, or was it a case of suicide ? Why such arrangements were not made ? Who is responsible for it ? We have made such arrangements in the Banaras Hindu University. May I know whether he would issue such instructions to other Universities of India, lest such incidents should occur there?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 814।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : प्रश्न संख्या 814 तथा तथा 817 तक एक साथ लिये जायें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर दूंगा।

नक्सलवादियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

*814. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री द० रा० परमार :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में नक्सलवादियों की गैरकानूनी गतिविधियां बढ़ जाने से अनेक लोगों को निर्दयता से मार डाला गया, घायल किया गया तथा उन्हे अन्यथा तंग किया गया ;

(ख) यदि हां, तो नक्सलवादियों द्वारा गत छः महीनों में कुल कितने लोग मार दिये गये तथा कितनी संपत्ति नष्ट की गई : और

(ग) इस राष्ट्र विरोधी तथा समाज-विरोधी दल के आतंक से निपटने के लिये राज्य सरकारों को शस्कत करने की दृष्टि से भारत सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले छ महीनों में आन्ध्र प्रदेश के उग्रवादियों द्वारा 27 व्यक्ति मारे गये तथा

5,28,361 रु० के मूल्य की सम्पति लूट ली गई या नष्ट कर दी गई। बिहार में उग्रवादी दो डकैतियां तथा दंगे की एक घटना के लिये उत्तरदायी थे जिसमें चार व्यक्ति मारे गये तथा लगभग 1,000 रु० के मूल्य की सम्पति लूट ली गई या नष्ट कर दी गई। पंजाब में उग्रवादियों द्वारा दो व्यक्तियों को घायल किया गया। एक अन्य घटना के संबंध में जो जिला होशियारपुर में जून, 1969 में घटित हुई तथा जिसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई; जांच पड़ताल अभी जारी है। उत्तरप्रदेश में उग्रवादी डकैती। सेंधमारी के दो मामलों के लिये उत्तरदायी थे जिनमें उन्होंने 815 रु० के मूल्य की अन्य सम्पत्ति के अलावा एक राइफल, दो बन्दूक तथा एक रिवाल्वर लूटे। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को घायल भी किया। पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों द्वारा एक व्यक्ति मारा गया, 39 व्यक्ति घायल किये गये तथा छः को अन्यथा सताया गया और कुछ सरकारी तथा निजी सम्पत्ति को क्षति भी पहुचाई। शेष राज्यों/संघ राज्यक्षत्रों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई।

(ग) राज्य सरकारें उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों से निबटने के लिये कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करती हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं।

Steps taken against Naxalites

+

*817. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjeet Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the replies given to starred Question No. 871 and Unstarred Question No. 1332 on the 20th December, 1968 and the 27th February, 1969 respectively and state :

(*a*) the details of the concrete steps taken so far to deal with the activities of Naxalites and the results thereof ; and

(*b*) the details of the effective steps proposed to be taken in future ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : प्रश्न संख्या 814 के भाग (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसका उत्तर आज दिया गया है।

श्री एन० शिवप्पा : हमारे देश में केरल, पश्चिम बंगाल, कश्मीर आदि ऐसे सीमावर्ती राज्य है जिन्हें नक्सलवादियों की उदण्डता की गतिविधियों से पहले ही बहुत हानि पहुंच चुकी है। कानून और व्यवस्था की स्थिति तो वहां बिल्कुल बिगड़ चुकी है। इस दृष्टि से, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है तथा उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। मैं गृह-कार्य मंत्री से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन नक्सलवादियों को अपनी उदण्ड कार्यवाहियों द्वारा देश के सभी भागों में अव्यवस्था फैलाने की अनुमति देंगे? क्या वह समझते है कि उनके मंत्रालय की ओर से तथा स्वंय उनकी ओर से इस बारे में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है? दूसरे, क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है? यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है? ... (**व्यवधान**) हमें आशंका है कि केन्द्र सरकार तो केवल तभी कोई कार्यवाही करेंगी जबकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी होगी। अपन समाज की दशा को देखते हुए क्या हमें ऐसी गतिविधियों को होते रहने देना चाहिये?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा है कि जो कुछ राज्यों में हो रहा है उसे माफ करने या उसकी उपेक्षा करने का तो प्रश्न ही नहीं है। इस मामल में, मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें पहले

ही स्थित है, तथा पश्चिम बंगाल सरकार भी खूब जानती है कि इससे क्या राजनीतिक खतरा पैदा हो सकता है । और वे समुचित तथा आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे पता लगा है कि आन्ध्र सरकार भी इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रही हैं कि श्री काकुलम जिले में क्या हो रहा है। वहां इन लोगों कि गतिविधियां पिछले सप्ताहों में बड़ी ही सक्रिय रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी यही बात है और मैं तो कहूंगा कि पंजाब में भी वही स्थिति है। सभा को याद होगा कि कुछ सप्ताह पूर्व केरल के कुछ भागों से भी ऐसी ही गतिविधियों की जानकारी मिली थी, मुझे इस बात की खुशी है कि केरल सरकार ने भी इन गतिविधियों के विरुद्ध कुछ सक्रिय कार्यवाही की है। अतः इन तत्वों की गतिविधियों के बारे में नर्मी से काम लेने अथवा इनकी उपेक्षा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। साथ ही इन मामलों के बारे में किसी प्रकार की घबराहट महसूस करने का या इन्हें अनावश्यक रूप से गम्भीर मानने की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री एन० शिवप्पा : हम देखते हैं कि अनेक पुलिस स्टेशनों पर इन नक्सलवादियों ने माओ-ध्वज फहराये हैं। पुलिस ने भी उन्हें प्रोत्साहन दिया है। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है। मैं नहीं समझता कि मुझे इसके बारे में कोई विशेष बात कहनी है।

Shri Randhir Singh : May I know whether Government proposed to amend the I.P.C. or bring a new measure for providing Capital punishment for those who commit treason, since under the present law the punishments awarded to those who commit treason, instigate people against the Country and indulge in violent activities against the nation is inadequate ? Have the Government in view any proposal to put an end to Naxalite activities, if so, the details there of ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक सिंहा के व्यक्तिगत कार्यों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं इस मामले से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संसिता के अन्तर्गत पर्याप्त कानून उपबन्ध हैं। इस समय कठिनाई किसी संगठित निकाय के विरुद्ध कार्य करने की है। इस सभा में इस विषय पर कई बार चर्चा हुई है। मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को इस विषय पर चर्चा के लिए बुलाया था। कुछ व्यक्तिगत सदस्यों और स्वतंत्र पार्टी को छोड़ कर अन्य राजनीतिक दलों ने इन विषयों पर बहस करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है क्योंकि वे समझते हैं कि इससे संगठन के मूल अधिकारों का हनन होता है। इस मामले में अभी स्थिति यहीं है। जब तक इस सभा के राजनीतिक दलों में इसके बारे में दृढ़ मत नहीं होता, मैं नहीं समझता कि मैं अधिक विधान ला सकता हूं।

Shri Sarjoo Pandey : All of us know that the Naxalites in our Country are fighting for their political objectives. May I know whether it is a fact that some goondas and dacoits indulge in such activities in the name of Naxalites and that the Government instead of apprehending the dacoits etc. level charges against them to denigrate them in the eyes of the world ; if so the extent to which the proclaimed criminals are involved in these activities ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि यह तय करने की बात हमें राज्य सरकार पर ही छोड़नी होगी कि यह डाकुओं का एक साधारण कार्य है अथवा राजनीतिक विचारों से प्रेरित हो कर ऐसा किया जाता है।

Shri Brij Bhushan Lal : May I know whether the anti-national activites are covered by the Unlawful Activites Act, if so, what action has thus been taken thereunder ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक संगठनों और निकायों की गतिविधियों तक ही सीमित है। इस प्रकार की कार्यवाहियों पर यह लागू नहीं होता। मुख्य समस्या यही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that the Chief Minister of Uttar Pradesh had admitted in the State Legislative Assembly that during December and February last two camps were held in Nainital in which Naxalites were given rifle training and that arms were recovered from several Naxalites, if so, the reason for allowing them to hold such training camps and are they having contacts with foreign powers ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जसा कि मैंने कहा देश के विभिन्न उग्रवादी ग्रुप हिंसात्मक कार्यवाहियां करने के बारे में सोचते रहे हैं। जहां तक उनकी विचारधाराओं का सम्बन्ध है मैं नही समझता कि उनमें अधिक समानता है। किन्तु उनमें दो बाते मिलती है : एक तो माओं के विचारों का पालन करना और दूसरे, सशस्त्र क्रान्तिमें विश्वास। ये उग्रवादी ग्रुप भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तरीकों से कार्य कर रहेहैं। फरवरी, 1968 में और फिर अक्टूबर, 1968 में एक समन्वय समिति स्थापित करने के लिये प्रयत्न किये गये थे, किन्तु उसका अधिक प्रभाव नहीं हो सका। किन्तु 1969 के आरम्भ में उन्होंने एक पृथक राजनीतिक दल बनाया साम्यवादी दल-मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट।

वे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। स्वभावतः वे विदेशी विचारों से प्रभावित होते हैं क्योंकि वे माओं और चीन के साम्यवादी दल के प्रति निष्ठा रखते हैं। जब खुले आम सशस्त्र क्रान्ति में विश्वास रखते हैं, तो स्वभावतः वे डाकाजनी और अन्य तरीकों द्वारा शस्त्र प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे है। यह मूल्य तथ्य है जिससे हमें अवगत होना चाहिये। मैं इसके बारे में आत्मतुष्ट नहीं हूं। किन्तु यह भी विचार है कि हमें इस मामले की बहुत जयादा महत्व नहीं दना चाहिए।

Shri Ram Gopal Shalwale : In reply to Question No. 871 on the 21st September he had admitted that the police had recovered a large quantity of literature directly connected with China and which did not have a press line in a raid from Someshwar Press in Distt Basti. May I know the number of persons arrested, after lapse of how much prime they were arrested and the action taken against them ?

Secondly may I know the reasons why action could not be taken against that organisation under the Unlawful Activities Act when the had himself admitted that they had nc faith in democracy ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब विशिष्ट प्रश्न पूछे गये थे तो मैंने सभा को जानकारी दे दी थी। अब मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है कि कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे माननीय सदस्य ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि उनकों बिल्कुल पता नहीं है कि उस अधिनियम का उद्देश्य क्या है।

Shr Jagannath Rao Joshi: The activities of the Nexalites are going on in our country for the last two years. In Kerala they attacked police posts and snatched away the arms and in the border areas of our country, particularly in Uttar Pradesh they are active in the foot hill areas. Have the Government tried to find out the causes of their violent activities ? Even in colleges their activities are on the increase now. Students carrying Mao's posters were caught

in the colleges of Lucknow. What steps have been taken by the Government during the last two years in this regard.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक सरकार द्वारा कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, स्वभावतः वह कानूनी उपायों द्वारा की जायेगी : और ऐसे उपाय वहां किये जाते हैं जहां हिंसात्मक कार्यवाहियां होती हैं। एक अन्य क्षेत्र है जिसमें सरकारी द्वारा कार्यवाही करना उचित होगा। जब ये गुप आर्थिक समस्याओं और लोगों की निराशा का लाभ उठाते हैं, तो स्वभावतः सरकार की कार्यवाही निराशा के कारणों को दूर करने की होगी। किन्तु जहां विचारों के प्रभाव का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि सरकारी कार्यवाही से कोई लाभ होगा। विचारों का मुकाबला विचारों से ही करना होगा।

Shri Prem Chand Verma : These extremists are the enemy of democracy. The hon. Minister has said in the statement that no such incidents have taken place in the Union Territories. Recently a number of villages in Himachal Pradesh, along its border with Punjab, were burnt by the people who call themselves Naxalites. Apart from this huge literature has been seized in the foot-hill areas. Will the Government take concrete steps to prevent the recurrence of such incidents in the border areas of the Union Territory of Himachal Pradesh ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्यायें बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही को बहुत गम्भीर समझा जायेगा। इस मामले में हम संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से सम्पर्क बनाये हुए हैं तथा उन्हें सब आवश्यक सहायता देंगे।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को पता है कि श्री काकुलम जिले में नक्सलवादियों से लड़ने के नाम पर स्थानीय पुलिस द्वारा निहत्थे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको गोली से मार दिया जाता है ? क्या यह सच है कि यह शिकायत न केवल भारतीय साम्यवादी दल के महामंत्री द्वारा भारत सरकार से की गई है बल्कि कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय व्यक्तियों ने भी यह शिकायत राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से की है ? यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अथवा गृह मंत्रालय ने इस बात में कोई जांच करने तथा सचाई का पता लगाने का निर्णय किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए है तथा वहां जो कुछ होता है, वे हमें उससे सूचित करते रहते है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वहां उग्रवादी तत्व हिंसात्मक आन्दोलन कर रहे हैं। वास्तव में श्री काकुलम उग्रवादियों का गढ़ है। मुझे खुशी है कि आन्ध्र सरकार इस मामले में कड़ी कार्यवाही कर रही है।

श्री वासुदेवन नायर : प्रश्न यह था कि क्या निर्दोश व्यक्तियों को गोली से मारा गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने नक्सलवादी आन्दोलन जिस का अभिप्राय विधि द्वारा स्थापित सरकार को नष्ट - भष्ट्र करना है तथा लोगों के शोषण विरोधी आन्दोलन जो कि सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों के कारण है, इन दोनों के अन्तर को समझा है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कार्यवाइयां अधिकतर पश्चिम बंगाल, बस्तर, खम्मम तथा श्री काकुलम तक सीमित है, जहां कि आदिम जातीय लोग रहते है, जो कि सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए है और जिन का बहुत अधिक समय से शोषण किया जाता रहा है। क्या माननीय मंत्री इन दोनों प्रकार के मामलों के अन्तर को समझेंगे तथा इन मामलों को भिन्न भिन्न तरीके से हल करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं। मेंने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि ऐसी कार्यवाइयों के मूल कारण लोगों की कुछ उचित शिकायतें, विशेषतया किसानों की समस्यायें, कृषि सम्बन्धी समस्यायें तथा आदिम जातीय लोगों की समस्यायें हैं। इन समुदायों का शोषण किया जाता रहा है। इस लिए मैं ने कहा है कि ऐसे मामलों का हल उचित अर्थिक तथा सामाजिक उपाय करके लोगों के असंतोष के कारणों को दूर करना है। राज्य सरकारों के साथ अपने पत्र व्यवहार में हम इस बात पर जोर देते रहे हैं। मैं यही कह सकता हूं कि हमें इस अन्तर को अवश्य समझना होगा।

नियमित सेवाओं के लोगों की शिकायतों पर विचार करने के लिए स्थापित समन्वय समिति की सिफारिशें

+

*815. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री अदिचन :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमित सेवाओं के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिए और उनमें उपचारात्मक सुझाव देनेहेतु सरकार द्वारा स्थापित समन्वय समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और कौन-कौन सी स्वीकार नहीं की गई है ;

(ग) 1 जनवरी, 1969 तक कितने "आसिस्टेंटों" ने "असिस्टेंट" ग्रेड में 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी और उनमें से कितने असिस्टेंट्स को अधिकतम वेतन मिल रहा है ; और

(घ) असिस्टेंट ग्रेड में पदोन्नति आदि की गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) समन्वय समिति ने अब तक दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। पहला प्रतिवेदन अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड से सम्बन्धित है। प्रत्येक समय जब सीधे भर्ती किये गये अनुभाग अधिकारी उस ग्रेड में नियुक्त किये जाते हैं तो पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता में निरन्तर होने वाले अवमूल्यन के उपचार के लिए उक्त समिति ने सिफारिश की कि उस ग्रेड में सीधी भर्ती चयन-सूची में, अर्थात अस्थायी रिक्तियों में और न कि स्थायी रिक्तियों में की जानी चाहिये।

दूसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिश का सम्बन्ध उन सहायकों की भावी पदोन्नति में सुधार से है जिन्होंने उस ग्रेड में अनेक वर्षो की सेवा कर ली हो। इस प्रयोजन के लिए समिति ने अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति पदों का कोटा उन सहायकों द्वारा भरे जाने के लिए नियत करने की सिफारिश की जिन्होंने किसी निश्चित अवधि के लिए उस ग्रेड में सबसे अधिक वर्षो की सेवा की हो।

उक्त सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) क्रमशः 1134 तथा 588

(घ) सहायकों के बारे में समन्वय समिति की सिफारिश संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श में विचाराधीन है ।

Shri Yajna Datt Sharma : Mr. Speaker, Sir, I want to know whether both the reports submitted by the Co-ordination Committee which was set up to look into the grievances of the Members of the regular services will be laid on the Table of the House ? As the part (b) of my question asking information about the number of recommendations which have been accepted by Government and those which have not been accepted by Government has not been properly answered by the hon. Minister, I want to know whether a detailed statement giving all the information in this regard will be laid on the Table of the House. ?

Shri Vidya Charan Shukla : Departmental reports are not laid on the Table of the House. But the points raised by the hon. Member are being conidered by us in detail and a copy of the decisions taken in this regard will be laid on the Table of the House.

Shri Yajna Datt Sharma : It is very long since the second pay Commission was appointed and even if the year 1949 is taken as base year. the value of the rupee has gone down by 60 per cent. So under these circumstances, keeping in view the difficulties of the members of the regular services, I want to know why a third pay Commission is not being appointed by Government ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is very big question. This question is concerned only with Section officers and if the hon. Member asks separate question, I will try to answer that.

Place of Sanskrit in Three-Languages formula

***816. Shri Shiv Kumar Sahstri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether any final decision has been taken in regard to the proposal to give suitable place to Sanskrit in the Three-Language Formula ;

(b) if not the main reasons therefor : and

(c) whether it is also a fact that the link between the Indian languages is weakening due to the decreasing interest in the study of Sanskrit ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c) : The advice tendered by the Education Commission which was subsequently endorsed by the Central Advisory Board of Education and which was further supported by the Resolution passed by the both Houses of Parliament on the official and other language is that Sanskrit or any other classical language cannot be included in the Three Languages Formula, which for various reasons, has to be restricted to modern Indian languages only.

However, serious consideration is being given as to how best to further the cause of Sanskrit. From this point of view, the Government of India have made a much larger allocation during the Fourth Plan period, as compared to the Second and the Third Plans, for the propagation and development of Sanskrit.

Shri Shiv Kumar Shastri : Sir, I want to say to the hon. Minister through you that tb Three-language Formula may or may not solve any problem but it has certainly become a

problem for Sanskrit. The answer that the matter is receiving serious consideration has very often been repeated in this House. I fear that the prolonged consideration of this question may result in complete elimination of Sanskrit. So I want to know the time by which a final decision is likely to be taken in this regard.

Shri Bhakt Darshan : Sir, I assure the hon. Member that a decision will be taken soon and elimination of Sanskrit will not be allowed.

Shri Shiv Kumar Shastri : I want to know whether the hon. Minister will raise the question of Sanskrit in the Conference of State Chief Ministers or Education Ministers and adopt some measures for the protection of Sanskrit and for creating interest in students to study this language in consultation with them?

Shri Bhakt Darshan : The matter has been discussed many times in the Conference of Education Ministers and Chief Ministers. The matter has also been discussed in Parliament. But we are contemplating to have early consultations with the representatives of the States. The matter was discussed once in 1964, but the consultations did not proceeded further. We want to consult the State Governments again in this matter. I hope a solution of the problem will be found out.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sanskrit is considered to be the mother of Indian Languages and to understand Indian culture its study is essential. I hope the hon. Minister will admit this fact that after independence the number of Sanskrit students is gradually decreasing. So I want to know what steps are being taken by Government for the propagation of Sanskrit? Is Government prepared to declare Sanskrit a compulsory subject ? Will the hon. Minister discuss this question with the Chief Ministers ?

Shri Bhakt Darshan : I have already stated that the views of the Chief Ministers have been ascertained. They are of the opinion that the modern languages should be included in the Three Language Formula. But so far as the Central Education Ministry is concerned, I want to inform the House that we are making efforts for the propagation of Sanskrit. For example, the allocation for Sanskrit in the Second Five Year Plan was only Rs. 5 lakhs and in the Third Five Year Plan it was Rs. 75 lakhs, where as in the Fourth Five Year Plan it has been raised to Rs. 2 crores and 55 lakhs.

श्री नाथपाई : मंत्री महोदय ने बताया कि संस्कृत के अध्ययन के लिए हर सम्भव सहायता तथा सहयोग देने के मामले पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने महत्वपूर्ण आंकड़े भी दिये हैं। परन्तु यह सब कहने की बातें हैं। हमें देखना यह कि व्यवहार में क्या हो रहा है हमारे देश में ऐसी संस्थाएं हैं जिनके निष्ठावान अनुयायी निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहें हैं और जो संस्कृत में छात्रवृत्तियां देती हैं और संस्कृत सम्बन्धी अनुसंधान कार्य करती हैं। मैं एक ऐसी संस्था को जानता हूं कि जो संस्कृत में अनुसंधान का एक महान कार्य कर रही है। उनकी रचना का नाम प्रजन्य पाठशाला का धर्म कोश है। धनाभाव के कारण उनकी और रचनाएं प्रकाशित नहीं हो सकी। अध्यक्ष महोदय क्या आप विश्वास करेंगे कि यहां बातें तो करोड़ों रुपये की जा रही हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि धर्म कोष के खण्डों के प्रकाशन के लिए कोई भी 40000 रुपये की राज सहायता देने के लिए तैयार नहीं है क्या सरकार को ज्ञात है कि अनुसंधान कार्य की कई मूल्यवान परियोजनाएं केवल इसीलिए त्यागनी पड़ती हैं कि उन्हें थोड़ी सी वित्तीय सहायता भी मिल पाती यदि हां तो भविष्य में सरकार इस विषय में कौन से उपाय करेंगी ?

श्री भक्त दर्शन : इस संस्था में कुछ समय पूर्व मैं स्वयं गया था। मैं देखूगां कि इसके बारे में क्या किया गया है और यदि उनका कोई नया प्रार्थना-पत्र मिलेगा तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा।

श्री नाथपाई : इन संस्थाओं के लिए धन की कमी कदापि नहीं होनी चाहिये । केवल यह कहना कि मैं देखूंगा और सहानुभूतिपूर्वक विचार करूँगा पर्याप्त नहीं । मैंने धर्मकोश के बारे में पूछा है । यह धर्म-शास्त्रों का पहला विश्व कोश है जिसे नैतिक क्रम से प्रमाणिक व्याख्या के साथ प्रकाशित किया जा रहा है । देश में हो रहे अनुसंधान-कार्यों में यह बिरला कार्य है, जिसकी प्रगति धनाभाव के कारण रुक गयी है ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : राज्यमंत्री महोदय ने बताया कि वह इस विशेष मामले की ओर ध्यान देंगे । अब माननीय सदस्य ने इस ओर विशष रूप से ध्यान दिलाया है इसलिए हम इस की ओर शीघ्र ध्यान देंगे ।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता अपितु मैं मंत्री महोदय का ध्यान तिब्बती स्कूल सोसाइटी जैसी परियोजनाओं पर व्यय की गई धनराशि की ओर दिलाना चाहता हूं । संस्कृत के संवर्धन के लिए अन्य परियोजनाओं पर चौथी पंचवर्षीय योजना में जितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है वह है तिब्बती स्कूल सोसाइटी पर किये गये खर्च से कम है । इस बात को देखते हुए कि भारत की अधिकतर प्रादेशिक भाषाएं संस्कृत से सम्बद्ध हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का विभिन्न राज्यों में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है और कि क्या चौथी पंच वर्षीय योजना में नियत की गई लगभग दो करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त है ?

श्री भक्त दर्शन : मेरे पास तिब्बती स्कूल सोसाइटी पर तथा संस्कृत के संवर्धन पर व्यय किए जा रहे धन के तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि दोनों प्रकार के स्कूलों के लिए हम यथाशक्ति कार्य कर रहे हैं । जहां तक 2,55,00,000 रुपये का सम्बन्ध है, यह राशि चौथी योजना में केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी और हमें आशा है कि राज्य सरकारें भी इस कार्य के लिए पर्याप्त अनुदान देंगी ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The Hon. Minister has made a strange statement that Sanskrit is one of the classical languages. Will the hon. Minister please state whether any of the other languages mentioned in the Eighth Schedule is a classical language besides Sanskrit ? I think by declaring Sanskrit as a classical languge, the Government want to ignore it and to bring it at par with Arabic and Persian. In this context, I want to know whether the Government recognise that Sanskrit has a link with modern Indian languages ? If so, why difference is made in modern Indian languages ?

Shri Bhakt Darshan : I agree with the views expressed by the hon. Member. that Sanskrit is the mother of all Indian languages and that it should get due attention. In view of that two-three proposals are under consideration. Firstly, that Sanskrit be adopted as fourth language, may be as an optional one. Secondly, in the first language one paper in Sanskrit may be made compulsory. The third proposal is that Sanskrit may be made a compulsory subject as a third language. The hon. Member is himself a member of Central Sanskrit Board and we shall give due attention to his suggestions.

Shri Raghuvir Singh Shastri : No other language is considered as classical in our constitution. Why has the Government given Sanskrit the same status as has been given to other languages.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं नहीं समझता कि संस्कृत को क्लासिकल लैंगुएज मानने से इसका स्तर गिरता है । आठवीं अनुसूची में उसे रखने का अभिप्राय यही है कि इसका

प्रयोग आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हो । अब तक इसे आधुनिक भाषा बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये गये और अब सरकार का प्रयास होगा कि आधुनिक भाषा के रूप में इसका अधिकाधिक प्रयोग हो और इसे केवल क्लासिकल लैंगुएज ही न माना जाए ।

Shri Tulshidas Jadhav : The statement of the hon. Minister that Sanskrit is the mother of all Indian languages is correct. But if it is made a compulsory subject as a fourth language it will create difficulties for students in rural areas. Have the Government given consideration to this factor?

Shri Bhakt Darsha : I could not understand the question of the hon. Member properly. But I would like to tell him that for the present, the Government have no plan to make Sanskrit a compulsory subject. Instead, we are thinking to give more facilities for its study.

आसाम में विदेशी धर्मप्रचारक

+

*818. **श्री शारदानन्द :**
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में कितने विदेशी धर्म प्रचारक हैं और उनमें से कितने धर्म प्रचारक सामरिक महत्व के खासी, जयन्तियां और गारो पहाड़ी जिलों में काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने धर्म प्रचारक ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे तथा भूटान और नेफा की तराई के बीच के संवेदनशील क्षेत्र में काम कर रहे हैं ; और

(ग) उन पांच विदेशी धर्म प्रचारकों के नाम क्या हैं, जिनके परमिटों का नवीकरण नहीं किया गया है और उनके विरुद्ध शिकायतों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) अनुमानतः (1) सिस्टर रोजारियो लोपेज हेरेरा, (2) सिस्टर एलेना अल्बूजरी, (3) पादरी गाएटानो गुइडोट्टो, (4) श्री जोसेफ डीस्ते तथा (5) श्री मार्टिन जार्ज जेम्स का हवाला दिया गया है । उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल सूचना नहीं है और उनके परमिटों का नवीकरण कर दिया गया है ।

विवरण

आसाम	238
खासी और जयन्तियां पहाड़ी जिले	112
गारो पहाड़ी जिला	9
ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट तथा भूटान और नेफा के पहाड़ों की तराइयों के बीच का क्षेत्र	39

Shri Sharda Nand : Foreign missionaries are not allowed to enter NEFA and they have therefore set up their missions on NEFA border and are operating from there. These missionaries bring children from NEFA keep them in their missions and after effecting their religious conversion send them back to NEFA: Will Government inquire into this matter, and after inquiry if they find that such conversions actually take place, do they intend to stop them ?

Shri Vidya Charan Shukla: We made an inquiry. We had received certain complaints and there were some other factors also on the basis of which we decided to order the foreign missionaries functioning in the belt between the northern bank of Brahmaputra and NEFA to leave that place. Proper action is being taken in that behalf.

Shri Sharda Nand : May I know whether the charges levelled against the foreign missionaries, whose names he has just now enumerated in his reply, were investigated before renewal of their permits ? What were the charges against them and who conducted the investigations ?

Shri Vidya Charan Shukla: We verified them on the basis of reports received from time to time. As no such charge was proved against them which necessitated this action, no such action was taken.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सत्य है कि आसाम सरकार के दो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी त्यागपत्र देकर अमरीकी पायनियर मिशन में, जिसका एकक पूर्वी भारत में काम कर रहा है, शामिल हो गये हैं और उनकी सेवा के रिकार्ड से पता चलता है कि वे इस देश के प्रति वफादार नहीं रहे हैं ? यदि उपरोक्त कथन सही है तो क्या यह भी सच है कि आसाम के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में यह रहस्योद्घाटन किया है और केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और कि केन्द्रीय सरकार इसकी जांच कर रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य पृथक से सूचना दें, तो मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री हेम बरुआ : केन्द्रीय सरकार इस मामले की जांच कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कहां तक सचाई है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसको देखना पड़ेगा। इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। अलग प्रश्न की सूचना दिये जाने पर मैं यह जानकारी दे सकूंगा।

श्री रा० बरुआ : जहां तक हमारी जानकारी है, ईसाई धर्म प्रचारकों का चीनी या माओ के सिद्धान्त या भारत-विरोधी विदेशियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या सरकार को पता है कि इस निरन्तर जांच-पड़ताल से ईसाई जनसंख्या पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ये बातें हमारे ध्यान में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आम तौर पर भारत में काम कर रहे ईसाई धर्म प्रचारक अपने को अपने नियमित कार्य तक ही सीमित रखते हैं। हमें इक्का-दुक्का शिकायतें मिली हैं। कुछ मामलो में शिकायतें सही पाई गई। शिकायतों के सही पाये जाने पर ही हम कार्यवाही करते हैं। यहां पर हजारों विदेशी धर्म प्रचारक काम कर रहे हैं परन्तु हमने उनके विधिवत् रूप से काम करने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाली है।

श्री स्वैल : राज्य मंत्री के सही तथा निष्पक्ष वक्तव्य को सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि अधिकांश ईसाई धर्म प्रचारक अपने को अपने काम तक ही सीमित रखते हैं और राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते।

प्रश्न का पहला भाग उस क्षेत्र से सम्बन्धित है जिससे मैं चुन कर आया हूं । गृह मंत्री ने अनेक बार इस सभा में तथा बाहर यह कहा है कि इन क्षेत्रों के लोगों ने अपने राजनैतिक संघर्ष में देशभक्ति, राष्ट्रवादी भावनाओं तथा उच्चतम प्रकार की राजनीतिज्ञता का परिचय दिया है । हमें पता है कि इन क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा अधिकतर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा दी जाती है। मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि खासी और जैंतियां पहाड़ियों तथा गारो पहाड़ियों के लोगों की इस देशभक्ति, राष्ट्रवादिता और राजनीतिज्ञता का स्रोत क्या है ? क्या वह धर्म प्रचारकों से मिली शिक्षा के कारण है अथवा इसका कोई अन्य कारण है ?

इतिहास इस बात का साक्षी है कि 1830 से 1835 तक कुछ हजार खासियों ने ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि गत 130 वर्षों में इन क्षेत्रों के लोगों को ईसाई धर्म प्रचारकों से जो शिक्षा मिली है उसने उन्हें दुर्बल बना दिया है और इस कारण उनका अन्य देशों की ओर झुकाव बढ़ गया है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा कि मैं कह चुका हूं आम तौर पर वे वही काम कर रहे हैं जिसके लिए वे यहां आए हैं। चाहे कोई विदेशी धर्म प्रचारक हो या भारतीय हो, हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध तभी कोई कार्यवाही करते हैं जब कि कोई विशेष कारण हो ।

श्री स्वैल : मेरा प्रश्न स्पष्ट था । मैंने पूछा था कि उन लोगों की देशभक्ति, राष्ट्रवादिता तथा राजनीतिज्ञता का श्रेय किस को है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन धर्म प्रचारकों के विरुद्ध इस तरह की जांच-पड़ताल यहीं तथा सदैव के लिये बन्द कर दी जाये ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने कहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उससे मैं काफी हद तक सहमत हूं ।

श्री कार्तिक उरांव : चूंकि अब भारत स्वतन्त्र है इसलिये हम हर एक चीज का भारतीयकरण करने के बारे में सोच रहे हैं । मुझे यह देख कर दुःख होता है कि अब भी सारे देश में विदेशी धर्म प्रचारक पिछले 150 वर्षों से काम कर रहे हैं । आदिम जातियों के लोगों पर, जिन्हें ईसाई बनाया गया है 200 करोड़ रुपया या इससे अधिक राशि व्यय की जा चुकी है जब कि उनकी जनसंख्या केवल 16 लाख है । इस समुदाय का बहुत विकास किया गया है और अब वे अन्य विकसित समुदायों से किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं हैं । आदिम जातियो के कल्याण के बारे में भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति भ्रामक है । मैं कुछ तथ्य बतलाना चाहता हूं जो अभी तक प्रकाश में नहीं आये हैं । 60 प्रतिशत विदेशी छात्रवृत्तियां ईसाईयों को मिली हैं जिनकी जनसंख्या आदिम जातियों के लोगों की कुल संख्या का केवल 5.53 प्रतिशत है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

श्री कार्तिक उरांव : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसका इस अन्तर को किस प्रकार समाप्त करने का विचार है क्योंकि 95 प्रतिशत आदिम जाति जनसंख्या गैर-ईसाई है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह सच है कि यहां कार्य करने वाले सभी मिशनों का हम भारतीय-करण करना चाहते हैं और हम इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। हमारी नीति यह है कि यदि किसी भारतीय से काम चल सकता है तो हम किसी विदेशी को नियुक्त करने की अनुमति नहीं देते । भविष्य में भी इसी नीति का अनुसरण करने का हमारा इरादा है और हम इस नीति का दृढ़ता के साथ अनुसरण करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री लोबो प्रभु : किसी धार्मिक नेता पर कीचड़ उछालने अथवा उस पर संदेह करने से समूचे समुदाय पर प्रभाव पड़ता है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सम्बद्ध व्यक्ति को अपने बचाव में कुछ कहने का अवसर दिये बिना इस प्रकार कीचड़ उछालना चाहिये **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दे सकता था परन्तु मुझे खेद हैं कि प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

श्री लोबो प्रभु : इस लिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने घोषणा कर दी है कि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है तो वह इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं ? अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Floods in Khagaria and Begusarai

S. N. Q. 12. Shri Kameshwar Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the flood condition in Khagaria Town and ravages of floods in Khagaria and Begusarai Sub-divisions caused by Ganga, Gandak and Kosi rivers ;

(b) if so, the action taken by Government in the matter ; and

(c) the total financial sanction made to combat the floods in the affected areas ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c) : A statement is attached.

Statement

(a) to (c). The Government of Bihar have reported that the Khagaria and Begusarai sub-divisions of Monghyr District have been hit by the high floods in the Ganga.The floods affected an area of 1,29,500 hectares (including a cropped area of about 80,000 hectares) in 450 villages with a population of about 4 lakhs in these two sub-divisions. 411 houses have also been damaged in Monghyr District.

There is no damage to Khagaria town which is protected by an embankment.The embankment is intact though there was some seepage from the gaps which have since been plugged by sand bags. The Ganga level crossed the H.F.L. of 1948 i.e. 37o856 metre by 0.32 metre on 25th August. The level had fallen by 15 cms. on 27th August. The situation is being watched and all protecive measures are being taken.

The flood spill entered a few low lying localities of Monghyr town which is a normal feature in floods. The water has, however, started receding from the 25th August. It was wrongly reported in the Press that the Power House at Monghyr was flooded. The power House was not in operation as electric supply to Monghyr is being met from the grid.Constant watch is being kept over the embankments by the State Government. Traffic was dislocated on account of the overtapping of the National Highway near Sahebpur Kamal and the State Government have taken all possible protective measures. There is no perceptible flow at present against, the road embankment and light vehicular traffic has been allowed on the road. The road is expected to be free in a day or two if the Ganga continues to recede. Since floods

in the Ganga in the upper reaches are receding, it is expected that Khagaria and Begusarai which are situated in the lower reaches of the river will also be shortly relieved from the strains caused by the flood soon.

Relief Measures :

Monghyr district is prone to flooding by the Ganga. The State Government have intensified the flood relief operations this year. The flood water started receding from 25 August.

Two steamers, and 500 boats were pressed into service to rescue nearly 25,000 people and 3000 cattle from marooned villages in Monghyr District. The rescued people have been accommodated in 50 relief camps and have been provided with free rations. 6000 quintals of foodgrains have been distributed free and such distribution will continue as long as it is necessary.

Six cases of cholera have been reported from Monghyr district (none of them is from Khagaria or Begusarai sub-division). The situation is under control and there has been no epidemic affecting human beings or cattle. 100% inocculation and vaccination have been taken up as preventive measures and vitamin tablets have been distributed.40,000 wells have also been disinfected and 68 medical and veterinary centres opened.

The State Government have allotted Rs. 24 lakhs for expenditure in connection with flood emdgencies in the areas affeced by fiood included Monghyr District. The District Magistrates have been azthorisecd to spend any amount that is necessary without waiting for Government sanction.

Shri Kameshwar Singh : Before asking any question, I may draw the attention of the hon. Minister to the statement placed on the Table of the House. An attempt has been made to distort the facts. It has been stated that this flood has affected an area of 1,29,500 hectares in 450 villages with a population of 64 lakhs in these two sub divisions. 411 houses have been damaged in Monghyr District. But the fact is that 700-800 houses have collapsed in one block area. It has been reported in the "Searchlight" that nearly 708 houses in the Sahabpur kamal block have been damaged. It is, therefore, incorrect to say that 411 houses have collapsed in the entire District when 708 houses have collapsed in one block. It has also been stated in the statement that cholera or any other epidemic has not spread anywhere. I had asked the question about Khagaria and Begusarai Sub-divisions but the reply has been given in respect of some other parts of Monghyr. I have myself visited Khagaria and there was apprehension of cholera spreading there. Other diseases were spreading there. The people were taking rotton foodstuffs. I had asked the hon. Minister to get foodgrains medically tested in order to know whether the same is fit for human consumption. In spite of all this, no relief measures are being adopted there. It has also been mentioned in the statement that sufficient number of boats are available whereas it has been reported in "Indian Nation" that :

> "Boats are not available for the relief work. A few that some B.DOs. had in Begusarai and Khagaria Sub divisions are not in a position to cope with the situation."

It is clear that the number of boats is insufficient. I do not mean that the hon. Minister has told a lie. The fact is that he has received a wrong report. This fact should be enquired into and severe action should be taken against the official responsible for this misstatement. This flood is more serious than the flood of 1948. National highway No. 31, which is the only road link between Assam and the rest of India is under deep water. It has been stated that 4 or 6 inches deep water is there but the fact is that there is $1\frac{1}{2}$ feet deep water. There was one foot deep water on the day I came here. Will the hon. Minister kindly let us know whether

anv steps would be taken to shift the townships located in the flood-affected areas ? I would also like to know the amount of assistance given by the Central Government in connection with the relief measures adopted so far in that area.

डा० कु०ल० राव: मैंने जो जानकारी दी है वह बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित है। मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कह सकता। जहां तक बस्तियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी सुझाव का सम्बन्ध है, मैं बिहार सरकार से कहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करे और अपने प्रस्ताव हमें भेजे ताकि हम आगे कार्यवाही कर सकें। सहायता के बारे में एक प्रक्रिया है जिसका अनुसरण किया जाता है। जब बाढ़ का जोर कम हो जायेगा और हानि का पता चल जायेगा तो बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेगी और केन्द्रीय सरकार वहां पर एक दल भेजेगी जो क्षति का अनुमान लगायेगा और फिर राहत के लिये आवश्यक धन-राशि दी जायेगी।

Shri Kameshwar Singh: The hon. Minister has mentioned the name of Bihar Government, but at present there is President's rule in Bihar. Now it is the responsibility of Central Government. Had there been a popular Government in Bihar, this would not have happened. There were floods in the State last year also. The hon. Minister has stated that the State Government has allocated Rs. 24 lakhs for expenditure in connection with flood emergencies in the areas affected by floods, including Monghyr District. This is the worst flood and the amount allocated is Rs. 24 lakhs only for the entire State. Till now no one has gone there to have an aerial view of the flood situation. The report sent from Bihar is incorrect and Government should take immediate action in this matter. I want to know whether Central Government would send a team there to inquire into the above conditions and whether steps would be taken to give maximum facilities in future ?

डा० कु० ल० राव : बिहार सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया है कि राहत कार्यों के लिये जितना धन खर्च करने की आवश्यकता है वह किया जाय तथा उसके लिये मंजूरी की प्रतीक्षा न की जाय। यह आवश्यक नहीं है कि व्यय 24 लाख रुपये तक ही सीमित रखा जाय वरन् इस राशि से अधिक भी खर्च किया जा सकता है। इस कार्य के लिये जिला मजिस्ट्रेटों और जिला कलक्टरों को जितने धन की आवश्यकता होगी दिया जायेगा।

जहां तक दल का प्रश्न है, दल विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा तथा केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता देते समय उसकी उपपत्तियों को उपयुक्त महत्व दिया जायेगा।

मैं समझता हूं कि पूरी सूचना दी जा चुकी है।

Shri Kameshwar Singh: I wanted to know whether any team would be sent from here, and if so, the time by which it would be sent.

Shri Madhu Limaye : My area is affected by flood. I represent that area.

श्री स० कुण्द् : माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न किया है कि अध्ययन दल कब भेजा जायेगा किन्तु इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री कामेश्वर सिंह ने अपने अनुपूरक प्रश्न के साथ कई प्रश्नों को मिला दिया है। खेद है अब उन्हें और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रश्न में उल्लिखित खगरिया तथा बेगुसराय कस्बों से सम्बन्ध रखने वाले अन्य माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे विचार से अन्य सदस्य इस मामले में रुचि नहीं रखते होंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह नदी मेरे राज्य से होकर भी बहती है और इससे बंगाल में भी भारी क्षति हुई है। यदि मुझे बोलने का अवसर दिया जाय तो मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि मैं भी इस से सम्बन्ध रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अनुपूरक प्रश्न केवल वही माननीय सदस्य पूछें जिनका वह क्षेत्र हो। अन्य माननीय सदस्य क्यों खड़े होते हैं ? श्री विक्रम चन्द्र महाजन इस में कैसे रुचि रखते है ?

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : क्या खगरिया कस्बे में बाढ़ पहली बार आई है और यदि नहीं तो इस कस्बे को बाढ़ग्रस्त होने से बचाने के लिये पहले क्या उपाय किये गये थे ? और बाढ़ से वहां अब फिर से कैसे इतनी क्षति हो गई ?

डा० कु० ल० राव : इस क्षेत्र में आवश्यक राहत कार्य किये जा चुके हैं। खगरिया कस्बे की तटबन्दी कर दी गई है तथा यहां पहले की अपेक्षा बाढ़ का इतना प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी प्रकार मांसी के लिये भी संरक्षात्मक उपाय किये गये हैं और बाढ़ से होने वाले भूमि कटाव को रोक दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी थी। माननीय मंत्री इसका क्यों उत्तर दे रहे हैं ?

डा० कु० ल० राव : बाढ़ का पानी उतर रहा है और आज वहां राष्ट्रीय राजपथ पर ट्रक चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से कह रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है अतः उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु फिर भी माननीय मंत्री इसका उत्तर दिये जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या अब इस उत्तर को सभा के कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यदि फिर ऐसी स्थिति आएगी तो देखा जायेगा।

Shri Madhu Limaye: This question relates to District Monghyr. On the northern side of the river Ganga there is Assam road and on the southernside of Ganga there is Patna-Bhagalpur road and the area in between these roads is heavily flooded. This is the heaviest flood during the last ten to twelve years. I have been raising this question since the 14th of this month. May I know the arrangements being made by the Government to supply ration, clothes, boats and medicines to the flood hit people of this area ?

The maize crop has been totally ruined in this area and the people have been rendered homeless. May I know whether relief measures would be adopted immediately in this regard ? Secondly, when *pucca* houses give way, only then the Government consider that houses have collapsed, but when *jhugies* and *jhonparies* are washed away they are not prepared to accept that fact. May I know whether the Government will make arrangements to raise *jhuggies* and *jhonparies* for those whose *jhuggies* have been washed away by flood waters ? Will the Government complete this work during the period of seven days ?

डा० कु० ल० राव : यह सारी जानकारी मैं विवरण में दे चुका हूं। बिहार सरकार ने कहा है कि सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। बिहार सरकार वहां के लोगों को मुफ्त भोजन दे रही है, उन को नावों के द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है आदि आदि। जिन लोगों के मकान गिर गये हैं उनको धन राशि दी गई है। बिहार सरकार ने जिला कलक्टरों को यह आदेश भी दिया है कि वे धन राशि की मंजूरी की प्रतीक्षा न करें तथा जितने धन के व्यय की आवश्यकता हो तुरंत करें। यह सब बिहार सरकार ने बताया है अतः यह कहना अनुचित है कि इस बारे में उपयुक्त उपाय नहीं किये जा रहे हैं।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister is well aware of the devastating nature of floods occurred in Bihar State this year. This question pertains to the areas of Khagaria and Begusarai. You are also awre of the fact that the crops have been ruined and the farmers have been left with nothing to eat. May I know whether the Central Government will give instructions to the Government of Bihar to the effect that the farmers of the flood-affected areas should be given exemption from the payment of land revenue ? This is my specific question. At present the land revenue is being collected from the.farmers there. May I know specifically if the Government propose to give instructions to the Government of Bihar to this effect ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि वहां फसलें नष्ट हो गई हैं तथा किसान संकट में हैं। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव को बिहार सरकार को भेज दूंगा।

Shri N. T. Das : It is a fact that the Monghyr District has been affected and this area has been inundated by the flood waters, particularly the low-lying areas. May I know the steps being taken by the Government for rehabilitating the persons belonging to a number of villages under the four police stations. namely Mufusil, Suraj Garh, Lakhisarai and Barthaiya, because these villages are situated on the banks of the river Ganga and they have been washed away by flood waters. May I know the arrangements being made by the Government to rehabilitate the people of these villages.

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि इन इलाको में बाढ़ आई हुई है तथा उन में पानी भी भर गया है। बहुत से गांव भी बह गये हैं। मुंगेर क्षेत्र में केवल इतना ही किया जा सकता है कि गंगा नदी तथा सड़क के बीच तटबंदी कर दी जाय। इस कार्य के लिये हम जांच कार्य करेंगे।

Shri Kedar Paswan : You do not call us We are sitting on the back benches and are thus unable to catch your eye.

Mr. Speaker : Due attention is paid to you also. This question is being put daily, refering to one district or the other. The House was scheduled to adjourn today, but now we are meeting to-morrow also, because this matter is to be discussed. I am keeping in mind as to who got the opportunity to speak during the short notice question and who did not. I keep noting the names of the hon. members who have not been given time and I will try to accommodate them tomorrow.

श्री रंगा : आपका यह कहना सच है कि इस मामले पर चर्चा के लिये आपने पूरा दिन दिया है। साथ ही साथ माननीय मंत्री कुछ अल्प सूचना प्रश्नों को तो स्वीकार कर रहे हैं तथा कुछ को अस्वीकार कर रहे हैं। मेरे दल की ओर से राजस्थान में बाढ़ के सम्बन्ध में एक अल्प-सूचना प्रश्न रखा गया था, किन्तु पता नहीं माननीय मंत्री ने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया, जबकि उन्होंने इन

दिनों अन्य क्षेत्रों में बाढ़ के सम्बन्ध में अल्प-सूचना प्रश्नों को स्वीकार किया है । क्या वह समझते हैं हैं कि राजस्थान में बाढ़ से कम क्षति हुई है ? इसकी कसौटी क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिये भी कठिनाई पैदा की जाती है । इस विषय पर चर्चा के लिये हमने एक दिन निश्चित किया है ? इस के बावजूद हर रोज प्रश्न भेजे जा रहेहैं । मैं इस तरह सभा का समय नष्ट होने से कैसे बचा सकता हूं ?

Shri Lakhan Lal Kapoor : I returned from Monghyr District last night. After 1948, it is the first time when the Ganga, Gandak and Kosi rivers are in spate so devastatingly. In that area thousands of villages have been inundated and lakhs of people have been rendered homeless. There is no space left even on the national highway number 31. I have seen with my own eyes that the officers entrusted with the relief work have not been provided with boats and no proper arrangements for supplying food to the people have been made. These people should be supplied kerosene oil, clothes, match boxes and medicines but the arrangements made in this regard are quite unadequate,The reply given by the Government is totally falacious. May I know the steps being taken by the Government to provide immediate relief in respet of food and employment to the persons who have been rendered homeless and jobless ?

What precautionary measures are proposed to be adopted by the Government in order to check the recurrence of floods, in the ensuing years ? Last year during floods in the month of October provisions were made for advancing flood relief loans to the flood-affected employees of the Central Government and the State Government. May I know whether the Government are going to make similar provisions for the flood-offected employees within the specifiied period of seven days ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य द्वारा दिये गए सुझाव मैं बिहार सरकार को भेज दूंगा । नियंत्रण के उपायों के बारे में मुझे यह पता नहीं है कि उन्होंने वास्तव में किस क्षेत्र विशेष का उल्लेख किया है । यदि उन्होंने खगरिया तथा बेगुसराय सब-डिवीजनों का उन्लेख किया है तो वहां किए जा रहे उपायों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं । जैसा कि मैंने कहा हम खगरिया में तटबन्ध को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे । गंगा नदी तथा राजपथ संख्यां 31 के बीच हम एक अन्य तटबन्ध का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इन्हीं कुछ उपायों के संबंध में हम विचार कर रहे हैं । (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिमय बसु : इसी गंगा नदी ने सम्पूर्ण उत्तर बंगाल तथा मुरशिदाबाद जिले को बाढ़ से आप्लावित कर दिया है । इस स्थिति को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उत्तर बंगाल तथा पश्चिम बंगाल के बाढग्रस्त क्षेत्रों के लिये सिंचाई तथा इंजीनियरिंग कार्यों एवं बाढ़ सम्बन्धी सहायता-कार्यों के लिये वह कितने धन का नियतन करने जा रहे हैं ।

डा० कु०ल० राव : गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण मालदा तथा मुरशिदाबाद जिलों में बाढ़ का पूरा असर हुआ है । मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि मुझे आज प्रात : ही तार द्वारा सूचना मिली है कि फरक्का पर गंगा उतर रही है । धन कितना दिया जाए, यह तो सहायता कार्यों पर निर्भर करेगा ।

Shri B.P. Mandal : Such floods are unprecedented in Bihar. Bihar is under Presidents Rule now and as such Central Government's responsibility increases in this regard. I want to know from the hon. Minister as to how many people have been rehabilitated out of these rendered homeless by the heavy floods, the number of hungry persons provided with food and the number of unemployed persons who have been provided with jobs ?

डा० कु० ल० राव : इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही आंकड़े दे दिये हैं ।

श्री बि० प्र० मंडल : अपने प्रश्न का मैं निश्चित उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले पूछा गया था । और उस का उत्तर भी दे दिया गया है ।

श्री कार्तिक उरांव : मुझे तो अभी तक यह भी पता नहीं है कि इन बाढ़ों के लिये किस व्यक्ति अथवा किस सरकार को उत्तर दायी ठहराया जा सकता है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी सामान्य प्रश्न की अनुमति नहीं दूगा ।

श्री कार्तिक उरांव : भारत की समस्त नदियों के लिये नदी-प्रशिक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण के लिये कितने धन की व्यवस्था की जाती है ?

डा० कु० ल० राव : चौथी योजना में लगभग 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

Shri Gunanand Thakur : Khagaria sub-division in North Bihar, southern parts of Seharsa District, northern parts of Bhagalpur, inner.parts of Kosi embankment and the.parts of Purnia District situated on the banks of.Ganga, all these areas are said to be the main victims of floods. No road could be constructed in that area and the railway line there is always in danger. I had an opportunity of visiting that area, and probably such a disastrous flood was never seen there. I want to know the specific measurs that Government propose to adopt to permanently check these floods. I also want to know the concrete steps that Government propose to take to com pensate for the heavy loss and destruction that are caused there on a large scale every year and particularly caused this year ?

डा० कु०ल० राव : माननीय सदस्य की यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि उस क्षेत्र में अनेक नदियां हैं जैसे कोसी, कमलबलान, तथा बूढी गंडक, और इसी कारण वश यह क्षेत्र प्रतिवर्ष भीषण रूप से बाढ़ग्रस्त होता है । अत : बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिये हर सम्भव उपाय किए जाते हैं । मैं यह तो नहीं कह सकता कि इस विशेष क्षेत्र में बाढ़ को पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है, परन्तु हम इसके प्रभाव को कम तो कर ही सकते है ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : This is the most disastrous flood after 1948. This flood is the most calamitous in the history of Ganga. The Irrigation Minister, Dr. Rao, had called a meeting of leading Engineers and M.Ps like Shri Yogendre Sharma in his office in the Parliament House before the floods occurred. I want to know whether that had any in pact on Bihar Government ? This flood have caused heavy loss. They have destroyed thousands of houses and cattle heads in Mohiuddinagar in the Samastipur sub-division Darbhanga District, and in Patori Block and seven persons have died. But complete arrangements for relief work have not been made in this area so far.

डा० कु० ल० राव : बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ नियंत्रण कार्य किया गया है । अभी तक भारत के जिस भाग में जो सब से अधिक धन व्यय किया गया है वह बिहार ही है । इसके बावजूद यदि बाढ़ से क्षति होती हैं तो इस पर हमारा बस नहीं है । बाढ़ से निरन्तर क्षति ही रही है परन्तु हमे आशा है कि कुछ वर्ष पयर्न्त बाढ़ इतनी भयंकर नहीं रहेंगी.....(**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने के लिये बहुत उत्सुक हैं और आप प्रश्न करने के बहुत इच्छुक हैं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कंठारी : खगरिया में जो बाढ़ आई है वह बहुत भंयकर है परन्तु मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचिन क्षेत्र मन्दसौर में भी तनी ही भंयकर बाढ़ आती हैं.....(**व्यवधान**)

बाढ़ के कारण लोगों को बहुत हानि होती है (**व्यवधान**)। मैंने आपको एक पत्र दिया है और आपने इसे उनके पास भेज दिया है। मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया है परन्तु इस वक्तव्य में जो जानकारी दी गई है वह सारी गलत है। उन्होंने बताया है कि सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। मैं मन्दसौर जाकर देखकर आया हूं कि वहां पर सहस्त्रों घर नष्ट हो गए हैं। झोंपड़ियां बह गई है परन्तु माननीय मंत्री गरीबों की इन झौंपड़ियों को सम्पत्ति नहीं मानते। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में बड़ी चिन्ता है। यही कारण है कि हम यहां पर इस मामले को उठाते हैं। मैं मंत्री महोदय से इस सारे मामले पर फिर से विचार करने का अनुरोध करता हूं। वह वस्तु स्थिति का पता लगायें और सही जानकारी दें। वह सदन को गुमराह न करें। अन्यथा मैं विशेषाधिकार का मामला उठाऊंगा मेरे निवचिन क्षेत्र के निवासी बाढ़ से बहुत गम्भीर रूप में प्रभावित हुए हैं। मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूं परन्तु मैं उनसे गम्भीर रूप से कहता हूं कि वह तथ्य सुनिश्चित करके उन्हें सही रूप में सदन के समक्ष रखें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के निर्वाचिन क्षेत्रों मे बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में उन की चिन्ता को मैं अच्छी तरह से समझता हूं परन्तु दो नगरों से सम्बंधित प्रश्न के प्रसंग सारे राज्यों की चर्चा कैसे हो सकती है ? आपको वाद विवाद करने का कल पूरा अवसर दिया जायेगा। मैं यह बारबार कह रहा हूं। कार्य-सूची को छोटा करने का मेरा उद्देश्य केवल यह है कि मैं आज सरकारी कार्य को निबटाना चाहता हूं, जिससे कल इस पर चर्चा की जा सके।

श्री एस० काण्डप्पन : आपने यह वचन से बहुत से सदस्यों को दिया है। मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम सब को अवसर दे सकेंगे। अधिकांश सदस्यों ने तो इस में भाग ले लिया है, जिन्होंने भाग नहीं लिया है, उन्हें अवसर दिया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों में सर्वसम्पन्न पर्यटक निदेशालयों की स्थापना

*813. **श्री महम्मद शरीफ** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में ही सर्वसम्पन्न पर्यटक निदेशालय स्थापित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में पर्यटकों की सुविधा के लिये शेष सभी राज्यों में इस प्रकार के निदेशालय कब तक स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) बिहार, जम्मू और काश्मीर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलावा आसाम, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में भी सर्वांग सम्पन्न पर्यटन निदेशालय विद्यमान हैं।

(ख) पर्यटन विकास परिषद् जिसके सभी राज्यों के पर्यटन मंत्री सदस्य हैं, सभी राज्यों में सर्वांग सम्पन्न पर्यटन निदेशालय स्थापित करने की निरन्तर सिफारिशें करती आ रही है, और सभी मुख्य मंत्रियों को इस आशय के व्यक्तिगत पत्र भी लिखे जा चुके हैं। सर्वांग-सम्पन्न पर्यटन निदेशालय स्थापित करने की कार्यवाही संबंधित राज्यों द्वारा की जानी है।

Opinion of Government Regarding Comments in Press on Central Higher Secondary Examination Results (1969)

819. Shri J. Sundar Lal : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 25 on the 13thMay, 1969 and also to the Statement made by him thereon to the effect that "I do not know about the position where any preference is given to those who are particularly good in English" and state :

(a) the opinion of the Government of India in regard to the comments about the Central Higher Secondary Examination, as published at page 3 of the daily 'Hindusthan' dated the 27th May, 1969 ;

(b) the steps proposed to be taken to bridge the gulf existing on account of English between the students who are particularly good in English and those who are weak in English but are otherwise quite i telligent; and

(c) Whether Government recognise only those student as intelligent ones who are particularly good in English ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :

(a) The Government do not agree with the views expressed in the Newspaper.

(b) There is no such gulf between the two ctegories of students, so far as the result of the Higher Secondary Examination is concerned.

(c) No, Sir.

समान शिक्षा नीति

***820. श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि भाषाओं तथा परीक्षाओं के सम्बन्ध में इसीलिए उपद्रव होते हैं कि भारत में एक समान शिक्षा नीति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों तथा शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का है; यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सारे भारत में समान शिक्षा-नीति अपनाने हेतु उपाय करने का है; यदि हां, तो वे क्या उपाय है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) जी नहीं। भाषाओं और परीक्षाओं के कारण होने वाले उपद्रवों का कारण, एक समान शिक्षा नीति की कमी न होकर, बहुत से मिश्रि कारण हैं।

क्योंकि शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरुप, जिस पर व्यापक रुप से विचार विनिमय हो चुका है और उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशों राज्य शिक्षा मंत्री सम्मेलन (अप्रैल 1967) संसदीय शिक्षा समिति के सदस्यों (जुलाई 1967) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (अगस्त, 1967) कुलपति सम्मेलन (सितम्बर, 1967) और संसद् के दोनों सदनों (अगस्त और दिसम्बर, 1967) द्वारा बारी बारी से अनुमोदित करदी गई हैं, इसलिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपना लिया है, जो कि समूचे देश में लागू है। सरकार की मुख्य जिम्मेदारी इस नीति को कार्यान्वित करने की है।

इसलिए, एक समान नीति तैयार करने के लिए विचार विनिमय हेतु मुख्य मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Hotel at Gwalior

***821 Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3128 on the 14th March, 1969 and state ;

(a) whether any final decision has been taken in regard to the proposal of constructing a hotel at Gwalior, which is under the consideration of the India Tourism Development Corporation ;

(b) if so, the details regarding the said proposal and the time by which the construction of the hotel is proposed to be started ; and

(c) if not, whether the said proposal is not being implemented as the *inter se* priorities based on market surveys and availability of funds are not favourable ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Dr Karan Singh) : (a) (b) and (c) The India Tourism Development Corporation have no plans for constructnig a hotel at Gwalior. Gwalior has been tentatively selected as one of the places for constructing aMotel, but a final decision in this regard will be taken in the light of findings of a feasibility study to be undertaken for this purpose.

कथक केन्द्र का असन्तोषजनक कार्य

*822. **श्री लोबो प्रभू :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कथक केन्द्र को बन्द न करने के क्या कारण हैं जबकि 1964 में यह पता लग चुका था कि इसका कार्य बड़ा असन्तोष जनक, तथा वर्ष 1964–1965 में किसी विद्यार्थी ने कथक पाठ्यक्रम में प्रवेश भी नही लिया था और आगामी तीन वर्षों में केवल 11 छात्रों ने प्रवेश लिया जिनमें से केवल 3 छात्र ही पाठ्यक्रम में उत्तीण हुए थे ;

(ख) इसके बावजूद भी कर्मचारियों पर खर्च में क्यों वृद्धि हो रही है, जो कि वर्ष 1967 1968 में 1.02 लाख रुपये तक पहुंच गया था ; और

(ग) जैसा कि लोक लेखा समिति (चतुर्थ भोक सभा) की चौदहवी रिपोर्ट में की गई सिफारिशके अनुसार इस के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब करने के लिए क्या किसी को उत्तर दायी ठहराया गया ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) कत्थक केन्द्र को संगीत नाटक अकादमी ने अक्तूबर, 1964 में, आरम्भ में दो वर्ष के लिए प्रयोगात्मक आधार पर ले लिया था।

इसलिए इसे 1964 में ही बन्द कर देने का प्रश्न नहीं उठता। नया डिप्लोमा पाठ्क्रम 16 जुलाई, 1965 को प्रारम्भ होने वालेकेवल अगले शिक्षा सत्र से ही प्रारम्भ किया जा सका। इसलिए 1964–65 के दौरान डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कोई दाखिला नहीं किया गया। यद्यपि डिप्लोमा पाठ्यक्रम में विद्यर्थियों की संख्या 11 थी, विद्यार्थियों को कत्थक नृत्य में गहन प्रशिक्षण प्रदान करने की लिए बाद में प्रारम्भ किए गए विभिन्न अन्य पाठ्यक्रमों के लिए भी दाखिल किया गया था।

(ख) कर्मचारियों संबंधी खर्च में बढ़ोतरी का कारण यह है कि अकादमी द्वारा केन्द्र को ले लिए जाने के बाद केन्द्र के लिए समय समय पर अलग प्रशासनिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। ठुमरी में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के बाद, ठुमरी के लिए एक गायन (वोकल) अध्यापक भी नियुक्त किया गया था। कर्मचारियों संबंधी खर्च में बढ़ोतरी का कारण अतिरिक्त अनिवार्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धियों आदि के कारण हुई सामान्य बढ़ोतरी है।

(ग) केन्द्र के स्वरूप के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने के प्रश्न पर अकादमी, सितम्बर 1968 में समाप्त हुई बढ़ी हुई अवधि के पूरा होने के बाद से सक्रिय रूप से विचार कर रही है। 16–7–1969 से केन्द्र को लेने से संबंधित अंन्तिम निर्णय करने से पहले अकादमी को बहुत से विकल्पों पर विचार करना पड़ा था। इसलिए अन्तिम निर्णय लेने में किसी देरी के लिए जिम्मेदारी निश्चत करने का प्रश्न नहीं उठता।

Pak Infiltration into Rajasthan

*823. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the incidence of Pakistani infiltration into areas of Rajasthan adjoining Pakistan has increased ;

(b) if so, the names of the areas wherein infiltration is particularly continuing ; and

(c) the steps taken by Government so far to check it ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) Intensive patrolling is being carried out by our Border Security Force to check infiltration.

दिल्ली में अभिकरणों की उत्तरोत्तर वृद्धि

*824. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभिकरणों की उत्तरोत्तर वृद्धि न होने देने के लिये कोई उपाय कर रही है जिस से दिल्ली के योजनाबद्ध विकास में गम्भीर बाधा पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। दिल्ली प्रशासन के परामर्श स इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

Meeting of All India Students Federation At Delhi

*825. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry had called meeting of the All India Students Federation at Delhi on the 23rd May, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that mutual conflicts started between the students on language issue while Shris D. S. Kothari, Chairman, University Grants Commission, was making the speech ;

(c) whether it is also a fact that in the said meeting such persons had also come as representatives of students who were not in any way connected with studies and this also led to mutual conflicts and increase in bitterness ; and

(d) the purpose of Government for conveying this meeting ?

The Minister of Education and Youth Services (Prof. V.K.R. V. Rao) : (a) A conference of Students Representatives of the Universities convened jointly by the Ministry of Education and Youth Services and the University Grants Commission was held in Delhi on May 23-25, 1969.

(b) At the start of the Conference, when the Chairman, University Grants Commission began his welcome speech in English a difference of opinion arose among student representatives whether the proceedings of the Conference should be conducted in English or Hindi. At the suggestion of the Union Education Minister and the Chairman, University Grants Commission, it was generally agreed that the participants may speak either in Hindi or in English. This did not lead to any conflict but on the other hand was welcomed generally by the participants.

(c) Invitations were issued by the University Grants Commission to the Vice-Chancellors of the Universities to depute the President of the University Students Union or another representative in case he was unable to attend. However, as demanded by the participants Shri N.P. Sinha, elected president of the Banaras Hindu University Students Union but later expelled by the University, was allowed to attend the Conference as a special case.

(d) The Conference was convened to discuss the following items :
(*i*) Student participation in University affairs ;
(*ii*) Curriculum and examination reforms;
(*iii*) Employment opportunities and related problems ;
(*iv*) The role of students advisory and guidance bureaux ;
(*v*) National Service Scheme; and
(*vi*) the role of student organisations in University life.

असम पुर्नगठन विधेयक के प्रारूप पर चर्चा

*826. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के पुनर्गठन के बारे में प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप पर उनके मंत्रालय तथा असम-नेताओं के मध्य चर्चा पूरी हो गई है ; और

(ख) क्या भविष्य में सम्भावित संवेधानिक या प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिये कोई ठोस प्रबंध कर लिये गये हैं और यदि हां, तो उन प्रबन्धों की प्रमुख रूपरेखा क्या है ?

गृहकार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). पुनर्ठन विधेयक के प्रारम्भिक प्रारूप पर असम सरकार तथा सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। 11 सितम्बर, 1968 को भारत सरकार द्वारा घोषित असम के पुर्नठन की योजना को लागू करने के विए विधेयक नैयार किया जा रहा है तथा सम्भानित संवैधानिक अथवा प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर सम्भव सावधानी बरती जा रही है।

Examination of Research Assistants for appointment in Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology)

***827. Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether an examination of Research Assistants was held for appointment to the posts of Assistant Education Officers in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology ;

(b) if so, the number of Research Assistants who were declared successful in the said examination ;

(c) whether it is also a fact that the standard of the said examination was very low ; and

(d) if so, who is responsible for this ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services: (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) 81

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली परिवहन उपक्रम को हुई हानियां

828. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में दिल्ली परिवहन उपक्रम को होने वाली हानि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम 1965 से केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण का भुगतान करने में असफल रहा है और उपक्रम के अध्यक्ष के वक्तव्य के अनुसार इस ऋण का भुगतान तभी किया जायेगा जब दिल्ली परिवहन उपक्रम को लाभ होगा, और

(ग) यदि हां, तो यह ऋण कितना है और उक्त वक्तव्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी, हां।

(ख) 1965–66 से दिल्ली परिवहन उपक्रम ने कोई ऋण की किश्त की या ऋण पर ब्याज प्रभार की अदायगी नहीं की जैसा प्रश्न में कथित है उपक्रम के अध्यक्ष द्वारा कोई वक्तव्य दिये जाने का सरकार को कोई पता नहीं है।

(ग) 1968–69 के अन्त तक सरकार को देय मूल धन का अत्यावधि किश्त और ब्याज प्रभार की कुल राशियां क्रम से 335.41 लाख रुपये और 156.24 लाख रुपये थी।

मुंगेर (बिहार) में साम्प्रदायिक दंगे

*829. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 9 फरवरी, 1969 और 29 मार्च, 1969 या इसके आसपास मुंगेर (बिहार) में हुये साम्प्रदायिक दंगों की कोई जांच कराई है ;

(ख) कितनी दुकाने लूटी गई और कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ग) क्या राज्य तथा /अथवा केन्द्र द्वारा प्रधान मंत्री के सहायता कोष आदि से उन पीडित लोंगों को कोई मुआवजा दिया गया या सहायता दी गई ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या दयाल आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के गृह मंत्री के साथ बातचीत की गई है और क्या कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (घ) तक राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं। तथापि प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से कोई सहायता नहीं दी गई।

(ङ) साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में जांच आयोग के रांची-हटिया दंगों के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकारों को उचित कार्यवाही के लिए भेजी गई थी। उन्होंने उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी है जिन्हें आयोग ने सरकारी ड्यूटी के निष्पादन में दोषी पाया। विभिन्न सिफारिशों पर राज्य सराकर द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1895/69]**

आर्थिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

*830. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार की यह राय है कि प्रादेशिक असमानताओं की समस्या से निपटने के लिये आर्थिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना आवश्यक है; और

(ग) प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने के लिये सरकार किन अन्य उपायों का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार के विचार में प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने का उपाय राज्यों का पुनर्गठन करना नहीं है। अनिवार्यत: यह एक विकास की समस्या है और योजनाओं को बनाने में बेहतर प्रादेशिक समानता प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है नई चौथी योजना के सन्दर्भ

में योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि उनको पहले ही सुझाये गये विकास के संकेतकों के आधार पर निश्चित रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को पहचानने के प्रश्न का पुनरीक्षण किया जाय और ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थानीय सम्भावनाओं, स्रोतों तथा आवश्यकताओं के आधार पर आर्थिक तथा समाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाई जायें। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों के विकास के लिए तथा उचित समय के भीतर विकास की प्रगति को बढ़ाने के लिए रचना के आगे की सुविधाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

पाठकों की संख्या में वृद्धि

†831. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, राजस्थान में गये पर्यटकों, विदेशियों और भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि में राजस्थान जाने वाले विदेशी पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस विभाग द्वारा अलग-अलग राज्यों अथवा स्थानों की यात्रा करने वाले विदेशी अथवा देशी पर्यटकों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) अर्जित विदेशी मुद्रा का अनुमान अखिल भारतीय आधार पर लगाया जाता है न कि अलग अलग राज्यों के आधार पर ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के लिये नई प्रशिक्षण व्यवस्था

†832. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के लिये नई प्रशिक्षण व्यवस्था निकाली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ;

(ग) यह व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की वर्तमान प्रशिक्षण प्रणाली से कहां तक भिन्न है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के प्रशिक्षण को और गम्भीर तथा समस्या-मूलक बनाने के उद्देश्य से जुलाई, 1969 से राष्ट्रीय अकादमी में संस्थानात्मक प्रशिक्षण को लगभग आठ महीनों और चार महीनों के दो भागों में बांट दिया गया है और राज्यों में एक वर्ष का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण इन दो भागों के बीच में डाल दिया गया है। अकादमी में दूसरे भाग के दौरान प्रशिक्षण में अधिकतर परिवीक्षाधीन व्यक्ति के अनुभव तथा क्षेत्र में निरीक्षण पर अधारित प्रशासन की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा।

(ग) इस से पहले, राष्ट्रीय अकादमी में भा० प्र० से० के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों का सम्पूर्ण 12 महीनों का संस्थान के भीतर का प्रशिक्षण राज्यों में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण से पहले होता था।

भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाना

*833. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने में लगभग 30 वर्ष लगेंगे ;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) यदि इस में बहुत अधिक समय लगने की संभावना है तो भारतीय विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के अध्ययन पर जोर देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) (ख) और (ग): जी नहीं। 86 विश्वविद्यालयों में, जिन में विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं भी हैं, 52 विश्वविद्यालयों ने पहले ही अंग्रेजी के साथ हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आरम्भ कर दिया है। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से प्रादेशिक भाषाओं में करने की क्रिया धीरे धीरे लागू होगी और इस के लिये कोई ठीक समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। किन्तु इस में बहुत अधिक समय लगने की संभावना नहीं है। विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक विषयों में प्रादेशिक भाषाओं को जल्दी ही शिक्षा का माध्यम बनाने में सुविधा देने के हेतु विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिये भारत सरकार उन राज्य सरकारों में से प्रत्येक को, जिन के अधिकार क्षेत्र में विश्वविद्यालय आते हैं, प्रथम डिग्री स्तर की पुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करने के लिये 1968–69 से 6 वर्ष तक फलाकर एक करोड़ रुपये तक की राशि देने को सहमत हो गई है।

आनन्द मार्ग की गतिविधियां

*834. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "आनन्द मार्ग" की गतिविधियों की जांच की है, जो एक धार्मिक संस्था है और जिसका मुख्यालय पुरुलिया में है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है ;

(ग) इस संस्था को धन कहां से प्राप्त होता है ;

(घ) इस संस्था से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भारत के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारें आनन्द मार्ग की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं।

(ख) प्रश्न के इस भाग से सम्बन्धित मामले 1969 की लेख्य याचिका संख्या 167 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है ।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार सदस्यों से स्वेच्छा से चन्दे, सदस्यों और हमदर्दियों से दान, केन्द्रीय कार्यालय से अनुदान और मनोरंजन-कार्यक्रमों तथा फिल्म प्रदर्शन के तरीके से एकत्र किया गया धन आनन्द मार्ग की आय के ज्ञात साधन हैं।

(घ) आनन्द मार्ग के संस्थापक श्री प्रभात रंजन सरकार हैं। आनन्द मार्ग के अनुयायी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

(ङ) सरकार ने स्पष्ट किया था कि सरकारी कर्मचारी द्वारा आनन्द मार्ग की गतिविधियों में भाग लेना राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेना समझा जायगा और इस प्रकार संबंधित सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा। किन्तु उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई लेख्य याचिका तथा स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर उच्चतम न्यायालय ने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अन्तिम रूप से निपटाये जाने तक, स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र के उपबन्धों को सरकार द्वारा लागू न करने के आदेश जारी किये हैं। तदनुसार सरकार ने अगले आदेश होने तक परिपत्र पर कार्यवाही न करने के लिये मंत्रालयों /विभागों को अनुदेश जारी किये हैं।

Development of Aerodromes in Madhya Pradesh

*835. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the development and improvement of aerodromes in Madhya Pradesh in the Fourth Five Year Plan ;

(b) the amount allocated therein for the development and improvement of Bhopal Aerodrome; and

(c) the details of the scheme for development and improvement of the said aerodrome ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr Karan Singh) : (a) Rupees 5 lakhs for a terminal building at Khajuraho.

(b) Nil.

(c) Does Not arise.

इन्दौर में दंगे

*836. **श्री बलराज मधोक :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब इन्दौर में कुछ उपद्रवकारियों ने "भारत केसरी" चंदगीराम के शांतिपूर्ण जलूस पर आक्रमण किया तो उस समय सेना बुलानी पड़ी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन उपद्रवकारियों ने सेना और पुलिस से बन्दूक आदि हथियारों से डटकर लड़ाई लड़ी ; और

(ग) यदि हां, तो उस संघर्ष में सेना के कर्मचारियों को जान तथा माल की कितनी क्षति हुई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राज्य सरकार ने जून, 1969 में इन्दौर में दंगों के दौरान सेना को केवल एक अतिरिक्त प्रबन्ध के रूप में बुलाया था ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय दक्षता दल निदेशालय में पदों के भरने पर प्रतिबन्ध

*837. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने अगस्त, 1967 से राष्ट्रीय दक्षता दल निदेशालय में रिक्त पदों को भरने पर रोक लगाई हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन के मंत्रालय की विभागीय परिषद् की एक बैठक में यह निर्णय किया गया था कि जब तक विकेन्द्रीकरण की योजना को वस्तुत: कार्यरूप नहीं दिया जाता तब तक पर्यवेक्षक और अन्य आवश्यक पदों पर तदर्थ आधार पर भर्ती की जाये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को कार्यालय के कार्य में लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो रिक्त पदों को इस बीच समाप्त कर देने तथा पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसरों से वंचित कर देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ):

विवरण

कुंजरू समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अनुशासन योजना प्रशिक्षक योजना का विकेन्द्रीकरण करने के फैसले की दृष्टि से राष्ट्रीय योग्यता दल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द कर दिया गया है । फलत: राष्ट्रीय योग्यता दल निदेशालय के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, तथा इस निदेशालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर 2 अगस्त, 1967 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

2 शिक्षा मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग की विभागीय परिषद की अप्रल 1968 में हुई चौथी सामान्य बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि राष्ट्रीय योग्यता दल संगठन का कार्य दक्षतापूर्वक चलाने के लिय सरकार द्वारा पर्यवेक्षी तथा अन्य आव यक पदों का निर्धारण किया जाना चाहिय था इन पदों पर नियमों के अनुसार पदोन्नति की जानी चाहिये । ये पदोन्नतियां तदर्थ आधार पर की जानी चाहिए तथा विकेन्द्रीयकरण तथा राज्य को हस्तांतरण के समय पदोन्नत व्यक्तियों के लिये अपने पूर्व पदों पर पदावन्नति आवश्यक होगा । तद्नुसार 1 नवम्बर, 1968 से हेड क्लर्कों के दो पद अपर डिवीजन क्लर्कों /एकाउन्ट्स क्लर्कों के 4 पद तथा स्टाफ कार ड्राइवर के एक पद को आवश्यक घोषित किया गया तथा इन पदों पर नियुक्तियां की गई ।

3. चूंकि सरकार राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों के राज्यों को विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर सक्रियता से विचार कर रही है, अत: अर्द्धस्थायी मामलों आदि को पूरा करने के हेतु कर्मचारी सम्बन्धी आंकड़े सप्लाई करने के लिये राष्ट्रीय योग्यता दल निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुछ प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग किया जाना आवश्यक है ।

4. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का विकेन्द्रीकरण करने तथा इस योजना के प्रशासनिक कर्मचारियों तथा प्रशिक्षकों के वर्तमान सेवा काल को केवल 31 दिसम्बर, 1969 तक ही रखने का निर्णय किया गया है । अत: रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Unplanned Increased in Admission Capacity of Engineering Institutions

***838. Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Ramachandra Veerappa :
Shri Y. A. Prasad :

Will thes Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that according to the statistics prepared by the Applied Manpower Research Institute, about one lakh persons holding Degrees and Diplomas in Engineering are likely to be unemployed in 1973-74 as a result of unplanned increase in admission capacity effected in 1963 as an aftermath of Chinese aggression ; and

(b) if so, the scheme formulated by Government to provide employment to them ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Yes, Sir. According to the estimates of the Institute of Applied Manpower Research, there is likely to be a surplus of about 55,000 engineering graduates and 46,000 diploma-holders by the end of 1973-74 if the pace of our economic development remains the same as that visualised in the Fourth Plan. The estimated surplus is partly because of expansion of technical education in the wake of 1962 emergency and partly because of recession in industry in the last four years.

(b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

The following measures have been formulated for relieving unemployment among engineers :—

(i) State Governments and the Central Ministries may take up preparatory work in connection with projects to be included in the Fourth and subsequent Plans to provide for additional employment of engineers ;

(ii) Preparation of technical reports for selected completed major projects may be taken up under the supervision of senior engineers ;

(iii) The training-in-industry programme of the Ministry of Education and Youth Services should be expanded to cover at least 5,000 trainees each year ;

(iv) Arrangements may be made for the training of 1,500 graduates and diploma-holders for the operation and maintenance of thermal stations ;

(v) Vacant posts may be filled rapidly, recruit ment procedures and prescribed qualifications being modified wherever possible. The general ban on the filling of vacant technical posts may be lifted ;

(vi) Introduction of short service technical commission for the Army Technical Corps ;

(vii) Development of Indian Consultancy Organisations to provide for additional employment of engineers. Wherever possible and desirable, certificates of technical soundness and feasibility from Indian Consultancy Organisations may be insisted upon before sanctioning projects ;

(viii) Special schemes should be drawn up for extending financial assistance and other facilities to engineers for setting up small scale industry ;

(ix) The contractual provision requiring approved contractors to employ qualified engineers may be enforced ;

(x) Encouragement should be given to engineers for setting up cooperatives for under taking construction work or for setting up repair nd servicing facilities for agricultural machinery in rural areas ;

(xi) Employment of engineers in marketing, sales and management posts in public undertakings may be encouraged;

(xii) A multi-speciality approach should be adopted to scientific research and development ;

(xiii) Special efforts may be made through our Missions abroad to send out technical experts to friendly developing countries to assist them in their development programmes.

Road Taxation Inquiry Commission Report

*839. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased state :

(a) whether it is a fact that the First Road Taxation Inquiry Commission had recommended in its report that the budget allocated for the construction of roads be declared as non-lapsable fund ; and

(b) if so, whether not only tye Union Government but also the State Governments would be asked to comply with this recommendation so that the work of construction of rural roads can go on year to year without any break ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri K. Raghu Ramaiah) :(a) Presumably the Member is referring to the Motor Vhicle Taxation Enquiry Committee, 1950. It recommended that both in the Centre and in the States the funds allotted in the budgets each year for road development should be voted into a non-lapsing fund similar to the Central Road Fund.

(b) The subject of rural roads is primarily within the scope of State Governments to which copy of the report has been forwarded for necessary action.

भारतीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में राज्यों के डाक्टरों को शामिल करना

*840. **श्री रवि राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान देश में कुछ वरिष्ठ डाक्टरों की इन आशंकाओं की ओर दिलाया गया है कि सम्भवत: राज्य सरकारें वस्तुत: योग्य वरिष्ठ डाक्टरों अथवा प्रोफेसरों के नाम केन्द्र के भारतीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में इस आधार पर सम्मिलित करने के लिए न भेजें कि वे स्थायी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन आशंकाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या गारंटी ली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारतीय शिक्षा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रारम्भिक भर्ती विनियम, 1969 में उक्त सेवा की प्रारम्भिक गठन की व्यवस्था में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के लिये पात्रता के सिद्धान्त स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किये गये हैं । किसी राज्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के प्रत्येक अधिकारी पर, जो निर्धारित सिद्धान्तों को पूरा करता है, विचार किया जाएगा और अलग-अलग राज्य सरकारों को पात्रता सिद्धान्तों को के पूरा करने वाले अधिकारियों में से धन चयन करने की छूट नहीं है ।

Propagation of Ideals of Swami Ram Tirtha on Universal Brotherhood

5265. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) Wheter Government have formulated or proposed to formulate any scheme to propagate through books and other media, the ideals of Swami Ram Tirtha, a great Philosopher of modern times on universal brotherhood, love and peace ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister for Education and Youth Services Dr. V. K. R. V. Rao): (a) & (b) There is no such proposal with the Government of India. However, lessons on the leader, philosophers etc. of India are generally included in books for social study and language teaching. For example, a lesson on Swami Ram Tirtha is included in the social studies book for class VIII in Delhi

उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान मुस्लिम मजलिस द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार

5266. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1969 के तीसरे सप्ताह में इलाहाबाद के वकीलों ने समाचार पत्रों को इस आशय का वक्तव्य जारी किया था कि मुस्लिम मजलिस ने साम्प्रदायिक आधार पर चुनाव प्रचार किया था और अपने उम्मीदवार को विजयी किया था ;

(ख) यदि हां, तो चुनाव कानून के अन्तर्गत उस उम्मीदवार को अनर्ह घोषित करने तथा देश में ऐसे साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस विषय के समाचार देखे हैं ।

(ख) और (ग) संघ से भारतीय क्षेत्र के किसी भाग के सत्तान्तरण अथवा संबंध विक्षेद करने के इरादे वाली किसी संगठन की गतिविधियों के मामलों को छोड़कर संगठनों पर रोक लगाने के लिए सरकार को समर्थ करने वाला कोई कानून विद्यमान नहीं है । संसद् सदस्यता अथवा राज्य विधान मण्डल की सदस्यता के लिए संबंधित उम्मीदवार को अनर्ह घोषित करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि कोई व्यक्ति केवल तभी अनर्ह होता है जब वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा 1 या उपधारा 2 में उल्लिखित अपराधों के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो या किसी चुनाव याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय लिख दिया गया हो कि उस व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भ्रष्ट आचरण प्रमाणित किया गया है । आपराधिक तथा निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1968 के खंड 5 में यह निर्धारित करने की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति तब भी अनर्ह होगा जब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 505 की उप-धारा 2 और 3 तथा धारा 153 के अधीन, जैसा विधेयक द्वारा लागू करवाने का विचार है अपराधों के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया हो ।

गुजरात में होटलों तथा रेस्तोरांओं की कमी

5267. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में जाने वाले पर्यटकों की संख्या में बराबर वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए वहां पर होटलों तथा पर्यटक रेस्तारांओं की कमी है ;

(ख) गुजरात में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी आय प्राप्त हुई ;

(ग) क्या सरकार इस बारे में अनुभव की जा रही है कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए होटल तथा रेस्तोरांओं के लिए ऋण देगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

पर्यटन तथा असैनिक नौवहन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) होटल पुनरालोकन एवं सर्वेक्षण समिति द्वारा हाल ही में सरकार को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 1973 तक अहमदाबाद में विदेशी पर्यटकों के लिए होटल आवास की कोई कमी नहीं होगी ।

गजरात में छोटे स्थानों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) .होटल विकास ऋण योजना का उद्देश्य नई होटल प्रायोजनाओं के लिये तथा वर्तमान होटलों के विस्तार/नवीनीकरण के लिये, वित्तीय सहायता देना है । फिलहाल इस योजना के अन्तर्गत रेस्टोरेंट नहीं आते हैं। चौथी पंच- वर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये की एक राशि की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत जिन

स्थानों के लिये ऋण मिल सकता है, उस सूची में गुजरात राज्य में अहमदाबाद शामिल है ।

सड़कों के निर्माण के लिये गुजरात को नियत किया गया धन

5268. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस वर्ष सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिये केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को कितनी धनराशि नियत की गई;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि नियत की गई थी ;

(ग) इस सहायता से कितने मील की सामरिक सड़कों का निर्माण किया गया और इन सड़कों से किन-किन स्थानों को जोड़ा गया ; और

(घ) गुजरात में कितने मील स्वीकृत सामरिक सड़कें अधूरी पड़ी हैं और वे कब तक पूरी हो जायेंगी ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख): गत तीन वर्षों के दौरान किये गये व्यय की ओर राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति की गई राशियों निम्न प्रकार हैं :—

1.	1966–67	535.14 लाख रुपये
2.	1967–68 .	635.17 ,, ,,
3.	1968–69 . . .	294.28 ,, ,,

इस वर्ष व्यय के लिये बजट में 20 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

(ग) 919 मील की कुल लंबाई मई, 1969 के अन्त तक पूरी की गई जोड़े गये स्थानों के नाम सुरक्षा कारणों से नहीं बताये जा सकते हैं ।

(घ) चालू वर्ष के अन्त तक 32 मील पूरा होने की संभावना है ।

टायर खरीदने के लिये दिल्ली परिवहन उपक्रम को ऋण देना

5269. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के इस आशय के प्रकाशित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने टायर खरीदने के लिये दिल्ली परिवहन उपक्रम को ऋण न देने की सलाह बैंकों को दी है ;

(ख) क्या उपयुक्त वक्तव्य ठीक है ; और

(ग) यदि हां, तो बैंकों को ऐसी सलाह दी जाने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) वक्तव्य सही नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश को गुजरात के साथ मिलाने वाली सड़कों तथा पुलों का निर्माण

5270. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश को गुजरात के साथ मिलाने के लिए सड़कों तथा पुलों का निर्माण करने की एक योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राज्य सड़क विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का उस पर कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां

(ख) गुजरात को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि से मिलाने के लिये केन्द्रीय सहायता के लिये गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्तर्राज्यीय सड़कों का और इन सड़कों की लागत को सूचित करने वाला ब्यौरा राज्य सरकारों से प्राप्त विवरण संलग्न है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1896/69)** सहायता के लिये राज्य सरकार की प्रार्थना पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि इन परियोजनाओं को इसी प्रकार की अन्य प्रस्तावनाओं के साथ धन को ध्यान में रखते हुए जांच किया जायेगा । जो चौथी योजना अवधि में वास्तविक तौर पर उपलब्ध होगा । धन की उपलब्धता के पहलू पर जांच की जा रही है ;

गुजरात में पुरातत्वीय सर्वेक्षण या खोज-कार्य

5271. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पुरातत्वीय सर्वेक्षण या खोज कार्य आरम्भ करने के लिए 1967–68 और 1968–69 में और अधिक प्रयत्न किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कहां आरम्भ किया गया था और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या गुजरात में नर्मदा घाटी सभ्यता के बारे में खोज-कार्य आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांनारा जयपाल सिंह): (क) और (ख) जी हां । 1967–69 के दौरान धात्वा, जि० सूरत में खुदाई तथा अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर, भरूच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, सावर कंसा सूरत

और सुरेन्द्रनगर जिलों में खोज की गई थी। 1968-69 के दौरान धुमली, जि० जामनगर में खुदाई तथा अहमदाबाद बनासकांठा, भरूच, बड़ौदा, बलसाड़ पंच महल और सूरत जिलों में खोज की गई थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं । तथापि यह उल्लेखनीय है कि 1968-69 के दौरान बड़ौदा के एम० एस० विश्वविद्यालय ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नेकी डा० (श्रीमती) ब्रिगेट अलायिन के सहयोग से भरूच जिले में नर्मदा घाटी में अभिनूतन और अभिनव जलोक तथा उससे सम्बद्ध मानव औजारों की जांच पड़ताल की थी ।

गुजरात में प्राचीन अवशेषों को बनाये रखना

5272. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्राचीन अवशेष इस समय अपेक्षित स्थिति में हैं ;

(ख) गुजरात में कितने प्राचीन अवशेषों की देखभाल की जा रही है और कितने अवशेषों की मरम्मत की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में द्वारका में भगवान कृष्ण के प्राचीन मन्दिर की ओर पुरातत्वीय विभाग द्वारा तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे म क्या कार्यवाही की जा रही है ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांनारा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं । गुजरात में केन्द्रीय आरक्षित स्मारकों को उपलब्ध निधियों के अन्दर ही अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षण के लिये कदम उठाये गये हैं ।

(ख) गुजरात में सब मिलाकर 196 केन्द्रीय आरक्षित स्मारक तथा स्थान हैं । इस वर्ष के दौरान अन्य 52 स्मारकों की अनुरक्षा तथा देखभाल के साथ साथ 15 आरक्षित स्मारकों की विशेष मुरम्मत की जायेगी ।

(ग) तथा (घ). जी हां । द्वारिका के प्राचीन भगवान कृष्ण के मन्दिर की आवश्यक संरचना मुरम्मत पहले ही प्रगति पर है ।

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के निदेशक द्वारा स्टाफ-कार का कथित दुरुपयोग

5273. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता विभाग भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के निदेशक द्वारा स्टाफ-कार के कथित दुरुपयोग के बारे में जांच कर रहा है/कर रहा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) यदि ये निष्कर्ष नहीं बताये गये तो उनके कब तक बता दिये जाने की संभावना है ;

(घ) क्या सतर्कता विभाग ने उपनिदेशक पद पर कार्य कर रहे इसी व्यक्ति के विरुद्ध अन्य मामलों की जांच की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शिकायत की अभी तक विभागीय जांच की जा रही है जिसके पूरा होने तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय किया जायेगा।

(घ) और (ङ). वर्तमान निदेशक के विरुद्ध उनके उप-निदेशक के बारे में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों का सम्बन्ध उनके द्वारा किये गये दौरे को गलत दरों पर यात्रा भत्ते की मांग करने और एक फील्ड दूरबीन खोने में उनकी जिम्मेदारी से था दोनों शिकायतों की जांच की गई और उन्हें निराधार पाया गया।

कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा यात्रियों से कुछ अधिक समान के लिये भाड़ा न लिया जाना

5274. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा यात्रियों से कुछ अधिक सामान का कोई भाड़ा नहीं लिया जाता; और

(ख) यदि हां, तो क्या यही तरीका अपनाने का भारत सरकार का विचार है ताकि एयर इंडिया के विमानों में अधिक यात्री यात्रा करने के लिये आकृष्ट किये जा सकें ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सभी सदस्य एयर लाइनों द्वारा सर्व सम्मति से पारित आई० ए० टी० ए० (अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था) के एक संकल्प के अधीन बिना भाड़े के समान ले जाने के लिये प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिये 30 किलोग्राम और किफायती श्रेणी (इकानामी क्लास) के यात्रियों के लिये 20 किलोग्राम की सीमा नियत की गई है। कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइन्स जो कि आई० ए० टी० ए० की सदस्य है यदि इन सीमाओं से अधिक बिना भाड़े के सामान को ले जाने की अनुमति देती है तो वह इन विनयमों का उल्लंघन करती है। ऐसा करना एक अनैतिक व्यवहार होगा और आई० ए० टी० ए० द्वारा दण्ड्य हो सकता है।

(ख) जी, नहीं। एयर इंडिया को इस अनैतिक व्यवहार को अपनाने की सलाह देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय वनस्पति उद्यान, कलकत्ता के नैमित्तिक श्रमिक

5275. श्री गणेश घोष : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता (शिवपुर) के भारतीय वनस्पति उद्यान में लगभग 120 नैमित्तिक 6 वर्ष से अधिक समय से लगतार काम कर रहे हैं परन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया किया गया है

(ख) क्या यह भी सच है कि इन नैमित्तिक श्रमिकों को अढ़ाई रुपये दैनिक मजूरी दी जाती है जब कि उसी स्थान पर चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति मास 173–50 रुपये मिलते हैं और पास के हावड़ा नगर में एक मामूली श्रमिक की विद्यमान दैनिक मजूरी 4–50 और 5 रुपये के बीच है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन नैमित्तिक श्रमिकों को वनास्पति उद्यान के अधिकारियों के क्वाटरों में घरेलू नौकरों के रुप में काम करने को बाध्य किया जाता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि इनमें से कोई श्रमिक अधिकारियों के घरों मे घरेलू नौकरों के रूप में काम करने से हिचकिचाता है तो उसका नाम एक दम पंजी से निकाल दिया जाता है और भविष्य में उसे कभी भी काम पर नहीं रखा जाता और गत कुछ महीनों में इस प्रकार से आधा दर्जन से अधिक व्यक्ति नौकरी से हटा दिये गये हैं ; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमत्री (श्रीमती जहांनारा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय वनस्पति उद्यान में नियुक्त नैमित्तिक (आकस्मिक) श्रमिकों को 2–50 रुपये से लेकर 5–50 रुपये प्रतिदिन के बीच की दरों से, उद्यान में वे जिस प्रकार के काम पर नियुक्त हैं उसके लिये अपेक्षित तकनीकी दक्षता के अनुसार मजदूरी की अदायगी की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भारतीय बनस्पति उद्यान को भारत सरकार ने 1–1–1963 से पश्चिम बंगाल सरकार से अपने हाथ में लिया था। तब से नैमित्तिक श्रमिकों के 53 पदों को नियमित अस्थायी पदों में बदला जा चुका है और उन नैमित्तिक श्रमिकों को जो मूलतः रोजगार कार्यालयों के जरिये नियुक्त किया गया था और जिन्होंने दो वर्ष की सेवा कर ली थी, नियमित अस्थायी स्थापना को स्थानान्तरित कर दिया गया है । इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है कि नैमित्तिक श्रमिको के कितने और पद नियमित आधार पर आवश्यक हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रखी जाने वाली दरों की अनुसूची के आधार पर दैनिक मजूरी में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों की सेवा समाप्त करना

5276. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुछ कालेजों की शासी निकायों ने कुछ अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं

(ग) क्या यह सच है कि इसके कारण विश्वविद्यालयों के अध्यापकों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) (क) से (ग). विश्वविद्यालय के अनुसार निम्नलिखित आधारों पर श्याम लाल कालेज की शासी निकाय द्वारा एक लेक्चरर की सेवायें समाप्त करने की एक मामले के बारे में उसे सूचना प्राप्त हुई । है

(1) प्राधानाचार्य के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा ;

(2) अपेक्षित संख्या में लेक्चर न देकर जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा ;

(3) झूठे अभिलेख बनाने के लिये बेइमानी ;

(4) एक लेक्चरर के निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन के प्रतिकूल कार्य ; और

(5) अनुशासन भंग करने के लिये ।

अध्यापक की सेवायें समाप्त करने के विरुद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा अभिवेदन तथा विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन किये गये हैं ।

(घ) ऐसे मामलों में निर्णय लेना विश्वविद्यालय तथा कालेज के प्राधिकारियों के सायर्थ्य के अन्तर्गत है ।

Bridge over Ganga at Sabhalppur Near Patna

5277. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Bhogendra Jha :
Shri Yogendra Shama :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Shipping and Ttransport** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Bihar Government have decided to construct a bridge over the Ganga at Sabbalpur, near Patna ;

(*b*) whether it is also a fact that a Memorandum in this regard was sent by the Gulzarbag (Patna) Ganga Bridge Construction Discontented Citizen's Committee, Babuagan, Patna-7 to the President of India, the Prime Minister, Palanning Commission, Home Minister, Railway Minister etc.,

(*c*) if so, the details thereof ; and

(*d*) the reaction of Government in this regard.

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (*a*) It is learnt from the State Government that although earlier they had decided to locate the bridge at Sabbalpur, the question of its exact location is being examined by them further in the light of the recommendations of the Committee constituted by the State Legislative Council in May, 1969 favouring the location of the bridge near Gulzarbagh.

(*b*) Yes, Sir, some copies of the memorandum have been received.

(c) It has been urged in the memorandum that the proposed bridge should be constructed at the Sabbalpur site to save a large number of people being uprooted from their hearth, homes and valuable lands.

(d) In view of (a), this does not arise at this stage.

भारत-अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान योजना का पुनरारम्भ

5278. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अमरीका के नये राजदूत श्री केनेथ कीटिंग ने 29जुलाई, 1969 को हुये अपने संवाददाता सम्मेलन में भारत-अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान योजना के पुनरारम्भ करने का प्रस्ताव किया था और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अमेरिका के नये राजदूत श्री केनेथ कीटिंग ने 29 जुलाई, 1969 को प्रेस सम्मेलन में भारत अमरीका शिक्षण-प्रतिष्ठान सम्बन्धी प्रस्ताव को जिसे कि पी० एल० 480 से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, फिर से उठाने के हक में समर्थन किया है। इन निधियों का किस तरह लाभदायक ढंग से उपयोग हो सकता है उस दिशा में इसे उनकी यह "निजी राय" कहा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रामकृष्णपुरम सैक्टर 2, नई दिल्ली की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कल्याण संस्था

5279. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम् सैक्टर 2, नई दिल्ली की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कल्याण संस्था की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों को चुनने के लिये अप्रैल, 1969 में किसी समय होने वाले वार्षिक चुनाव गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशानुसार स्थगित कर दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चुनाव स्थगित करने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय के आदेशों के बावजूद कुछ लोगों ने अपने आपको उस संस्था की प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्य घोषित कर दिया है

(ग) क्या अधिकारियों को पता है कि उपरोक्त भाग (ख) वाले प्रबन्ध समिति के तथा कथित सदस्य सदस्यों से वार्षिक चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं और उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से अनुदान के लिये बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध तथा अन्य सदस्यों के वैध हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क), (ख) और (ग). जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) इस मंत्रालय के पदाधिकारियों के दल को जिनका निर्वाचन कहा जाता है कि अनधिकृत बैठक में हुआ था मान्यता प्रदान नहीं की थी और भूतपूर्व कार्यकारी समिति का विधान के उपबन्धों

के अनुसार नये चुनाव होने तक जारी रहना समझा जायेगा । मतदाता सूची इत्यादि की जांच करवाने तथा इस संस्था में शीघ्र चुनाव करवाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

नागपुर के कालेजों तथा संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता

5280. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के कालेजों तथा संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता देता है ;

(ख) यदि हां, तो उन कालेजों/संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्हें प्रति वर्ष कितनी राशि की सहायता दी जाती है ; और

(ग) किन कालेजों/संस्थाओं को कोई सहायता नहीं मिल रही है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के दौरान नागपुर स्थित कालेजों/संस्थाओं को सहायता दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1897/69]**

(ग) कांग्रेस नगर, नागपुर स्थित श्री शिवाजी सोसायटी विज्ञान कालेज को छोड़कर नागपुर में और कोई ऐसा कालेज/संस्था नहीं है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के दौरान सहायता न मिली है । इस कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के अधीन निर्मित विनयमों के अन्तर्गत केवल 11 मार्च, 1969 को ही मान्यता दी गई है, इसलिये इन वर्षों में आयोग द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई ।

सरकारी क्षेत्र में नागपुर में होटल की स्थापना

5281. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में सरकारी क्षेत्र में एक होटल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) साधनों से परिसीमित होने के कारण, पर्यटकीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये प्राथमिकताओं को कड़े रूप से निर्धारण करना पड़ता है ।

नेपाली शिष्टमंडल की भारत यात्रा

5282. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक उच्च-स्तरीय नेपाली शिष्ट मंडल भारत आ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब आने की आशा है ; और

(ग) उसके साथ किन-किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) शिष्टमंडल नई दिल्ली में इस माह के अन्त तक पहुंचने वाला है ।

(ग) द्विपक्षीय हित के सभी मामलों पर विचार-विमर्श किया जायेगा ।

Declaration of surplus posts in Education Ministry by Staff Inspection Unit

5283. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of posts declared surplus by the Staff Inspection Unit in different grades separately in his Ministry and its Attached Offices ;

(b) the number of employees of each category separately whose services were placed the disposal of the Ministry of Home Affairs in lieu of the surplus posts ;

(c) whether there is any variation between the number of surplus posts and the number of employees whose services were placed at the disposal of Home Ministry and if so, the reasons therefor ;

(d) whether some employees were put to a loss on this account; and

(e) if so, the authority responsible for this ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R V. Rao) :

(a) *Ministry proper* :

Under Secretary . . .	1
Section Officers	6
Assistant Educational Advisers	3
Education Officer . .	1
Senior Scientific Officer .	1
Assistants .	15 (14 from 1-3-1967 and 1 from 1-8-1967)
Upper Division Clerks	18 (17 from 1-3-1969 and 1 from 1-3-1968)
Accounts Clerks .	2
Lower Division Clerks	57

Archaeological Survey of India (Headquarters only) (Attached Office)

Class II (Gazetted)	1	
Class III	18	
Class IV	5	

(b) *Ministry proper* ;

Section Officers	4	
Assistant	1	(The person concerned has not yet been physically transferred to the Surplus Cell of the Ministry of Home Affairs. The question of his transfer to Surplus Cell is under process.)
Upper Division Clerks	5	
Archaeological Survey of India	NIL	

(c) *Ministry proper* :

(*i*) *Section Officers* :— Six posts of Section Officers were declared surplus but only four Section Officers were surrendered to the Ministry of Home Affairs and the remaining two were adjusted in the Ministry itself along with the other surplus staff.

(*ii*) *Assistants* .— On 1-3-1967 when the recommendation of Staff Inspection Unit was implemented the actual surplus in terms of personnel in this category was only two. One Assistant resigned his post in the Ministry and his post was abolished. The other post was adjusted against a post of Research Assistant agreed to by the Staff Inspection Unit.

(*iii*) *Upper Division Clerks* :— Out of twenty two surplus Upper Division Clerks officiating against Assistants/Upper Division Clerks in short term vacancies, declared surplus, nine Upper Division Clerks were reverted to their substantive posts as Lower Division Clerks on 28-1-1967. On 1-3-1967 there were only thirteen Upper Division Clerks surplus in the Ministry. Eight persons were adjusted against additional posts created or lying vacant in other categories. They were ultimately absorbed against regular vacancies in the grade. The remaining five Upper Division Clerks were declared surplus to the Surplus Cell of the Ministry of Home Affairs.

(*iv*) *Accounts Clerks* :— Two Accounts Clerks were surplus and were retained against two additional posts of Accountants in the Ministry.

(*v*) *Lower Division Clerks* :— Since all the posts of Lower Division Clerks were lying vacant, no lower Division Clerk was surrendered to the Ministry of Home Affairs.

Archaeological Survey of India :— Out of the twenty four posts declared surplus, fifteen posts were vacant. The following remaining nine posts were retained/absorbed in parallel categories in Circle Offices of the Department :—

Superintendent (Technical)	1
Technical Assistant	1
Head Clerk	1
Modeller grade II	1
Upper Division Clerks	5
TOTAL	9

(*d*) *Ministry proper* :— Nine permanent Lower Division Clerks who were officiating as Upper Division Clerks reverted to their substantive posts as the vacancies ceased to exist. As this is a matter of normal administrative functioning, the question of loss to any body does not arise.

Archaeological Survey of India :—One Modeller Grade II was put to some loss inasmuch as he was absorbed in a lower grade.

(e) *Ministry proper* : Does not arise.

Archaeological Survey of India : In pursuance of the recommendations of the Staff Inspection Unit, one post of Modeller Grade I was abolished and the Surplus Cell of the Ministry of Home Affairs expressed their inability to redeploy him elsewhere. Consequently on the suggestion of Ministry of Home Affairs, the incumbent was offered the post of a lower Division Clerk which he accepted and was appointed to that post.

जिला न्यायाधीश, दिल्ली के पास लम्बित शिकायतें

5284. श्री एस० पी० राममूर्ति : क्या गृह-कार्य मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5179 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धाराओं 476, 479–क के अन्तर्गत आवेदन पत्र किस तारीख को प्रस्तुत किये गये थे, तारीख-वार कितनी बार कार्यवाही हुई और कितने साक्षियों की जांच की गई ; और

(ख) न्यायालय में हुई अनियमितताओं तथा दस्तावेजों के गुम हो जाने के बारे में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है, कौन-कौन से न्यायालयों के बारे में ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कितने मामलों में जांच कराई गई थी, और कितने मामलों में जांच कराने के लिये मामले निम्न न्यायालयों को भेजे गये थे और उन न्यायालयों के नाम क्या हैं और उन मामलों के क्या परिणाम रहे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) 24-10-1968 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और मुकदमें पर 28-10-68, 16-11-1968, 30-11-1968, 4-1-69, 25-1-69, 12-2-69, 15-3-69, 7-4-69, 25-4-69

तथा 24-5-69 को कार्यवाही की गई थी। किसी भी गवाह के बयान नहीं लिए गए। आवेदन पत्र को 24-5-69 को बर्खास्त कर दिया गया।

(ख) न्यायालयों में हुई अनियमितताओं तथा दस्तावेजों के गुम हो जाने के बारे में 75 शिकायतें की गई थीं। उन पर की गयी कार्यवाही इस प्रकार है :—

19 शिकायतों में जांच के प्रतिवेदनों की सर्वश्री बी० बी० गुप्त, एच० एस० मलिक, शमशेर सिंह कंवर, हरमन्दिर सिंह बक्शी, ज्ञान इन्दर सिंह, प्यारेलाल सिंगला, विद्या भूषण बंसल, विनोद सागर अग्रवाल उप न्यायाधीशों तथा श्री पी० के० बहरी, अतिरिक्त किराया नियंत्रक के न्यायालयों से प्रतीक्षा की जा रही है। एक शिकायत में उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। एक शिकायत पुलिस को भेजी गई थी और कार्यवाही श्री के० एन० जोशी, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय में लम्बित पड़ी है।

दस शिकायतों में दस्तावेजों के गुम होने के लिए कोई कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया। एक शिकायत में दिल्ली के उप-आयुक्त के कार्यालय के एक कर्मचारी को दस्तावेजों के गुम होने के लिए उत्तरदायी पाया गया। उप-आयुक्त से उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

एक शिकायत, जो पुलिस को भेजी गई थी, पता न लगने के कारण दाखिल दफ्तर कर दी गई है।

पांच शिकायतों में दोषी पाये गये कर्मचारियों को भविष्य में सावधान रहने के लिए आगाह कर दिया गया है।

पांच शिकायतों में उत्तरदायी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि वे पहले ही सेवा-निवृत्त हो चुके थे अथवा सेवा से निकाले जा चुके थे।

दो शिकायतों में उत्तरदायी पाये गये प्रत्येक कर्मचारी की बिना संचयी प्रभाव के एक वार्षिक वृद्धि रोक ली गई थी।

दो शिकायतों में कर्मचारियों पर जुर्माने किये गये हैं।

बाईस शिकायतों में कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं और जांच-पड़ताल अभी लम्बित पड़ी है।

दो शिकायतों में ग्रेड की एक वार्षिक वृद्धि को रोकने के लिए कारण बताओं नोटिस दिये गये हैं।

अनियमितताओं के बारे में चार शिकायतों में संबंधित कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं और जांच पड़ताल अभी लम्बित पड़ी है।

तीस शिकायतों में गुम हुए दस्तावेजों को फिर से बनाया गया है या ढूंढ निकाला है और शेष शिकायतों में गुम हुए दस्तावेजों को फिर से बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

Non Payment of Salaries to Bihar Non-Gazetted Employees for five Days

5285. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the non-gazetted employees of the Government of Bihar were not given salaries for five days by the State Governnment headed by Shir B.P. Mandal for the reason that they observed a five-day strike ;

(b) whether it is also a fact that the second coalition Government of Bihar formed under the leadership of Shri Bhola Paswan Shastri had decided to make payment of the said salaries;

(c) whether it is also a fact that as soon as President's Rule was imposed in Bihar, the Governor refused to implement the said decision; if so, the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that the Government formed under the leadership of Shri Shastri this year had decided to make payment of the salaries in question ; and

(e) whether it is also a fact that the Department of Finance of Bihar has also accorded their approval in this regard ; and if so the reasons for not making payment so far of five days sanctioned salaries to the non-gazetted employees of Bihar and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Soshit Dal Government decided not to pay salary to employees who resorted to strike for 5 days in Fabruary, 1968.

(b) The second United Front Ministry headed by Shri Bhola Paswan Shastri took decision on June, 26, 1968 after tendering resignation on June 25, 1968, that an *ad hoc* paymenr should be made to the employees concerned equal to their salary for the strike period.

(c) The decision at (b) was examined during the President's Rule in 1968 and it was found that such ex-gratia payment could not be made on merits of the case. It was decided that the earlier decision at (a) above should stand.

(d) Yes, Sir.

(e) The State Government have decided not to implement the decision at (d) above for the reason that the striking employees are not entitled to pay for the period they were absenr from duty unauthorisedly.

Construction of Kanwar Singh Rajpath (Bihar)

5286. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the progress made in the construction of Kanwar Singh Rajpath (Bihar) ; and

(b) the reasons for delay if any ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) (a) and (b): There is no such road as Kanwar Singh Rajpath in Bihar. Perhaps the Hon'ble Member is referring to Arrah Mohania Section of National Highway No. 30. An estimate for land acquisition for a portion of the road has already been sanctioned. An estimate for acquisition of land for the remaining portion is under consideration Subject to availability of funds, it is proposed to take up further works on this road progressively during the Fourth Plan period with a view to its early completion.

Consultative Committees, Boards and other Organisations in Bihar

5287. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2128 on the 7th March, 1969 and state :

(a) whether the information report asked for from the Bihar Government has since been recieved and if so, the details thereof; and

(b) if not, the reasons for such an inordinate delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b): The information is laid on the table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1898 69]

पिलानी (राजस्थान) में निर्मित टेलीविजन सेट

5288. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिलानी (राजस्थान) में निर्मित टेलीविजन सैटों में बहुत अधिक त्रुटियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि तीसरी लोक-सभा की प्राक्कलन समिति के 104वें प्रतिवेदन में भी इन दोषों का उल्लेख किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इन दोषों में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) इन दोषों को किस सीमा तक दूर किया गया है ; और

(ङ) दोषयुक्त सैटों को पास करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : जी नहीं। प्राक्कलन समिति ने अपनी 104वीं रिपोर्ट (तीसरी लोक सभा) में टेलीविजन रिसीवरों के सतत सुधार की आवश्यकताओं पर बल दिया ताकि वे केवल कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को ही पूरा न करें, अपितु वे कीमत और कोटि दोनों की दृष्टि से आयात किये गये सैटों के साथ स्पर्धा कर सकें।

(ग) और (घ) तब से अनेक सुधारों को सम्मिलित किया गया है तथा वर्तमान माडल समान्यतः भारतीय मानक संस्थान के विवरणों के अनुरूप है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक संस्था से धन लेने का केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध आरोप

5289. **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 मई 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1744 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उस केन्द्रीय मंत्री का नाम तथा उसकी गतिविधियां सुनिश्चित

कर ली है जो मनीपुर, नागालैंड तथा असम के सीमा क्षेत्रों में कार्य कर रहे विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं से धन प्राप्त करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं कि सरकार ने अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) गृहमंत्रालय में कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः कोई जांच सम्भव नहीं है ।

दिल्ली में मेवों और ऊनी धागों पर अन्तर्राज्य बिक्री कर की कमी

5290. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की कार्यकारी परिषद् ने केन्द्र से मेवे और कालीन बनाने के काम में आने वाले ऊनी धागे पर अन्तर्राज्य बिक्री कर कम करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उत्तरी क्षेत्र के लिये बिक्री-कर सम्बन्धी क्षेत्रीय परिषद् द्वारा किये गये निर्णय के अनुसरण में कोई भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र परिषद् के समक्ष प्रस्ताव रखे बिना किसी मद पर बिक्री कर कम न करें ; दिल्ली प्रशासन को क्षेत्रीय परिषद् के समक्ष उसकी अगली बैठक में सूखे फलों में केन्द्रीय बिक्री-कर की दर में कमी से सम्बन्धित प्रस्ताव रखने का परामर्श दिया गया है । गलीचे के ऊनी धागे को अन्तर-राज्यीय बिक्री पर बिक्री-दर को कम करने का प्रस्ताव, दिल्ली के सम्बन्ध में क्षेत्रीय परिषद् द्वारा की गई अन्य सिफारिशों को कार्यरूप देने के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है और दिल्ली प्रशासन को सभी सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिये परामर्श दिया गया है ।

कोयले से गैस बनाने वाले प्लांट पर फिजूल खर्ची

5291. **श्री लोबो प्रभु** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले से गैस बनाने वाले प्लान्ट पर हुई 72 रुपये की फिजूल-खर्ची के लिये किस को जिम्मेदार ठहराया गया है जिसका न तो धनबाद स्थिति वर्तमान संयंत्र के साथ कोई संबंध है और न इस बात का ही विचार किया गया है कि वहां कौन सी गैस का उत्पादन होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला , हैदराबाद के कोयले के गैस बनाने वाले प्लांट पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के शासी निकाय के निर्णय क्रियान्वित किये जा रहे हैं। आवश्यकता होने पर जांच यह जानने के लिये की जायेगी कि क्या कोई जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है ।

लो शैप्ट पिग-आइरन पायलट प्लांट, जमशेदपुर

5292. **श्री लोबो प्रभु** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लो शैप्ट पिग-आयरन पायलट प्लान्ट, जमशेदपुर, जिस पर 131 लाख रुपया खर्च किया

गया था और जिसका केवल 3965 टन कच्चा लोहा 310 रुपये प्रति टन की दर से बेचा गया था के असंतोषजनक कार्य की जांच करने के बारे में मार्च, 1969 तक आदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेद पुर का लो शैफ्ट फर्नेस पाइलट प्लांट एक प्रायोगिक संयंत्र है । जिसकी स्थापना कच्चे मालों की निम्नतरों से व्यापारिक स्तर के पिग आइरन तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए की गयी थी और इसे मूल रूप से बिक्री के लिए व्यापारिक स्तरीय उत्पादन पिग आइरन के लिए नहीं चलाया है । इसलिए यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि यह उत्पादित पिग आइरन के कुल टनन भार का परिमाण निर्धारण करने के लिए है क्योंकि यह प्रायोगिक संयंत्र लगातार चौबीसों घण्टे नहीं लगाया जाता है ।

Recruitment of Hindi Stenographers

5293. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Molahu Prashad :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(*a*) whether Government proposed to remove the ban on the fresh recruitment of Hindi Stenographers and appoint those Lower Division Clerks as Hindi Stenographers who have received training in Hindi Shorthand ;

(*b*) if not, the Ministeries in which Hindi shorthand work is being taken from the Lower Division Clerks who have been imparted training in Hindi shorthand ; and

(*c*) the reasons for which U.P. S. C. is not conducting any competitive examination for training Hindi Stenographers, when the use of Hindi in Central Government has increased considerably ?

The Minister of State in the Ministery of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (*a*), (*b*) and (*c*) : There is no proposal to appoint Lower Division Clerks who have received training in Hindi Shorthand as Stenographers,Ordinarily Lower Division Clerks are not eligible for training in Hindi Shorthand, Only such of the Lower Division Clerks in respect of whom a Department/Office certifies that their proficiency in Hindi Stenography is likely to be utilised are admitted for training in Hindi Shorthand. The training also enables the Lower Division Clerks in holding the posts of Stenotypists.

The question of taking Hindi Stenography work from Lower Division Clerks who have been trained in Hindi Shorthand but not appointed as Stengraphers does not arise.

Further recruitment to the posts of Hindi Stengraphers has been stopped as all existing stenographers are being trained in Hindi Stenography also, All the existing Hindi Stenographers are proposed to be inducted into Central Secretariat Stengraphers Service so that they have prospects similar to those available to other stenographers.

Extension of tenure of Senior Research Officers, of Scientific & Tech-Terminology Commission

5294. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Education and Youth Service** be pleased to state :

(*a*) Whether it is a fact that the tenure of Senior Research officers of Scientific and Technical Terminology Commission, who were appointed on ad-hoc basis, is being extended arbitrarily when it is necessary that these posts should be filled through U.P.S.C.

(b) whether Government proposed to fill these posts in a regular manner ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a), (b) & (c) : The posts of Senior Research Officer in the Commission for Scientific and Technical Terminology which have been filled on *ad-hoc* basis have been declared as promotion posts and will be filled on a regular basis on the recommendation of the Departmental Promotion Committee. Steps are being taken to convene the meeting of the Departmental Promotion Committee for this purpose.

Provision of Coolers for Building Housing Central Hindi Directorate and CSTT

5295. Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology Commission are functioning in a building in R. K. Puram, New Delhi which gets heated up during summer and it becomes difficult for the employees to work there ;

(b) if so, whether it is proposed to provide cooler and Khas Khas Tattis in the said building in order to improve the efficiency of employees ; and

(c) if so, by when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a), (b) and (c) The Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology are located in one of the prefabricated blocks on the Western side in Ramakrishna Puram. These blocks are comparatively hotter than those on the Eastern side. Due to the shortage of power points in the building, only a limited number of desert coolers and coolers could be provided. The additional power requirements of the Commission and the Directorate are expected to be met by the end of this year, when more coolers will be provided. It is, however not feasible to provide Khas Khas Tattis and make suitable arrangements for their watering to keep the building cool.

Extorting Money from Public by Delhi Policemen

5296. Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Home Affairs** be plieased to state :

(a) whether Government propose to take steps to prevent the Delhi policemen from extrorting money from the public by threatening them, as reported on page 3 of the 'Hindustan' dated the 15th May, 1969 ;

(b) if so, whether it is also proposed to keep watch on the monthly expenditure incurred by the Police employees and Officers on their living and on the education of their children; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Afiairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Policemen who indulge in criminal offences are dealt with in accordance with the law.

(b) Watch is kept on the living standards of Police personnel of the Delhi Police among others.

(c) Does not arise.

Non-Recruitment of Candidates sponsored by Employment Exchanges

5297. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the various Ministries of the Government of India and particularlv the subordinate offices do not accept those candidates sent by Employment Exchanges, who are not their favoured candidates so that the posts remain vacant and the reason ascribed is that suitable candidate is not available ; and

(b) if not, the number of candidates sent by Employment Exchanges between January and June, 1969 and the number of candidates, out of them, who have been declared unsuitable ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Complete figures for the period January-June, 1969 are not available. However, candidates sponsored by Employment Exchanges are by and large, selected for appoinrments, as would be evident from the following figures for 1965 to 1968, in regard to vacancies notified by the Central Government offices (including Union Territories) and the number of placements effected during those years :—

Year	No. of vacancies notified	No. of placements effected : Out of candidates sponsored by the Employment Exchanges
1965	2,09,162	1,41,045
1966	1,72,227	1,12,543
1967	1,34,585	93,749
1968	1,47,597	95,043

Littoral Drifting of Sand at Paradip Port

5298 **Shri Muhammad Sheriff** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Paradeep, India's deepest port, is once again threatened with unprecedented littoral drifting of sand ;

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ; and

(c) the total amount of money spent on dredging of Paradeep Port so far ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). The drift at Paradip Port has been reduced from 34 ft. to 33 ft. with effect from the 10th August, 1969 due to siltation in the entrance channel caused by littoral drift. The marginal reduction in the drift is not abnormal considering the fact that during the same period in 1968 the drift had fallen to 28 ft. A number of measures have been taken to achieve restoration of original drifts and to prevent further siltation. These measures include constant maintenance dredging by the Port's maintenance dredger, creation of a sand trap at the tip of the southern breakwater for which a contract has been awarded to a Japanese Company, construction of a sand pump to work on a trestle on the south of the southern breakwater etc.

(c) An amount of Rs. 3·5 crores was spent on Capital Dredging and Earth Work. The Port Trust has reported that a sum of Rs. 6·81 lakhs was spent till the 31st March, 1969 on the running expenses of the Port's maintenance dredger. Besides, a sum of Rs. 14·81 lakhs was paid as hire charges for dredgers hired from other ports. A sum of Rs. 175 lakhs is expected to be spent in connection with the contract executed with the Japanese firm for Capital and maintenance dredging.

भारत-सोवियत सहयोग

5299. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1969 के अन्तिम सप्ताह में, नई दिल्ली में सोवियत तथा भारतीय वैज्ञानिकों के मध्य हुई बातचीत के परिणाम-स्वरूप किन-किन उद्योगों में भारत-सोवियत सहयोग प्राप्त किया जायेगा ;

(ख) सोवियत दल ने भारत में किन-किन स्थानों का दौरा किया तथा इस दौरे पर कितना खर्च हुआ ; और

(ग) क्या सोवियत वैज्ञानिकों के साथ इस प्रकार की बात-चीत नियमित अवधि के बाद होती है तथा उन अन्य देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ ऐसे प्रबन्ध किये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) सोवियत तथा भारतीय वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया है कि दोनों देशों के बीच व्यावहारिक तथा टेक्नोलोजीय अनुसंधान में सहयोग की काफी गुंजाइश है । जिन क्षेत्रों में प्रतिनिधिमण्डल ने रूचि दिखाई उनमें कुछ से ये हैं :— वस्त्र तथा वस्त्र-मशीन उद्योग, रसायन उद्योग, उच्च बहुलक उद्योग, पेट्रो-रसायन , रजक सामग्री, कांच तथा मृत्तिका शिल्प, चमड़ा टेक्नोलोजी, कच्ची धातु परिष्करण, लोह मैग्नीज टेक्नोलोजी तथा जूट टेक्नोलोजी ।

(ख) सोवियत दल ने दिल्ली, अहमदाबाद, पूना, बम्बई, बंगलौर, मद्रास, कलकत्ता, तथा जमशेदपुर में, प्राइवेट तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की अनुसंधान संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया था । भारत में सोवियत दल के ठहरने पर, लगभग 17,200 रुपया खर्च हुआ था ।

(ग) समय समय पर सोवियत वैज्ञानिकों से वैज्ञानिक विषयों पर सहयोग की बातचीत की जा रही है । इंग्लैंड, पोलड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, यूगोस्लाबाकिया, जेकोस्लोवाकिया, बलगेरिया, तथा अमरीका से वैज्ञानिक विनियम करार किए हुए हैं ।

लालकिले पर सोन-एट-ल्युमेर की पांडुलिपि में संशोधन

5300. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री दिनांक 16 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल किले पर प्रदर्शित होने वाले सोन-एट-ल्यूमेर के प्रदर्शन में "कदम

कदम बढ़ाये जा" तथा बन्देमातरम् जोड़ने के लिये पांडुलिपि में संशोधन करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) इन गीतों को शामिल करने की दृष्टि से पांडुलिपि (स्क्रिप्ट) का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

राज्य मंत्रिमंडलों के आकार के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

5301. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के मंत्रिमंडलों के आकार के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की क्या विशिष्ट सिफारिशें हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित करने की आवश्यकता अथवा वांछनीयता के बारे में राज्य सरकारों पर जोर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आयोग ने राज्यों के मंत्रिमंडलों के आकार के संबंध में अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

समितियों और आयोगों से सम्बन्धित भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश

5302. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री समितियों तथा आयोगों से संबंधित भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के बारे में 21 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसे कब तक एकत्र कर लिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क), (ख) तथा (ग). सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व कार्यालयों से सूचना एकत्र करनी थी । बारबार स्मरणपत्र भेजने पर भी कुछ उत्तर अब भी आने बाकी हैं। इसके पूरे होते ही सूचना सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

राज्यों को विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये सहायता

5303. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तयार करने के लिये सहायता सम्बन्धी निर्णय लेने के बारे में कोई परिणाम उपलब्ध हुए हैं;

(ख) केन्द्र की सहायता से पाठ्य पुस्तकें कब तक तैयार हो जायेंगी, और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य केलिये कोई समय सीमा निश्चित की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां । सभी राज्य सरकारों ने (नागालैंड तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा उन्हें भेजी गई मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अनुसार, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों और साहित्य के निर्माण के लिये बोर्ड / एजेन्सियां पहले ही स्थापित कर दी है । जिन राज्य सरकारों को, 34,47,828 रुपये की केन्द्रीय सहायता 1968–69 में दी गई थी, उन से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में बड़ी संख्या में मूल पुस्तकें लिखने / अनुवाद करने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है अथवा शुरू करने का उनका प्रस्ताव है, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित अथवा प्रकाशन के लिए प्रारम्भ की गई पुस्तकों का विवरण संलग्न है, पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1899/69 । योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धन के अभाव में राज्यों में योजना की प्रगति रुक न जाये, भारत सरकार ने वर्तमान वर्ष में आंध्र प्रदेश को 28 लाख रुपये, हरियाणा को 2 लाख रूपये तथा प्रत्येक अन्य राज्य के लिए 7 लाख रुपये की और सहायता नियत की है ।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा समय की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है पुस्तक निर्माण का कार्य क्रम एक क्रमिक कार्यक्रम होगा जिसके लिए छः वर्षों की अवधि तक के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ।

Appointment of Residents of any State Government Service in Other States

5304. Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a recommendation was made in the National Integration

Council that the residents of other States should be appointed in the Government Service in any state ;

(b) whether it is also a fact that the services of certain non-residents of Kashmir, as were appointed in the Kashmir Government Service through the Public Service Commission on a regular basis, have been terminated on the grounds that the people belonging tosKashmir are now available for appointment to those posts and ;

(c) if, so the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. The recommendation of the Committee on Regional aspects adopted by the National Integration Council in its meetings in June, 1968 was as follows :

The Committee takes note of the existence of discontent in the States arising from the inadequate share of the local people in employment opportunities in both private and public sectors. The constitution recognises one common citizenship and it is vital for Indian unity that this should be respected and preserved. At the same time, in order that adequate employment opportunities are available to local people and they do not suffer from a sense of injustice, where qualified local persons are available from among the people of the State they should be given a major share of the employment and employers should be requested to give effect to this objective, as a matter of policy.

(b) Presumably the reference is to reports appearing in the press about certain employees of the Geology and Mining Department of the Government of Jammu and Kashmir having been issued notices of termination. The State Government have intimated that these persons continue in service and their services have not been terminated."

(c) Does not arise.

Christian Missionaries in India

5305. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjeet Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan : s

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at present more than 6,400 foreign Christian missionaries are engaged in their work in India.

(b) whether it is also a fact that they and other connected institutions got more than Rs. 13·5 crores from foreign countries for their mission during 1966-67 ; and

(c) the total number of educational and medical institutions being run by them in the country and the number of such persons among the recipients of education and medical treatment in those institutions as embraced Christianity during 1966-67 ?

The Minister of State in the Minisrty of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) As stated in the reply to Part (a) of Unstarred Question No. 2108 on 7th March, 1969, no separate account is maintained of the funds received by foreign christian missionarie and the organisations to which they are attached. The amount of Rs. 135·16 crores received during the years 1966 and 1967 under the relevant sub-head included receipts by missionaries (including foreign missionaries), charitable institutions and other individuals as also receipts under Titles II and III of P.L. 480 and National Defence Remittances Scheme

Collection of information separately in respect of funds received by individual foreign missionaries or institutions will involve time and labour which will not be commensurate with the results.

(c) Information about the number of educational and medical institutions run by foreign missionaries is not available. It is being collected and will be laid on the Table of the House.

Information in regard to the persons in these institutions who have embraced Christianity is not available since there is no law (except the Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam, 1968) providing for the registration or intimation of conversions from one religion to another.

Reports of Enquiry Committee Regarding Improving of Hockey Game in India

5306. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjeet Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the report of the enquiry Committee appointed to look into the cause of the defeat of Indian Hockey Team in Mexico Olympics has been received ; and

(b) if so, the main recommendations thereof, the steps taken and outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). The Hockey Committee has submitted its report to the All India Council of Sports. The Council will consider it at its next meeting to be held at Bombay on the 19th and 20th September, 1969. Thereafter, the report along with the comments of the Council will be received by the Government for its consideration. A summary of the main recommendations made by the Hockey Committee in its report is given in the attached statement.

Short-term: Measures

(1) Definite norms should be laid down for the selection of players. The Selection Committee should consist of not more than five members, three of whom should be past international/Olympics Players.

(2) The Captain, Chief Coach and the Manager should be co-opted members of the Selection Committee.

(3) The Indian Hockey Federation should earmarked four major tournaments covering the whole country for the purpose of selection of up and coming potential players.

(4) Inter-zone tournaments should be organised by the Indian Hockey Federation and the States should be requested to ensure that their best players participate in the zonal championships.

(5) Training schedule for the national team should be chalked out by a Committee of three experts. The coach in the coaching camp should educate the players on the type and pattern of Hockey that the team is expected to meet in the visiting countries in case of an impending trip abroad.

(6) The State Sports Councils should organise coaching camps of 30 days duration for senior hockey players in the State and another coaching camp for juniors hockey players.

(7) The Indian Hockey Federation should appoint a qualified coach for the national team for a period of one year at a time. It is this coach, who should be appointed as the Chief Coach to accompany the team, if need arises during his tenure of cooching, whem the team is on tour abroad.

(8) The Manager selected for accompanying a team abroad should preferably be a past national hockey player and should be in recent touch with the game of hockey should be known to most of the players.

(9) It is necessary to have a final medical check up of all the players before the team leaves the shores of India. Prior to it, it is essential to hold medical examination of all the players who are finally selected to represent the National Team, in or outside India, before such a team is put under an intensive coaching camp.

(10) A team of junior hockey players should be sent abroad once in two years, consisting of players below 20 or 21 years of age, to tour countries like Australia and New Zealand, or France, Germany, Holland and U.K., where hockey is improving with every year.

(11) Selected school teachers from each school, having special flair for hockey, should be given a short orientation course in Hockey Rules and Regulations and basis coaching at the National Institute of Sports, Patiala.

(12) Coaching camps for selected school / college boys should be organised during summer vacations.

(13) Armed Forces should also be encouraged to have a Colts Team with an upper age limit of 20 or 21 years.

(14) Cheaper hockey sticks should be available for students from schools and colleges.

(15) While attention should be given to the need of proper umpiring, the Indian Hockey Federation should also possess adequate literature on hockey, including coaching, training, films, etc.

(16) If hockey is not included in the 1970 Asian Games, the Indian Hockey Federation should consider holding the Asian Championship in Hockey in India.

(17) In 1971, The National Hockey Team should be sent on a tour to New Zealand and Australia. This team should be actually the one which might participate in the 1972 Olympics.

(18) The Indian Hockey Federation should not lean heavily on Government for financial assistance. It must be ensured that they have sufficient funds for coaching assignment and other requirenments.

Long-Term Measures :

(1) The State Sports Councils should be greatly activised to be responsible for promoting and encouraging the playing of all games including hockey. The State Sports Councils should have under them active District Sports Councils.

(2) Hockey should be played in schools from the primary school level upward.

(3) One trained hockey coach should be appointed for a group of schools who would be responsible for giving preliminary hockey coaching to such Primary, Middle and High School boys who are recommended by the school authorities for the same.

(4) Community hockey playing-fields should be established by the State Sports Councils in each of the big cities in the States.

(5) Concession in the form of remission of full and partial school fee should be given to students selected to play hockey in the District Schools Tournaments.

(6) 10% of the available seats in educational institutions should be reserved for admission of students who have attained a high standard in sports.

(7) Members of the public can help in maintaining our standards in hockey through patronizing the matches and employment of good players by private and public concerns. The Press is already doing its bit in this direction. Even giving greater prominence to hockey matches and commentary articles on the standard of hockey would go a long way in promoting the game.

Action on Dayal Commission on Communal Disturbances

5307. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjeet Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the details of steps taken so far and those proposed to be taken in future by the Union and State Governments in pursuance of the Inquiry Report on Communal disturbances submitted by the Raghubar Dayal Commission?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Copies of the report were forwarded to all State Governments with the request that appropriate action on the various recommendations may be taken. The Government of Bihar have already initiated action against the officers who were found by the Commission to be at fault in the discharge of their official duties. Three statements showing the action taken on the recommendations by the Government of Bihar, the Central Government and the state governments (other than the Government of Bihar) and the Union territories are attached.

Christian Missionaries

5308. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Sharda Nand :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Christians, Muslims and Hindus separately in Assam, Kerala, Nagaland, Kashmir and Madhya Pradesh at the time of Census held in 1941, 1951 and 1961 ;

(b) whether it is a fact that Christian Missionaries convert the backward poor people into Christianity by giving allurements; and

(c) the steps being taken by Government in regard to conversion by allurements ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (*a*) Population of Christians, Muslims and Hindus for the year 1951 1961 for the States under reference is as under :

State	*Religion*	1951	1961
Assam	Hindu	58,86,063	78,84,921
	Muslim	19,95,936	27,65,509
	Christian	487,331	7,64,553
Kerala	Hindu	83,44,351	1,02,82,568
	Muslim	32,74,598	30,27,639
	Christian	28,25,720	35,87,365
Nagaland	Hindu	8,670	34,677
	Muslim	520	891
	Christian	98,068	1,95,588
*Jammu & Kashmir	Hindu	..	10,13,193
	Muslim	..	24,32,067
	Christian	..	2,848
Madhya Pradesh	Hindu	24,707,974	3,04,25,798
	Muslim	1,050,298	13,17,617
	Christian	81,004	1,88,314

*(No Census was conducted in 1951 in Jammu & Kashmir).

The 1941 figures are not being furnished because the States of Kerala, Nagaland and Madhya Pradesh came into existence long after 1941 census; Assam and Kashmir underwent territorial changes as a result of partition and reorganisation of States. Hence 1941 Census figures have not been adjusted for comparable areas as obtained in 1961.

(b) There have been some reports of conversions to Christianity by offer of material inducements.

(c) The Madhya Pradesh Dharma Swantatrya Adhiniyam, 1968 was enacted in Madhya Pradesh in 1968 and it came into force in October, 1968. The subject relates primarily to public order which under the Seventh Schedule of the Constitution of India falls within the sphere of State legislation. Use of force for conversion can also be dealt with under the provisions of the Indian Penal Code.

आसाम में ईसाई जनसंख्या

5309. **श्री शारदा नन्द :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **गृह-कार्य**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1891, 1901, 1951 तथा 1961 में आसाम में ईसाइयों की जनसंख्या कितनी थी; और

(ख) आसाम में बड़ी संख्या में आदिम जाति के लोगों को ईसाई बनाये जाने पर रोक लगाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1891, 1901, 1951 और 1961 के वर्षों में असम में ईसाई जन संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	ईसाई जनसंख्या
1891	16,844*
1901	35,969*
1951	487,331
1961	764,553

*इनका संबंध उन क्षेत्रीय यूनिटों से है जो उपरोक्त जनगणनाओं के समय विद्यमान थीं।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत सभी व्यक्ति लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन, अन्तःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को प्रकट करने आचरण करने तथा प्रचार करने के समान रूप से अधिकाररी हैं। अतः सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

C.B.I. cases against Central Government Officers of the status of Deputy Secretaries and above

5310. Shri Sharda Nand :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the particulars of the cases against Deputy Secretaries and officers of higher rank investigated by C.B.I. during the last two years and the names of officers found guilty ;

(b) the specific charges against each of the officers and the charges confirmed by C.B.I.; and

(c) the number of officers prosecuted out of those against whom such action was recommended by C.B.I. and the reasons for not prosecuting the remaining officers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). During the years 1967 and 1968, 178 cases, including pending cases registered earlier, were investigated by the C.B.I. Of these, the C.B.I. recommended prosecution in 16 cases (involving 17 officers), 107 cases were referred to Departments/Ministries ford epartmental action (including court-martial); 22 cases were dropped; and 33 cases are pending investigation.

The cases related to allegations of abuse of official position, undue pecuniary gain, possession of assets disproportionate to known sources of income, forgery, misappropriation, cheating, besides cases of administrative lapses.

One case has so far ended in conviction in which Brig. K. K. Khanna has been sentenced to pay a fine of Rs. 250/. Several cases are still under trial or departmental inquiry, it will not, therefore, be desirable to divulge the names and other details in those cases.

(c) The C.B.I. recommended prosecution of 17 officers. Of these 11 were prosecuted. In the remaining six cases prosecution was not launched on consideration of the merits of each cases.

Assurance regarding Medium of Education

5311. Shri J. Sundar Lal :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 25 on the 13th May, 1969 and state :

(a) the details of the steps taken, in addition to giving grants to the States, for implementation of the assurance given by him in regard to the medium of education; and

(b) the result thereof?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Under the Centrally Sponsored Scheme of production of University level books in regional languages at the first degree level, the Government of India has agreed to sanction a grant upto Rs. 1 crore to each of the State Governments spread over a period of six years commencing from 1968-69. To undertake the scheme of book production in a planned and coordinated manner, the Government of India has taken the following steps:

1. The Government of India has circulated guidelines to the State Governments in which, among others, they have been requested that the programme should cover both translation of standard works and original writing of books, emphasis being given to original writing. Text books to be written should be directly linked with the syllabus content of the respective papers and there should be one book for each paper of the subject.

2. Each State Government has been asked to set up autonomous boards/departmental boards which among others should include Vice-Chancellors of all the Universities situated within the jurisdiction of a State as well as representatives of institutions of higherl earning situated in the State and not less than four eminent writers of the region for the purpose for rendering technical advice to the board. So far, 15 State Govern- ments have set up such boards.

3. To coordinate the programme of different States, a Coordination Committee at the national level under the Chairmanship of the Education Minister has been set up. The Committee consists of Member (Education), Planning Commission, Chairman, University Grants Commission, and Director General, Council of Scientific and Industrial Research.

4. So far as the five Hindi-speaking States are concerned, in order to avoid duplication and for the purpose of coordination, a conference of the representatives of Hindispeaking States has been set up recently in place of the Vice-Chancellors, which was originally constituted in February, 1968. This conference has decided that the books pertaining to engineering, medicine and agriculture should be written at theCentral level, for which necessary action has now been taken.

5. Since Urdu is an important non-State language, Government of India have themselves set up Tarraqui-e-Urdu Board to guide the production of educational literature in Urdu.

6. Government of India have also initiated a programme at national level known as publication of core books. These books will be published in Indian languages or in English, which can be translated in other Indian languages and these would be written by eminent writers in different subjects in any part of India. These books will be selected on the basis that they will be of such standard and authority that generally speaking, all Universities will accept them as text books or reference literature. Such books are expected to remain effective books at least for a period of 5 to 10 years. To begin with, the Government of India is already negotiating with the Bhartiya Vidya Bhavan for publication of their several volumes of Indian history known as "History and Culture of Indian People" in different Indian languages.

7. Realising the difficulties of adequacy of translated works of books written in foreign languages, the Government of India is also initiating a scheme with effect from this year under which 100 fellowships may be offered each year for the five years of the 4th Plan Period to those first class Post-graduate students who would take up translation work, writing of original books in regional languages after a prescribed course of training in translation. This scheme has been designed to ensure that each translator has triple competence, competence of the subject, competence of the foreign language from which the books will be translated and competence in the language in which the books will be translated.

Low Standard of Education due to English as Medium of Instructions

5312 Shri J. Sundar Lal :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 25 on the 13th May, 1969 and state :

(a) whether the standard of education of common people is coming down constantly due to the medium of instruction being English as is evident from the examination results of the Central Higher Secondary Board for this year ;

(b) whether Government are aware that most of the students in the country want to study science and even English through their own mother tongue ; and

(c) whether Government propose to continue English as medium of instruction for an indefinite period with a view to protecting the interests of some pro-English elements and thus ignore the common people ?

The Minister for Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir. The medium of examination in the Central Board for Higher Secondary Education is English and/or Hindi in all subjects. Modern Indian languages are allowed as optional media of examination for arts subjects only. The fall in the percentage of successful candidates in this year's examination cannot therefore be attributed to English being an optional medium of instruction.

(b) As far as the Central Board for Higher Secondary Education is concerned, the trend is the majority of students use English as medium of examination for science subjects. As far as the Higher Secondary Boards in the States are concerned, the trend is to use the mother tongue for study and examination. English, except in English medium schools, is being taught through the mother tongue.

(c) As far as school education is concerned, the medium of instruction and examination is already the modern Indian languages. With regard to University Education the All India Vice Chancellors' Conference held in 1967 stressed that the question of change-over of medium of education to regional languages should be considered as an integral part of a deliberate policy and plan with a view to improving the quality of education, promoting creativity and national integration and bringing education closer to the needs and aspirations of the community. These views have been accepted by the Government of India, in pursuance of which a big programme of book production at university level in all region languages is being implemented from 1968–69 to facilitate the change-over from English to the regional languages as media of education at the earliest without lowering educational standards.

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

5313. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया की स्थापना का प्रयोजन और निर्धारित लक्ष्य पूरे हो गये हैं ;

(ख) क्या उत्पादन के मानक (स्टैंडर्ड) की अन्तर्राष्ट्रीय मानक से तुलना की जा सकती है और इसकी उत्पादन विदेशी फर्म की उत्पादन लागत के मुकाबले अधिक है या बराबर ;

(ग) कारपोरेशन के गत वर्ष के उत्पादन आंकड़े क्या है ;

(घ) क्या गत वर्ष इस कारपोरेशन के उच्चतम कार्यकारी अधिकारियों में कोई परिवर्तन किये गये थे ;

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं और वे कब से इन पदों पर कार्य कर रहें हैं, और

(च) पहले के तीन वर्षो के मुकाबले वर्ष 1968-69 के लाभ हानि, बिक्री लक्ष्य और स्टाक आदि के तुलनात्मक आंकड़े क्या है ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया) (क) जी हां।

(ख) : निगम नौवहन सेवाओं के परिचालक में लगा हुआ है। निगम द्वारा परिचालित सेवाएं दक्षता और लाभांश में तुलनात्मक दृष्टि से अन्य भारतीय और विदेशी नौवहन उपक्रमों द्वारा वैसी ही सेवाओं के परिचालन के अनुकूल हैं। पिछले कई वर्षो के दौरान निगम के प्रकाशित खाते यह दिखाते हैं कि तुलनात्मक अवधि में निगम द्वारा कमाया शुद्ध लाभ अन्य भारतीय और विदेशी नौवहन उपक्रमों की तुलना में अधिक है।

(ग) पिछले चार वर्षो के लिए निगम द्वारा ढोये गये माल से सम्बन्धित और उसके परिचालन आमदनी के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :–

वर्ष	माल ले जाया गया (राजस्व टन)	परिचालित आमदनी
1965-66	15,57,068	17,47,88,006
1966-67	17,16,757	28,46,12,406
1967-68	19,43,010	35,10,31,277
1968-69	20 करोड़ (लगभग)	40 करोड़ (लगभग)

(घ) और (ङ) . जी, नहीं। श्री सी० पी० श्रीवास्तव आई० ए०एस० आर श्री ए० आंर० प्रसाद आई०एम०पी० 3-3-1966 और 2-10-1961 से क्रमशः निगम में अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक और सचिव के पदों पर नियुक्त हैं।

(च) : निगम की पिछली चार वर्षो की परिचालित आमदनी और शुद्ध लाभ नीचे दिया गया है :—

वर्ष	कुल आमदनी (रुपये करोड़ो में)	शुद्ध लाभ
1965-66	17.98	1.87
1966-67	29.28	4.70
1967-68	35.59	5.42
1968-69	40.00 (अधिक) अस्थायी	5.00 (अधिक) अस्थायी

पृथक राज्यों के लिये आन्दोलन

5314. श्री लीबो प्रभु : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथक राज्यों की मांग करने के लिये आन्दोलन करने के बारे में नेताओं के बयानों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है;

(ख) इस बात को देखते हुए कि ऐसे बयानों से शान्ति भंग होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है, घोषणा किये जाने के तुरन्त बाद कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार का ध्यान कानून के अन्तर्गत विशेषकर धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के उनके कर्तव्य की ओर दिलाया है; और

(घ) क्या ऐसी घोषणाओं को प्रकाशतन के लिये जिनसे शांति भंग हो सकती है प्रेस के दायित्व पर सरकार ने विचार किया है तथा प्रैस का ध्यान आवश्यक अनुशासन की ओर आकर्षित करने का उनका विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) (ख) और (ग) : केवल पृथक राज्यों के लिए मांगों के समर्थन में वक्तव्यों तथा ऐसे प्रयोजन के लिए शांतिपूर्ण आन्दोलन का आहवान करने से ही कानुन के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता जहां कहीं ऐसे वक्तव्यो से शांति भंग होने अथवा सार्वजनिक शांति मे गड़बड़ी होने का सम्भावना होती है राज्य सरकारों द्वारा कानुन के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाती है।

(घ) प्रेस देश के कानूनों के ढांचे के भीतर कार्य करते हैं। ऐसी आशा की जाती है कि प्रेस समाचार को मदों को तथा साम्प्रदायिक टिप्पणियों, दोनों को छापने में सम्भावित शान्ति भंग करने वाले विवादों से निबटने में संयम से काम लेगा।

फैजाबाद डिवीजन में उच्चतर शिक्षा के लिये एक विश्वविद्यालय अथवा संस्थान की स्थापना

5315. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश के अन्य सभी कमिश्नर वाले डिविजनों में उच्चतर शिक्षा के लिये एक एक विश्वविद्यालय अथवा संस्थान है, केवल फैजाबाद डिविजन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या सरकार का विचार इस डिविजन में एक विश्वविद्यालय या मैडिकल कालेज अथवा इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के बारे में विचार करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इसका सम्बन्ध मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से है। चौथी आयोजना अवधि में फैजाबाद डिविजन में कोई विश्वविद्यालय अथवा कोई इंजीनियरी कालेज अथवा कोई मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राज्य सरकार का यह विचार है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जिसमें फैजाबाद डिविजन भी शामिल है, की उच्च शिक्षा सम्बन्धी जरूरतें गोरखपुर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ द्वारा पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकती है ।

इंजीनियरों में बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय किया गया है कि चौथी आयोजना अवधि में उत्तर प्रदेश में कोई नया इंजीनियरी कालेज न खोला जाए। इसके अतिरिक्त पैसे की कमी के कारण, राज्य सरकार फैजाबाद डिविजन में कोई नया मैडिकल कालेज खोलने में असमर्थ है। फिलहाल इलाहाबाद, वाराणसी तथा लखनऊ स्थित मैडिकल कालेज राज्य के पूर्वी आंचल की जरूत पूरा कर सकते हैं ।

अयोध्या में स्वर्गद्वारा घाट का विकास

5316. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अयोध्या में स्वर्गद्वारा घाट का विकास करने के लिये प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का कार्य अब तक हाथ में न लेने के क्या कारण हैं;

(ग) यह काम संभवत: कब तक हाथ में ले लिया जायेगा, और

(घ) क्या सरकार ने घाटों तथा नये पुल के मध्य के क्षेत्र को खूबसूरत बनाने की योजना भी बनाई है

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (ख), (ग) और (घ) : स्वर्गद्वारा घाट विकास का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि पुल और उसके नियामक बांध के निर्माण के बाद अब वह प्रवर्तनहीन हो गया है। इसके बदले भारत सरकार ने पहले ही नियामक बांध के साथ साथ घाटों के प्रसार के लिए, नियामक बांध के बीच के क्षेत्र को उन्नत और सुधारने, पहुंच मार्ग और स्वर्गद्वार-घाट को उसे नदियों के बाढ़ से मुक्त रखने और शहर से मल निस्राव सर्जन के निकासी में सुधार के लिए एक 5,30,400 रुपये का प्राक्कलन मंजूर किया है ।

घाटों के निर्माण और भूमि की सतह को एक विशेष सीमा तक उन्नत करने जैसे कार्यों को, उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पहले ही कर लिया था किन्तु कार्य पूरा न हो सका क्योंकि मूल रूप से स्वीकृत कार्य के लागत में वृद्धि और कुछ अतिरिक्त कार्य को पूरा किया जाना था जो स्वीकृत प्राक्कलन के अन्दर न हो सका के कारण है । अब यह प्राक्कलन 9.88 लाख रुपये को संशोधित कर लिया गया है और स्वीकृति दी जा रही है और शेष काम 1969 के बरसात के बाद शुरू किया जायेगा ।

इस त्रिभुजाकार क्षत्र के सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए और कोई दूसरी योजनायें नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार की केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त योजनाएं

5317. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी योजनायें भेजी हैं जिनको वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उन योज़नाओं का ब्यौरा क्या है, उनके लिये कितनी राशि मांगी गई है तथा उनको कितनी राशि आवंटित की गई है ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) सड़क विकास की योजनायें, जिन पर केन्द्रीय निधि से व्यय किया जाता है उन्हें मंगाया नहीं जाता है उन्हें वर्षानुवर्ष के आधार पर अनुमोदितनहीं किया जाता है । 1970-71 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में ऐसी योजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तालों को जनवरी, 1967 में उत्तर प्रदेश सरकारसहित राज्यप्सरकारों से आमंत्रित किया गया था । उस सरकार से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित हो चुके हैं और उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में सूचित किया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1901/69]**

अनुमोदित केन्द्रीय सड़क निधि कार्यों के खर्च को चलाने की व्यवस्था वर्षानुवर्ष आधार पर की जाती है । अनुमोदित केन्द्रीय सड़क निधि के जारी कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई और 1967-68 और 1968-69 के दौरान आवंटित की गई निधि नीचे सूचित की गई है:—

वर्ष	मांगी गई निधि	आवंटित निधि
	रुपये लाखों में	
1967–68	55.21	35.00
1968–69	54.80	46.00

Development of Hilly Tourist Centres of U.P.

5318. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some special schemes have been prepared for the development of hilly tourist centres of U. P. ;

(b) whether it is a fact that in the absence of any special scheme for the development of Tourist Centres, the number of tourists coming here is declining considerably ;

(c) whether any communications have been exchanged with the State Government in this connection ; and

(d) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No Sir.

(b) There is insignificant traffic of foreign tourists in these areas.

(c) and (d). The State Government have requested the Centre to take up the development of Kumaon and Garhwal areas under the Central Plan. They have been informed that this will be possible only if there is substantial identifiable traffic of foreign tourist to these areas.

Regional Language in U.P.S.C. Examinations

5319. Shri Prakash Vir Shastri
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the results of examination of the two special Question Papers started in all the regional languages of the country by the Union Public Service Commission ;

(b) Whether efforts are being made to conduct other examinations also in all the regional languages of the country ; and

(c) if so, the time by which success is likely to be achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) So far, it has been decided to give an option to the candidates appearing at the Combined Competitive Examination for recruitment to the IAS etc. to be held this year to write their answers in two of the compulsory subjects viz. Essay and General Knowkledge, in any one of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, besides English. The aforesaid examination has not yet been held.

(b) and (c). : The question of extending the use of alternative media in respect of other examinations would be considered in due course in the light of experience gained on the introduction of the alternative media in two of the compulsory subjects at the IAS etc. examination to be held this year.

दिल्ली में पुलिस द्वारा जांच

5320. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष पुलिस अधीक्षक ने नई दिल्ली के दक्षिण जिला क्षेत्र में, कितने जांच सम्बन्धी कार्यों का परिवीक्षण खुद किया;

(ख) उक्त क्षत्र में सब-डिवीजनल पुलिस अधिकारी द्वारा कितने मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या पुलिस अधीक्षक ने उक्त क्षेत्र में जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिये गत वर्ष जांच के लिये स्वतंत्र जांच कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1-8-68 से 31-7-69 तक की अवधि में पुलिस अधीक्षक द्वारा 70 मामलों और पुलिस के अतिरिक्त अधीक्षक द्वारा 11 मामलों का पर्यवेक्षण किया गया था ।

(ख) उन मामलों की संख्या, जिनमें गत एक वर्ष में दक्षिण जिले में नियुक्त अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में 4 उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच का पर्यावेक्षण किया था, इस प्रकार है:—

उप मण्डलीय पुलिस अधिकारी, तुगलक रोड	79
उप मण्डलीय पुलिस अधिकारी, दिल्ली छावनी	54
उप मण्डलीय पुलिस अधिकारी, लाजपत नगर	170
पुलिस उप-अधीक्षक, पार्लियामेंट स्ट्रीट	51

(ग) जी हां, श्रीमान।

दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर नियुक्त पुलिस कर्मचारियों की संख्या

5321. श्री म० ला० सोंधी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्लियामेंट स्ट्रीट, तुगलक रोड, चाणक्यपुरी, तिलक मार्ग, मन्दिर मार्ग, विनय नगर, लोदी कालोनी, हौज ख़ास, रामाकृष्णा पुरम, लाजपत नगर, निज़ामुद्दीन तथा कोटला मुबारकपुर के पुलिस स्टेशनों पर नियुक्त इस्पैक्टरों, सब इन्सपैक्टरों, असिसटेंट सब-इंस्पैक्टरों, स्टेशन हाऊस आफिसरों तथा कांस्टेबलों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन क्षेत्रों में पिछले एक साल में हुए अपराधों की क्या संख्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) तथा (ख): एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1902/69]**।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के बारे में किये गये समय और लागत संबंधी अध्ययन

5322. श्री म० ला० सोंधी : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली परिवहन उपक्रम कार्य, समय और लागत लाभ के बारे में कोई अध्ययन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां, सरकार द्वारा नियुक्त कार्याध्ययन दल योजना परियोजना समिति, राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने तथा दिल्ली परिवहन उपक्रम के शेड्यूलस एण्ड लिनिंग सेल ने विभिन्न अध्ययन कर लिये हैं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय वर्कशाप की कमियों के बारे में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने कुछ सिफारिशें की है। केन्द्रीय वर्कशाप के कायचालन से संबंधित अधिकांश सिफारिशें कायांन्वित कर ली गई हैं। परिणामत: काम के लिये मानके नियत पर लिये गये है। अन्य सिफारिशे जिन्हें मान लिया गया है, ये हैं-(1) रोकथाम अनुरक्षण कार्यक्रम (2) नियोजन, उत्पादन और नियंत्रण अनुभाग की स्थापना (3) केन्द्रीय वर्कशाप का अनुभागीयकरण। इसके फलस्वरूप बताया गया है कि वर्कशाप में अब वैज्ञानिक ढ़ग से काम हो रहा है जिससे लागत वृद्धि के कारण तथा श्रम आवश्यकताओं में कमी हुई है और उत्पादन में अधिक कार्यकुशलता का परिचय मिला है।

योजना-परियोजनाओं की समिति के एक विशेषज्ञ तथा इलाहाबाद नगरपालिका परिवहन के एक विशेषज्ञ ने गोदाम विभाग के कार्यचालन के बारें में विभिन्न सिफारिशें की है जिनके अंतर्गत ये बाते आती हैं–वनतों का मानकीकरण ए वी सी विशलेषण फालतू माल का निपटान, वस्तु-सूची स्तरों को नियत करना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आवश्यकताओं का प्राक्कलन, प्रबन्ध प्रतिवेदन, इत्यादि। अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कार्याध्ययन दल ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनके अंतर्गत ये बातें आती हैं––परिवहन के वैकल्पिक प्रकारों की व्यवस्था बिना टिकट की यात्रा बन्द करना, लाइनों पर कर्मीदल की अदला बदली, इत्यादि। इन अध्ययनों के फलस्वरूप अधिकांश सिफारिशों पर यथोचित कार्यवाही की गई हैं।

इस उपक्रम के यातायात विभाग से एक अनुसूची और नियोजन सेल संलग्न है। इस सेल के मुख्य कार्य ये है :–

(1) रास्तों का नियोंजन और रास्तों के लिये बसों का आवंटन।

(2) ड्यूटी अनुसूचियां तैयार करना।

(3) सर्वेक्षण करना।

इसके अलावा समय तथा मौशन अध्ययन, अमला की आवश्यकता नियत करने के लिये कार्य-मूल्यांकन भी समय समय पर किये जाते हैं।

जहां तक लागत लाभ अध्ययनों का संबंध है, डी० टी० यू० की सांख्यिकी शाखा द्वारा किये जाने वाले संचालन के सामान्य मासिक लागत विश्लेषण के अतिरिक्त जब कभी आवश्यक होता है विशिष्ट प्रस्तावों के वित्तीय प्रभावों का विशिष्ट विशलेषण किया जाता है।

भारतीय नौवहन निगम का पुनर्गठन

5323. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय नौवहन निगम का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके लिये कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो यह समिति संभवतः कब नियुक्त की जायेगी ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते हैं।

केरल में नया जिला बनाया जाना

5324. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री राम चरण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने वर्तमान दो जिलों को मिलाकर एक नया जिला गठित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस नये जिले के गठन के लिये राज्य के स्तर पर कोई सीमा निर्धारण आयोग नियुक्त किया गया था ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से "कानूनी राय" अथवा सांख्यिक आंकड़ों के रूप में कोई सहायता मांगी थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार ने कोजी कोडे और पालघाट जिलों के हिस्सों को मिलाकर एक मालापुनम नामक जिला बनाया है। उनका अरनाकुलम और कोट्टयाम के भागों को मिलाकर अन्य जिला बनाने का भी विचार है।

(ख) और (ग) : जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन उपक्रम को अपने अधिकार में लेना

5325. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या नौवहन तथा **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन कर्मचारी संघ ने सरकार से यह निवेदन किया है कि वह दिल्ली परिवहन उपक्रम को अपने अधिकार में ले ले ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन उपक्रम के बदले दिल्ली में एक सांविधिक सड़क परिवहन निगम बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

शेख अब्दुल्ला

5326. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शेख अब्दुल्ला को विशिष्ट नागरिक होने का प्रमाण पत्र दिया है जबकि शेख अब्दुल्ला ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि वह भारतीय नागरिक हैं।

(ख) क्या देश में किसी व्यक्ति को विशिष्ट नागरिक होने का प्रमाणपत्र किसी कसौटी के आधार पर दिया जाता है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या ऐसे विशिष्ट नागरिकों की एक सूची उपलब्ध करवायी जायेगी और उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय संघ के एक राज्य का निवासी होने के नाते शेख अब्दुल्ला वास्तव में एक भारतीय राष्ट्रिक है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली छावनी में सट्टा खेलने के कारण पांच व्यक्तियों की गिरफ्तारी

5327. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी से 17 मई, 1969 को पांच व्यक्तियों को सट्टा खेलने के अभियोग में पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों से कितनी धनराशि वसूल की गई ; और

(ग) सरकार का इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 16-5-1969 की रात्री को पुलिस थाना दिल्ली छावनी के गांव नांगल राज्य से पांच व्यक्तियों को सट्टा खेलने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

(ख) 1508.00 रुपये।

(ग) इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किये गये मामले की जांच पड़ताल की गई है और चालान किया गया है।

Media of Instruction in Universities

5328. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(*a*) the names of Universities in which the respective regional languages are the media of instruction and examination in Arts, Science and Commerce and up to which level ;

(*b*) the number of students who took their examinations of B.A., B.Sc., B.Com., and B.A. (Hons). in their respective regional languages and of those who took their examination in English medium ; and

(*c*) the action being taken by Government to ensure that the universities adopt regional languages as medium of instruction and examination progressively ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr V. K. R. V. Rao) : (*a*) to (*c*). The required information is given in the enclosed statements (Annexure I to IV). [Placed in Library. *See* No. LT-1903/69].

Confidential Reports of Non-Gazetted Employees of Education Ministry

5329. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that in his Ministry due consideration is not given to the work of a non-gazetted employee, while writing his confidential report, which is the main basis for assessment of his work ;

(b) the steps taken to ensure that the capabilities of an employee could be known clearly, fully and correctly through his confidential report ; and

(*c*) the reasons for which the remarks in the confidential report of an employee are not conveyed to him so that he could remove the short-comings in him ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (*a*) No, Sir.

(b) What is suggested in the Question is what is already done and that is how the form in which C.R.s are to be filled are drawn up.

(c) The adverse remarks in the confidential roll of an employee are always communicated to him.

Appointment of Director of administration in Central Hindi Directorate and C.S.T.T.

5330. Shri Molahu Prashad :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to appoint a Director of Administratin to strengthen the administration of Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology ; and

(b) if so, from what date and the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan)

(a) and (b). There is no such proposal under the consideration of the Ministry.

Translation work done by Research Assistants in Central Hindi Directorate

5331. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total number of Research Assistant in the Central Hindi Directorate at present and out of them the number of those who are doing Translation Work ;

(d) the total number of pages translated by these Research Assistants during the last six months ;

(c) whether it is a fact that the progress of translation work in this office has been very slow due to mismanagement ; and

(d) if so, the action taken to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) 35, out of which 23 are engaged on translation work.

(b) 4,000 standard pages were translated and 9,900 standard pages of translated material vetted during the last six months.

(c) No, Sir.

(d) The question does not arise.

न्यायालय के सामने झूठी गवाही

5332. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालय के सामने ऐसे बहुत से मामले आये है जिनमें गवाहों ने झूठी गवाहियां दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कड़ी कार्यवाही करने और झूठी गवाही देने वालों को कठोर दण्ड देने का है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई ग्रोर कार्यवाही करेगी जिससे गवाहों को झूठी गवाही देने से रोका जा सके।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क), (ख) ग्रौर (ग) : न्यायालयों के सामने समय-समय पर ऐसे मामले ग्राते है जब यह मालूम पड़ता है कि गवाहों ने झूठी गवाही दी है। न्यायिक कार्यवाहियों मे झूठी गवाही देने का ग्रपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के ग्रन्तर्गत सात वर्ष तक के कारावास के साथ दण्डनीय है जो पर्याप्त कड़ा दण्ड है। भारतीय दण्ड संहिता के संशोधन का प्रश्न विधि ग्रायोग का ध्यान ग्राकर्षित कर रहा है ग्रौर इस विषय में कानून में ग्रौर परिवर्तनों करने लिये ग्रायोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है ।

Commission for Scientific and Technical Terminology

5333. Shri Bal Raj Madhok : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(*a*) the arrangements made by the Commission for Scientific and Technical Terminology to complete the terminological work by the end of this year;

(*b*) the scheme formulated to absorb its employees after the completion of its work ;

(*c*) whether it is a fact that there is a scheme to set up a Language Institute ;

(d) if so, whether it is proposed to absorb the employees of the Commission in that Institute ; and

(*e*) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State for Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (*a*) Every endevour is being made to finalise the terminology work by the end of this year. In this connetion the following special steps have been taken :—

(*i*) A survey of the terminological work in hand in each Unit was conducted and a 'Blue Print' of the future programme has been prepared.

(*ii*) The targets of terminologies laid down for all subjects were reassessed and lowered down in many cases to make them more realistic.

(*iii*) All the sub-branches of the subjects have been reviewed to assess as to which branches remained yet to be covered.

(*iv*) The staff requirements of each Unit in the context of the recommendation of the staff Inspection Unit of the Ministry of Finance has been examined and concentrate efforts are being made to fill in all the vacant posts in the Commission.

(b) A number of schemes had been prepared to be taen np for implementatioa by the Commission after 1st January, 1970. But in view of the revised plan provision for the Commission, these schemes are also to be revised.

(*c*) Yes, Sir. The Central Institute of Indian Languages has been set up at Mysore.

(d) and (*e*). Employees of the Commission for Scientiific and Technical Terminology, along with others, will also be eligible for consideration, provided they fulfil the prescribed qualifications to be incorporated in the recruitment Rules.

Translation of Manuals and Forms by Central Hindi Directorate

5334. Shri Bal Raj Madhok : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(*a*) the number of manuals and forms lying pending for translation in the Central Hindi Directorate at present :

(b) the number of outsider Translators who had been entrusted with the translation work of manuals and forms so far and the amount of payment made in this regard to each person separately; and

(c) whether Government propose to entrust the pending work to the outside translators with a view to completing it expeditiously ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) The position regarding translation of manuals and forms in the Central Hindi Directorate as on 31st July, 1969 was as follows :—

	Under translation	*Awaiting translation*
Manuals	597	66
Forms	6362	829

(b) Translation work has so far been entrusted to 129 outside translators, but remuneration has been paid only to those 22 translators, who have completed their assignments satisfactorily. A statement showing the remuneration paid to the translators is enclosed. [Placed in Library. *See* No. LT-1904/69].

(c) It is proposed to farm out only a portion of the non-confidential work to outside translators.

Technical Staff of Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate doing Non-Technical work

5335. Shri Bal Raj Madhok : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of technical staff of the Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate has been posted in administrative and other units doing non-technical work;

(b) if so, the post-wise number thereof; and

(c) the steps taken by Government to ensure that technical staff are utilised for technical work only?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). Only one Senior Research Officer and one Technical Assistant in the Commission for Scientific and Technical Terminology have been deputed to attend to administrative units because of pressure of work.

(c) The Senior Research Officer will be relieved of his present charge, when the post of a non-technical officer for the administrative side is created. The Technical Assistant will be relieved, as soon as the pressure of work eases.

Translation Work by Central Hindi Directorate

5336. Shri Bal Raj Madhok : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work which has been entrusted to the Central Hindi Directorate could be got done by outside Translator; more expeditiously and at lesser expenditure; and

(b) if so, the reasons for continuing the Directorate and the tim upto which it is likely to function?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) (a) The Central Hindi Directorate has not only been assigned the work of the translation of

office codes, manuals and forms, but is also responsible for the implementation of various schemes for the propagation and development of Hindi. The question of outside translators undertaking the entire work of the Directorate, therefore, does not arise. The outside translators can only undertake translation work. From this point of view it was recently decided to farm out work of non-confidential nature to outside translators, but the experiment has not proved fully successful. Due to lack of the knowledge of the Government rules and reg lations, which are mostly of technical nature, the outside translators have not been ab le to interpret and translate them correctly in Hindi. Many of them have expressed their inability to undertake the work.

(b) In the circumstances explained above, the question of winding up the Directorate does not arise at all.

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में मार्गदर्शी योजना आरम्भ करना

5337. **श्री अदिचन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के प्रशासन में मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता लाने के लिये भारत सरकार के विभिन्न विभागों ने मार्गदर्शी योजनाओं के आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या मार्गदर्शी योजना के सभी विभागों में चालू करने का एक बार प्रस्ताव किया गया था, तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय जैसे कुछ विभागों में, जहां का कार्य गोपनीय तथा अविलम्बनीय प्रकार का है, जिसके लिये कि तुरन्त निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, प्रयोग के तौर पर आरम्भ की गई थी; यदि हां, तो ये प्रयोग कहां तक सफल रहे ; और

(ग) क्या इस योजना को सरकार के सभी विभागों में चालू करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया था क्यों कि अधिकांश अनुभाग अधिकारी इस कार्य को सम्भालने में असमर्थ थे, यदि हां, तो अपेक्षित क्षमता प्राप्त अनुभाग अधिकारी प्राप्त क्यों नहीं किये गये विशेषत: जबकि यह पद चयन (सैलेक्शन ग्रेड) पद है तथा मितव्ययिता तथा कार्य कुशलता लाने हेतु इस योजना को सफल बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क), (ख) और (ग) . 1956-57 में अनेक मंत्रालयों में प्रयोगात्मक आधार पर चलाई गई मार्गदर्शी अनुभाग योजना को 1962 में एक पुनरीक्षण के आधार पर समाप्त कर दिया गया । किन्तु प्रतिरक्षा मंत्रालय के आठ अनुभागों में इन अनुभागों में किये जा रहे काम के विशेष स्वरूप को देखते हुए, इस योजना को एक संशोधित रूप में चालू रखने का निश्चय किया गया ।

उक्त योजना को 1962 में समाप्त कर दिया गया था क्योंकि पुनरीक्षण से यह मालूम हुआ कि अनुभाग अधिकारी द्वारा दिया गया योग एक औसत सहायक की सामर्थ्य से अधिक नहीं था और यह कि अनुभाग अधिकारी काफी काम अन्तिम रूप से निबटाने की स्थिति में नहीं थे । अन्य मंत्रालयों और विभागों में इस योजना को पुन: लागू करने का कोई विचार नहीं है ।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय संगठन की स्थापना

5338. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों के छात्र-नेताओं ने एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के क्या उद्देश्य होंगे; और

(ग) इस नए संगठन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा दल शिविर

5339. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 में राजघाट, दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा दल शिविर का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन शिविरों को लगाने के क्या उद्देश्य थे ;

(ग) क्या यह सच है कि छात्रों ने इन शिविरों में भाग लेने में उत्साह नहीं दिखाया तथा शिविरों की संख्या को बढ़ाने के लिये आयोजकों को स्कूल के बच्चों को वहां लाना पड़ा ; और

(घ) क्या शिविर की असफलता के कारणों की जांच की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी वित्तीय हानि हुई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा०वी०के०आर०वी०राव): (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

15 मई से 7 जून, 1969 तक राजघाट, दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेवा दल शिविर का आयोजन किया गया था। यह प्रारम्भिक किस्म का शिविर था तथा इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा के विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने के लिये अध्यापकों तथा छात्रों के विचार समझना तथा किसी प्रयोगात्मक कार्यक्रम में भाग लेना था।

इस शिविर में कालेजों के 23 अध्यापकों और 266 छात्रों तथा स्कूलों के 302 अध्यापकों और 546 छात्रों ने भाग लिया था। अध्यापक संस्था ने शिविर के लिये अधिकतर उन छात्रों का चयन किया था जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा दी थी और जिनका परीक्षाफल निकलने वाला था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वार्षिक परीक्षा के बाद बडी संख्या में कालेजों के छात्र ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बिताने के लिये चले गये थे, इस शिविर में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या उत्साह वर्द्धक थी। सरकार इस शिविर की असफलता नहीं समझती है अतः किसी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं है।

मंत्री और सचिव के उत्तरदायित्व की परिधि

5340. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि मंत्रालय के उपमंत्री तथा विधि सचिव की घटना के बाद मंत्री तथा सचिव के उत्तरदायित्व की परिधि की परिभाषा करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि नही, तो क्या सरकार भविष्य में इन दोनों के मध्य किसी प्रकार के संघर्ष से बचने के लिये इन दोनों के सम्बन्धों के बारेमें कम से कम एक आचार संहिता तैयार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). संसदीय प्रणाली में लिपिक वर्गीय उत्तरदायित्व का विचार और मंत्री व उसके सचिव के बीच सम्बन्ध पूर्णरूप से मान्य परिपाटियों द्वारा संचालित किये जाते हैं। फिर भी प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'भारत सरकार के शासन तंत्र और उसकी कार्यप्रणाली" संबंधी अपने प्रतिवेदन में इस मामले में कुछ सिफारिशें की हैं। प्रतिवेदन की परीक्षा की जा रही है।

भारतीय इतिहास को फिर से लिखना

5341. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इतिहास को फिर से लिखने का कार्य उस समय के अनुसार नहीं हो रहा है जब तक इस को पूरा हो जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि ब्रिटिश काल का इतिहास इस इतिहास में से निकाल दिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारतीय इतिहास को फिर से लिखने के लिये सरकार की कोई योजना नहीं है। किन्तु, भारतीय विद्या भवन जैसी संस्थाएं भारत के विशद इतिहास लिखने में लगी हैं।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

पुराने स्मारकों की गिरती हुई दशा

5342. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पुराने स्मारकों की दशा दिन पर दिन खराब होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) इन की समुचित देखभाल के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ;

(घ) उन राष्ट्रीय स्मारकों के क्या नाम हैं जिन्हें चालू वर्ष के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ङ) उन पर अनुमानत: कितना धन खर्च होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां। प्राकृतिक उपक्षय के अतिरिक्त, आरक्षित स्मारक अच्छी संरक्षण स्थिति में हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन स्मारकों की समुचित देखभाल के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) वार्षिक देख-रेख के रूप में पेड़ पौधों की सफाई जैसी तथा छोटी मोटी सामान्य मरम्मतें।

(2) आवश्यकतानुसार विशेष संरचनात्मक मरम्मतें।

(3) स्मारकों तथा चित्रों और मुर्तियों का रसायनिक संरक्षण।

(4) स्मारकों के अन्दर तथा उन के आस-पास उद्यान सम्बन्धी व्यवस्था।

(घ) और (ङ). विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1905/69**]

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये वाणिज्य तथा व्यापार प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा को मान्यता

5343. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय और विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय वाणिज्य तथा व्यापार प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाये गये) को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये बी० कोम की उपाधि के बराबर नहीं मानते, यद्यपि इसको भारत सरकार राज्य सरकारों संघ लोक सेवा आयोग, इन्स्टीच्यूट आफ चारटर्ड एण्ड कास्ट वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया तथा कलकत्ता, उस्मानिया, केरल और अलीगढ़ आदि विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(ख) क्या वाणिज्य शिक्षा के पुनर्गठन सम्बन्धी विशेष समिति (राव समिति) ने, जिस की सिफारिश पर यह पाठ्यक्रम 1968 से बन्द कर दिया गया है, उन नियोजित विद्यार्थियों के आगे

और अध्ययन के लिये ताकि भविष्य मे उन्हें अवसर प्राप्त हो, उपबन्ध किया है जो इस डिप्लोमा को पास कर चुके हैं ; और

(ग) क्या विधान मंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के अन्तर्गत स्वायत्त शिक्षा निकायों के रूप में स्थापित किये गये भारतीय विश्वविद्यालयों में, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय अन्त-विश्वविद्यालय बोर्ड आदि में समन्वय तथा शिक्षा स्तर के स्थिरीकरण का अभाव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा०वी०के०आर०वी० राव) : (क) कलकत्ता, अलीगढ़, उस्मानिया, केरल, मदुरे तथा राजस्थान जैसे कुछ विश्वविद्यालय ने वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा को मान्यता दी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय जसे अन्य विश्वविद्यालय इसे मान्यता देने के लिये सहमत नहीं है ।

(ख) वाणिज्य शिक्षा की विशेष समिति ने राष्ट्रीय डिप्लोमाधारियों की आगे शिक्षा के सम्बन्ध में कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई है। उस ने केवल राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रोजगार उन्मुख वाणिज्यिक वृत्ति में डिप्लोमा पाठ्यक्रम से बदलने की सिफारिश की थी ।

(ग) जी नहीं। विश्वविद्यालय शिक्षा में समन्वय तथा स्तरों को बनाये रखने को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिये जो इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से स्थापित किया गया है, सुनिश्चित किया जाता है। अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड स्तरों के सुधार के लिये विश्वविद्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार समन्वय और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधाओं की व्यवस्था करता है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य विषय का पत्राचार पाठ्यक्रम

5344. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने, अलीगढ़ विश्वविद्यालय को, जिस ने कुछ प्रध्यापिकों को रूस भेजा है और वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर, विशेषकर डिप्लोमा प्राप्त विद्यार्थियों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने की योजना तैयार की है, इस योजना के लिये अनुदान देने से इंकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार स्टाफ के किसी सदस्य को सोवियत रूस की पत्राचार पाठ्यक्रम पद्धति के अध्ययन के लिये सोवियत रूस नहीं भेजा गया हैं ।

वाणिज्य में पत्राचार पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिये वित्तीय सहायतार्थ विश्वविद्यालय से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मामला अभी विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

वाणिज्य तथा व्यापार प्रबन्ध के डिप्लोमाधारियों का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला

5345. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य तथा व्यापार प्रबन्ध के कुछ ऐसे डिप्लोमाधारियों को जिन्होंने दिल्ली विश्वद्यिालय के अन्तर्गत भगतसिंह कालेज द्वारा आयोजित द्विसत्रीय विशेष पाठयाक्रम किया था

तथा उसमें उत्तीर्ण हुए थे, इस वर्ष स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिये दाखिला नहीं दिया गया है क्योंकि विद्यार्थियों को आवेदन-पत्र देरी से भेजे गये थे तथा विश्वविद्यालय द्वारा इस बारे में अध्यादेश जारी करने में अत्याधिक देरी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन विद्यार्थियों का भविष्य कैसे बनाया जायेगा;

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने डिप्लोमाधारियों को स्नातकोतर पाठ्यक्रम में दाखिला देने के लिये प्रतिबन्ध क्यों लगाया है जबकि वाणिज्य में बी०ए० पास व्यक्तियों पर जिसका पाठ्यक्रम एन० डी० (कामर्स) से बहुत कम होता है ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है; और

(घ) डिप्लोमाधारियों के भविष्य के लिये स्थायी हल निकालने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमाधारियों की प्रार्थना पर विश्वविद्यालय ने एक पुनश्चर्या पाठयक्रम का प्रबन्ध किया था ताकि वे या तो विश्वविद्यालय की बी० काम० परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में बैठ सकते हैं जिससे कि, पास हो जाने पर, उन्हें बी० काम० डिग्री प्रदान की जा सके अथवा बी० काम० परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों में बैठ सकें जिससे कि, उन प्रश्न-पत्रों में पास हो जाने पर, उन्हें विद्यालय के एम० काम० पाठ्यक्रम के लिये पात्र घोषित किया जा सके । विश्वविद्यालय ने संगत अध्यादेश के अनुमोदित हो जाने की सम्भावना के आधार पर उक्त परीक्षा के दाखिले के लिये सम्बन्धित संस्था को काफी पहले आवेदन-पत्र भेज दिये ताकि विद्यार्थी परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र भर सकें । किन्तु विश्व-विद्यालय की अप्रैल, 1969 में उक्त परीक्षा के दाखिले के लिये कोई आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुए थे ।

विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् ने बाद में सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिये एक विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया ताकि उस परीक्षा में पास होने के बाद विद्यार्थी एम० काम० पाठ्यक्रम में दाखिल हो सकें ।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय एम० काम० उपाधि में प्रवेश के लिये वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा पास करना पर्याप्त नहीं समझता । जिन्होंने वाणिज्य के साथ बी० ए० (पास) किया है उनके लिये भी एम० काम० में प्रवेश के लिये आये और शर्तों को पूरा करना जरूरी है ।

(घ) वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है । महाराष्ट्र, गुजरात और असम के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकारें इसे उनके अधीन रोजगार के लिये भारतीय विश्वविद्यालय की बी० काम० उपाधि के बराबर समझती हैं, जहां तक डिप्लोमा का स्नातकोतर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये मान्यता देना तथा उच्च पाठयक्रमों में प्रवेश का निर्णय करना है, यह विश्वविद्यालयों की शक्तियों के अन्तर्गत है जो कि स्वायत्त संस्थान हैं ।

गुजरात में अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

5346. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सभी स्तरों पर अध्यापकों के वेतनमान कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं बढ़ाये गये हैं;

(ख) क्या यह देरी राज्य सरकार को अपेक्षित सहायता देने में केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). गुजरात सरकार ने यह कहा था कि इस प्रश्न की, राज्य के संसाधनों तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर, जांच की जायेगी ।

भारत में रिकार्डप्लेयर पिक-अप का निर्माण

5347. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी ने एक रिकार्ड प्लेयर पिक-अप का निर्माण किया है जिसका अब तक आयात किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या है; और

(ग) यह रिकार्ड प्लेयर पिक-अप बाजार में किस मूल्य पर उपलब्ध होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी हां। केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में विकसित, शीशा, जरकोनियम टाइटैनेट मृत्क्ला का प्रयोग करके, रिकार्ड प्लेयर्स के लिये मृत्क्ला पिक-अप का डिजाइन निर्माण किया है ।

(ख) संस्थान द्वारा विकसित मृत्क्ला पिक-अप का फिलहाल व्यवसायिक रूप से निर्माण नहीं किया जा रहा है । जानकारी (Know-how) को वाणिज्यिक उत्पादन के लिये लाइसेंस देने के वासते प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) अनुमान है कि मृत्क्ला पिक-अप की उत्पादन लागत लगभग 15 रुपये प्रति मद होगी ।

गुजरात राज्य में नि:शुल्क शिक्षा के बारे में अभ्यावेदन

5348. **श्री स० की० अमीन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को गुजरात राज्य में निशुल्क शिक्षा के बारे में राज्य सरकार द्वारा 3 मार्च, 1969 को पत्र संख्या 1069:16971 के अनुसार दी गई गलत जानकारी के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) इस विषय में, गजरात के माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य से एक पत्र फरवरी, 1969 में प्राप्त हुआ था और उन्हें इसका

उत्तर भेज दिया गया था जिसके साथ राज्य सरकार के उस पत्र की प्रति भी भेजी गई थी जिसमें इस विषय की जानकारी दी गई थी। कोई अभ्यावेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Air Travel from Delhi to Nainital

5340. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a difference of few hours only between the travel by Car and that by air from Delhi to Nainital and therefore, air-travel could not become much popular; and

(b) if so, the efforts being made to improve this situation?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) No, Sir. Travel by car from Delhi to Nainital takes about seven to eight hours. Air Journey from Delhi to Pantnagar takes just over one hour and the coach from Pantnagar airport takes 2½ hours to reach Nainital.

(b) Does not arise.

Establishment of Statutory Machinery for Inland River Transport

5350. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish some suitable statutory machinery for Inland River Transport; and

(b) if so, the nature thereof?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Foreign Arms Unearthed

5351. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs be pleased to** refer to the reply given to Unstarred Question No. 7621 on the 25th April, 1969 and state:

(a) whether the information regarding the unearthing of foreign arms has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when the same will be collected and laid on the Table of the House?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement containing the required information is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-1906/69]**

Migration of 20 Rajasthan Families to Pak

5352. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6910 on the 18th April, 1969 regarding 20 Rajasthan families who had left for Pakistan and state:

(a) whether the required information has since been received from the State Government;

(b) if so, details thereof; and

(c) if not, the time by which information will be collected and placed on the Table of the House?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the Statement, containing the requisite information is placed on the Table of the House.

(c) Does not arise. [*Placed in Library. See No. LT-1907/69*].

Recovery of Potassium in Calcutta

5353. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Central Government have obtained information from the State Governmenrt of West Bengal regarding the recovery of 102 kilograms of Potassium Chlorate, which is used for the manufacture of bombs, from a person Bura in Bazar area of Calcutta in May, 1969;

(b) the estimate of the experts of Government regarding the number of bombs that could be manufactured with that material;

(c) the number of persons arrested in connection therewith and action taken against them by the State Government so far; and

(d) whether any of the arrested persons had any connection with any political party?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The Government of West Bengal have reported that 102 kilograms of Potassium Chlorate was seized from a person in Bura Bazar area of Calcutta on 5th May, 1969.

(b) A large number of bombs could be manufactured with the seized material. The exact number of bombs will depend on the nature/size etc. of the bombs manufactured.

(c) One person has been arrested so far and a case under the Arms Act has been registered against him.

(d) No, Sir.

Employment of students obtaining degrees of Master of Technology from I.I.T., Kanpur

5354. **Shri Jagannath Rao Joshi:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the names of students who have obtained degrees of Master of Technology from Indian Institute of Technology Kanpur in December, 1968;

(b) how many of them are unemployed and reasons therefor; and

(c) the steps taken in regard thereto and results thereof?

The Minister of Education and Youth Services (Prof. V.K.R.V. Rao): (a) The following six students obtained the Master of Technology degree in 1968, from the Indian Institute of Technology, Kanpur:

1. Shri N. Chittaranjan
2. Shri R. P. Kumar
3. Shri R. M. Prasad
4. Shri R. C. Sachadeva
5. Shri G. K. V. S.M.V. Rao
6. Shri C. S. Krishnan

(b) Five are employed and on has gone to U.S.A. for higher studies.

(c) Does not arise.

रानीगंज कोयला क्षेत्र की एक कोयला खान में श्रमिकों पर अत्याचार

5355. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री स० कुन्दू :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री देवेन सेन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त के आरम्भ में झरिया के निकट रानीगंज कोयला क्षेत्र की बाड़गड़ कोयला खान के एक सहायक बंगले में कई कोयला खनिकों पर बुरी तरह अत्याचार किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्ति मर गये तथा कुछ बुरी तरह घायल हो गये अथवा जल गये; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 अगस्त को जिला धनबाद के झारिया थाने के क्षेत्राधिकार में बरादीह के निकट कोयला खान में एक व्यक्ति के मरने और अन्य चार के घायल होने के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित भारतीय दंड सहिता की धारा 302, 323, 324 और 342 के अन्तर्गत अपराधों की जांच की जा रही है। बरादीह कोयला खान के असिस्टेंट मैनेजर समेत 9 व्यक्तियों ने संबंधित न्यायालयों में आत्मसमर्पण किया है और यह भी मालूम हुआ कि उनकी जमानत की प्रार्थना रद्द कर दी गई है । चूंकि जांच-पड़ताल जारी है और आरोप गम्भीर अपराधों से संबंधित है तथा कुशल जांच पड़ताल और फिर उचित रूप से मुकदमा चलाये जाने के हित में अधिक ब्यौरा प्रकट करना इस अवस्था में उचित नहीं हो सकता है। स्थिति जिला अधिकारियों के पूर्णतया वश में है और यह भी बतलाया जाता है कि इलाके में स्थिति शान्तिपूर्ण है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास योजनायें

5356. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास योजनाओं पर राज्यवार कुल कितना धन नियत किया गया; और

(ख) क्या नियत की गई इस धन-राशि को सरकार पर्याप्त समझती है ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). चौथी योजना के प्रारूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सड़कों के लिये आवंटन सूचित करने वाला एक विवरण संलग्न है। इन आवंटनों का निर्णय साधनों की उपलब्धता और अन्य विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक मांगों को दृष्टि में रखते हुए किया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1908/69]

Money incurred on Central Intelligence Bureau

5357. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total amount of expenditure incurred on Central Intelligence Bureau during the last financial year;

(b) the number of I.P.S. officers in this Bureau;

(c) whether the services of this department are also utilised for collecting information for the party in power; and

(d) if not, the purpose of starting the offices of this Bureau at unimportant stations?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) the expendiutre incurred on the Central Intelligence Bureau is frunished in the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for the year.1969-70, which has been laid on the Table of the House.

(b) It will not be in the public interest to give this information.

(c) & (d). The Intelligence Bureau is concerned with the collection of intelligence which has relevance to the Security of the Nations.

For the above purpose, offices are located wherever necessary.

नेफा में इमारती लकड़ी तथा बांसों की बिक्री

5358. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा प्रशासन ने अपने क्षेत्र में इमारती लकड़ी तथा बांस बेच कर काफी धन कमा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो 1967-68 और 1968-69 में कुल कितनी आय हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इमारती लकड़ी इत्यादि की बिक्री से नेफा प्रशासन द्वारा अर्जित राजस्व की राशि इस प्रकार है :—

	रु०
1967–68	88,87,514
1968–69	93,74,093

Cases Referred to CBI. in M.P.

5359. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cases referred to the Central Bureau of Investigation in Madhya Pradesh during 1968 and the nature thereof; and

(b) the number of cases on which Central Bureau of Investigation gave its verdict in 1968?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) & (b). A statement is placed on the table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1909/(69].

Central Government Officers in M.P. suspended for misbehaviour and other reasons

5360. **Shri G. C. Dixit.** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Central Service officers working in Central Government offices in Madhya Pradesh who had been suspended due to misbehaviour with the public or for certain other reasons during the last three years; and

(b) the number of officers now under suspension and the number of officers against whom departmental and judicial enquiry has been held?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) & (b). The information is being collected and will be placed on the table as soon as possible.

Construction of Rest Houses etc. in M.P.

5361. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Central Government have considered the proposal of Madhya Pradesh Government for partly financing the construction of Rest Houses, Holiday Homes and Rest Rooms in order to make proper accommodation available to the tourists;

(b) if so, the details of the proposal; and

(c) the decision taken thereon?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) No such proposal has been received from the State Governments.

(b) & (c). Do not arise.

Assistance for Development of Languages in M.P.

5362. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the financial or other kind of assistance given to Madhya Pradesh for the development of languages during the period 1965-66 to 1967-68;

(b) if no assistance has been given the reasons therefor ; and

(c) the manner in which the State Government spent the amount on the development of regional languages?

The Minister of Education and Youth Service (Dr. V.K.R.V. Rao): (a) The following financial assistace was rendered to Mahdya Pradesh for development of Sanskrit and Urdu during 1965-66 to 1967-68:

Purpose	1965-66	1966-67	1967-68
Financial assistance to Government of M.P. for—			
(i) Grant of scholarships to Sanskrit students of High and Higher Secondary Schools	26,640	26,640	26,640
(ii) Providing facilities for the teaching of Sanskrit in Secondary Schools	Nil	Nil	5.000
(iii) Publication of a Urdu Books . . .	Nil	Nil	3,000
(b) The question does not arise.			

(c) As no central assistance was rendered by the Government of India during this period for the development of regional languages, the question does not arise.

शान्ति कार्यों के लिए अनाज योजना

5363. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य व्यापार संघ के नेता श्री पार्क हाल ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह अमरीकी कानूनों का अतिक्रमण करने और शान्ति कार्यों के लिये अनाज भेजने के सम्बन्ध में अमरीकी श्रम करारों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर रही है;

(ख) क्या भारतीय सप्लाई मिशन ने यह मांग की है कि किसी हड़ताल से होने वाली हानि के लिये अमरीकी जहाज मालिकों को गारंटी दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान 21 अगस्त, 1969 को लोक-सभा में लिखित प्रश्न संख्या 4420 का श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

राज्यों को राष्ट्रीय योग्यता दल के नियंत्रण का हस्तांतरण

5364. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को राष्ट्रीय योजना दल के नियंत्रण का हस्तांतरण करने का निर्णय करते समय यह निर्णय भी किया गया था कि कार्यक्रम की क्रियान्विति की निगरानी केन्द्रीय अभिकरण द्वारा अपने तकनीकी विभाग तथा राज्य के निरीक्षालय के माध्यम से की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये क्या तरीका निकाला गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

सम्पर्क, नमूना परीक्षण, मूल्यांकन आदि के लिये केन्द्र तथा राज्य स्तर पर प्रस्तावित पर्यवेक्षी कर्मचारी ढांचे पर विचार विमर्श करने के लिये अप्रैल, 1965 में राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना का विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय कर लिया गया है और राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों को राज्यों को हस्तांतरित करने की शर्तें तय की जा रही हैं । इस योजना का विकेन्द्रीकरण किये जाने के निर्णय को देखते हुए राष्ट्रीय योग्यता दल के कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए सरकार का कोई केन्द्रीय अभिकरण स्थापित करने का विचार नहीं है ।

पंजाबियों के साथ कथित भेदभाव

5365. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाबियों के साथ भेद भाव किये जाने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार के द्वारा जांच दल स्थापित करने के बारे में "ट्रिब्यून" (पंजाब) के 15 जून, 1969 के अंक में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के ध्यान में उक्त समाचार आया है । तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब के मुख्य मंत्री ने प्रेस को ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा किये गये व्यापार का मूल्य तथा आकार

5366. **श्री देवेन सेन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नौवहन निगम ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अलग-अलग 1965–66 से 1968–69 तक वर्षवार कितने मूल्य का और कितना व्यापार किया ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया): 1965–66 से 1968–69 के दौरान बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में शिपिंग कारपोरेशन द्वारा धरा-उठाई किये गये व्यापार की कुल मात्रा और इन पत्तनों पर इसकी कुल परिचालन कमाई संलग्न विवरण में सूचित की गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी 1910/69]**

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए सुरक्षा की व्यवस्था

5367. **श्री भगवान दास** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुओं की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में यदि सुरक्षा के कोई उपाय किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में दुर्लभ और मूल्यवान प्रदर्शों की चोरियां रोकने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा संबंधी उपाय किये गये हैं :—

(1) सभी खिड़कियों और नीचली पहली और दूसरी मंजिलों के सभी भेद्य स्थानों तथा दरवाजों पर लोहे की सलाखें और दबने वाले फाटक लगा दिए गए हैं । इनमें, प्रवेश की परछत्ती के ऊपर, प्रथम मंजिल के गोलाकार भवन पर खुलने वाले स्थानों पर लगाई गई तीन बड़े सलाख भी शामिल हैं ।

(2) दीर्घाओं के पुराने सभी ताले बदल दिए गए हैं ।

(3) तीनों मंजिलों की सभी दीर्घाओं के दरवाजों पर सरकने वाले बोल्ट लगाए गए हैं । दीर्घाओं के दरवाजों पर चरखनियां भी लगाई गई हैं ।

(4) भवन के अन्दर और बाहर विभिन्न मंजिलों पर अलग-अलग स्थानों पर सूचक घड़ियां लगा दी गई हैं ।

(5) दीर्घाओं में छिपने और सभी संभव स्थानों को समाप्त करने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं ।

(6) एक बिजली की गजर घंटी लगाई गई है।

(7) राष्ट्रीय संग्रहालय के अभीक्षकों (केयरटेकरों) और सुरक्षा सहायक को कार्यालय समय के बाद भी चौकीदारी आदि पर प्रभावशाली निगरानी रखने के लिए रात की ड्यूटी पर भी लगा दिया गया है ।

(8) संग्रहालय भवन के समीप के सभी वृक्षों के, जो भवन पर छाया डालते थे और जो छिपने के स्थान भी साबित हो सकते थे, काट डाला गया है ।

(9) खिड़कियों और छतों तक जाने वाले सभी रोशनदानों, खिड़कियों, जल-निकासों और पानी के पाईपों पर कांटेदार द्वार लगा दिए गए हैं । और उन्हें कांक्रीट मिश्रण से ढक दिया गया है ।

(10) संग्रहालय भवन के तीन ओर को 'जे' कोण किस्म की कटीली तार से पूरी तरह ढक दिया गया है ।

(11) संग्रहालय भवन के चारों ओर पुंज प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है ।

देश में सडक दुर्घटनाओं में वृद्धि

5368. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री विभूति मिश्र : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या गत तीन वर्षों से बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर समूचे मामले की जांच करने तथा उसमें सुधार करने के उपाय सुझाने के लिये एक समिति नियुक्त करने की वांछनीयता पर सरकार ने विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई उपाय किये हैं तो वे क्या हैं ?

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासित प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेंगी ।

(ख) और (ग). सड़क सुरक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लये सरकार ने पहले ही एक पांच सदस्यीय अध्ययनदल की नियुक्ति की है । इस दल के मुख्य विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:—

(1) भारत में नगरी क्षेत्रों और राजमार्गों दोनों पर सड़क दुर्घटनाओं के आपात की जांच करना, ऐसे दुर्घटनाओं के कारणों को अभिनिश्चिय करना और ऐसे सड़क दुर्घटनाओं के बारे में आंकड़े । सांख्यिकी को संग्रह और विश्लेषण करने के लिये

समुचित संगठित ढांचे का सुझाव देना ।

(2) सड़क सुरक्षा में सड़क प्रयोक्ताओं की शिक्षा के लिये और यातायात विधियों और विनियमों के सुचारू परावर्तन के लिये उपायों का सुझाव देना और सड़कों में अधिकतम संभव सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सड़कों में सुधार कैसा आवश्यक हो, की सिफारिश करना ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों की कमी

5369. श्री तुलसी दास दासप्पा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों की बहुत कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कड़ी परीक्षा लिये जाने के कारण बहुत से व्यक्तियों को अवसर नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या का हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) हिन्दी आशुलिपिकों की भर्ती अभी तक संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में चिल्का झील का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

5370. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चिल्का झील पर्यटक केन्द्र के रूप में अग्रतर विकास करने के लिये चौथी योजना में धन नियत करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत योजना तथा नियत की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1969–70 में कितना धन नियत किया गया है और कौन कौन सी योजनाएं पूरी करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति

5371. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों की राय प्राप्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के विचार क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के वेतनक्रम

5372. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस कर्मचारियों को पंजाब पुलिस कर्मचारियों की अपेक्षा कम वेतनक्रम मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के वेतनमान अन्य केन्द्रीय संगठनों में तदुनुरूप पदों के वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गये हैं ।

घुसपैठियों का देश में आना

5373. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे राज्यक्षेत्र में कितने घुसपैठिये आये और उनमें से कितने मारे गये, कितने पकड़े गये और कितने अभी तक फरार है और जिनकी तलाश है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): 1 जनवरी, 1969 से 31 जुलाई, 1969 तक की अवधि में भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारत में अवैध प्रवेश के लिये पकड़े गये पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या 2634 है । एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक अवैध प्रवेश के लिये पकड़ने की प्रक्रिया सिलसिले में मुठभेड़ में मारा गया । सभी पकड़े गये पाकिस्तानी राष्ट्रिक स्थानीय पुलिस को उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए सौंप दिये गये थे ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन तथा पाकिस्तान के एजेन्टों द्वारा थानों का लूटा जाना

5374. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष में जम्मू तथा काश्मीर, नेफा, नागालैण्ड और राजस्थान सीमा क्षेत्र में चीनी और पाकिस्तानी एजेंटों द्वारा पृथक्-पृथक कितने थाने जलाये गये, लूटे गये अथवा उन पर हमला किया गया;

(ख) इनमें कितने पुलिसमैन मरे अथवा गम्भीर रूप से घायल हुए; और

(ग) कितने शत्रु मारे गये अथवा गिरफ्तार किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरणशुक्ल) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तानी एजेन्टों द्वारा गत दो वर्षों में जम्मू व काश्मीर, नेफा,

नागालैंड और राजस्थान में किन्हीं पुलिस स्टेशनों को जलाया, लूटा अथवा उन पर आक्रमण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग की स्टेनोग्राफरों की परीक्षा

5375. **श्री गडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोग सेवा आयोग की स्टेनोग्राफरों की परीक्षा अपनी विशिष्टता के कारण सबसे कठिन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्टेनोग्राफरों की परीक्षा में दो अवसरों पर ही बैठने की पाबन्दी से योग्य और अनुभवी स्टेनो-ग्राफरों की उपलब्धता में कठिनाई पेश आ रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परीक्षा की विशेषताओं के कारण इस विषय पर पुन: विचार करने और सेवा कर रहे कर्मचारियों के द्वारा परीक्षा में बैठने की आयु बढ़ाने और दो अवसरों की शर्त हटाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह अपने-अपने मत की बात है।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर अपेक्षित संख्या में उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।

बेगमपट पर टर्मिनल केन्द्र का निर्माण

5376. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेगमपट पर 84 लाख रुपये की लागत से एक नये टर्मिनल केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके किस तारीख तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बेगमपट में मुख्य विमान अवतरण पथ को 33.38 लाख रुपये की लागत से मजबूत बनाने के कार्य को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह : (क) जी हां।

(ख) 1970 के अन्त तक इस कार्य के पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) कार्य के नवम्बर, 1969 में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और इसे पूरा करने में लगभग 16 महीने लगेंगे।

विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर टर्मिल केन्द्र का निर्माण

5377. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर एक नये टर्मिनल केन्द्र का निर्माण करने के बारे में विचार किया जा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन असैनिक उड्डयन तथा नागर विमान, मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां

(ख) विजयवाड़ा विमान क्षेत्र पर एक टर्मिनल काम्पलेक्स के निर्माण का प्रस्ताव चौथी पंचवर्षीय योजना में साधनों के अत्यन्त परिसीमित होने के कारण छोड़ देना पड़ा है।

विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थी

5378. **श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों के बारे में 14 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3047 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाग (ख) तथा (ग) के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उनके अवधि से अधिक ठहरने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुमति दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) विदेश जाने वाले 13,299 विद्यार्थियों में से 12,115 अपने आप गये थे। चूंकि यह मंत्रालय प्राइवेट विद्यार्थियों के मामलों का आयोजन नहीं करता है इसलिए यह उनके रिकार्ड भी नहीं रख सकता। बाकी 1,184 विद्यार्थी इस मंत्रालय द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत बाहर गये थे। इनमें से केवल आठ विद्यार्थी उस अवधि से अधिक रहे हैं जितनी अवधि की उनको अनुमति दी गई थी।

(ख) और (ग) आठ विद्यार्थियों ने जो अधिक ठहरें हैं, भारत सरकार को उनके द्वारा प्रेषित बांड की शर्तों का उल्लंघन किया है बांड की धन राशि को वसूल करने के लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं।

हुसैनीवाला सीमा में पकड़े गये विदेशी

5379. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के तीन महीनों में हुसैनीवाला सीमा पर कोई विदेशी पकड़े गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं और किन अपराधों के लिये उनको पकड़ा गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : हुसैनीवाला सीमा पर अप्रैल, मई और जून 1969 के महीनों में पकड़े गये विदेशियों के ब्यौरे का एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 911/69]**

Jativad Unmoolan Samiti Delegation

5380. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a delegation of 'Jativad Unmoolan Samiti' Delhi met the Prime Minister on the 26th May, 1969;

(b) if so, whether it is also a fact that they submitted a memorandum to the Prime Minister;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Minister of State In The Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The Shankaracharya of Puri was criticised for his views regarding untouchability and demand was made for his removal from the seat of Shankaracharya and for the forefeiture of all copies of the monthly "Kalyan" of October, 1967.

(d) It is not for the Govrnment to remove the Shankaracharya from his seat. The remarks of the Shankaracharya that appeared in the October, 1967 issue of 'Kalyan' were examined and were found to be not actionable under the law.

Administrative Reforms Commission's Recommendations on Selection of Members of U.P.S.C

5381. **Shri Valmiki Choudhary:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Administrative Reforms Commission has suggested in its Report submitted recently that two-third of the Members of the Union Public Service Commission should be selected from amongst the Chairmen and Members of the State Public Service Commissiosns; and

(b) if so, whether the Central Government have taken any decision in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The relevant recommendation of the Commission is contained in Chapter VI of it s Report on "Personnel Administration" copies of which have been placed in the Parliament Library.

(b) The report is under examination.

Police Training Institute at Siraska (Alwar)

5382. **Shri Bhola Nath Master:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to open a Police Training Institute at Siraska in Alwar District; and

(b) if so, the details of the scheme and the number of trainees to be admitted there?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir

(b) Does not arise.

उड़ीसा में माओ के इश्तिहारों का पाया जाना

5383. **श्री रवि राय :**
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री एस० कुण्डू :
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री शशि भूषण :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जून, के 'समाज' (एक उड़िया दैनिक समाचारपत्र) में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि उड़ीसा में कुछ गांवों में चीनी भाषा में माओ-त्से-तुंग के इश्तिहार पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन घटनाओं की विस्तृत जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) अपराधियों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह -कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). उड़ीसा सरकार से प्रेषित सूचना के अनुसार 22 जून, 1969 को कटक जिले में धर्मशाला पुलिस थाने के अन्तर्गत गांवों के आस-पास के स्थानों में रात्रि को हजारों पर्चे आकाश से गिरे । पर्चों के एक पृष्ट पर माओ-त्से-तुंग और लिन पिआओ के चित्र थे । पर्चे की दूसरी ओर चीनी भाषा में कुछ लिखा था । राज्य सरकार के अनुसार यह मालूम पड़ता है कि प्रचार सामग्री चीन गणतंत्र की जनता के लिये थी किन्तु फारमूसा या हांगकांग में अड्डों से छोड़े गये गुब्बारे सम्भवत: दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवा के कारण उड़कर भारत की ओर आ गये हों ।

काश्मीर में साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्ध दयाल आयोग

5384. **श्री रवि राय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान काश्मीर राज्य में वर्ष 1967 में हुए साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये दयाल आयोग के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस तथ्य का ज्ञान है कि आयोग ने उच्चम स्तर पर त्रुटियों के लिये सरकार को दोषी ठहराया है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में राज्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आयोग निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) से (ग) तक दयाल आयोग का प्रतिवेदन जम्मू व काश्मीर सरकार को प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने जांच आयोग की नियुक्ति

राज्य में दंगों की जांच करने के लिये की थी। प्रतिवेदन के बारे में तथ्य राज्य सरकार से मालूम किये जा रहे हैं।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर अध्ययन की पुस्तकों का अनुवाद

5385. श्री रवि राय : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च अध्ययन की पुस्तकों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने के लिये विभिन्न राज्यों को दिये गये 1 करोड़ रुपए के अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अब तक किये गये कार्य का पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में विभिन्न राज्यों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं में साहित्य के निर्माण के लिए केन्द्र-प्रायोजित योजना, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार छः वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को एक-एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है, 1968-69 में प्रारम्भ की गई थी। इस संबध में सरकार ने राज्य सरकारों के पास मार्गदर्शी रूपरेखा भेजी थी जिसके अन्तर्गत पुस्तक निर्माण के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ करने के वास्ते स्वायत्त बोर्ड/विभागीय एजेन्सियां स्थापित करनी थी तथा अपनी-अपनी योजनाओं के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी थी। मार्गदर्शी रूपरेखा के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के आधार पर, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, प० बंगाल, असम और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को 1968-69 के दौरान 34,47,828। रुपये के अनुदान दिए गए थे।

अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, अनुबंध में वर्णित 15 राज्य सरकारों ने बोर्ड स्थापित किए हैं। एक विवरण भी संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित अथवा प्रकाशन के लिए प्रारम्भ की गई पुस्तकों की सूची दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1912/69]**

भाषाएं पाने की सरल प्रणाली

5386. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भाषाओं के पढ़ाने के लिये एक सरल प्रणाली की आवश्यकता पर विचार करने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के विधान पर एक सम्मेलन 11 से 13 नवम्बर 1968 तक नई दिल्ली में हुआ। अभी हाल में 17 जुलाई, 1969 को भारतीय

भाषाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं को केन्द्रीय संस्थान की स्थापना की है संस्थान का एक कार्य, भाषाओं के शिक्षण को सरल बनाने के लिए तकनीकों का निर्माण करना, विभिन्न भाषाओं को सीखने में लगने वाले समय में कमी करना और विभिन्न भाषाओं के लिए बुनियादी शब्द तैयार करना होगा ।

(ख) और (ग). भारतीय भाषाओं के शिक्षण के विधान पर हुए सम्मेलन की सिफारिशें निम्नलिखित से संबधित थी :—

उपयुक्त पाठ्यक्रमों का विकास, अध्यापकों का प्रशिक्षण, स्कूल स्तर पर दूसरी भाषा के रूप में भाषाओं के शिक्षण में उत्पन्न उद्देश्यों के संदर्भ में अनुसंधान और पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक पर्याप्त सामग्री तैयार करना । इन सिफारिशों पर और कार्रवाई राज्य सरकारों, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा, केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान हैदराबाद, और भाषा संबंधी संस्थानों के साथ सलाह करके की जा रही है । मंत्रालय ने, कार्रवाई संबंधी कार्यक्रमों के विकास के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते, संबंधित सिफारिशें इन संगठनों के पास भेज दी है ।

बद्रीनाथ में एक होटल खोलना

5387. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये बद्रीनाथ में एक होटल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सहायता मांगी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह (क), (ख) और (ग). इस क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की बद्रीनाथ में 40 शय्याओं वाला एक छोटा होटल बनाने की योजनाएं हैं । इसके लिये फण्डों की व्यवस्था "बोर्डर रोड" क्षेत्र विकास स्कीम के अंश के रूप में भारत सरकार द्वारा की जायेगी ।

पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध आरोप

5388. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरी के शंकराचार्य के भूतपूर्व सचिव ब्रह्मचारी शन्ति प्रकाश ने पुरी के वर्तमान शंकराचार्य श्री चन्द्र शेखर शास्त्री के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो लगाये गये उन आरोपों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या धर्मादा आयुक्त ने पुरी मठ के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा तथा जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्तमान शंकराचार्य ने अपनी यात्राओं में एकत्रित किये गये धन को दिल्ली, बम्बई, नागपुर, इलाहाबाद और अन्य स्थानों में बैंकों में जमा किया है तथा मठ में वह धन नहीं लाया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है जो संविधान की सातवीं अनुसूची की संवर्ती में क्रम संख्या 28 पर प्रवृष्टि के अनुसार विषय वस्तु से सम्बन्धित है । सूचना प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दरियागंज (दिल्ली) अग्निकांड

5389. श्री अब्दुल गनी दार :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दरियागंज (दिल्ली) में हुए एक भयानक अग्निकाण्ड में कई दर्जन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां तो क्या कोई जांच की गई थी और क्या पीड़ित व्यक्तियों को कोई प्रतिकर दिया गया था ; और

(ग) क्या पीड़ित व्यक्तियों को प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी कोई सहायता दी गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 26-6-1969 को दरियागंज में अग्निकांड के कारण 17 व्यक्तियों की जाने गई ।

(ख) इस मामले में जिला तथा सेशन जज द्वारा एक जांच कराने के लिए दिल्ली के उप-राज्यपाल ने आदेश दिया है । दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है ।

(ग) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से कोई अनुदान नहीं दिया गया था ।

आसूचना ब्यूरों और केन्द्रीय जांच ब्यूरों में काम करने वाले कर्मचारी

5390. श्री शारदा नन्द : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) आसूचना ब्यूरो तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों में कितने लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट गत तीन वर्षो से एक ही पद पर काम कर रहे हैं,

(ख) उक्त अवधि में इन विभागों में कितने लोअर डिवीजन क्लर्को, अपर डिवीजन क्लर्को और असिस्टैंटों की पदोन्नति की गई है ; और

(ग) कितने लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट गत वर्षो से एक ही पद पर आठ काम कर रहे है और उनकी पदोन्नति न होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)

(क) निम्न श्रेणीलिपिक — [439
उच्च श्रेणी लिपिक — [246
सहायक — 224

(ख)	निम्न श्रेणी लिपिक	—	57
	उच्च श्रेणी लिपिक	—	58
	सहायक	—	15
(ग)	निम्न श्रेणी लिपिक	—	66
	उच्च श्रेणी लिपिक	—	129
	सहायक	—	125

इन पदों पर पदोन्नति वरीयता व उपयुक्तता अथवा सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है। न्यूनतम सेवा अवधि, अपेक्षित वरीयता, उपयुक्तता, विशेषज्ञता, जहां अपेक्षित हो तथा निर्धारित परीक्षाओं में अर्ह-अंक प्राप्त करना पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाओं में से है इन अपेक्षाओं को पूरा न किया जाना पदोन्नति के लिए उन पर विचार न किये जाने के कारण हैं।

गांधी शताब्दी वर्ष में बन्दियों के कारावास की अवधि कम करना

5391. **श्री मधु लिमये :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने इस गांधी शताब्दी वर्ष में बन्दियों के कारावास की अवधि कम करने अथवा उन्हें क्षमादान देने का निर्णय किया है ;

(ख) उनके नाम क्या हैं और कितने बन्दियों को यह लाभ दिया गया है ; और

(ग) इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए अन्य राज्यों को सहमत कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्यों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1913/69]**

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इस अवसर पर बन्दियों को छूट देने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए पहले ही सुझाव दिये हैं।

गृह कल्याण केन्द्र

5392. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत गृह कल्याण केन्द्र नामक एक विभाग काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग द्वारा क्या कार्य किया जाता है, इस विभाग के इन्चार्ज का नाम क्या है, इस विभाग में विभिन्न पदों पर कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया, व्यय की मद क्या है तथा इस विभाग की सफलतायें क्या हैं ; और

(घ) दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी कालोनियों में विभिन्न गृह कल्याण केन्द्र किसकी देख रेख में काम करते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) गृह कल्याण केन्द समिति पंजीकृत अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत एक समिति है और गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है ।

(ख) यह निम्नलिखित ढंग से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने का उत्तरदायी है ।

(1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिये शिल्प जैसे सिलाई, कढ़ाई बुनाई आदि में प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था ।

(2) मध्यम व निम्न वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बालकक्षाएं चलाना ।

(3) शैक्षिक तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों, छुट्टियों में यात्रा, आदि जैसे सामान्यमिति दाह्य कल्याण कार्यों का प्रबन्ध करना ।

(4) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों की नौकरी करने वाली माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृहों का चलाना ।

(5) महिलाओं के लिए तथा परिवारिक आमदनी को बढ़ाने के लिए व्यवस्था करना जो सिलाई , बुनाई, आदि द्वारा अपने घर पर भी की जा सकती है ।

कुमारी सी० ए० राधाबाई आयोजक के रूप में गृह कल्याण केन्द्र की कार्यप्रभारी हैं। एक उपायोजक द्वारा इनकी सहायता की जाती है जो इन केन्दों में दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन की देखभाल करती है। इन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाली कर्मचारियों की कुल संख्या 494 है।

(ग) 1965–66 से 1967–68 तक तीन वर्षों में वार्षिक व्यय इस प्रकार है :—

1965–66	3,38,597.86 रुपये
1966–67	3,02,450.67 रुपये
1967–68	2,88,902.25 रुपये

1968–69 के वर्ष के हिसाब किताब को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

निम्नलिखित पदों पर व्यय किया गया था :—

(1) कर्मचारी वर्ग को मानदेय
(2) स्थानीय तथा अन्य कर, गाड़ियों के रख रखाव आदि समेत सामान्य संचालन व्यय।
(3) शिशु गृहों का चलाना
(4) पुस्तकालय
(5) विविध।

अब तक की गई कार्य सिद्धियां नीचे निर्दिष्ट हैं :—

दिल्ली में गृह कल्याण केन्द के 48 केन्द्र और बम्बई , कलकत्ता, नागपुर तथा देहरादून जैसे स्थानों पर 12 केन्द्र हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कमचारी अधिक संख्या में हैं । गृह कल्याण केन्द्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवार के लगभग 500 सदस्यों को रोजगार और महिलाओं व बच्चों के अपने कल्याण कार्यक्रम द्वारा और 2000 को सीधे लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करने में समर्थ हुआ है ।

(घ) प्रश्न के उपरोक्त भाग (ख) में इसका उत्तर दे दिया गया है ।

बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई अस्पृश्यता को उचित बताने वाली पुस्तक

5393. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई विशविद्यालय ने 'सपना भरा' नामक एक पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम में निर्धारित की है, जिसमें 'अनटचेबल रिमेन अनटचेबल' (अछूत अछूत रहते हैं) नामक एक नाटक है, जिसमें सम्पूर्ण अनुसूचित जाति समुदाय का अपमान किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कालेजों के अनेक प्रिंसिपलों और अनुसूचित जाति नेता बम्बई विश्वविद्यालय के अधिकारियों से पहले ही विरोध प्रकट कर चुके हैं जिसमें इस पुस्तक को वापस लेने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). उमाशंकर जोशी द्वारा लिखित 'सपना भरा' को 1968, 1969 व 1970 के वर्षों के लिये बम्बई विश्वविद्यालय की कला परीक्षा के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है । कुछ समय बीता नाटक सं० 10 'ढ़ेडना ढ़ेड भंगी' नाम की पुस्तक के बारे में एक शिकायत विश्वविद्यालय को मिली थी। कुलपति ने समीक्षा के लिये गुजरात के अध्यक्ष ने बोर्ड के अध्यक्ष के पास इसे भेज दिया था । अध्यक्ष का मत है कि यह नाटक अस्पृश्यता के सम्बन्ध में एक प्रहसन काव्य है। इसका शीर्षक गुजराती मुहावरे में है, जिसमें नाटककार ने जातीय भावनाओं का मजाक उड़ाया है और इसके द्वारा अनुसूचित जातियों की महान् सेवाओं को बताया है ।

इस पुस्तक का उपयोग दो वर्षों के लिये किया जा चुका है और यह अन्तिम वर्ष है जिसके लिये यह पाठ्यक्रम में निर्धारित है ।

भारतीय सीमा पर विदेशी धर्म प्रचारकों के माध्यम से सी० आई० ए० की गतिविधियां

5394. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय सीमा पर विदेशी धर्म प्रचारकों के माध्यम से सी० आई० ए० की गतिविधियों का एक व्यापक जाल बिछा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश तिब्बत सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों से सरकार को उच्च अधिकारियों द्वारा भेजी गई आसूचना रिपोर्टों का यह निष्कर्ष है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय का अपवंचन किया जाना

5395. श्री बाबू राव पटेल: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की बहुत सी आय का नियमित रूप से अपवंचन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका सबसे पहले कब पता लगा और अब तक कुल कितनी हानि हुई;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष पर्यटन से कुल कितनी आय हुई;

(घ) हाल में स्थापित की गई नई अन्तर्मन्त्रालय समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उनमें से कौन-कौन सी सिफ़ारिशें कब तक क्रियान्वित की जायेंगी;

(ङ) क्या सरकार विदेशी पर्यटकों के भारत आने से प्राप्त होने वाली भारत की विदेशी मुद्रा की आय की बचत के लिये नया विधान बनाने पर विचार करेगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा के अपवंचन (लीकेज) और इसके पहली बार पता चलने की तारीख के कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) प्राक्कलित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1966 . .	22.61
1967 . . .	25.23
1968	26.54

(घ), (ङ) और (च) विदेशी मुद्रा के अपवंचन की समस्या पर विचार करने और इस विषय में सिफारिशें देने के लिये सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति स्थापित की है । समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि अधिक महंगे होटलों में यह आवश्यक कर दिया जाना चाहिये कि कुछ अपवादों को छोड़ कर विदेशी अतिथियों द्वारा भोजन और आवास के लिये अदायगी विदेशी मुद्रा में की जाये । यह सिफारिश फिलहाल सरकार के विचाराधीन है ।

उड़िया के विकास के लिये सहायता

5396. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़िया के विकास के लिये उड़ीसा को 1967–68 और 1968–69 में कोई वित्तीय सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या 1969–70 में कोई अनुदान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितना और किन परियोजनाओं के लिये ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) योजना जिसके अन्तर्गत भारतीय भाषाओं के विकास के लिये राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही थी, 1966–67 से राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दी गयी थी ।

(ख) और (ग). जी हां । क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के लिखने की नई केन्द्रीय संचालित योजना के अन्तर्गत, 7 लाख रुपये की धन राशि राज्य सरकार को सौंप दी गई है ।

मंत्रियों तथा उच्च सिविल अधिकारियों के बीच गतिरोध

5397. **श्री राम चरण** :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रियों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों (सिविल) के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान ढांचे में सिविल अधिकारियों का योगदान निर्धारित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का है ताकि सरकारी विभागों को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Bihar Legislative Assembly

5398. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Legislative Assembly has been suspended;

(b) if so, the main reasons therefor; and

(c) whether it is also a fact that the Members of the suspended Legislative Assembly would be given one more opportunity to form the Government?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) **Yes, Sir.**

(b) Attention is invited to the Proclamation under article 356 dated July 4, 1969 and the report of the Governor, Bihar dated 1-7-1969 copies of which have already been laid on the table of the House.

(c) Decision in this regard will be taken on receipt of a report from the Governor of Bihar.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पी० टी० ओ० सम्बन्धी रियायत

5399. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पी० टी० ओ० की रियायत केवल अपने कार्य-स्थान से स्थायी निवास-स्थान के लिये ही दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारी, जिनका कार्य-स्थान और स्थायी निवास-स्थान एक ही स्थान पर है, इस रियायत के लाभ से वंचित रह जाते हैं;

(ग) क्या पहले कभी यह रियायत विश्राम और मनोरंजन के लिये किसी स्थान पर जाने के लिये दी जाती थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान नियमों में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी हां श्रीमान् ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रशासनिक खर्च में मितव्ययता की परम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान छुट्टी यात्रा रियायत को नियंत्रित करने वाली वर्तमान मूल शर्तों में संशोधन करने का विचार नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति आदि के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

5400. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा कुछ वर्गों में पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाने की स्थिति को समाप्त करने के बारे में सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था और उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आयोग ने "कर्मचारी प्रशासन" विषय पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों समेत आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के प्राशसन से संबंधित मामलों के बारे में है ।

(ख) उक्त प्रतिवेदन 18 अप्रैल, 1969 को प्रस्तुत किया गया था । इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ग) प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

Insufficient allocation for development of Education in M.P.

5401. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that educational expenditure up to University level is borne by the State Government in Madhya Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the amount of money allocated by the Planning Commission for this State is insufficient for the development of education in the State, keeping in view the backwardness of the State and the number of educational institutions there; and

(c) whether Government would request the Planning Commission to reconsider the allocation for this State, keeping in view its special position?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao): (a) The State Government is responsible for all education, including University education.

(b) The allocation to education in the Fourth Five-Year Plan of Madhya Pradesh is insufficient. But this has been decided, not by the Planning Commission, but by the State Government itself.

(c) Does not arise.

Recovery of Arms and Ammunition in Ambala during June 1969

5402. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of arms and ammunition was recovered from a tank in Ambala in the month of June, 1969;

(b) whether Government have conducted investigations with a view to finding out whether the arms and ammunition recovered bear the marking of Indian Ordnance factory or of some foreign Ordnance factory;

(c) whether Government have obtained details regarding the said arms and ammunition from the State Government; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): The Government of Haryana has intimated as under:—

(a) & (b) Yes, Sir.

(c) & (d) The following arms and ammunition were recovered:—

1.	DBBL Gun (foreign make)	1
2.	.303 rifles	3
3.	Dara make rifles	2
4.	Part of 12 bore gun	1

5.	Cartridges (including 62 of foreign make)	298
6.	Caps of 12 bore gun	9
7.	Respirator tear smoke	2
8.	Khokhris	4
9.	Knife	1
10.	Ballam	1

आन्ध्र प्रदेश में आदिम जातीय श्रमिकों की हत्या

5403. श्री ई० के० नायनार : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अप्रैल और मई, 1969 में आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम क्षेत्र में एक दर्जन से भी अधिक आदिम जातीय श्रमिकों की, गोली मार कर हत्या कर दी गई थी;

(ख) क्या सरकार ने पार्वतीपुरम एजेन्सी क्षेत्र के आदिम जातीय लोगों की उचित मांग स्वीकार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 25 जुलाई, 1969 के लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 835 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग). 22 अगस्त, 1969 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 698 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विद्रोही कुकी और मिजो लोगों का चीन जाना

5404. श्री क० लकप्पा : **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री मोहन स्वरूप : **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 200 विद्रोही कुकी और मिजों लोग सैनिक प्रशिक्षण लेने तथा चोरी छिपे हथियार लाने के हेतु चीन को रवाना होने के लिये तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, सीमा के आर-पार ऐसे गिरोहों की गतिविधियों को रोकने के लिये सुरक्षा दल सतत् निगरानी बरतते हैं।

दिल्ली में अपराधों में वृद्धि

5405. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री एम० एम० ओबराय :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा ० रा० सिंह देव :
श्री तुलसी दास जाधव :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 जुलाई, 1969 को समाप्त हो रहे गत तीन वर्षों में, दिल्ली में, वर्षवार, हत्याओं, डाकों, बालापहरणों तथा अपहरणों की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) कितने मामलों का पता नहीं लग सका तथा कितने शंकास्पद व्यक्तियों को नहीं पकड़ा गया और इस असफलता के क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे गम्भीर अपराधों में वृद्धि का क्या कारण है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1914/69] ।**

(ग) और (घ). जहां और जब आवश्यक समझा जाता है कानून के अनुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है । पुलिस दल के कार्य-संचालन और दक्षता में सुधार करने के लिये दिल्ली पुलिस के लिये कई पुनर्गठन-योजनाओं की मंजूरी दी गई है, दिल्ली पुलिस के पास वैज्ञानिक उपकरणों में सुधार किया जा रहा है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है और उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि उपलब्ध साक्ष्य से बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकें ।

भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली के महानिदेशक के विरुद्ध मामला

5406. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री समर गुह :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री क० लकप्पा

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई लाख रुपयों के गबन का एक मामला, जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली के महानिदेक सम्बद्ध हैं, विशेष पुलिस संस्थान को सौंप दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जांच में विभागीय सचिवों ने इस गबन से सम्बन्धित फाइलें नहीं प्रस्तुत की हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभागीय सचिवों के असहयोग के कारण से सरकार ने विशेष पुलिस संस्थान से यह मामला वापस ले लिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि विशेष पुलिस संस्थान न मामले को वापस लेने के लिये अनुमति देने से इन्कार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ङ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के शताब्दी समारोह पर किये गये व्यय के मामले में विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के बारे में कुछ सूचना मिलने पर विशेष पुलिस संस्थान ने इस सम्बन्ध में जांच की थी । जांच के निष्कर्षों के आधार पर विशेष पुलिस संस्थान ने सुझाव दिया था कि भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे चलाये जायें तथा महानिदेशक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये । इस मामले में 1,56,711 रुपये का गबन किया गया था ।

2. सरकार भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के प्रति गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त कर चुकी है । अन्य सम्बन्धित अधिकारियों, विशेष पुलिस संस्थान ने जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे चलाने की सिफारिश की थी, के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं ।

3. अतः यह स्पष्ट है कि सभी सम्बन्धित फाइलें विशेष पुलिस संस्थान को उपलब्ध कराई गईं थीं तथा विशेष पुलिस संस्थान से कोई मामला वापिस नहीं लिया गया था ।

आसूचना विभाग के अधिकारियों को वर्दी भत्ते के भुगतान में विलम्ब होना

5407. श्री वंश नारायण सिंह :
श्री शारदा नन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसूचना विभाग के प्रतिनियुक्त तथा सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दिये जाने वाली वर्दी भत्ते की काफी बड़ी धन-राशि जमा पड़ी है जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 1968–69 में किया जाना था;

(ख) क्या यह भी सच है कि आसूचना विभाग के अधिकारियों के वर्दी भत्ते को वित्तीय वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 की राशि भी अभी बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) आसूचना विभाग में 1968–69 में कार्य करने वाले व्यक्तियों के वर्दी भत्ते के दावे अप्रैल, 1969 में देय हो गये ह । भत्ते का वितरण, भत्ते के दावे के लिये नियत औपचारिकता पूरी करने वाले आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने पर किया जाता है । मुकम्मिल मामलों में स्वीकृति देने तथा भुगतान

करने की कार्रवाई की जा रही है। 1966–67 और 1967–68 के वर्षों के लिये कोई ऐसा वैध दावा शेष नहीं है।

गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रतिनियुक्त तथा सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों की पदोन्नति की शत

5408. श्री वंश नारायण सिंह :
श्री शारदा नन्द :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से कितने-कितने लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रतिनियुक्त पर आये थे;

(ख) उपर्युक्त अवधि में गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कितने-कितने लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क तथा असिस्टेंट सीधे भर्ती किये गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिनियुक्ति पर आये और सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों की पदोन्नति की शर्तें भिन्न-भिन्न हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या कर्मचारियों की शर्तों में सुधार करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) केवल 2 उच्च श्रेणी लिपिक।

(ख) 448.

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

Teaching History, Sanskrit and Philosophy in Hindi by Delhi University

†**5409. Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the decision taken by the Delhi University to start teaching History, Sanskrit and Philosophy in Hindi along with English in B.A., B.A. (Hons.) and M.A. has been shelved;

(b) whether it is also a fact that his Ministry has sent directions to this effect to other Universities also; and

(c) if so, whether his Ministry has changed its previous prescribed policy and if not, the reasons for which the implementation of the aforesaid decision is being postponed?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao): (a) No, Sir. While accepting in principle the recommendation of a committee appointed by the Vice-Chancellor

in connection with the implementation of the proposal to introduce Hindi as an alternative medium of instruction and examination at different levels, the Academic Council of the University had resolved that the implications of the proposal be examined in consultation with the Heads of Departments concerned. This is now being done and the matter will come up before the Academic council for final decision.

(b) No, Sir. This Ministry has sent no such directions either to Delhi University or to any other university.

(c) Does not arise.

Death of a Woman in Delhi on 14th June, 1969

5410. Shri Ram Gopal Shalwale: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item that a newly married Girl, Meena, was found dead at the residence of her husband in Katra Neel, Delhi on the 14th June, 1969;

(b) whether it is a fact that this girl was married on the 8th June and this heinous crime took place within a week of her marriage;

(c) whether the Delhi Police made any efforts to find out the clue of her death; and

(c) if so, the findings of the police and the nature of action being taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) It has been reported that the girl was married on 8th June, 1969 and that she was found dead on 14th June 1969 at the residence of her parents in law.

(c) Yes, Sir, the Delhi police took up the investigation of the case immediately.

(d) The investigation is still in progress and a D.I.G. of the C.B.I. has since been associated with the same.

Assistant Suprintendent (R.T.E.) Examination, 1959

5411. Shri Bansh Narain Singh:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Bharat Singh Chauhan:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to stage:

(a) whether it is a fact that Government have arbitrarily taken a decision that only those candidates out of the remaining candidates of the Assistant Superintendents (R.T.E.) Examination, 1959 would be posted against the posts of Section Officers who have secured 55 percent marks;

(b) whether it is also a fact that the above decision does not have the approval of the U.P.S.C., and

(c) the reasons for which neither the candidates concerned were intimated about this decision nor a mention made in the 1962 Rules or in the Parliament or in the affidavit filed in the Supreme Court?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The decision was taken after very careful consideration.

(b) Suitable provision in the CSS Rules 1962 in regard to the absorption of the left-over candidates was made in consultation with the U.P.S.C.

(c) It was not necessary to mention this in the Rules or in the Parliament or in the affidavit. It is also not usual to inform the candidates about such decisions.

बमियान, अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों की मरम्मत

5412. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में बमियान में महात्मा बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों की मरम्मत पर होने वाले व्यय में भारत और अफगानिस्तान बराबर बराबर का हिस्सा देंगे ; और

(ख) मरम्मत पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह): (क) और (ख) भारत तथा अफगानिस्तान खर्च को इस आधार पर आपस में बांटेंगे कि कुछ मदों की जिम्मेदारी भारत की है तथा दूसरों की अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को भारत के पुरातत्ववेत्ताओं तथा विशेषज्ञों की टीम को उनके काबुल और बमियान में ठहरने के दौरान आवास प्रदान करना तथा कुछ मशीनों, उपकरणों और सामग्री की खरीद जो अफगानिस्तान में आसानी से मिल सके, अफगानिस्तान में पुरुषों तथा सामग्री के परिवहन तथा स्थानीय सहायता जैसे वाहनों तथा मशीनों को चलाने के लिये चालक तथा मैकेनिक प्रदान करना है ।

भारत सरकार तकनीशियन और विशेषज्ञ, उपकरण जैसे इस्पात नालवत समाधार शैल्य-व्यधक मशीन, वैज्ञानिक यंत्र, फोटोग्राफी सम्बन्धी उपकरण तथा ऐसी सामग्री जो स्थानीय रूप से तुरन्त उपलब्ध नहीं है प्रदान करेगी ।

ऐसा अनुमान है कि इन दो मूर्तियों की प्रावस्था-मरम्मत पर भारत सरकार की 8.35 लाख रुपयों की लागत आयेगी ।

Naxalites

5413. **Shri Bansh Narain Singh:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have collected information in regard to the number of extremist Naxalites in the country; and

(b) if so, the Statewise break-up thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) According to information received from the State governments/Union territory administrations there are no extremits in Gujarat, Mysore, Nagaland, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Himachal Pradesh, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, Manipur, N.E.F.A. Pondicherry and Tripura. Governments of Andhra Pradesh and West Bengal have informed that the extremists in those States are not functioning as regular parties and, therefore, their precise number is not known. In Assam, Haryana, Jammu & Kashmir, Punjab, Andaman & Nicobar Islands and Delhi the number of extremists is reported to be 70, 25, 2, 50, 30 and 25/30, respectively. The number of extremists in Maharashtra is reported to be negligible. Information from the remaining States is being collected.

मनीपुर में षडयन्त्र

5414. **श्री पी० विश्वम्भरन :** **श्री क० लकप्पा :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री एम० मेघचन्द्र : **श्री समर गुह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मनीपुर पुलिस ने गड़बड़ पैदा करने तथा सेना को नष्ट करने के बारे में एक षड्यंत्र का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो षडयंत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चीन और पाकिस्तान की सांठगांठ का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) तथा (ग) मनीपुर के कुछ युवकों ने इम्फाल में एक गुप्त संगठन बनाया था जिसकी, गतिविधियों के विनाशकारी और समाज-विरोधी मुख्यतः मनीपुर की जनसंख्या के एक वर्ग के विरुद्ध, होने की सम्भावना है। आशंका है कि उनकी योजनाओं में आग्नेयास्त्रों के प्रयोग में प्रशिक्षण लेने, विस्फोटक आदि तैयार करने प्रशिक्षण लेने के लिये कुछ वर्गों को पूर्वी पाकिस्तान भेजा जाना सम्मिलित है। ऐसे तत्वों की गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी सजग हैं और सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

56 युवकों को, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान को गये थे, उनके वापिस लौटने पर त्रिपुरा में पकड़ लिया गया।

इस सम्बन्ध में मनीपुर में भी संदिग्ध व्यक्तियों की काफी गिरफ्तारियां की गई हैं।

Provision of a Coolie in Haryana State Transport Buses for Safety of Luggage

5415. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Haryana Government have provided a coolie in each State Transport Bus for the safety of the luggage of the passengers and that the coolie is held responsible for the luggage of the passengers;

(b) if so, whether the Central Government would advise other State Governments also to make similar arrangements in their State buses; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) Colies are attached to the buses of Haryana Roadways plying on long distance, inter-State and other important routes.

(b) & (c) In some States, arrangements have been made to ensure the safety of passenger luggage carried in buses, though separate coolies have not been provided for the purpose. The remaining States etc. have been requested to consider taking suitable measures to ensure safety of passenger luggage. Since, however, the executive responsibility in respect road transport vests in the States, the implementation of the sugeestion essentially rests with them.

Submission of Memorandum by Government Employees to former Minister of Transport of Bihar Government

5416. Shri Bhogendra Jha:
Shri Yogendra Sharma :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the some Central Government and State Government employees and Urdu journalist, Shri Moin Ansari, had presented a memorandum to Shri Mohammad Hussain 'Azad', the then Transport Minister of Bihar Government, when he visited Danapur in District Patna on the 18th June last;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have taken any action on that memorandum

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) whether Government propose to take any action thereon and if so, when?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a), (b), (c), (d) and (e): The information required is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the table of the Sabha, when received.

लखनऊ रेजीडेन्सी के ऐतिहासिक भवन पर अंग्रेजों द्वारा 1857 के स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये अपमानजनक उत्कीर्ण शिलालेख

5417. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ रेजीडेंसी के ऐतिहासिक भवन पर अंग्रेजों द्वारा उत्कीर्ण शिलालेख अब भी मूल रूप में विद्यमान हैं ;

(ख) क्या उन शिलालेखों में 1957 के भारतीय स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में इतने अपमानजनक शब्द लिखे हुए हैं कि आजकल जो पर्यटक वहां जाते हैं उनमें उनको पढ़ कर क्रोध और नाराजगी की भावना पैदा होती है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) से (ग) अंग्रेजों ने माडल कक्ष सहित, भवन में, यह बात दर्शाने के लिये लेबल लगाये थे कि घिरी हुई अंग्रेज गैरिजन ने रेजीडेंसी भारतीय स्वतन्त्रता सेनानियों से किस प्रकार अपनी रक्षा की थी । भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उन में से कुछ ऐसी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं जो अप्रतिष्ठाजनक है । इन में से कुछ लेबलों का पहले ही पुनरीक्षण किया जा चुका है तथा शेष का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

जार्ज टाउन (गियाना) में गांधी जयन्ती सामारोह में शराब पिलाया जाना

5418. श्री क० लकप्पा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जार्ज टाउन (गियाना) में हमारे दूतावास ने गांधी जयन्ती समारोह में शराब पेश की थी ;

(ख) क्या इस बारे में कोई अनुदेश जारी किये गये हैं कि हमारे दूतावासों को गांधी जयन्ती किस प्रकार मनानी चाहिये ;

(ग) यदि हां, तो इसका पालन क्यों नहीं किया गया है ; और

(घ) क्या इस सम्बध में सरकार कोई जांच करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । किन्तु राष्ट्रीय दिवसों पर बड़ी बड़ी पार्टियों में शराब पेश करने के लिये सामान्य अनुदेश विद्यमान हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस मामले में कोई जांच पड़ताल करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि 2–10–1968 को गांधी जयन्ती समारोह के अवसर पर हमारे दूतावासों ने कोई शराब पेश नहीं की थी ।

Nomination of Visitors for Patna Central Jail

5419. Shri K. M. Madhukar :
Shri Chandra Shekhar Singh:
Shri Yogendra Sharma:
Shri Bhogendra Jha :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar has nominated some persons as Visitors for the Patna Central Jail;

(b) if so, the names of the said Visitors and the basis on which they have been nominated;

(c) the number of times since 19th November, 1967 to 10th. July, 1969 the said Visitors have inspected the jail;

(d) whether they have recommended supply of electricity to the jail and setting up of septic latrines there;

(e) if so, the details thereof; and

(f) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b): The names of persons who were nominated as non-official Visitors to the Central jail Patna, after taking into account the recommendations of the District Magistrate, Patna, are given in the attached statement. [Placed in Library. See No. LT-1915/69]

(c) The jail was visited twenty times by the Visitors during the period.

(d) and (e): The Visitors had suggested provision of electric light in the wards of the jail and also for replacement of service latrines by septic latrines.

(f) Plans and Estimates for implementing the recommendations are being prepared.

शिक्षा मंत्रालय के योजना निदेशक के पद पर नियुक्ति

5420. **श्री जगेश्र यादव :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह : **श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके द्वारा शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने के तुरन्त बाद उनके मंत्रालय में योजना निदेशक का नया पद बनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को इस पद के लिये परिपत्र भेजे गये थे ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस पद का विज्ञापन कब प्रकाशित किया जायेगा ;

(ङ) क्या यह सच है कि उपयुक्त पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा योजना आयोग में एक निचले पद के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया था ; और

(च) यदि हां, तो लोग उनके मंत्रालय में ऊंचे पद के लिये उस व्यक्ति का चुना जाना कहां तक न्यायोचित है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). 31 मार्च 1969 को उस पद को भरे जाने की तारीख से निदेशक, योजना और समन्वय का एक पद बनाया गया था। क्योंकि जन हित में यह जरूरी था कि पद पर नियुक्ति तुरन्त कर ली जाए और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से निर्णय करने में काफी देर होने की सम्भावना थी अतः यह निर्णय किया गया कि योजना आयोग से स्थानान्तरण करके किसी अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाए क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना और समन्वय के कार्य का काफी अनुभव रखने वाला अधिकारी केवल योजना आयोग में ही मिल सकेगा। इस कारण से, पद सम्बन्धी परिपत्र भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को नहीं भेजा गया था। पद को नियुक्ति नियमों के अनुसार नियमित आधार पर करने का प्रस्ताव है। नियुक्ति नियम सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं नियमित आधार पर पद संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन द्वारा भरा जाएगा या नहीं यह नियुक्ति नियमों में अपनाई गई नियुक्ति विधि पर निर्भर करेगा।

(ङ) और (च). मंत्रालय में अपनी नियुक्ति से पूर्व कथित अधिकारी 1,100–50–1,300–60–1,600 के वेतन मान में योजना आयोग में निदेशक शिक्षा के पद पर कार्य कर रहा था। इस पद पर योजना आयोग में उनकी नियुक्ति नियमित लम्बी अवधि के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है।

Complaint Against Bihar Police Officers

5421. Shri Chandra Shekhar Singh: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of complaints have been lodged with the I.G.,D.I.G. nd S.P. of Patna a ainst the Incharge, Arwal Police Station, District Gaya (Bihar) for indulging in corruption and communalism;

(b) whether it is also a fact that some suits have been filed against him and if so, the number of complaints made and suits filed against the said S.H.O., separately;

(c) whether a thorough inquiry has been made into the above complaints and charges, if so, the outcome of the inquiry; and

(d) the action proposed to be taken bv Government against him and the time by which such an action would be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b), (c) & (d). A complaint lodged by a resident of village Rajepur u/s 342/352/504 IPC against the Sub-Inspector was enquired into. The allegations could not be substantiated. Another complaint lodged by a resident of village Rupaich against the Sub-Inspector u/s 323/506/509 IPC is sub judice. However, the exact number of complaints made and suits filed against the Sub-Inspector is being ascertained.

मनीपुर में मनीपुर के भूतपूर्व महाराजा के आग्नेयास्त्र की बिक्री

5422. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967–68 में कोर्ट आफ वार्ड्स मनीपुर के आदेशानुसार मनीपुर के भूतपूर्व महाराजा के 32 आग्नेयास्त्र नीलाम करके बेच दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो आग्नेयास्त्रों की सूची क्या है और नीलाम में उनको कितने मूल्य पर खरीदा गया था और उन्हें खरीदने वाले व्यक्ति का नाम क्या है ;

(ग) क्या 32 आग्नेयास्त्रों में से मनीपुर के मुख्य आयुक्त ने स्वचालित पिस्तौल और रायफल दो आग्नेयास्त्र लिये थे ;

(घ) क्या मनीपुर के मुख्य आयुक्त ने अपने प्राधिकार और पद का प्रयोग कर के बहुत कम मूल्य पर उपर्युक्त पिस्तौल और रायफल को प्राप्त किया था ;

(ङ) क्या इस सौदे के बारे में आवश्यक जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक से शिकायत की गई है ; और

(च) यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

गृहकार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मैसर्स ईस्ट एण्ड आर्म्स कम्पनी इम्फाल को 7,100 रुपये में बेचे गये 32 गैर-निषेध और आग्नेयास्त्र के ब्यौरे बताने वाली एक सूची संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--1916/69]

(ग) उपरोक्त 32 शस्त्रों में से, मनीपुर के मुख्य मंत्री ने 25–1–68 को इम्फाल की मैसर्स ईस्ट एण्ड आर्म्स कम्पनी लि० से केवल एक पिस्तौल संख्या 131416 (बिना मैगजीन) के खरीदी थी ।

(घ) से (च). इस सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है । मामले की जांच की जा रही है ।

सरकारी अधिकारियों तथा विधायकों के बीच सम्बन्ध के लिये आचार संहिता

5423. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने विधायकों तथा सरकारी अधिकारियों के बीच सम्बन्धों को विनियमित करने के लिये एक पन्द्रह सूत्री आचार संहिता बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार की आचार संहिता केन्द्र में भी बनाई जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तमिलनाडु सरकार के जी० आर० संख्या 976 दिनांक 24–5–69 की एक प्रति संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1917/69]

(ग) संसद सदस्यों तथा विधान मंडलों के सदस्यों और प्रशासन के बीच सम्बन्धों को विनियमित करने के लिये एक संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था और तारांकित प्रश्न संख्या 630 दिनांक 24–8–66 के सम्बन्ध में आश्वासन की पूर्ति में 21–3–1967 को सदन के सभा पटल पर रखा गया था । संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा समूहों के नेताओं के, जिन्हें इस विषय में पत्र भेजे गये हैं, विचार प्राप्त होने पर इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

Musical Concert held in Jagjivan Stadium in Khagaul (Patna District)

5424. **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Yogendra Sharma :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a musical concert was organised on the night of the 15th June last in Jagjivan Stadium of Khagaul (Danapur Railway Station) in Patna District (Bihar);

(b) if so, the names of the organisers of the said concert and the names of the artistes who participated in the same;

(c) whether it is also a fact that the police had mercilessly lathi-charged the innocent audience of the said function although they possessed tickets and many people were injured as a result thereof; if so, the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that some persons died as a wall collapsed due to a stampede there; if so, the number thereof; and

(e) whether Government propose to conduct an enquiry into the said incident and punish the persons found guilty; and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): The information furnished by the Govrnment of Bihar is as under:—

(a) Yes, Sir.

(b) The concert was organised by the Patiliputra Lions Club, Patna and Youth Service Club, Dharampur. The artists who participated included Mahendra Kapoor, Mukesh, Amin Saiyani, Meeni Potki, Jayashree and others.

(c) No, Sir. A section of the crowd which had assembled in the premises indulged in brick-batting and rowdism and hence the police resorted to lathi-charge to disperse the mob and maintain order.

(d) According to the information available with the State Government of Bihar, no one died because of the collapse of a wall or stampede.

(e) Nine cases have been instituted by the local police in connection with the incidents of rioting and are under investigation.

Urdu Teacher for Bhagalpur Teachers Training College

5425. **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Yogendra Sharma :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government's Policy is to give proper place and incentive to Urdu ;

(b) If so, whether Government are aware that there is no Urdu teacher in the Bhagalpur Teachers Training College ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to appoint a Urdu teacher in the above college early ; and

(e) is so, the time by which it would be done and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) Yes, Sir. Under the Centrally Sponsored Scheme of production of literature at University level in regional languages, the Government have earmarked a sum of Rs. 1 crore for the production of University level books and other literature in Urdu during the Fourth Plan period. Out of this, a sum of Rs. 10 lakhs is being provided during the current financial year. For this purpose, the Government have constituted the Tarraqui-e-Urdu Board under the Chairmanship of the Minister of Education and Youth Services. The Board held its first meeting on 31st July, 1969. ;

(b), (c), (d) and (e) : This matter is the concern of the State Government.

Delay in Payment of Dearness Allowance to Government Employees transferred to Patna University

5426. **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Yogendra Sharma :
Shri Chandra Shekher Singh :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Government employees transferred to Patna University have not been paid dearness allowance since April, 1967 ;

(b) if so, the number of such employees;

(c) the reasons for not giving them dearness allowance ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to grant them dearness allowance ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) The Patna University has informed that the Government employees transferred to it have been paid dearness allowance at University rates uptodate.

(b) to (d) : Do not arise.

दिल्ली के स्कूलों में यौन शिक्षा

5427. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के स्कूलों में परीक्षण के तौर पर यौन शिक्षा और परिवार नियोजन की जानकारी देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने एक उप-समिति नियुक्त की है जो यह निर्णय करेगी कि बच्चों को किस तरह की जानकारी दी जानी चाहिये और इस परीक्षण के लिये किस आयु वर्ग के बच्चों को चुना जाये; और

(ग) क्या इस समिति ने इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया है और यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, दिल्ली में परिवार नियोजन की एपैक्स समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप, एक उप-समिति, इस मामले की जांच करने के लिये बनाई गई है।

(ग) अब तक इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति का त्याग पत्र

5428. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री न० रा० देवघरे :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके साथ मतभेद हो जाने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मतभेद की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) नये उपकुलपति की नियुक्ति के लिये क्या कायवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम तथा अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नये कुलपति की नियुक्ति के लिये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुलपति की नियुक्ति के वास्ते नामों के पैनल की सिफारिश करने के लिये विजीटर द्वारा एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

मैट्रिक के बाद के पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों की शिक्षा

5429. **श्री सूरज भान :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रिक के बाद के पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति आदि देने से सम्बन्धित प्रस्ताव उन्हें दिखाये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने प्रस्तावों पर क्या राय दी थी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के विभिन्न कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का दाखिला

5430. **श्री सूरज भान :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कालेजों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के दाखिले के बारे में उनके मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को कोई अधिसूचना भेजी है ; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कालेज अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को दाखिल नहीं कर रहे हैं यद्यपि उनके अंक बहुत अधिक हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी कुलपतियों से 1956 तथा दुबारा 1962 में प्रार्थना की गई थी कि प्रवेश के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को कुछ रियायतें दें ।

(ख) सरकार को इस मामले की कोई सूचना नहीं है कि बहुत अच्छे अंक वाले किसी विद्यार्थी को किसी कालेज में दाखिला न मिला हो, फिर भी व्यक्तिगत शिकायत जब कभी प्राप्त हुई उनकी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई तथा योग्य विद्यार्थियों को स्थान प्रदान किये गये ।

युवक कल्याण की योजनाओं के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों की नियुक्ति

5431. **श्री सूरज भान :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने युवक कल्याण से सम्बन्धित अपनी नई योजनाओं के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के योग्य अधिकारियों को नियुक्त करने के लिये विशेष प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) युवक कल्याण योजनाओं के संगठन के बाद उनके मंत्रालय में कितने नये लोगों की भरती हुई, और उन में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) युवक कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नई योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और इसीलिये अधिकारियों अथवा स्टाफ की भर्ती का प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Rural Libraries

5432. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the details of the works likely to be completed during the Fourth Five Year Plan in regard to the development of rural libraries ;

(b) whether it is a fact that Government paid little attention towards the problems of rural libraries in the country and in regard to giving them assistance, after the Chinese attack ;

(c) if so, the time by which steps are likely to be taken by Government in regard to the construction of buildings for rural libraries and providing them books and developing reading rooms etc ; and

(d) if no steps are likely to be taken in this regard, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao): (a) to (d) Provision of library facilities in the rural areas is the concern of the respective State Governments and Union Territories. Central Government gives grants to the public libraries catering to a population of atleast 50,000 under the scheme 'Assistance to Voluntary Educational Organisations'.

शिक्षा को उत्पादन प्रधान तथा रोजगार प्रधान बनाना

5433. **श्री क०मि० मधुकर :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के इस वक्तव्य से कहां तक सहमत है कि शिक्षा को उत्पादन-प्रधान और रोजगार प्रधान बनाया जाना चाहिये ताकि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति कुछ उत्पादन कर सके ;

(ख) क्या सरकार उनके उक्त सुझाव को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना का स्वरूप क्या है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का बयान शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप है और भारत सरकार इस रिपोर्ट से सामान्यतया सहमत है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट सिफारिशों पर विचार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

अप्रैल, 1969 में हुये कुलपति सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि कुशल कारीगरों से अभिन्न बीच के स्तर के तकनीशियन आवश्यक संख्या में तैयार करने के लिये रोजगार प्रधान अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी होनी चाहिये। शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली में आयोजित छात्र नेताओं के सम्मेलन ने भी निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

> "शिक्षा प्रणाली रोजगार प्रधान होनी चाहिये और नियोजन की आवश्यकताओं से सम्बद्ध होनी चाहिये। डिग्री पाठ्क्रिमों में व्यावसायिक विषयों जैसे सचिवालय प्रक्रिया, स्टेनोग्राफी प्रबन्ध आदि चालू करने पर अधिबल दिया जाना चाहिये।"

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन सम्मेलनों की सिफारिशें विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों को भेज दी हैं। शिक्षा मंत्री के सुझाव पर वि० अ० आ० ने हाल ही में मार्गदर्शी प्रयोजना के रूप में दिल्ली में एक कालेज की स्थापना पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई है जिसमें चुने हुए रोजगार प्रधान पाठ्यक्रमों में डिग्री दी जायेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने चालू शैक्षिक वर्ष से बी० काम (पास) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है जोकि रोजगार प्रधान पाठ्यक्रम है।

Reported Statement by Lt. Governor of Delhi on patronising of Goondas by Politicians

5434. **SHRI K. M. MADHUKAR :**
SHRI DEVEN SEN :
SHRI RAM AVTAR SHARMA :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the extent of truth in the recent statement of the Lt. Govenor of Delhi to the effect that because of the indirect partonage received by the criminals and goondas from the political leaders, the Administration cannot take any action against the goondas easily ;

(b) the propriety of the aforesaid statement ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a), (b) and (c) : On seeing Press reports of the reported interview given by Lt. Governor to some press Correspondents on July 25, 1969, the facts were ascertained from the Delhi Administration. They informed Government that during the course of discussion of the general crime situation in Delhi, the Lt. Governor told the newsmen that certain unsocial elements tried to browbeat the subordinate police officials by saying that they had the backing of important public men and that this created wrong impressions in the public mind. The Lt. Governor had denied having stated that anti-social elements or goondas enjoyed the patronage of the politicians. According to the Lt. Governor, he had been misquoted in the news papers.

Mizo Rebels

5435. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is fact that Y. Kunga, a rebel Mizo and his associates, who had fled to Pakistan in 1966, attacked on the 22nd and 23rd July, 1969 from East Pakistan side in Amarpur Sub-Division of Manipur ;

(b) if so, the details of the incident ; and

(c) the reaction of Government in regard to Mizo training Centres in Pak-territory and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : On the morning of 22nd July, 1969 at about 4 A.M. about 100-150 armed Mizo hostiles suddenly attacked Bolangbasa, the headquarters of the Dumburanagar Block in the Raima-Sarma Valley in Amarpur sub-division of Tripura (and not Manipur). The hostiles set fire to the Project Office, some residential quarters and the market. They also looted some Government property besides cash etc. from local inhabitants and left after about 2 hours. On the morning of 23rd July, 1969, at about 4 A.M. about 150 armed Mizo hostiles attacked Gandacherra Police Station and the exchange of fire lasted for 2 hours. Whilest withdrawing the hostiles set fire to the market and attempted to loot a fen shops. In the exchange of fire one child was shot dead and an old woman who was seriously injured succumbed

the next day. Two casualties are reported to have been suffered by hostiles. The gang is believed to have escaped across the border into Kachalong Reserve Forest in Pakistan from where they presumably came.

(c) Government have lodged several protests with the Pakistan Government against the assistance granted by them to Mizo hostiles in East Pakistan.

संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अपने कर्मचारियों के वेतनमानों/भत्तों में संशोधन करने के अधिकार

5436. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतनमान/भत्तों में अपने पड़ोसी राज्यों के समाज संशोधन करने के अधिकार को वापस ले लिया जाये और प्रत्येक मामले में संशोधन करने का निर्णय वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रशासी मंत्रालय करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मणीपुर और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में नए आधार पर संशोधन करने का है ; जिसका आस-पास के राज्यों के वेतनमान से कोई सम्बन्ध न हो ; और

(ग) क्या सरकार ने लिये गये इन नये निर्णयों के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के कर्मचारियों के वेतन मान तथा भत्तों के संशोधन करने का एक मात्र उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिये पहले से संशोधित वेतन मानों और भत्तों में कोई गड़-बड़ नहीं की जा रही है । किन्तु यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन मान व भत्तों के संशोधन के लिये सभी प्रस्तावों पर पड़ोसी राज्यों में तदनुरूप पदों के लिये प्रचलित नमूने को ध्यान में रख कर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा और निर्णय लिया जायेगा किन्तु सम्बन्धित संघ राज्य क्षेत्रों में किसी श्रेणी के कर्मचारियों की उपलब्धियों में संशोधन से केन्द्रीय सरकार के अधीन समान श्रेणी के कर्मचारियों को प्राप्य स्तर से अधिक किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के महंगाई वेतन और/या महंगाई भत्ते समेत वेतनमानों में किसी भी हालत में वृद्धि नहीं होगी ।

मनीपुर में दाल की सप्लाई के लिए करार

5437. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मनीपुर सरकार ने 'स्टेट ट्रेडिंग ' मनीपुर को 134.70 रुपये की दर से 40 मीट्रिक टन अरहर की दाल सप्लाई करने के लिए जिसकी सप्लाई 28 मार्च, 1969 को अथवा इससे पहले की जानी है, इम्फाल, मनीपुर की एक फर्म के साथ करार किया है ;

(ख) क्या उक्त करार उचित रूप में टेंडर आमंत्रित करने के बाद किया गया था और उक्त फर्म का टेंडर सप्लाई के लिए बताये गये न्यूनतम मूल्य पर स्वीकार किया गया था ;

(ग) क्या मनीपुर सरकार निर्धारित समय में सप्लाई करने के लिये करार की शर्तों के अनुसार रेलवे माल डिब्बे उपलब्ध कराने में फर्म की सहायता करने के लिए सहमत हुई थी ;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) से (ग) तक का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो फर्म को उसके अनुरोध पर कितने माल डिब्बे उपलब्ध किये गये ; और

(ङ) क्या फर्म ने अरहर की दाल की उक्त मात्रा की सप्लाई के लिए माल डिब्बे बढ़ाने में समथ नष्ट होने के कारण समय बढ़ाए जाने के लिए आवेदन पत्र दिया था और यदि हां, तो क्या मनीपुर सरकार ने इस प्रार्थना पत्र पर विचार कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : मनीपुर सरकार ने हमें सूचित किया है कि करार उचित टेंडर आमंत्रित करने के बाद किया गया था जिस पर करार किया गया तथा न्यूनतम था ।

(ग) मनीपुर सरकार ने आगे सूचित किया है कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित करार की धारा 4 के अन्तर्गत यह समझा गया था कि इस के सम्बन्ध में प्रेषित माल के भेजने के लिए विक्रेता द्वारा मांगे गये वैगनों के लिए अपेक्षित प्रेषण के 10 दिन पूर्व लिखित में विक्रेता से मांग प्राप्त होने पर खरीददार द्वारा आवश्यक सहायता की व्यवस्था की जाएगी । रेल प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर लागू संचालन-प्रतिबंधों के अधीन सभी रेल मार्गों द्वारा वेगनों का प्रबन्ध किया जायगा ।

(घ) मनीपुर सरकार का कहना है कि उन्होंने 10-3-1969 और 19-3-1969 को विक्रेता द्वारा किये गये आवेदन पर 21 मार्च, 1969 तक 22 वैगन भेजे थे ।

(ङ) करार की शर्तों के अधीन फर्म को 28 मार्च, 1969 तक सप्लाई पूरी करनी थी । बताया जाता है कि 26 मार्च, 1969 को फर्म ने, इस आधार पर कि उन्हें 16 से 23 मार्च, 1969 के बीच बुक किये वैगनों में ठेका की गई पूरी मात्रा के पहुंचने की आशा है, 20 अप्रैल 1969 तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया । रेल वैगनों के प्राप्त करने में कोई समय नष्ट नहीं हुआ था । समय के बढ़ाये जाने के लिए फर्म के अनुरोध पर मनीपुर सरकार द्वारा विचार किया गया था किन्तु उस सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिली ।

मनीपुर में मीति की जनगणना

5438. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और जनगणना महानिदेशक को मणिपुर के मीति समाज विशेषकर "दी मीति नेशनल कमेटी फार सेंसस 1971, से इस आशय का आवेदन प्राप्त हुआ है कि मीति लोगों की जनगणना एक विशेष नाम से की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रति क्रिया है और धर्मिक समुदाय के अनुसार मनीपुर के लोगों की जनगणना करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पिछली परिपाटी का अनुकरण करते हुए 1971 की जनगणना में उत्तरवादियों के द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार "धर्म" दर्ज किए जाएगें । धर्म सम्बन्धी सारणी में देश संख्या के अनुसार सबसे बडे छः धार्मिक समूहों अर्थात् बौद्धों ईसाइयों हिन्दूओं, जैनियों, मुसलमानों और सिख्खों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े दिये जाएंगे । अन्य धार्मिक समूह "अन्य" शीर्षक

के अधीन एक साथ दिखाए जाएंगे और उन समूहों को अलग-अलग मुख्य सारणी के एक परिशिष्ट में दिखलाया जाएगा। मुख्य सारणी में किसी भी अन्य धार्मिक समूह को सम्मिलित करना सम्भव नहीं है।

तीसरी और दूसरी श्रेणी के स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर

5439. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उनमें 50 प्रतिशत से भी अधिक छात्र तीसरी या निम्न-द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उनके लिए सरकार सेवा या गैर-सरकारी फर्मों में रोजगार प्राप्त करना अत्यन्त कठिन या प्रायः असम्भव होता है ; और

(ग) क्या उनकी सहायता करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत विभिन्न विश्वविद्यालयों और विभिन्न परीक्षाओं में अलग-अलग होता है। यह संलग्न विवरण में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1918/69]** इसमें 16 केन्द्रीय और राज्य के विश्वविद्यालयों के 1967 के परीक्षा परिणामों का विश्लेषण दिया गया है। इसी वर्ष का नवीनतम विश्लेषण उपलब्ध था।

(ख) सरकार और निजी फर्मों में ऐसे पद हैं, जिनमें तृतीय श्रेणी या निम्न द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र सक्षम हैं। लेकिन फिर भी इन कई पदों के लिए अधिक प्रतियोगिता को देखते हुए इनमें से कई का चुनाव होना कठिन हो जाता है।

(ग) जो छात्र उच्च शिक्षा में अपनी योग्यता नहीं दिखाते, उनको वास्तव में ही उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या प्रथम डिग्री वर्ष में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिये। ऐसे पाठ्यक्रम उनकी रुचियों और क्षमता के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। सरकार माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय-प्रधान बनाने का प्रयत्न कर रही है और डिग्री पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में व्यवसाय शिक्षा पर बल देने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। लेकिन फिर भी प्रगति काफी धीमी है, विशेष रूप से साधनों की कमी के कारण और साथ ही सामाजिक प्रवृति के कारण भी जोकि अभी तक इन पाठ्य-क्रमों को हीन दृष्टि से देखती है।

शिक्षा आयोग ने इस मामले पर विचार किया और सिफारिश की कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को जाने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ छात्र को यदि वह चाहे तो अपनी श्रेणी सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा देने की अनुमति भी दे देनी चाहिये। इस सिफारिश की ओर विश्व-विद्यालयों का ध्यान दिलाया गया है।

दक्षिण और उत्तर भारत के लिए समान लिपियां

5440. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लिए एक सामान्य लिपि तैयार करने के लिए कोई प्रयास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था द्वारा हिन्द महासागर की खोजबीन

5441. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री सीता राम केसरी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री वैज्ञानिक यूनेस्को कार्यक्रम के अन्तर्गत 1970/80 दशाब्दी में हिन्द महासागर की गहन खोजबीन करने की योजना तैयार कर रहे है ;

(ख) राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान के द्वारा अब तक किये गये खोजबीन के कार्य के क्या महत्वपूर्ण परिणाम निकले है; और

(ग) हिन्द महासागर के भूमध्य रेखा क्षेत्र में पर्याप्त रूप से पाई जाने वाली टूना मछली को पकड़ने के काम को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के० आर० वी० राव) : (क) जी हां । जहाजी सुविधाओं का आयोजन किया जाना है ।

(ख) अर्न्तराष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान (अ० हि० महा० अ०) के दौरान भारतीय कार्यक्रम में एकत्रित किये गये आंकड़ों और सामग्री का अध्ययन भारतीय समुद्रविज्ञान संस्थान द्वारा किया गया है और अब तक प्राप्त परिणामों का संक्षेप इस प्रकार है :—

(1) भारतीय समुद्रतटों पर अपवेलिंग तथा जीव-विज्ञानीय उत्पादिता के स्थानों का पता लगाना ।

(2) महाद्वीपीय समुद्र की सतह के नीचे चट्टानों की श्रेणी में पनडुब्बी मार्गों को खोजना तथा उनका निर्माण करना तथा उत्तर के पुरी और दक्षिण के पोर्टो के बीच भारतीय पूर्वी तट के ढलान को कम करना । नदी के मुहानों से दूर कुछ जलमार्गों का पता लगाया गया है जो जल मग्न नदी की घाटियां समझी जाती हैं ।

(3) बंगाल की खाड़ी में घूर्णन जैसे परिचलन की उत्पत्ति। बीच बीच में कर्तन क्षेत्र के साथ दो घूर्णनों (प्रति चक्रवातीय) का पता लगाया गया है ।

(4) हिन्द महासागर के विभिन्न क्षेत्रों में, मछली के अंगों तथा डिम्भों सहित तरण जीव संघों का समुचित वितरण तथा मछली उत्पादन की मोटी रूप रेखा ।

(5) भारत के पश्चिम समुद्र तट से परे कुछ क्षेत्रों में फॉस्पेटीय बृहद् आन्त्र शोध की उत्पत्ति ।

(ग) टूना मछली पकड़ने के लिये किये गये प्रयत्न इस प्रकार है :—

(1) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के भारत सरकार के स्टेशन द्वारा एफ० ए० ओ० विशेषज्ञो की सहायता से टूना के लिए समन्वेषी सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें दूर दूर तक मछली पकड़ने

की पद्धति अपनाई गई थी। एक एफ० ए० ओ० विशेषज्ञ की सहायता से इस समय एक जहाज कोचीन से कार्य कर रहा है ; इस प्रयोग के कुछ समय तक चलने की आशा है ;

(2) भारतीय नार्वेजियन परियोजना लकाद्वीप के चारों ओर खर्की कोना द्वारा स्कीपजेक टूना मछलियों को पकड़ने के लिए प्रयोग कर रही है।

(3) लकाद्वीप के मछियारों के टूना मछली पकड़ने के अनुभव से लाभ उठाते हुए, पोल और लाइन पद्धति द्वारा स्कीपजेक टूना मछली को पकड़ने के लिए लगभग 40 यंत्रीकृत नौकाएं प्रयोग में लाई गई है। कुछ वर्ष पूर्व एक लघु कैनरी स्थापित की कई थी अब मिनीकाव में एक सम्पूर्ण कैनरी का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा शीघ्र ही उत्पादन होने लगेगा। लकादीप की डिब्बा बंद टूना मछली अच्छी किस्म की पाई गई है।

फोर्ड राकफैलर फाउंडेशनों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुदान

5442. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय को अब तक (एक) फोर्ड फाउडेंशन और (दो) राकफैलर फाउन्डेशन द्वारा कितनी सहायता और कितना अनुदान किस-किस प्रयोजन के लिए दिया गया ;

(ख) प्रत्येक सहायता तथा अनुदानों के लिए क्या शर्ते थी ;

(ग) विश्वविद्यालय ने इस सहायता और अनुदानों की राशि का किस प्रकार उपयोग किया है ;

(घ) दिल्ली विश्वविद्याललय से सम्बद्ध फोर्ड फाउन्डेशन तथा राकफैलर फाउन्डेशन के प्रतिनिधियों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ) प्रत्येक प्रतिनिधि के कार्य क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) विवरण संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1919/69]**।

(ख) कोई नहीं।

(ग) अनुदानों का उपयोग उन्ही प्रयोजनों के लिए किया गया था जिनके लिए वे दिये गए थे।

(घ) और (ङ). इस समय, फोर्ड फाउंडेशन का केवल एक प्रतिनिधि, अर्थात् प्रो० एल० सी० मीद, मनोविज्ञान का भूतपूर्व प्रोफेसर, टुफ्ट विश्वविद्यालय, अमेरिका (यू० एस० ए०), फोर्ड फाउन्डेशन सहायता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वरिष्ठ शैक्षिक सलाहकार के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। राकफैलर फाउन्डेशन का कोई प्रतिनिधि विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध नहीं है।

मानव सबध संस्था

5443. **श्री स० कुण्डू :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में डा० एस० राधाकृष्णन के नाम पर मानव सम्बन्ध संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के मुख्य कार्य क्या होंगे और यह कब तक कार्य आरम्भ कर देगी ; और

(ग) यह संस्था कहां स्थापित की जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सामान्य शयनागार किस्म का आवास

5444. **श्री स० कुण्डू** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय व विद्यार्थियों को नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में सामान्य शयनागार किस्म का आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्णय किया है ; और

(ख) उपलब्ध किये जाने वाले आवास का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय स्टेडियम में लगभग 80 व्यक्तियों के लिए शयनागार किस्म के आवास की व्यवस्था है । यह आवास विश्वविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्हें टूर्नामेंट में भाग लेने, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने, रोजगार के लिए साक्षात्कार हेतु और संचालित पर्यटन आदि के लिए दिल्ली आना होता है ।

केरल राज्य में मन्दिरों के जीर्णोद्धार के लिए सहायता

5445. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से हाल ही में इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि केरल राज्य में मन्दिरों के जीर्णोद्धार के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाये और :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों की समस्याय

5446. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय में या इसके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की प्रशासनिक समस्याएं बहुत जटिल हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को इस बात का पता है कि रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने का जहां तक सम्बन्ध है रेलवे बोर्ड असफल तथा प्रभावहीन रहा है और विचाराधीन शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है ;

(ग) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग भी रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों आदि से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो आयोग किन समस्याओं पर विचार कर रहा है और आयोग ने इस काम में कितनी प्रगति की है ;

(ङ) क्या आयोग समान वेतन ढांचे , पदोन्नति के अवसरों तथा रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने वाले अधिकरण के मामले में उन्हें केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के बराबर लाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्री मान् ।

(ख) रेलवे बोर्ड काफी प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है और ऐसा कोई संकेत नहीं है कि विचाराधीन शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) रेलवे के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ साथ रेलवे की कार्य-प्रणाली के लिए प्रशासनिक प्रबन्धों की जांच करने के लिए प्रसाशनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत कर दिया है और यह प्रतिवेदन इस समय उनके विचाराधीन है ।

(ङ) और (च) : प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में बलदेव सिंह की कथित हत्या

5447. **श्री बाल्मीकि चौधरी**
श्री वेंश नारायण सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री पी० सी० अदिचन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 7 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2223 और 2224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धमेता (कांगड़ा जिले) नामक स्थान पर की गई श्री बलदेव सिंह की हत्या, जिसका शव 29 नवम्बर , 1968 को बरामद किया गया था, के बारे में विस्तृत जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और इस मामले में की गई जांच पड़ताल का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या शव परीक्षा से यह पता चला है कि उसकी मृत्यु बिजली के झटके से हुई और यदि हां, तो क्या इस बात की जांच पड़ताल की गई कि उसे बिजली का झटका कहां लगा, आटे के उस मिल में लगा जहां वह काम करता था या किसी अन्य स्थान पर ;

(ग) यदि हां, तो इस जांच पडताल का क्या निष्कर्ष है और क्या वहां के उस बिजली घर के अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया है कि सड़क पर लगे बिजली के खम्बों के बिजली के तारों से किसी की मृत्यु हुई ;

(घ) क्या अन्य साक्ष्य भी शव-परीक्षा के निष्कर्ष के विरुद्ध जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर के उन अंगों पर चोट लगी थी जिन पर बिजली के झटके या उसके परिणाम स्वरूप गिरने से चोट नहीं लग सकती ; और

(ङ) क्या इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिये गये हैं या दिये जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार विषय में अग्रेतर जांच कर रही है। अपेक्षित सूचना उनसे एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

हिमाचल प्रदेश में बलदेव सिंह की कथित हत्या

5443. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री शारदानन्द :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री अदिचन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 7 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2237 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्ष पूर्व धमेता गांव के आटे के मिल मालिक द्वारा कथित मानव बलि की घटना की सच्चाई अथवा झूठ के सम्बन्ध में सरकार को इस बीच सूचना प्राप्त हो गई है

(ख) क्या यह सच है कि श्री बलदेव सिंह की कथित हत्या के मामले में भी पुलिस ने 15 दिन से अधिक समय तक कोई कार्यवाही नहीं की है ;

(ग) क्या धमेता और समकर, दो गांवों की जनता और पंचायतों ने कुछ संसद सदस्यों के माध्यम से, इस मामले में पुलिस की अकर्मण्यता और शव परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर मामले को समाप्त कर दिये जाने, जो स्पष्टतः पक्षपातपूर्ण थी तथा अन्य गवाहियां के विरुद्ध, गृह-कार्य मंत्री को अभ्यावेदन दिया है, और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्लः) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जांच से तथा कथित नरबलि का कोई ठोस प्रमाण प्रकाश में नही आया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। इस मामले के सम्बन्ध में 29 नवम्बर, 1968 की शाम को सूचना प्राप्त होने पर दो कांस्टेबलों को शव की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया था, अगली सुबह एक हैड कांस्टेबल को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत जांच-पड़ताल करने के लिए भेजा गया। आगे की जांच कार्यवाही सम्बन्धित पुलिस थाने के कार्य प्रभारी अधिकारी ने की थी।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में और आगे जांच कर रहीं है।

Glossary of Technical and Scientific Terms

5449. **Shri Valmiki Chaudhary :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by the Central Government so far on preparing glossaries of technical and scientific terms since the Independence ;

(b) the names of glossaries prepared so far under the supervision of the Central Government and names of those which are under preparation by various Committees and the progress made so far in respect of them as also the future schemes in this regard.

(c) the time by which the work is likely to be completed ;

(d) whether it is a fact that the progress has been very slow ; and

(e) if so, the reasons therefor and the steps being taken to expedite it ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) An expenditure of Rs. 5.73 lakhs has been incurred on the publication of the various glossa ries of technical and scientific terms brought out since Independence.

(b) The following glossaries have been brought out so far :—

(i) Consolidated Glossary of Technical Terms.
(ii) Engineering Glossary . . . . . Four Parts
(iii) Humanities Glossary . . . . . Five Parts
(iv) Medical Science Glossaries 4
(v) Agriculture Glossary
(vi) Science Glossary . . . . . Four Parts
(vii) Consolidated Glossary of Administrative Terms . . . .

The following glossaries are under post-manuscript stage :—

(i) Science Glossary (Hindi-English)
(ii) Commerce Glossary.
(iii) Humanities Glossary—Part 6
(iv) Administrative Terms Glossary
(v) Posts and Telegraphs Glossary

(c) It is expected that the work will be completed by January, 1970.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Central Assistance for production of books in Regional Languages at University level

5450. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central assistance of Rs. 11 crore each has been given to the various State Governments for the production of books in regional languages at University level ;

(b) if so, when this assistance was given, the portion of the assistance spent so far and the progress made so far, State-wise ;

(c) whether any State utilised the amount of this grant for some other purpose and if so, how much and for what purpose in the case of each State and whether the State concerned did so with the permission of the Central Government ; and

(d) if not, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) and (b). No, Sir. Under the Centrally sponsoreds cheme "Production of literature in Indian languages of as media of instruction at University stage", an amount upto Rs. 1 crore is to be paid to each State Government spread over six years commencing from 1968-69. During the year 1968-69, grants amounting to Rs. 34,47,828 were paid to the 12 State Governments whose programmes

under the scheme were approved by the Government of India. The break-up of this amount is as follows :

	Rs. in lakhs
1. Haryana	2
2. Mysore	5
3. West Bengal	32,77? thousands
4. Uttar Pradesh	2
5. Rajasthan	5
6. Madhya Pradesh	1
7. Tamil Nadu	1·72
8. Kerala	43,050
9. Andhra Pradesh	10
10. Assams	1
11. Bihar	5
12. Maharashtra	1

During the year 1969-70, all the State Governments excepting Haryana and Andhra Pradesh have already been advised that they could straightaway incur further expenditure upto Rs. 7 lakhs each on the implementation of the Scheme. The Governments of Haryana and Andhra Pradesh have, on the besis of their requirements, been advised to incur expenditure upto Rs. 2 lakhs and Rs. 28 lakhs respectively during the current financial year.

All the State Governments excepting Nagaland and Jammu and Kashmir have set up Autonomous Boards/Departmental Boards for production of books and literature at the University level.

The amount of expenditure so far incurred by the States is not yet known.

(c) and (d). Government have received no such complaints/information.

Opening of National Language School University

5451. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have received a proposal to open a National Language School in Mysore ;

(b) if so, the details of the scheme in this regard ;

(c) whether Government propose to make an announcement to open such a School or a University ; and

(d) whether it is proposed to open such schools or Universities in other parts of the country also and if so the names of the places where they are proposed to be opened ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr V. K. R. V. Rao) : (a) to (d).

Statement

The Government of India have already established the Central Institute of Indian Languages at Mysore. The main purpose of the Institute is to assist and co-ordinate the development

of Indian languages. A provision of Rs. 35 lakhs has been made in the Fourth Five Year Plan out of which Rs. 5 lakhs have been provided for the current financial year.

A major task of the Institute will be to identify the bonds of unity among different Indian languages in terms of history, vocabulary, cross-fertilisation, grammar, linguistic structure and literary and cultural themes and subject content.

The Institute would also undertake formulation of techniques for simplifying the teaching of languates, reducing the time element involved in learning different languages and preparing basic vocabularies for basic Tamil, basic Kannada, basic Hindi, basic Urdu etc.

The Institute will not only supplement the linguistic activities of the Universities and State bodies but will also provide the much needed agency of coordination to avoid wastage and duplication of effort. The Institute will initiate such inter-disciplinarv programmes which will require the cooperation of several universities, institutions and disciplines.

The study of tribal languages with a view to devising suitable material for teaching Indian languages to them and teaching their language to others who come either in administrative of cultural contacts with them will also be a special responsibility of this Institute.

Urdu and Sindhi are non-State languages. They will claim special attention of this Institute.

The Institute will also help expand language laboratory facilities and look into the matter of the use of Such technical aids as closed circuit television and films in the teaching of languages.

Government proposes to establish four regional centres of Indian languages with a view to providing short-term courses of training to language teachers for teaching other Indian languages in centres. One such regional institute would be attached to the Central Institute of Indian Languages at Mysore. Other three centres would be located at Patiala, Poona and Bhubaneswar.

Link Road In South Delhi To Connect Villages Near I.I· T

5452. **Shri Raghuvir Singh Shashtri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State :—

(a) whether Government are aware that Hauz Khas, Jiya Sarai and Katwareari Sarai Villages near I.I.T. Hostel in South Delhi have been encircled by barbed wire, consequent upon construction of the Hostel as a result of which the residents of these villages have to cover a long distance in pursuit of their daily chores ;

(b) whether Government propose to construct a straight link road after removing these barbed wire connecting these villages, as they are situated more or less in a straight line ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :(a), (b) and (c). The villages are in fact not encircled by barbed wire fencing. The parties to whom land has been allotted between these villages have fenced the land allotted to them. The Construction of a straight link road is not possible. However, in the Zonal Development Plan these villages have been connected with the newly constructed roads and every village is accessible independently from the main road.

विदेशों से जहाजों की खरीद

5453. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री सयद बदरुद्दजा :
श्री गणेश घोष :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से जहाजों का क्रय किस प्रकार किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को विश्वास है कि वास्तविक मूल्य से अधिक राशि के बीजक नहीं बनाये गये हैं; और

(ग) क्या सब व्यापार आवश्यक रूप से राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जा सकता है ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) नये या बरते हुए जहाजों के अर्जन के लिये जहाजों के मालिकों से प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है और मंजूर किया जाता है। बरते हुए जहाजों के कुछ मामलों के सिवाय समस्त अर्जन आस्थगित अदायगी के आधार पर किया जाता है। जिसका अभिप्राय सुपुर्दगी के समय तक लगभग 10–20 प्रतिशत की तुरन्त भुगतान है और शेष की अदायगी जहाजों की विदेशी मुद्रा के अर्जन से वर्षों की अवधि में किया जाता है। तुरन्त अदायगी के लिये विदेशी मुद्रा सामान्य रूप से निम्नलिखित चार तरीकों से या उनके सम्मिलन से किया जाता है।

(1) जहाज मालिकों को सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों पर विदेशी मुद्रा का ऋण लेने की अनुमति है।

या (2) जहाज मालिकों को कुछ अन्तर्विभागीय ऋण जो उस देश से उपलब्ध हों जिसमें जहाज बनाये जाते हैं, से विदेशी मुद्रा आवंटित की जाती है।

या (3) कुछ पुराने जहाजों की बिक्री से या बीमा दावे से कम्पनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के बदल, विदशी मुद्रा मुक्त साधनों से नियुक्त किया जाता हैं।

या (4) उपरोक्त तरीकों के असफल होने पर यदि प्रस्ताव पर्याप्त रूप से आकर्षक हो तो विदेशी मुद्रा मुक्त साधनों से नियुक्त किया जाता है।

(ख) जहाजों की कीमत जो अर्जित की जानी है उसकी युक्तियुक्तता का जहाजों के स्वतंत्र मूल्य निर्धारकों से प्राप्त मूल्य निर्धारण रिपोर्टों के आधार पर निर्णय किया जाता है। जहाजों के लिये बातचीत से तय किये हुए वास्तविक मूल्यों की जहाज मालिकों और विक्रेताओं के बीच निष्पादित बिक्री पत्र के संदर्भ में जांच की जा रही है। इन जांच पड़तालों के अलावा, पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय के पास कोई साधन नहीं है जिससे जहाज मालिकों द्वारा जहाजों के मूल्य का अधिक बीजक बनाने की जांच की जा सके।

(ग) निम्नलिखित कारणों से राज्य व्यापार निगम के द्वारा कार्यवाही करना सम्भव नहीं है :—

(1) विभिन्न व्यापार के लिए जहाजों के आकार और प्रकार का मानकीकरण नहीं किया गया है। वे कई विशिष्टताओं में पृथक् होते हैं जो प्रत्येक शिपिंग कम्पनियों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रभावी रूप से सामना कर सकें।

(2) प्रत्येक जहाज़ के लक्षणों के अनसार जहाजों का मूल्य पृथक् होता है ।

(3) जहाज मालिकों को व्यक्तिगत रूप से यह देखना होता है कि जहाज उस व्यापार की पूर्ति करता है जिसमें वह लगा हुआ है क्योंकि नहीं तो जहाज एक बुरी बिक्री सिद्ध होगा जिसमें विदेशी मुद्रा की बड़ी निकासी होगी ।

त्रिपुरा और आसाम के लिये पर्यटन विकास का कार्यक्रम

5454. **श्री किरित विक्रम देव वमन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा और आसाम के लिये पर्यटन विकास कार्यक्रम पर कितना व्यय आयेगा और उसका ब्यौरा क्या है और कौन से पर्यटन स्थलों का विकास किया जायेगा; और

(ख) पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में और बाद के वर्षों में त्रिपुरा और आसाम में पर्यटन के विकास में क्या प्रगति हुई, इस उद्देश्य के लिये किन स्थलों का विकास किया गया और पर्यटकों को अन्य क्या सुविधाएं दी गई हैं और उन पर कितना व्यय किया गया ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) क्योंकि आसाम और त्रिपुरा में विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, आसाम में केवल काज़ीरंगा का विकास चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है । 1969–70 में काज़ीरंगा में 2.10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से परिवहन व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । योजना आयोग ने राज्यगत योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन स्कीमों के लिये आसाम के लिये 39 लाख रुपये और त्रिपुरा के लिये 10 लाख रुपये की व्यवस्था की सहमति प्रदान की है ।

(ख) त्रिपुरा में केन्द्र द्वारा कोई पर्यटन विषयक स्कीमें प्रारम्भ नहीं की गयी हैं । आसाम के सम्बन्ध में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1920/69]**

राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम का कार्य संचालन

5455. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के निदेशक मंडल की कार्यावधि 31 मार्च, 1969 को समाप्त हो गई थी और अब तक नये मंडल का गठन नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्यकारी निदेशक का पद गत तीन वर्षों से रिक्त पड़ा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार यह समझती है कि उपर्युक्त निगम को चलाने के लिये निदेशक मंडल और कार्यकारी निदेशक किसी की भी आवश्यकता नहीं है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के पिछले निदेशक मंडल की अवधि 31 मार्च, 1969 को समाप्त हो गई थी

परन्तु इसे 31 जुलाई, 1969 तक बढ़ा दिया था। 1 अगस्त, 1969 से मंडल को दो वर्ष की अवधि के लिये पुनर्गठित किया गया है।

(ख) और (ग). कार्यकारी निदेशक का पद कई कारणों की वजह से पिछले तीन वर्षों से रिक्त है, परन्तु अब पद को नये निदेशक मंडल के परामर्श से तत्काल भरने का निर्णय ले लिया गया है।

गांधी शताब्दी समारोह

5456. श्री एन० शिवप्पा : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में गांधी शताब्दी समारोह की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1921/69]**

लद्दाख में मुस्लिम बहुल जिला

5457. श्री एन० शिवप्पा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख जिले में से एक अलग मस्लिमगहुल जिले के निर्माण के लिये लद्दाख के कारगिल नगर में जून, 1969 में किसी समय हड़ताल हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जम्मू व काश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि पिछले जून में कारगिल में एक हड़ताल की गई थी तथा कारगिल के एक पृथक् जिले के बनाये जाने की मांग की गई थी किन्तु राज्य सरकार द्वारा इसे दृढ़तापूर्वक अस्वीकार किये जाने पर इस मांगे को छोड़ दिया गया।

चंडीगढ़ में बिक्री कर की दर में वृद्धि

5458. श्री एन० शिवप्पा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने खाद्यान्नों पर प्रति रुपये डेढ़ पैसे से 3 पैसे तक की दर से बिक्री कर बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) क्योंकि पंजाब व हरियाणा के राज्यों द्वारा बिक्री-कर में इसी प्रकार की वृद्धि की गई थी।

टायर न होने के कारण दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों का अप्रयुक्त रहना

5459. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम की 130 बसें टायरों और पुर्जों की कमी के कारण बेकार खड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को संभालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ससद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सौराष्ट्र में केशोद हवाई अड्डे का विकास

5460. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्ह पता है कि केशोद सौराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है और उससे कोडीनार स्थित चीनी के कारखाने, बेरावल स्थित रेयन के कारखाने तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थापित कृषि पर आधारित अनेक लघु उद्योगों की आवश्यका पूरी होती हैं तथा यह गिरिवन तथा सोमनाथ मंदिर को देखने के लिए प्रतिवर्ष जाने वाले अनेक यात्रियों की आवश्यकता को भी पूरा करता है ;

(ख) क्या गत वर्ष जून में सरकार का ध्यान केशोद के धावन पथ की शोचनीय दशा की ओर दिलाया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने वहां पर 4500 फुट नए धावन पथ बनाने का निर्णय किया था परन्तु वहां पर निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ क्योंकि असैनिक उड्डयन विभाग का चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम अभी अंतिम रूप में तैयार नहीं किया जा सका ; और

(घ) केशोद की उपरोक्त महत्ता वहां विमान सेवाओं के अभाव में यात्रियों को होने वाली भारी असुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार उक्त धावन पथ की मरम्मत करने के लिए इसे पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप से न जोड़ते हुए शीघ्र ही कोई कार्यवाही करने का है ।

पयटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां । मौजूदा धावन पथ की मरम्मत की योजनाओं पर कार्यवाही हो रही है ।

रक्षा बेड़ा बनाने का प्रस्ताव

5461. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस आशय का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि सरकार अपना पृथक् रक्षा बेड़ा बनाये ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितान धन खर्च आयेगा ;

(ग) यह प्रस्ताव कब से सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) उस पर कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) : एक भारतीय उद्धार संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव मार्च 1966 से सक्रिय विचाराधीन रहा है और तब इस प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी । उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि यद्यपि संगठन के कुशल प्रचालन के लिए कम से कम दो टग अति आवश्यक हैं। प्रारंभत: 2 करोड़ रुपये की लागत से 3000 वीएचपी का एक टग से ही शुरू किया जाय । अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय लगभग 29.5 लाख रुपये होगा जिसमें मूल्य ह्रास तथा ब्याज भी शामिल होगा । परन्तु उसमें सीधे खर्च जैसे ईंधन, पत्तन प्रभार आदि शामिल नहीं होंगे । इस विषय पर पोत मालिकों से कई बैठकों में विचारविमर्श किया गया यह जानने के लिए कि क्या वे सब इस संगठन की स्थापना में रुचि रखेंगे । परन्तु वे इस संबंध में उत्सुक नहीं थे क्योंकि इसकी वाणिज्यिक शक्यता पर पूरा भरोसा नहीं था । इसके बाद यह निश्चय किया गया कि इसे सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने की संभावनाओं की और खोज की जाय । इस परियोजना के बारे में ब्योरेवार तकनीकी तथा वित्तीय जानकारी इकट्ठा करना भी आवश्यक समझा गया । उदाहरणार्थ, आवश्यक टगों का प्रकार, हिन्द-महासागर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में गत कुछ वर्षों से समुद्र में हताहत होने वाले भारतीय तथा विदेशी जहाजों की संख्या, गत कुछ वर्षों में जहाजी कम्पनियों द्वारा उद्धार नौकर्षण कार्यवाही पर किया गया वास्तविक व्यय, प्रस्तावित उद्धार संगठन का अनुमानित राजस्व और व्यय इत्यादि । उद्धार संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सारी संबंधित जानकारी के एकत्रित किये जाने तथा उसके निर्धारण किये जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

Inclusion of Independent Members of Parliament in Consultative Committees

5462. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of Parliamentary Affairs be pleased to state :

(a) the manner in which Independent Members of Parliament would be included in the Consultative Committees being constituted for various Ministiers ;

(b) whether any rules have been framed for their nomination ; and

(c) whether any quota has been fixed for inclusion of these Members in each of the said Committees ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghuramaiah) : (a), (b) and (c) : The Independent Members (not belonging to any particular Group) were addressed to give their preferences for serving on Consultative Committees. On the basis of the

information received, they have been included in the Committees. No separate rules have been made for nomination of independent members on these Committees. Care has ben taken to see as far as possible, that every independent member is represented in one Committee of his choice.

बिहार में गंडक नदी पर डुमरिया पुल

5463. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **नौवहन तथा पारवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गंडक नदी पर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 28 पर डुमरिया पुल का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) पुल का कार्य पूरा होने में कितना समय लगने का अनुमान है ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). जी, हां । ठेकेदार द्वारा कुओं के धीमी गति से खोदने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है ।

(ग) राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि पुल दिसम्बर 1970 तक पूरा हो जायेगा ।

Visits of Delegations of Members of Parliament Abroad

5464. **Shri Prem Chand Verma** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Members of Parliament with their respective parties, who went abroad officially as Members of Delegations and for other purposes during the year 1968-69 ; and

(b) the expenditure incurred by Government on these Delegations ?

Minister of Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) : (a) and (b) : Informaation is being collected from the Ministry of Finance, who are concerned with the subject and will be laid on the Table of the House in due course.

दिनाँक 25 जुलाई, 1969 के अताराँकित प्रश्न संख्या 999 और दिनाँक 8 अगस्त 1969 के अताराँकित प्रश्न संख्या 2735 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण

STATEMENTS CORRECTING ANSWERS TO USQ Nos. 999 DATED 25-7-1969 AND 2735 DATED 8-8-1969

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एम० रामास्वामी): लोक सभा में 25 जुलाई, 1969 को दिल्ली महानगर परिषद् द्वारा, संसद द्वारा विचार तथा पारित किये जाने के लिए भेजे गए विधेयक से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या 999 के उत्तर में प्रस्तुत विवरण के स्तम्भ 4 में, प्रविष्टि संख्या 9 के सामने, इस प्रकार बताया गया था :—

"They had advised the Delhi Administration in January, 1969 to revise the Bill to cover certain other aspects of the law and obtain the recommendations of the Metropolitan Council to the revised Bill. Further communication from the Administration is awaited."

यह इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिये :—

"The Bill is being processed by the Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing and Urban Development. They had advised the Delhi Administration in January, 1969

to revise the Bill to cover certain other aspects of the law and obtain the recommendations of the Metropolitan Council to the revised Bill. Further communication from the Administration is awaited."

मुझे यह कहते हुए खेद है कि मास्टर अमीर चन्द, भाई बाल मुकन्द और मास्टर अवध बिहारी की फांसी की तारीखों के बारे में लोक सभा में 8 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2735 के उत्तर में दी गई जानकारी में संशोधन आवश्यक है क्योंकि इस बारे में कुछ नई जानकारी प्रकाश में आई है, भाई बाल मुकन्द और मास्टर अवधि बिहारी को भी 8 मई, 1915 को हीं दिल्ली में फांसी दी गई थी न कि 11 मई, 1915 को जैसा कि 8 अगस्त, 1969 को दिये गये उत्तर में बताया गया था ।

पश्चिम बंगाल से आये अध्यापकों के बारे में

Re. TEACHERS FROM WEST BENGAL

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ रेड्डी, बिड़ला जांच के बारे में वक्तव्य ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : उठे ..

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं रेलवे मंत्री के बारे में मामला उठाना चाहता हूं । पश्चिम बंगाल से आये 2000 अध्यापकों को रेलवे कर्मचारियों ने परेशान किया, यातनाएं दीं और उन्हें अपमानित किया गया । उन्होंने अध्यापकों को, जिनमें अध्यापिकाएं भी थीं, 24 घंटे तक खाने और पानी के बिना रखा गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रेलवे मंत्री को अपने उन कर्मचारियों के आचरण के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये जिन्होंने अध्यापकों का अपमान किया है (**अन्तर्बाधाएं**) मैंने इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है । आप इस तरह सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें । यह बहुत बुरी बात है . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report of the National Labour Commission

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : I beg to lay on the Table a copy of the Report of the National Labour Commission , 1969. [*Placed in the Library. See No. LT*-1882/69]

भारत की प्रेस परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री इ० कु० गुजराल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रैस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत भारत की प्रैस परिषद्

के वर्ष 1968 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--1883/69]

(2) भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का भारत में समाचार पत्रों के बारे में वर्ष 1969 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1) की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--1883/69]

भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन (दूसरा संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2482 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन (तीसरा संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2889 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन (चौथा संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2944 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--1884/69]

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (नियन्त्रण बोर्ड) आदि नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत लेखे तथा आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध का हाथ में लेना) अधिनियम, 1966 की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी (नियन्त्रण बोर्ड) नियम, 1966 का हिन्दी संस्करण जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1159 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) जयन्ती शिपिंग कम्पनी (नियन्त्रण बोर्ड) संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांका 26 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1006 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को कारण बताने वाला एक विवरण

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–1885/69]

(2) (एक) वाणिज्यक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत जो नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1966–67 के प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपरोक्त लेखे सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०–1886/ 69]

(3) निम्नलिखित विवरण जिनमें लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान जो प्रत्येक के सामने दिखाए गए हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शायी गई है :—

(एक) विवरण संख्या ।	आठवां सूत्र, 1969 (चौथी लोक-सभा)
(दो) अनूपूरक विवरण संख्या 5, 6,7 और 8	सातवां सत्र, 1969 (चौथी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 6	छठा सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 13	पांचवां, सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 19	चौथा सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 14	तीसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 21	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या 16	सोलहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1887/69]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री प्रं० च० सेठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1832 की एक प्रति जो दिनांक 2 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1963 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–1888/69]

कम्पनी अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षित लेख

खाद्य तथा कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डा० एरिंग) : मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा के अन्तर्गत बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड पटना, के 1967–68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–1889/69]

हिन्दी के प्रसार तथा विकास के कार्यक्रम का मूल्यांकन प्रतिवेदन

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये उसके उत्तरोत्तर प्रयोग के कार्यक्रम के बारे में वर्ष 1968–69 के वार्षिक मल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंपेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०––1890/69]

अल्पसूचना प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के लिए दिये गये आश्वासन के अनुसरण में वक्तव्य

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं डाक थैले में छिपे एक बम के विस्फोट के बारे में अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5 पर अनुपूरक प्रश्नों के दौरान 14 अगस्त, 1969 को दिये गये अपने आश्वासन के अनुसरण में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं । जिसमें कलकत्ता महा डाकघर में बम विस्फोट ग्रस्त दिनांक 8 अगस्त, 1969 के पार्सल बैग संख्या 1 में शामिल बी०पी० पार्सलों और साधारण रजिस्टर्ड पार्सलों का विवरण दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०––1891/69]

Report of the P.C. Borooah Committee, Certified Accounts of the Cardamom Board and Cardamom (Licensing and Registration) Amendment Rules, 1969

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Report of the P.C. Borooah Committee on the Tea Industry (November, 1969) [Placed in Library. *See* No. LT-1892 (69].

(2) A copy of the certified Accounts of the Cardamom Board for the year 1967-68 together with the Audit Report thereon, under Sub-Section (4) of Section 19 of the Cardamom Act, 1965, [Placed in the Library. *See* No. LT-1893/69]

(3) A copy of the Cardamom (licensing and Registration) Amendment Rules, 1969 published in Notification No G. S. R. 1936 in Gazette of India dated the 16th August, 1969 under sub section (3) of section 33 of Cardamom Act, 1965. Placed in Library. See m.LT 1893/69]

वार्षिक योजना 1969–70 और वार्षिक योजना प्रगति प्रतिवेदन 1967–68

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वार्षिक योजना, 1969–70

(2) वार्षिक योजना प्रगति प्रतिवेदन 1967–68 ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1894/69]

संसदीय समितियां

PARLIAMENTARY COMMITTEE

कार्यवाही का सारांश

श्री भालजीभाई परमार : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 51वीं से 54वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

श्री एम तिरूमल राव : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं

(1) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय–कोसी तथा गंडक परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्रमश: 68वां और 75वां प्रतिवेदन ।

(2) रेलवे मंत्रालय–रेलवे विद्युतीकरण परियोजनायें–के सम्बन्ध में 70वां प्रतिवेदन ।

(3) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग (लेखन सामग्री प्रभाग)—के सम्बन्ध में 72वां प्रतिवेदन ।

(4) नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय–तृतीय नौवहन—के सम्बन्ध में 73वां प्रतिवेदन ।

(5) नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय—अन्तर्देशीय जल परिवहन—के सम्बन्ध में 74 वां प्रतिवेदन ।

(6) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग (मुद्रण विभाग)—के सम्बन्ध में 83वां प्रतिवेदन ।

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 11वीं बैठक का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 13 अगस्त, 1969 को पास किये गये दिल्ली उच्चन्यायालय

(संशोधन) विधेयक, 1969 से राज्य सभा अपनी 26 अगस्त, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 12 अगस्त, 1969 को पास किये गए दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक, 1969 से राज्य सभा अपनी 26 अगस्त, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 25 अगस्त, 1969 को पास किए गए विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1969 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(चार) कि लोक-सभा द्वारा 26 अगस्त, 1969 को पास किये गए विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1969 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दिखाई गई अवधि के लिये लोक-सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी है :—

(एक) निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने दिखाई गई अवधि के लिए लोक-सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई :—

(1) श्री वी० वाई० तामस्कर

(2) श्री शशि रंजन

(3) श्री एस० सी० बेसरा

(4) श्री पाशाभाई पटेल

(5) श्री ई० के० नायनार

(6) श्री वीरेन शाह

सभा ने यह सिफारिश भी की है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधि के लिए (श्री झा सुन्दरलाल) की अनुपस्थिति का मार्जन किया जाये ।

मैं यह समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : सब सदस्यों को तदानुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

सरकार की शिक्षा नीति और शिक्षा के लिये धनराशि के नियतन के सम्बन्ध में याचिका

PETITION RE. GOVERNMENT'S EDUCATION POLICY AND ALLOCETION OF FUNDS FOR ADUCATION

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं भारत सरकार की शिक्षा नीति और शिक्षा के लिए धन राशि के नियतन के संबंध में श्री सुशील देवदास, अखिल बंगाल प्राथमिक अध्यापक संघ तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस बारे में यह निवेदन करूंगा कि आप रेलवे मंत्री को वक्तव्य देने के लिये कहें ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति की क्रियान्विति के लिये जांच आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE. SETTING UP OF COMMISSION OF INQUIRY ON ADMINISTRATION OF INDUSTRIAL LICENSING POLICY

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : जैसा कि सभा को मालूम है श्री एस० दत्त की अध्यक्षता में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने दो प्रतिवेदन दिये हैं । एक प्रतिवेदन औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में है और दूसरा बिड़ला उद्योग समूह के विरूद्ध लगाये आरोपों से है । ये दोनों प्रतिवेदन सभापटल पर रख दिये गये हैं । औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है और शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा । बिड़ला उद्योग समूह के विरूद्ध आरोपों के बारे में समिति ने कहा है कि उनकी जानकारी में कुछ ऐसी बातें आयी हैं जिन से स्पष्ट होता है कि कुछ बड़े उद्योग समूहों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है । इस संबंध में उसने पूरी जांच नहीं की है ।

सरकार के विचार में दत्त समिति द्वारा उठाये गये विषय बहुत महत्व रखते हैं । इस लिये यह निर्णय किया गया है कि जांच अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक जांच आयोग बनाया जाये जो इन सब मामलों की जांच करे । आयोग के सदस्यों और उसके विस्तृत निर्देश पदों की शीघ्र ही घोषणा की जायेगी ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Why not against all ? Dutt Committee has levelled many charges against other also then why the proposed enquiry is being conducted against Birlas only. The enquiry should be conducted against all companies.

श्री शिव नारायण : बिड़ला, टाटा, साहू-जैन सब के खिलाफ जांच होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : विवाद आरम्भ नहीं करना चाहिए ।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय 28 जुलाई, 1969 को बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) विधेयक पर अपने भाषण के दौरान मैंने कहा था कि मेरे 10 अथवा 5000 शेयर हो सकते हैं । इस तथ्य को मैं ठीक करना चाहता हूं तथा बताना चाहता हूं कि मेरे शेयर 500 हैं ।

संयुक्त समितियों के प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना
EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORTS OF JOINT COMMITTEES

श्री रा० बरुग्रा (जोरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं

कि यस सभा पेटेंचो से संबंधित बिधि संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त स िति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को अगले संज्ञ के दूसर सप्ताह के प्रथम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती ह ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि यह सभा पेटटों से संबंधित विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा ।

The Motion was adopted

श्री ग्र० कु० चन्दा (भोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हुं :—

कि यह सभा अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां की सूचियां में कतिपय जातियां तथा आदिम जातियों को सम्यिलित करने और उन्हें उनसे निकालये उनके प्रतिनिधित्व के पुन: समायोजन तथा संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुन : सीमांकन जहां तक यह पुन : समायोजन तथा पुन : सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां को सूचियां से निकालनें अथवा उसनें सम्मिलित करने के परिणामस्वरुप आवश्यक हो, तथा तत्सम्बन्धी विषयां का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समथ को अगले सत्र के प्रथम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने और उन्हें उनसे निकालने उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सूचियों से निकालने अथवा उसमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो, तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के प्रथम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा ।

The motion was adopted.

उत्तर प्रदेश विधान सभा की घटनाओं के बारे में
RE : HAPPENINGS IN U.P. VIDHAN SABHA

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर प्रदेश विधान सभा में हुई घटनाओं पर यहां चर्चा की जानी चाहिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर हमने विचार किया था और उसके बाद मैंने यह निर्णय किया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के मामले को यहां पर न उठाया जाये। अब हम बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक को लेंगे। (**व्यवधान**)

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawah) : Kindly allow us to discuss the happenings in U.P'. Assembly.

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : वहां पर संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई है। हम उस पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं। अध्यक्ष के व्यवहार के बारे में हम कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस सभा में पश्चिमी बंगाल विधान सभा की घटनाओं पर चर्चा की अनुमति क्यों दी गई थी ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे इसकी पृष्ठभूमि पुन: बतानी होगी ? कल यह तय हुआ था....

Shri Kanwarl Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, when a discussion on the happenings of West Bengal was allowed here why a similar discussion is not being allowed in the case of U.P.

अध्यक्ष महोदय मैंने कल अपनी राय दी थी। हम विधान सभा के नियमों पर चर्चा नहीं कर सकते। हमें कुछ परम्पराएं बनानी चाहिये। मैंने इस विषय पर निर्णय करने से पूर्व दलों के नेताओं की बैठक बुलायी थी। उसमें आम राय यही थी कि हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री उमानाथ : यह उचित नहीं है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हमारे दल की ओर से श्री समर गुह ने बैठक में भाग लिया था। मझे उन से पता चला है कि वहां पर यह निर्णय किया गया था कि आप से प्रार्थना की गई थी कि इस विषय को यहां पर उठाने की अनुमति दें। हम अध्यक्ष के बारे में कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे। मुझे यह बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी बात कही गई है तो मुझे उसका बड़ा खेद है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं बार-बार माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि कोई गलत चीज पहले हो गई है तो, क्या हमें उसी प्रकार का गलत काम पुन: करना चाहिये। जो कुछ वहां पर हुआ है मैं उसे ठीक नहीं समझता। हमें इतने अधिकार नहीं ले लेने चाहिये कि हम विधान सभा के अध्यक्षों के व्यवहार पर यहां चर्चा कर सकें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): कुछ विधायकों को बुरी तरह पीटा गया है। उनकी घड़ियां छीन ली गई हैं। यह पुलिस ने किया है..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं होगा कि हम उनके विरूद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव पारित करें और वे हमारे विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव करें।

श्री स० मो० बनर्जी : वहां पर श्री सी० बी० गुप्त की सरकार के कारण ऐसा हुआ है। हम उसे हटाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिये और तरीके हैं। आप वहां पर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं परन्तु उसको आप यहां पर नहीं ला सकते।

श्री उमानाथ : मैं कल की बैठक में उपस्थित था। आपने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के व्यवहार पर चर्चा नहीं करनी चाहिये। मैंने जब पश्चिम बंगाल विधान सभा के बारे में चर्चा की याद दिलायी तो आपने कहा कि गलती हो गई थी और वह दोहरायी नहीं जानी चाहिये। हमने अपनी सहमति प्रकट नहीं की थी। अन्त में यही निर्णय किया गया था कि हम यह प्रश्न उठायेंगे परन्तु अब आप उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। अतः अब यह एक बुनियादी प्रश्न बन गया है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप चाहें तो नई परम्परायें स्थापित कर सकते हैं। हम समझते हैं कि संसद में इस पर विचार किया जा सकता है। विधान सभा में पुलिस को बुलाना ठीक नहीं है और इसका कोई समर्थन भी नहीं करेगा।

यही कारण है कि हम इस विशिष्ट मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश सभा के अध्यक्ष के आचरण पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहते परन्तु वहां सभा के अन्दर हुई घटनाओं के बारे में हमें गहरी चिन्ता है और इसलिए मेरे विचार में इस मामले पर यहां चर्चा करना उचित है।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): The Speaker of the U.P.Assembly and chief Minister of the said State has admitted that police has committed excesses and both of them have apologised for it. Every hon.Member of the Assembly has a constitutional right to be present in the Assembly and say whatever he wants to say. It is a violation of the constitutional right of the Member if he is removed from the Assembly forcibly by the police. In such circumstances we have the right to discuss the matter here in this House.

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawah) : We have the constitutional right to raise the matter regarding the excesses committed by the U.P. police in the Assembly. The hon. Members of the Assembly were not only thrown out of the House but were also deprived of their watches and pens. I would, therefore, request you to ask the hon. home Minister to give the detailed statement in regard to those happenings.

श्री स० कुन्दू (बालासौर): वहां पर बहुत महत्वपूर्ण घटनायें घटी है। संविधान का उल्लंघन किया गया है। इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि हम अध्यक्ष के आचरण पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप हमें जनता की ओर से अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जब पंजाब में ऐसी घटनायें घटी थीं तो आपने स्वयं इस सभा में कहा था कि गृह-कार्य मंत्रालय को वक्तव्य देना चाहिये। पश्चिमी बंगाल सभा में घटी घटनाओं के बारे में भी यहां पर चर्चा हुई थीं, हमने उस समय इस बात का विरोध किया था परन्तु यह निर्णय किया गया था कि उन घटनाओं पर यहां चर्चा होनी चाहिये। तीन दिन तक उस पर चर्चा हुई थी। अतः आपकों दोहरा स्टैन्डर्ड नहीं अपनाना चाहिये।

श्री सेझियान (कुम्बकोजम): मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में घटी घटनाओं पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। पश्चिमी बंगाल विधान सभा में घटी घटनाओं के बारे में भी मैंने अपने दल की ओर से बोलते हुए यही कहा था कि हमें उन घटनाओं पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने यह भी कहा था कि यदि किसी विधान सभा में हमारे आचरण पर चर्चा करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाये तो हमारी स्थिति क्या होगी। परन्तु इन सब बातों के बावजूद पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर पांच घंटे तक यहां पर चर्चा हुई। अतः इस प्रकार एक पूर्वोदाहरण स्थापित कर दिया गया है। अब हमें विश्व पर ऐसा प्रभाव नहीं होने देना चाहिए कि जब किसी गैर-कांग्रेसी राज्य में बुरी घटनाएं होती है तभी संसद् में उस पर चर्चा होती है, अन्यथा नहीं।

वहां के अध्यक्ष के आचरण पर हमें कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो आप उस को रिकार्ड से निकालने के लिए कह सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश विधान सभा में घटी घटनाओं पर चर्चा के लिए अनुमति देनी चाहिए क्योंकि दोहरा स्टैंडर्ड स्थापित करना उचित नहीं है।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) ; Precedents have already been established when we discussed the developments which took place in Punjab and West Bengal Assemblies. I think this House must consider the happenings of the State Assemblies and it is our right also. I will therefore request you to allow us to raise this discussion here.

श्री रंगा (श्री माकुलम): विधान मण्डलों में अध्यक्ष पीठासीन प्राधिकारी होता है और बाह्य लोगों को उसके तथा सदस्यों के आचरण पर अपने विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए क्य.कि इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। हम नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में वास्तव में क्या घटनाएं घटी हैं परन्तु अध्यक्ष जो कुछ करना चाहते थे उससे बहुत से सदस्य असंतुष्ट हो गये थे। अध्यक्ष की बात को मानना अथवा न मानना सदस्यों के विशेषाधिकार में शामिल है। यदि सदस्य अध्यक्ष की बात को नहीं मानने और उचित ढंग से व्यवहार नहीं करते तो अध्यक्ष मार्शल द्वारा अपने प्राधिकार का प्रयोग कर सकता है और ऐसा करने में मार्शल की असफलता पर वह पुलिस को बुलाने का परामर्श मार्शल को दे सकता है। हमारे विचार कुछ भी हो सकते हैं परन्तु हम इन बातों पर यहां निर्बाध रूप से विचार नहीं कर सकते। इस बात का निर्णय करना मतदाताओ का काम है कि कौन ठीक है अध्यक्ष अथवा सदस्य।

हमें संसद् सदस्यों तथा विधान मण्डलों के सदस्यों से अच्छे व्यवहार की आशा करनी चाहिए। हमें अपने व्यवहार का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अत: मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की घटनाओं पर यहां चर्चा उठाने की अनुमति न दी जाये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यदि आप आज सुबह इस बारे में एक वक्तव्य देते कि क्यों इस चर्चा को यहां नहीं उठाया जा सकता तो अनेक अशोभनीय बातों को रोका जा सकता था। आपको सारी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए थी ताकि यह प्रभाव न हो कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बारे में दोहरा स्टैण्डर्ड अपनाया जा रहा है। मेरे विचार में इसका एक कारण यह है कि हम उत्तर प्रदेश से पूरी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं जिसके आधार पर यहां पर चर्चा की जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां पर घटी घटनाओं के बारे में स्वेच्छा से केन्द्रीय सरकार को सूचित किया था। उत्तर प्रदेश के मामलों में हमें इस प्रकार का आभास हुआ है कि वहां की सरकार वास्तविक जानकारी सपष्ट करने में असमर्थ है क्योंकि वहां के अध्यक्ष का सचिवालय यह जानकारी नहीं देना चाहता। अत: हम केवल समाचार-पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर ही चर्चा कर सकते हैं जो कि हम सब लोगों के हित में नहीं होगा। अत: मैं चाहता हूं कि आप कल तक एक वक्तव्य द्वारा समूची स्थिति को स्पष्ट कर दें कि क्यों आप इस चर्चा को इस सदन में उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल विधान सभा में घटी घटनाओं पर चर्चा उठाने का भी हम लोगो ने विरोध किया था। अत: मैं चाहता हूं कि इस गलत पूर्वोदाहरण को और आगे न चलाया जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I request that our calling attention notice may be accepted and the hon. Minister may make a statement thereon as was done in the case of Punjab.

श्री उमानाथ (पूदूकोटै): सरकार द्वारा हमें सूचित किया गया है कि वह कोई वक्तव्य नहीं दे सकते क्योकि राज्य सरकार ने उनको इन घटनाओं के बारे में सूचना देने से इन्कार कर दिया है। सरकार ने इस से पूर्व ऐसे ही कुछ मामलों में अपने तथा स्वतंत्र अभिकरणों से प्राप्त सूचना के आधार पर वक्तव्य दिये हैं।

इसे इस कारण अस्वीकार किया गया था कि यह विशेषाधिकार से संबंधित था। केवल कार्यवाही वृतान्त ही वहां से मंगाया गया है। विधान सभा का कार्यवाही वृतान्त सविशेषाधिकार दस्तावेज नहीं है।

दूसरे हम विधायकों के पीटे जाने को सहन नहीं कर सकते चाहे नियम कुछ भी हों और किसी को कुछ भी शक्ति प्राप्त हो, यह उल्लेखनीय है कि लगभग 200 पुलिस के सिपाही वहां लाए गये थे और उन्हें विरोधी सदस्यों को पीटने के लिये कहा गया था। ऐसा करने का कारण यह बताया गया है कि $2\frac{1}{2}$ बजे मतदान होना था। सत्तारूढ़ दल को किसी भी समय तुरन्त मतदान के लिये तैयार रहना चाहिये। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दल की असफलता के लिये विधायकों को पुलिस की मार सहनी चाहिये? हम इसे सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि इस पर यहां चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय : कल हमने इस पर चर्चा की थी और मैंने कहा था कि यदि हम विधान सभाओं में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करना शुरू कर देंगे तो इसका कोई अन्त ही नहीं होगा। विधान सभाओंमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें मैं अच्छी नहीं समझता। यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे हमेशा के लिये जारी नहीं रखना चाहिये। कल की बैठक मे मैंने उन्हें यही कुछ बताया था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि मुझे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस मामले पर चर्चा करने दीजिये। क्योकि उसमें ही इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। मैंने यह भी कहा था कि मैं इस मामलें मेउनकी विचारधारा को पूरी तरह से उस सम्मेलन के समक्ष रखूंगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): यदि सदस्यों के विचार जान लिये जायें तो आपको सम्मेलन के सामने हमारे विचार रखने में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्हंने मुझसे कहा था कि वे इस पर विचार करना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया था कि जिस रूप में वे इस पर विचार करना चाहते हैं मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा प्रस्ताव पढ़िये। मैंने नियम 193 के अन्तर्ग प्रस्तावत दिया है···

अध्यक्ष महोदय : यदि सामान्य प्रशासन के बारे में कोई प्रस्ताव हो और यदि वह गुण-दोष के आधार पर ग्राह्य हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विधान सभा में जो कुछ हुआ है उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं। परन्तु हम उस पर यहां विचार नहीं कर सकते। यदि माननीय सदस्य इस बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना भेजें कि पुलिस ने विधान सभा में क्यों प्रवेश किया, तों मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं और मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिये कह सकता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बज कर 20 मिनट तकके लिये स्थगित हुई

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL TWENTY MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2बजकर 23 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT TWENTYTHREE MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

(श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K.N. Tiwary in the Chair)

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION ON DISAPPROVAL OF BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND BANARAS HINDU UNIVERSITY(AMENDMENT) BILL.

Shri Ram Dhan (Lalganj) : Shri Amin has said that Dr. Joshi was not in any way responsible for the happenings in the University campus. I want to read out from the report of the Committee to reinforce my claim :

> "It would have been better if the Vice-chancellor had delegated to the chief Proctor some relevant powers which would have enabled the chief Proctor to maintain discipline in the campus more effectively. This view receives considerable corroboration from the statement made by the University that the concentration of disciplinary powers in the Vice-chancellor alone has led to the slackening of administrative control."

It further says :

> "Failure to frame the relevant rules as required by sub-clause (5) appears to us to be a serious omission on the part of the Vice-Chancellor."

When these happenings took place he was attending the Commonwealth Conference in Australia. He did not delegate his powers to the Proctor or to anyother authority so that disciplinary action could be taken.

After the presentation of the report and the statement of the Education Minister before both the Houses of Parliament, RSS workers burnt the effigy of Shri Gajendragadkar. They were members of the Indian students Council. These students warned the Central Government that if they implemented the recommendations of the Gajendragadkar Committee, there would be bloodshed in the country. One of the students is reported to have said that he has the courage to shoot Ministers. These students were speaking at a meeting. A demand for eliciting public opinion on the rcommendations of the committee was also made in the said meeting. One of the Speakers said that Dr. Joshi was an incarnate of Pt. Madan Mohan Malaviya. He deprecated any action against Dr. Joshi.

This is what appeared in the "Nav Bharat Times" of 7th August, 1969.

Such are the views held by the RSS leaders and leaders of the Jana Sangh. That is why Shri Shri Chand Goel has moved a motion for disapproval of the Ordinance.

The Committee has held that the RSS as well as casteism is responsible for the sorry state of affairs in the University.

In the report evidence of a talented non-Hindi speaking student has been recorded. From that evidence also it has been made abundantly clear that RSSism and Casteism had been playing havoc with the peaceful functioning of the University.

The building, which is being used by RSS people for carrying on their activities, was not handed over to RSS by Pt. Madan Mohan Malaviya, as has been stated by Shri Jharkhande Rai who is an old student of this University, this is how they are Trying to create misunderstanding there.

Whatever happenings took place in the University campus, the RSS students had a major hand in them. The Vice-chancellor did not take any action against them and thus further encouraged them to indulge in acts of hooliganism, rape, looting. etc. A boy named Maqbool was caught for stealing in room No. 72 of Barocha Hostel. He was beaten severely and afterwards taken to the Chief Proctor. When they were returning they found that the boy is Muslim biggest then the RSS boys gave him so much beating that he succumbed to his injuries in the hospital. Our's is the demoracy in the world, and the culprits should be dealt with in accordance with law. A few people should not be allowed to take the law in their own hands. The saddest part of the incident is that instead the local authorities and the Vice-chancellor taking notice of the incident and holding an inquiry into it, the man who murdered this boy was promoted to the post of Assistant Proctor against the normal rules and regulations.

The Committee has found Dr. Joshi responsible for this incident and it has also found the expulsion of Shri Majumdar, Shri Sinha etc. as unlawful. Dr. Joshi adopted a policy of "divide and rule" and thus created rival factions among the students, the teachers and the staff.

Also Dr. Joshi tried his best to forestall the appointment of this Committee from fear of being exposed following an enquiry. I, therefore, request the hon. Education Minister to appoint a Reviewing Committee, as was done on the receipt of the Mudaliar Committee Repor. I want that the culprits should be condiguly punished.

For the extirpation of communalism from the Banaras Hindu University, it is essential that all the Managing Committees should be formed on secular basis. The appelation "Hindu" of this University has throffled the spirit of secularism in the campus of the University.

The Indian Institute of Technology was set up with the concurrence of the Edudcation Ministry and the Executive Council. But now the Vice-chancellor wants to wind it up, and he has misstated that the Education Minister had desired to wind it up. But now the Secretary of the Eduation Ministry has repudiated this statement. I want that this Institute should work as usual. The concessions and facilities accorded to the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes by Mahamana Malaviya Ji should be revived and representation given to them in the Managing Committees.

With these words, I support the Bill.

Shri Satya Narain Singh (Varansi) : Although the Bill is incomplete in Certain respects, I support it.

The purpose of constituting such a committee is to find out the facts and to take action in the light thereof. When the condition in the University got deteriorated, a Committee was set up under the Chairmanship of Shri Gajender Gadker. This Committee went deep into the facts and has brought many facts to light. I want that there should be a discussion on this report and its recommendations should be implemented fully. I also request the hon. Education Minister to enact such a legislation as may remove the causes of discontent and other discrepancies found in the affairs of the University.

Several incidents had come to light before the Committee was set up. The first incident was the murder of Maqbool, and it was followed by the election of another Union of Students expulsion of Shri Majumdar, Shri Narendra Sinha etc. and similar other incidents. All the happenings gave birth to an upheavel in the University. This Committee has taken evidence in regard to all these incidents and has expressed its grave concern over the murder of Maqbool. Secondly, this Committee has Clearly stated that the reason for expelling Sarvashri Majumdar, Narendra Sinha and Ravi Shanker was that instead of the elected person, they wanted to

appoint the defeated presidential candidate, Shri Damodar to the office of the president of their Union. Similarly, they took no action against the persons who misbehaved with the girls. These incidents caused great discontent among the professors, students and other employees working there. All the parents of girl students were afraid of sending their daughters to the University.

Secondly, the students belonging to various parts of the Country elected Shri Narendra Sinha as President of the Students Union. He got a thumping majority; but Shri Amar Chand Joshi conspired to appoint the defeated candidate in Shri Sinha's place, and for this purpose, he got Narendra Sinha expelled. The Librarian of the Central Library got the job by producing false degrees. The Committee which was presided over by Shri Joshi had recommended stringent punishment to the Librarian for forgery, but he is still occupying that position. No action has been taken to remove him. When the students who had threatened and beat the student-judges of the student's Court, which was set up to hold inquiry in the case of a girl, were about to be expelled from the University, Shri Joshi took favour with them and retained them in the University.

Thus Shri Joshi was responsible for creating such a poisonous atmosphere in the University. I want to know from the Education Minister how he can maintain a peaceful atmosphere in the University when the culprits continue to remain in the University in spite of their misconduct.

I would also like to know whether the Government have decided to take back Shri Sinha and other students whose expulsion from the University has been held improper by the Enquiry Committee. There will again be disturbances, if you open the University before taking a desision on the views expressed by the Committee. How can you maintain law and order and peace when you know that threats are being given to kill the Education Minister, and when the effigies of Shri Gajendra Gadker are being burnt.

I think the Education Minister should not be afraid of such things and should not surrender before such threats. He should take strict action against those unsocial elements and try to pacify the tense situation.

Secondly, you should appoint such a man as Vice Chancellor who is above groupism. Only such person should be taken into the Committee who can work without communal considerations and who may maintaince the prestige of this national University and strengthen the educational systems and create a healthy and peaceful atmoshphere. They should not be subjected to any sort of pressure. The expelled students should also be taken back.

With these words, I support the Bill.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): When the Government appoints a Judicial Committee to inquire into certain affairs, the people do not come forward to give evidence. The Gajendra Gadker Committee Report also mentions this fact. It would, therefore, be proper to appoint such Com- mittees or Commissions, the members of which could understand the general tendency of the people and who could, in such a particular situation, disguise themselves as common-men and elicit facts by meeting the students, professors and other teachers etc., otherwise the witnesses are threatened and they do not come forward for giving evidences out of fear or threat. Thus many cases are sent back by the higher courts for want of evidence.

So I suggest that the Government should take up this matter again and inquire into the whole affair effectively, otherwise this report is not a complete report to serve much useful purpose.

Secondly, the University should not have been closed merely because of the little trouble created by a few students. The reason is that on the closure of a University the students room about astray and create further trouble. The students should not be punished so much over trifles because it disturbs their studies. The Government should try to persuade the students and improve the educational system.

The Gajendra Gadker Committee has given a detailed report in regard to law and order. The U. P. Government should probe into those conditions which have led to the disturbances.

The report says that this University belongs to eastern U. P. and the Western Bihar. But do the Universities of West Bengal or the Shanti Niketan University not have a majority of local students ? It is quite natural that local people are always in majority. But the case of this university is quite different. In the days of scholars like Acharya Narendra Dev and Malviyaji, no untoward incident took place. Therefore, it is necessary now that you should give specific consideration in selecting Vice-Chancellor because he has great responsibility on his shoulder.

But I find that this bill provides that anybody can be appointed as a Vice Chancellor. There will not be any election in this regard. I think that Election is necessary and in its absence trouble may start again.

I want to say something about the expelled students also. It is my request that they should be warned only. They are our children. It will not be good to spoil their life.

The real trouble was started over a building. This building was presented by Malaviyaji for cultural activities. Now a dispute of its ownership has arisen. The Government should find out who is the owner of this building. There is a temple in the University and this is also a centre of trouble. It is my request. There is no passage by which a man can reach the temple without crossing through the precints of the University. Now only two courses are open. One is to construct a passage or to maintain status quo. I think that status quo may be maintained in this regard. The murder case of Maqbool Rizvi should be looked into. No institution may be taken to other place as has been suggested in the report but the activities of these institutions should be watched.

For discipline, the election system may be maintained. I have put an amendment that Central Government should keep an eye on it. The minister should be made responsible for the discipline and the administration of University. The Vice Chancellor should be a local man. He should be from Hindi knowing region so that they may have close contact with the students.

Mr. Chairman : Kindly continue tomorrow.

गैर-सरकारी सदस्यों कें विधेंयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तिरेपनवां प्रतिवेदन

श्री भालजीभाई परमार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 53वें प्रतिवेदन से, जो 26 अगस्त 1669 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 53व प्रतिवेदन से, जो 26 अगस्त 1669 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

वैदेशिक व्यापार सामान्य बीमा आदि के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

RESOLUTION: RE: NATIONALISATION OF FOREIGN TRADE, GENERAL INSURANCE, ETC.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, Firstly, I congratulate Shrimati Tarkeshwari Sinha who has moved such resolution by which she has stressed the need of Socialism. She has suggested to nationalize foreign trade, insurance, steel Industry, foreign capital etc. I have to say something on this resolution. There is no time limit prescribed for the programme. So it is a fraught with grave danger. In that case the Prime Minister will simply talk of Socialism but will not take any step to implement it. Why the foreign Banks have not been nationalised? The beginning should be started first by nationalising foreign Banks. Our Party wants that all big industries should be nationalised. As far as the nationalization of foreign trade is concerned, I will urge that first of all our trade with Communist Countries should be nationalised and afterwards the same process may be adopted with other countries. I support her suggestion for nationalising steel industry but a time limit should be prescribed for it.

There is a great drawback in this resolution for which we have put an amendment. In this resolution it is said that there should be a limit on the urban property but there is a great gap between income and consumption. In a bureaucratic Communism the property comes under the society but bureaucracy enjoy its fruits. So our amendment is that that there should be limit imposed on individual's consumption. Unless it is done, we cannot get our cherished goal.

On the one hand slogan in favour of Socialism is being raised and on the other hand negotiation is going on with Shanti Prasad Jain in regard to 'Times of India'. The matter has been dropped on account of our resistance.

श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए

Shri Vasudevan Nair in the chair

I am pleased that the court has given judgement against Shri P. K. Roy. If such vigilance is shown by the House then the Government cannot form collusion with Capitalists.

The matter of Asian Cables was raised here. This is the Company of Shri K. P. Goenka. We have levelled charges against these Companies. They have violated all the laws and sold the imported raw material at high prices in the market. We have raised our voice against the Collusion with Shri K. P. Goenka and Birla Companies several times. Now the Government gave an ear to us but still there is doubt over terms of reference.

At the end, I will enquire why action is not being taken regarding the Privy Purses. The assurance for abolishing the Privy Purses was given some time back but nothing has been done so far. I support the resolution of Smt. Tarkeshwari Sinha. I also request her not to give support to Shri S. K. Patil and shri Nigalingappa. She should join the Progressive People who believe in Socialism. It is my appeal to the young blood in Congress to leave the Congress and join us.

श्री दामनी (शोलापुर) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। इतनी सारी चीज़ों के राष्ट्रीयकरण से एक साधारण व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंच सकता है ? इसके विपरीत मैं समझता हूं कि इससे देश को हानि ही होगी और आम जनता को कोई लाभ नहीं होगा।

हमारी सरकार ने बड़े सोच विचार के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है और इस नीति से पिछले कुछ वर्षों में काफी लाभ पहुंचा है। आवश्यकता राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने की केवल राष्ट्रीयकरण से काम नहीं चलेगा।

हमारा देश एक विकासशील देश है और इस कारण हमारा आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक है। अतः देश की वित्तीय दशा सुधारने के लिये हमें अपने निर्यात को बढ़ाना होगा। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनपर ग़ौर किया जाना चाहिये। इस समय सरकार बहुत सारी वस्तुओं का आयात सरकारी अभिकरणों के द्वारा करती है। किन्तु, जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है निर्यात एक बहुत कठिन कार्य है। हज़ारों वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और इसके लिये विशेष ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता है जो राष्ट्रीयकरण करके कुछ एक कम्पिनयों द्वारा नहीं किया जा सकता। हमारा व्यापार संतुलन जो कुछ वर्षों से हमारे पक्ष में नहीं था अब संतुलित हो गया है। और अप्रैल, 1969 में 7.60 करोड़ रु० का निर्यात व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था। हमारा निर्यात व्यापार बढ़ता जा रहा है अतः यह आवश्यक है कि वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाये।

हमारे देश में इस्पात के कारखाने सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने अपेक्षाकृत अधिक अच्छे चल रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों के इस्पात कारखानों में हमें प्रतिस्पर्धा बनाये रखनी चाहिये।

मैं इस संकल्प का विरोध करता हू।

श्री समर गुह (कंटाई) : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा का यह संकल्प उन लोगों के लिये चुनौती है जिन्होंने स्वतन्त्र आत्मा के साथ श्री गिरि को मत दिया था और यदि अब वे इस संकल्प के पक्ष में मत नहीं देते तो उनके लिये यह एक राजनैतिक अनैतिकता होगी। यदि उन्होंने ऐसा किया तो देश में इसका क्या प्रभाव होगा ? ऐसा समझा गया था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके समर्थक यथापूर्व स्थिति, रूढ़ीवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध थे। कांग्रेस के बाहर जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने भी समझा था कि इस विवाद से एक ऐसी नई शक्ति उभरेगी जो लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेगी।

इस संकल्प के प्रति उनके रवैये से पता चल जायेगा कि क्या वे वास्तव में सामाजकि क्रान्ति का रास्ता अपनाना चाहते थे। प्रधान मंत्री और कांग्रेस में उसके समर्थकों को, या तो सामाजिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करना चाहिये अथवा राजनैतिक अनैतिकता के लिये अपने आप को दोषी मानना चाहिये। आजकल नक्सलवादी जनता की निर्धनता, उनकी निराशा और उनके असंतोष का लाभ उठाकर उन्हें भड़काते हैं। नक्सलवादियों की कार्यवाहियों को एक व्यापक समाजवादी कार्यक्रम द्वारा ही दबाया जा सकता न कि दाण्डिक उपायों द्वारा।

अब समय आ गया है जबकि देश में केवल दो राजनीतिक दल होने चाहिये। एक दल में सभी समाजवादी हों और दूसरे में सभी रूढ़ीवादी।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपनी पुस्तक "इन्डियन स्ट्रगल" में लिखा है कि कांग्रेस के अन्दर कमज़ोरी यह है कि यह हमेशा ही किसानों और जमीदारों, श्रमिकों और पूंजीपतियों के हितों की सौदेबाज़ी करती है। कांग्रेस के अन्दर यह जो परस्पर विरोधी चीज़ है, अब यह

जो फूट पड़ी है इसकी प्रतिक्रिया देश में अवश्य होगी अब यदि शीघ्र समाजवादी विधान नहीं लाये गये तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस समाप्त हो जायेगी ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : महोदय, सभा को यह अच्छी तरह ज्ञात है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना है । वास्तव में इस सिद्धांत को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और इस दिशा में कई कदम उठाये जा चुके हैं । विभिन्न औद्योगिक नीति संकल्पों तथा अन्य कारगर नीतियों के द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया गया है यही नहीं हम ने देश में एक ऐसा आधार तैयार किया है जिससे प्रतिरक्षा तथा प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी हमें आत्म विश्वास प्राप्त हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि न केवल खनन क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जहां गैर सरकार पूंजी नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए आगे न आये वहां नई तथा बड़ी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये। अतः इसी नीति के अनुसरण में हम सब नये इस्पात कारखानों को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया है। हमारे औद्योगिक निति संकल्प में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि नया इस्पात कारखाना केवल सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित किया जायेगा तथा "डिस्को" और "इस्को' को यदि वे ऐसा करना चाहें तो थोड़ा बहुत नाम मात्र का विस्तार करने की ही अनुमति दी जायेगी । सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार पर है।

इस दृष्टि से हम उस दस सूत्री कार्यक्रम से भी आगे बढ़ गये हैं, जिसका माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है। दस सूत्री कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख है कि बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण हो। परन्तु हम इस से भी आगे बढ़ गये हैं और हमने बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

माननीय सदस्या ने अपने संकल्प में जो विभिन्न प्रस्ताव रखे हैं अब मैं उन के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा । उन्होंने अपने संकल्प में विदेशी व्यापार, सामान्य बीमे और इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण तथा भारत में समस्त विदेशी पूंजी को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने, नगरीय सम्पत्ति पर सीमा निर्धारित करने तथा विमुद्रीकरण द्वारा काले धन को समाप्त करने की मांग की है ।

जहां तक विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है हम इस दिशा में उचित कार्यवाही कर रहे हैं । प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में कहा था कि जबकि समूचे आयात तथा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है, हम कच्चे माल की आयात के राष्ट्रीयकरण पर विचार कर सकते हैं। संभव है इस से हमें सामूहिक सौदेबाजी में लाभ हो।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है हाल में विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा यह निर्णय किया गया है कि उस कच्चे माल सहित जिस का आयात गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता रहा है, अधिकांश कच्चे माल का आयात राज्य व्यापार निगम अथवा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा । इस निर्णय की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक राजकीय व्यापार किये जाने वाले आयात तथा निर्यात का सम्बन्ध है, राज्य व्यापार निगम अथवा खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य उपक्रमों, जिनमें माल तैयार किया जाता है, के निर्यात में वृद्धि

हुई है। इनके द्वारा वर्ष 1666-67 में 114.98 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया था तथा वर्ष 1667–68 में 139.02 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया था, जबकि वर्ष 1668–69 में 199.21 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया है। इस से सिद्ध होता है कि हमारे निर्यात मे वृद्धि हो रही है।

जहां तक निर्यात व्यापार का सम्बन्ध है, हमें इस बात को भी देखना है कि निर्यात व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिस से विदेशी मुद्रा की कोई हानि नहीं होती है। इस लिए अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी हम ने इस दिशा में बहुत सावधानी से अग्रसर होना है ताकि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर जो कि पहले ही कठिन है, कोई और कुप्रभाव न पड़े और वह और अधिक खराब न हो जाये। फिर भी हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे है तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के निर्यात को बढ़ावा दे रहे है। परन्तु साथ ही हम कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते हैं जिस से हमारे विदेशी मुद्रा के साधनों पर कुप्रभाव पड़े और विदेशी मुद्रा की आय कम हो जाये।

आयात के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1966–67 में राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु निगम द्वारा किये गये आयात का मूल्य 93.43 करोड़ रुपये था, और वर्ष 1967-68 में किये गये आयात का मूल्य 144.43 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1968–69 में किये गये आयात का मूल्य 137.34 करोड़ रुपये था। इस के अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुल आयात का 20 प्रतिशत खाद्यान्नों का आयात होता है, जिसे केवल सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा किये जाने वाले अन्य आयातों को शामिल करने के बाद कुल आयात का 60 प्रतिशत आयात सरकारी क्षेत्र द्वारा कया जाता है। विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा हाल में किये गये निर्णय के फलस्वरूप सरकार द्वारा किये जाने वाले आयात की प्रतिशतता में और भी वृद्धि होगी।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है इस बारे में भी मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के हतु हम ने कई कदम उठाये हैं। उदाहरण के तौर पर अब इस्पात का निर्यात सीधा हिन्दुस्तान स्टील द्वारा किया जाता हैं तथा गर-सरकारी क्षेत्र को इस की अनुमति नहीं दी जाती है।

अत: व्यापक राष्ट्रीय हित को देखते हुए हम इस दिशा में अग्रसर होंगे ताकि जहां तक आयात का सम्बन्ध है उसे धीरे-धीरे पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में लिया जा सके। परन्तु जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा के मामले में हम पहले ही कठिनाई में हैं, और हम एसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिस से विदेशी मुद्रा और भी खराब हो जाये।

जहां तक इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य का ध्यान वर्ष 1948 तथा 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प की ओर दिलाना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मैंने दस सूत्री कार्यक्रम को जिसका माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया था, भी देखा है। दस सूत्री कार्यक्रम में कहीं भी इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में स्पष्टतया इस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकार की सामान्य नीति पुरानी गैर-सरकारी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने तथा प्रतिकर के रूप में भारी राशी देने की बजाय सामरिक तथा महत्वपूर्ण उद्योगों में नई क्षमतायें स्थापित करने की होगी।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी का लाभ कम होता जा रहा है। वर्ष 1965-66 में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा 6.50 करोड़ रूपये का लाभ कमाया गया था, जोकि वर्ष 1967-68 में घट कर केवल 0.50 करोड़ रुपये रह गया है इसी प्रकार टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का लाभ भी उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि पुरानी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्रीय संसाधनों को बरबाद करने की बजाये सरकारी क्षेत्र में नये एकक स्थापित करने के लिए पूंजी का विनियोजन करना कहीं अधिक लाभप्रद है ।

बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण हम ने पहले ही आरम्भ कर दिया है देश के विभिन क्षेत्रों से इस्पात उद्योग की स्थापना की मांगें की जा रही हैं। इस समय इस्पात उद्योग देश के एक विशेष क्षेत्र में ही केन्द्रित है। इस लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहे अर्थात गोआ, मैसूर, बस्तर तथा अन्य क्षेत्रों में इस्पात कारखानों की स्थापना करना जरूरी। अतः पुराने कारखानों का राष्ट्रीयकरण करके प्रतिकर के रूप में राष्ट्रीय धन को बर्बाद करने की बजाय सरकारी क्षेत्र में और अधिक नये एकक स्थापित करना कहीं बेहतर है। लगभग प्रत्येक राज्य से इस्पात संयंत्र स्थापित करने की मांग की जा रहीं है।

अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए, इन दो पुराने एककों का जिनमें लाभ उत्तरोत्तर घटता जा रहा है राष्ट्रीयकरण करने में संसाधनों का विखंडन करना दूरदर्शिता की नीति नहीं होगी। इस लिये मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करूंगा कि वह सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रख कर अपने प्रस्ताव पर विचार करें।

जहां तक शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर सरकार सक्रिय रुप से विचार कर रही हैं। यह कहना कठिन है कि इस में अभी कितना समय लगेगा लेकिन हम इस कार्यक्रम को शीघ्र तैयार करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। इस बारे में कई कठिनाइयां हैं। उदाहरणार्थ; शहरी सम्पत्ति में किन-किन वस्तुओं को रखा जाये। इस प्रश्न के सभी पहलूओं पर सभी दृष्टियों से विचार करना पड़ेगा ताकि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा इस प्रकार निर्धारित की जाये कि सरकार के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त शहरी सम्पत्ति पर अधिक तम सीमा लागू करने में एक और पहलू सामने आता है, उदाहरणार्थ अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद किसी व्यक्ति की शेष सम्पत्ति का क्या होगा उसे सरकार किस तरह अर्जित करेगी ? इस के लिये सम्पति का उचित रूप से मूल्यांकन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है और वे सही तौर पर अपना काम करते हैं और हमें ऐसे उपाय ढूंढने पड़ेंगे जिनसे अतिरिक्त सम्पत्ति को करों के माध्यम से एकत्रित किया जा सकेगा । इस प्रकार कर लगाने में विभिन्न कानूनी प्रश्न सामने आयेंगे, इसलिये शहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित करने के मामले में विभिन्न कानूनी पहलुओं आदि पर विचार करना पड़ेगा। हम इस बारे में कार्यक्रम बना रहे हैं, और उसे अन्तिम रूप देते ही सभा के समक्ष पेश करेंगे ।

जहां तक सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह दस-सूत्री कार्यक्रम में शामिल है, प्रश्न केवल वरीयता का है। सरकारी प्रत्याभूतियों में लगी 10 करोड़ रुपये की पूंजी के अतिरिक्त सामान्य बीमा पर लगाने के लिये लगभग 50 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध है। लेकिन यह स्थिति

जीवन बीमा में बिल्कुल उल्टी है, जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण में 1000 करोड़ रुपये की पूंजी लगायी गई थी और उसमें 100 करोड़ रुपये वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था थी जबकि सामान्य बीमा में केवल 5 करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि है और सामान्य बीमा में करारोपण के बाद केवल 3–4 करोड़ रुपये का लाभ होता है। इसलिये सरकार इस सभा के सामने एक विधान लायी थी जिसे वर्ष 1968 में पारित किया गया था और जो 1 जून, 1969 से लागू हो गया है। इसलिये सभा से मेरा अनुरोध है कि वह सामान्य बीमा के बारे में सामाजिक नियंत्रण के इस उद्देश्य के सम्बन्ध में विचार करे। सामान्य बीमा के बारे में और भी कई प्रश्न हैं, मेरा कहने का आशय यह है कि जीवन बीमा की तुलना में उसमें लाभ कम हैं और मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा है। इसलिये हम उसे निम्नतर वरीयता देना चाहेंगे।

जहां तक विदेशी विनियोग को अपने हाथ में लेने का सम्बन्ध है, ऐसा करने में भारी प्रतिकर देना पड़ेगा। विदेशी विनियोग के वर्तमान आंकड़े 1000 करोड़ रुपये तक है। इनमें से कुछ विनियोग हमारी अर्थव्यवस्था के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे हमारी इंजीनियरी, धातुकर्मक तथा अन्य उद्योगों में, विभिन्न योजनाओं में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनके लिये हमें विदेश से संयंत्र, उपकरण तथा मशीनरी मंगानी पड़ती है और तकनी की प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति देश में उपलब्ध नहीं हैं। कुछ विनियोजन ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व देश में स्थान ले लिया तथा और अब उद्घोषित नीति के अनुरूप नहीं हो सकते, इसीलिए सरकार की नीति विदेशी पूंजी के प्रवाह पर नियंत्रण लगाने और जहां तक सम्भव हो सके, तकनीकी ज्ञान का देश में ही विकास करने की है। अतएव ऐसी किसी योजनाओं के लिये जो राष्ट्रीय महत्व की न हों अथवा जो प्राथमिकता-प्राप्त नहीं हैं या जिनके लिये तकनीकी विशेषज्ञ देश में उपलब्ध हैं, विदेशी पूंजी को देश में नहीं आने दिया जायेगा।

जहां तक तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरणका सम्बन्ध है, हमने इन तेल कम्पनियों के साथ बातचीत की है। इस कारण शर्तों में काफी ढील बरती गई है। इस प्रश्न पर निरन्तर ध्यान रखा जा रहा रहा है।

जहा तक काले धन को विमुद्रीकरण के माध्यम से समाप्त करने का सम्बन्ध है, इस बारे में हमारा पुराना तजुर्बा जो 1946 में विमुद्रीकरण पर आधारित है, यह है कि इससे समस्या हल नहीं होगी क्योंकि पिछले दफा 138 करोड़ रुपये की मुद्रा में से 136.8 करोड़ रुपये की मुद्रा का विनिमय किया गया था। केवल 1.2 करोड़ रुपये बाहर से नहीं आये थे। इस समय 100 रुपये के नोट कुल मुद्रा के 45 प्रतिशत परिचलन में हैं, इसलिए इससे समस्या हल नहीं होगी। इसके अलावा काला धन केवल नोटों के रूप में लोगों के पास होगा, यह जरूरी नहीं है। संभव है ऐसे लोगों ने इस धन से मकान, जवाहरात तथा भूमि आदि खरीद ली हो। इसलिये ऐसा करने से काले धन का बाहर आना जरूरी नहीं है। काले धन की समाप्ति के लिए हम कर सम्बन्धी नियमों में बहुत कड़ाई से काम ले रहे हैं और करापवचन तथा धन छिपाने आदि के मामले में बहुत कठोर नियम बनाये गये हैं और सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि जहां तक सम्भव हो, ऐसे मामलों में मुकदमे दायर किये जाय, ताकि काले धन का निर्माण ही न हो।

अन्त में मैं कहूंगा कि ये उपाय निश्चित रूप से वही हैं जिनका सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है मैंने उन के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है। हमने ऐसा

प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की कि हम उनके विरुद्ध हैं, लेकिन जिस तरह व्यापक संकल्प में इन उपायों का सुझाव दिया गया है, उन्हें एक साथ आरम्भ करना सम्भव नहीं है, में उपाय सरकार द्वारा स्वीकृत नीतियों तथा कार्यक्रमों का यह एक अंग है, लेकिन । कब तथा किस ढंग से निर्णय लिया जाये, इस सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं ।

ये बहुत अच्छे तथा सराहनीय उद्देश्य हैं जो पहले से ही सरकार के विचाराधीन है, केवल इतना ही नहीं हमने कई चीजों के सम्बन्ध में दूरगामी निर्णय लिये हैं। माननीय सदस्यों ने इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और इस विषय पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला है यह काफी है, मैं उनसे इस संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करूंगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना है, यदि ये उद्देश्य सभा के समक्ष अथवा सरकार के सामने अभी हाल ही में आये होते, तो मंत्री जी ने जो कुछ कहा है मैं उसे मान लेती ।

मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि 1931 में करांची के कांग्रेस अधिवेशन में न केवल शहरी सम्पत्ति बल्कि वैयक्तिक आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय किया गया था । इसमें यह भी कहा गया था कि महत्वपूर्ण उद्योगों तथा सेवाओं पर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए । ऐसे ही संकल्प 1948 और 1956 में भी पास किये गये थे । इस के पश्चात् कांग्रेस कार्यकारी परिषद् ने दस सूत्री कार्यक्रम बनाया था जिसकी पुष्टि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा की गई थी। इसमें भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त करने की बात कही गई थी । इस बारे में मैं ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था। 118 सदस्यों ने भी इसको तुरन्त क्रियान्वित करने के लिए प्रधान मंत्री को लिखा था । प्रधान मंत्री ने मेरे पत्र के उत्तर में कहा था कि नरेशों की निजी थैलियां के बारे में मोरारजी भाई उनसे बातचीत करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे स्वेच्छा से गृह-कार्य मंत्रालय की योजना को स्वीकार कर लें । मैं जानना चाहती हूं कि क्या 1931 में अथवा 1956 में किये गये निर्णय नये निर्णय हैं। क्या दो वर्ष पूर्व अपनाये गये दस सूत्री कार्यक्रम में निहित निर्णय नये हैं । इस कार्यक्रम में मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया था कि वैदेशिक व्यापार, सामान्य सीमा तथा इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये मैं माननीय मंत्री से यह आशा करती थी कि वह इस संकल्प में निहित सिद्धांत को स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि योजनाबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत वैदेशिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा।

जहां तक सामान्य बीमा का सम्बन्ध है, इसमें अनेक कमियां हैं और यही कारण है कि सात दिन के वाद-विवाद के पश्चात कांग्रेस कायकारी समिति ने स्पष्ट रूप से इसका राष्ट्रीयकरण करने की बात कही थी क्या प्रधान मंत्री उस समय कार्यकारी समिति में यह नहीं कह सकते थे कि सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में डा० हजारे ने कहा है कि यदि इसके लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है तो सरकार को एक नया बजट पेश करना चाहिए इसका कारण यह है कि बैंक केवल काम चलाने हेतु ही धन देते हैं । क्योंकि कोई भी उद्योग आरम्भ करने के लिए सरकार से अनेक प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं और विदेशी सहयोग के लिए विदेशों से बातचीत करनी पड़ती है और भारतीय वित्त आयोग जैसी संस्थाओं से ऋण आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है, जब तक इन सब बातों में और प्राथमिकताओं

में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सफल नहीं होगा। इसी बड़ी-बड़ी कम्पनियों के अंश भी जीवन बीमा निगम तथा ऐसे ही अन्य संगठनों द्वारा क्रय किये जाते हैं, मद्रास के मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश के आर्थिक ढांचेमें एक मूलभूत परिवर्तन हुआ है अतः राष्ट्रीय विकास परिषद की तुरन्त एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। योजना आयोग को भी चौथी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप पुनः तैयार करना चाहिए ? अतः यदि बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल बनाना है तो अन्य अनेक चीजों में भी परिवर्तन किये जाने चाहिएं अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं है।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि सर्वप्रथम इस बारे में कोई निर्णय किया जाना चाहिए, उसके पश्चात् मूल्य निर्धारण के लिए व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है? यह सच है कि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का काम बहुत जटिल है। मूल्यांकन में बहुत समय लगेगा। परन्तु सरकार के रवैये को देखते हुए यदि आज निर्णय लिया जाता है तो क्रियान्विति में कम से कम पांच वर्ष लग जायेंगे ।

मैं चाहती हूं कि सर्वप्रथम इस्पात, तेल तथा औषधियों के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। आजकल चाय उद्योग को संकट का सामना है। प्रतिदिन 30 लाख रुपये की हानि हो रही है। इसके बावजूद गृह-कार्य मंत्री ने अनेक बार कहा है कि आसाम तथा अन्य सामरिक महत्व के क्षेत्रों में विदेशियों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। यह भी एक कारण है कि चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

आजकल तेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, तेल उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है, अतः देश में चल रही विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए क्योंकि यदि किसी समय हमारे सम्बन्ध उनसे खराब हो जाते हैं तो वे कम्पनियां हम पर दबाव डाल सकती हैं । वे हमारी अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त देश में लाखों पेट्रोल पम्प हैं जिनका गांवों में प्रयोग किया जा सकता है। गांवों में ट्रैक्टरों की मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है। इन पैट्रोल पम्पों का प्रयोग मरम्मत केन्द्रों के रूप में किया जा सकता है।

जहां तक औषधियां बनाने सम्बन्धी उद्योगों का सम्बन्ध है, इस समूचे उद्योग पर विदेशियों का नियन्त्रण है, ये लोग किसी समय भी औषधियों का निर्माण तथा सप्लाई बन्द कर सकते हैं । इस मामले में औषध-निर्माण उद्योग दोषी है, अतः इस उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ।

मैं इस बात पर बल नहीं देती कि कुल विदेशी विनियोजन पर नियन्त्रण किया जाय। प्रधान मंत्री महोदया ने स्वयं कहा है कि हमें जनता की सदभावना प्राप्त करने के लिए देश की अर्थ नीति में आवश्यक परिवर्तन करने होंगे।

इसके अतिरिक्त नगरीय सम्पत्ति पर प्रस्तावित सीमा निर्धारित करने के साथ-साथ ग्रामीण सम्पत्ति की भी सीमा निर्धारित होनी चाहिए तथा इस कदम को दृढ़ता से बढ़ाना चाहिए।

'स्टेट्समेन' तथा 'टाइम्स आफ इन्डिया' के सम्पादकीय लेखों से ज्ञात होता है कि जब आंध्र प्रदेश में आन्दोलन हुआ था तो आदिम जातियों के लोगों से तथा हरिजगों से बहुत सी भूमि अन्य लोगों ने छीन ली थी। सरकार को इस बारे में एक स्थाई आयोग नियुक्त करना चाहिए जो यह देखे कि हरिजनों तथा आदिम जातियों के लोगों से कोई व्यक्ति भूमि न छीन सके। इस समस्या को हल करने के लिये सरकार को कोई विधान लाना चाहिए। आयोग की एक चल निधि होनी चाहिए जिससे आदिम जाति के लोग महाजगों के फंदों से बचाये जा सकें।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से नई आशायें उत्पन्न हुई हैं। इस बारे में मेरा अनुरोध है कि सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि रखे जाने चाहिएं। निदेशक मण्डल में कर्मचारियों के प्रतिनिधि अवश्य ही होने चाहिएं।

स्वयं सरकार ने कई बार यह घोषणा की है कि काले धन की राशि 4000 करोड़ रुपये है। मंत्री महोदय ने भी कहा है कि काले धन की खपत आभूषण बनवाने तथा नगरीय सम्पत्ति खरीदने में हो रही है। स्वर्ण नियंत्रण कानून की आज यह स्थिति है कि न तो वह जीवित है और न ही वह मरा हुआ है। इसी कारण मैंने यह अनुरोध किया था कि उसको पूर्णतः समाप्त ही कर दिया जाय। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि काले धन से नगरीय सम्पत्ति खरीदी जा रही है और इसीलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार को नगरीय सम्पत्ति पर भी दृढ़ता से नियंत्रण करना चाहिए।

जहां तक बैंकों के अंशधारियों को प्रतिकर देने का प्रश्न है 41 प्रति शत अंश तो जीवन बीमा निगम के हैं तथा 10 प्रतिशत अंशों के मुआवजे के लिये 10 करोड़ रुपयों से अधिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः ऐसा करने से 51 प्रतिशत अंश तो सरकार के हाथ में आ सकते थे। वैसे जब सरकार ने जमींदारी उन्यूलन किया था उस समय मुआवजे की इतनी चिंता नहीं की थी। इस बारे में भी सरकार इसी प्रकार के कदम उठा सकती थी। काले धन को समाप्त करने के लिये यही उपयुक्त उपाय है कि सरकार नगरीय सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करदे तथा विमुद्रीकरण करदे। यह काय आप को आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा।

'इन्डियन आयरन' में लगभग 3 करोड़ रुपयों के मूल्य के अंश श्री गोयंका ने ले लिये हैं तथा इस प्रकार उनके पास 'इन्डियन आयरन' का सम्पूर्ण नियंत्रण चला गया है। क्या इसे जनता के हित की बात कहा जा सकता है। यह जो भी कुछ हुआ है उसका उत्तरदायित्व जीवन बीमा निगम पर जाता है। अतः इन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाना चाहिए।

खेद है कि माननीय मंत्री का उत्तर संतोषजनक नहीं है। हम अपने दल के दस सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन करते हैं तथा मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करती हूं कि वे भी इसका समर्थन करें। मैं संकल्प को वापस लेने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री प्र०चं० सेठी : माननीय सदस्या द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर दिया जा चुका है तथा जहां तक दस सूत्रीय कार्यक्रम का सम्बन्ध है हम उसका विरोध नहीं करते। उन्होंने व्यर्थ ही भ्रांति उत्पन्न करने की चेष्टा की है।

सभापति महोदय : क्या श्री शिव चन्द्र झा के संशोधन को अलग से मतदान के लिये रखा जाय ?

श्री शिवचन्द्र झा : जी हां।

सभापति महोदय : अब मैं श्री शिव चन्द्र झा के संशोधन संख्या 1 को सभा के मत दान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया ।

The amendment was put)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 27; तथा विपक्ष में 145

Ayes 27; Noes 145

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

श्री बि०प्र०मण्डल (मधेपुर) : मैं संशोधन संख्या 4 पर भी अलग से मतदान चाहता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा अन्य संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि समाजवादी सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो कि सरकार की घोषित नीति है, सरकार अविलम्ब आवश्यक उपाय करे अर्थात (क) वैदेशिक व्यापार, सामान्य बीमे और इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण; (ख) भारत में समस्त विदेशी पूंजी नियोजन को अपने हाथ में लेना; (ग) नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निश्चित करना; तथा (घ) विमुद्रीकरण द्वारा काला धन समाप्त करना ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 36 विपक्ष मे 139

Yes 36; Noes 139

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was Negatived.

बेरोज़गारी के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: UNEMPLOYMENT

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सभा देश में बेरोजगारी में अभूतपूर्व वृद्धि और पर्याप्त रोजगार क्षमता पैदा करने में योजनाओं की असफलता पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि इस समस्या को तुरन्त हल करने और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय वितीय

सहायता योजना संचालित करने के हेतु नियम बनाने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त सर्वदलीय संसदीय समिति शीघ्र ही गठित की जाए ।"

इस देश के हम सब बेरोजगारी के बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं। 22 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गए और सरकार बेरोजगारी के अवसर उत्पन्न करने में असफल रही है । इसके अतिरिक्त जो वर्तमान अवसर हैं भी उनको भी एक सीमा तक कम कर दिया गया है । पिछले 17 वर्षों के दौरान जो योजनाएं बनाई गई हैं उनसे केवल विदेशी एकाधिकारवादियों तथा उद्योगपतियों को ही प्रोत्साहन मिला है ।

कुछ लोगों को छोड़ कर जिनका देश की अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण है, बेरोजगारी देश के कोने कोने में छा रही है । रोजगारों के बारे में सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है जिसके लिए मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं ।

अभी दो वर्ष पूर्व कलकत्ते में एक दुखद घटना घटी । एक जनजाति का रिक्शा खीचने वाला व्यक्ति रांची से अपने एक बालक को कलकत्ते में लाया था, परन्तु वह उसको जब खाना नहीं दे सका और बालक ने खाना मांगा तो उस भूखे पिता ने रोष में आकर बालक को सड़क की पटड़ी पर दे मार और वह आठ वर्षीय बालक उसी क्षण तड़प कर मर गया । एक मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि देश में लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार पर है ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए ।]

(Shri Prakash Vir Shastri in the Chair)

गरीबी और बेरोगाजरी के कारण आत्महत्या आदि के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं । योजना आयोग ने हाल ही में इस बात का मूल्यांकन किया है और बताया है कि चौथी योजना में 160 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे । 1974 तक 270 लाख व्यक्ति और अधिक बेरोजगारी के शिकार हो जायेंगे । कलकत्ते के 'कैपिटल' नाम के एक समाचारपत्र में प्रकाशित एक लेख में भी यही आंकड़े दिए गये है

ये सब आंकड़े कम कर के बताये गये हैं । सही सर्वेक्षण तो किया ही नहीं गया है क्योंकि श्रम मंत्री महोदय ने राज्य सभा में अपने वक्तव्य में बताया है कि बेरोजगारी के बारे में कोई सही जानकारी उनके पास नहीं है । रोजगारी के बारे में 16 वर्षों की योजना के पश्चात् तो यह परिणाम निकला है और यह बड़े खेद की बात है ।

योजना आयोग ने इस बारे में आंकड़े प्रस्तुत करने बन्द कर दिए हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में उन्होंने बेरोजगारी सम्बन्धी किसी प्रकार के आंकड़े नहीं दिए हैं । अतः मैं योजना आयोग को निकम्मा कह सकता हूं क्योंकि वह अब विदेशी एकाधिकारवादियों तथा उद्योगपतियों का एजेन्ट मात्र बन गया है ।

उपलब्ध प्रलेखों के अनुसार इस समय 40 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो बेरोजगारों के रूप में पंजीकृत हैं । बेरोजगार व्यक्तियों में से केवल 25 प्रतिशत व्यक्तियों ने ही अपने आपको रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराया है । बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विकट रुप में व्याप्त है, और वहां लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है । अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे एक विधेयक लाएं जिस के अन्तर्गत प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य हो जाए ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवलोकन करने से पता चलता है कि बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि होती रही है । मार्च, 1951 में 3.37 लाख बेकार व्यक्ति थे, जिनकी

संख्या दिसम्बर, 1653 में बढ़कर 5.22 लाख हो गई और मार्च 1956 में 7.05 लाख हो गई । चौथी योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या 35 गुना बढ़ जायेगी । इससे स्पष्ट है कि सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है ।

द्वितीय योजना के आरम्भ में शहरी तथा ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 153 लाख तक पहुंच गई, जबकि ये आंकड़े सही नहीं हैं और बहुत कम कर के दिखाए गए हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक योजना में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है और यह सरकार मौन धारण किए यह सब कुछ देखती रही है ? इन अभागे बरोजगार व्यक्तियों की तनिक भी चिन्ता उसने नहीं की है । सरकार लोगों को झूठी आशा और विश्वास दिलाती रही है कि रोजगारी की नयी दिशाएं और नए मार्ग निकाले जायेंगे और बेरोजगार व्यक्तियों को अधिक से अधिक काम मिलेगा। परन्तु खेद का विषय है कि सरकार इस दिशा में बुरी तरह असफल ही नहीं रही है अपितु वर्तमान रोजगारों को भी कम तथा नष्ट करने में उसने सफलता प्राप्त की है । सरकारी पत्रिका 'इकानामिक सर्वे' के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में रोजगार निरन्तर घट रहा है, 1966 में 68.1 लाख व्यक्ति काम पर लगे थे । 1968 में इनकी संख्या घट कर 65.2 लाख रह गई है । उदाहरणतया चाय उद्योग में कर्मचारियों की संख्या 1952 से लेकर 1965 में 50 प्रतिशत तक कम की गई है । यही स्थिति पटसन उद्योग की है, जिसका सरकार ने राष्ट्रीयकरण तथा आधुनिकीकरण किया है। अकेले इस उद्योग में 14 वर्षों के दौरान 1,07,000 व्यक्ति बेरोजगारी का शिकार हुए हैं और भूख से मर रहे हैं । इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल के निवासी हैं ?

1952 में पटसन के माल का 6.67 लाख टन उत्पादन था। 1966 में यह 11.2 लाख टन हुआ । यह पश्चिम बंगाल सरकार के आंकड़े हैं। कपड़ा उद्योग में भी संकट खड़ा हो गया है । मजदूरों को तो दो वक्त का भोजन नहीं मिलता है परन्तु मालिक लोग बढ़िया किस्म का माल चाहते हैं ।

हमारी अर्थ व्यवस्था पर अमरीका के दवाब से बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । आरम्भ में उन्होंने हमें रेलों के लिये विद्युतीकरण अपनाने का सुझाव दिया । इससे जब उन्हें विशेष लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने डीजल के इंजनों का सुझाव दिया। इस प्रकार वे अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रहे हैं।

रेलवे डीजल इंजनों के प्रयोग से बेकारी की समस्या और अधिक जटिल हो गई है । इस प्रकार सरकार इसके लिये स्वयं जिम्मेदार है । अब सरकार मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगी है । इससे बेकार लोगों की संख्या बढती जा रही है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् पर सरकार एक बड़ी राशि प्रतिवर्ष व्यय करती है । परन्तु इसके द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है । वैज्ञानिकों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । वे विदेशों में जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में क्षमता बेकार पड़ी है । ऐसे माल का आयत किया जा रहा है जो वहां उत्पन्न किया जा सकता है । हमारे इंजीनियर बड़े प्रतिभाशाली हैं ।

उनका पूरा पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये। इस प्रकार बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचायी जा सकती है ।

तेल शोधक कारखानों में रोजगार के स्थानों में कमी होती जा रही है । परन्तु निजी तेल कम्पनियों के लाभ में वृद्धि होती जा रही है । इन बातों पर विचार करने के बाद बेकारी की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीय विशेषज्ञों की सेवा से लाभ उठाया जाना चाहिये।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। जीवन बीमा निगम को लघु उद्योग-पतियों को ऋण सुविधाएं उपलब्धध करनी चाहियें। स्वचालित मशीनों का प्रयोग करने से बेकारी की समस्या और जटिल हो जाती है ।

सरकार का प्रशासनिक व्यय बहुत बढ़ गया है । करों का अपवंचन करने वालों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । गांवों के लोग नगरों में आते हैं और झुग्गी झोंपड़ी की समस्या उत्पन्न हो जाती है । सरकार ठीक प्रकार से कार्यवाही नहीं करती । जन संख्या की वृद्धि से कोई समस्या बढ़ती नहीं है । चीन ने यह सिद्ध कर दिया है। यदि मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर नीति बनायी जाये तो बेकारी की समस्या हल हो सकती है ।

सरकार को बेरोजगारी बीमा योजना आरम्भ करनी चाहिये । ऐसी योजनाएं हालैंड और नार्वे में लागू हैं। पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार बिना रोजगार के मजदूरों को कुछ आर्थिक लाभ पहुंचाने पर विचार कर रही है । सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिये ।

श्री लोबो प्रभु : (उदीपी) : मैं इस संकल्प के बारे में अपना संशोधन संख्या 2 तथा 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ई० के० नायनार :(पालघाट) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : बेरोजगार की समस्या के बारे में मैं साम्यवादी दल से सहमत हूं । यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है । इस के समाधान के लिये कोई कारगर ढंग से कदम नहीं उठाये गये हैं। इसे जानने के लिये भी कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। इसके बारे में अनेक अनुमान लगाये गये हैं । श्री बसु ने चौथी योजना के आंकड़े 20 अथवा 30 लाख बताये हैं परन्तु हमारे पास विदेशी विशेषज्ञों के आंकड़े हैं । उनके अनुसार इनकी संख्या 700 लाख है ।

उन्होंने एक अन्य रिपोर्ट का उल्लेख किया है और बताया है कि चौथी योजना के अन्त तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 4 करोड़ हो जायेगी। मैं समझता हूं कि सरकार की नीतियों के असफल हो जाने के कारण ही देश में बेरोजगारी बढ़ रही है ।

सरकार जनता की कार्य के प्रति भावनाओं की उपेक्षा कर रही है । सरकार को राष्ट्रीयकरण ने जो भी यश प्राप्त हुआ है वह ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से समाप्त जायेगा । और इस प्रकार इस सरकार के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न हो जायेगा ।

बंगाल में सब से अधिक बेरोजगारी में वृद्धि हुई है । अतः मैं बंगाल के अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे विनियोजन को प्रोत्साहन दें । वे मालिकों की ओर ध्यान दें । मालिकों के बिना कर्मचारियों की कैसे नियुक्ति की जा सकती है । देश में सत्यता की उपेक्षा की जा रही है। मालिकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है । सरकार इस बात को अनुभव नहीं करती कि इस नीति का प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ेगा ।

गांवों में फैली बेरोजगारी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । श्रम मंत्रालय में खेतीहर मजदूरों के लिये खोले गये छोटे विभाग ने कुछ काम नहीं किया है । आज जो गांवों में हो रहा है उसका प्रभाव कल कस्बों पर पड़ेगा । अतः सरकार को सबसे पहले गांवों में बेरोजगरी की समस्या को हल करना चाहिये ।

गांवों में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये सरकार को श्रमिक बीमा योजना चालू करनी चाहिये और कोई भी व्यक्ति जिसे नौकरी की आवश्यकता हो वह इन एजेंसियों को आवेदन कर सके। इस योजना को समस्त देश में लागू किया जाना चाहिये।

यदि सरकार गांवों में भंडार, सड़क, बनरोपण और भवन निर्माण करने के अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करती है तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल जायेगा। गांवों में गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिये और यह काम आसान है ।

गृह-निर्माण कार्य से कम से कम गांवों के 16 वर्गों के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा ।

गांवों में उन लोगों को ऋण दिया जाना चाहिये जिनके कुछ अपने साधन हैं। सरकार को बंगाल की भांति बेरोजगार भत्ते की योजना आरम्भ करनी चाहिये । यह योजना वैदेशिक व्यापार और सामान्य बीमे से अधिक महत्त्वपूर्ण है । उस योजना से केवल कुछ व्यक्ति ही प्रभावित होंगे जबकि इस योजना का समस्त देश की जनता पर प्रभाव पड़ेगा ।

जैसे ही गांवों में रोजगार की व्यवस्था हो जायेगी कृषी समस्या स्वयं ही हल हो जायेगी। आज हमारे देश में जितनी भूमि पर 30 करोड़ व्यक्ति कृषि करते हैं अमरीका में उतनी ही भूमि पर केवल 11 करोड़ व्यक्ति कृषि करते हैं। यह राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय है । ऐसा इस लिये होता है कि लोगों को रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं।

गांवों में भी कुटीर और लघु उद्योगों को स्थापना का भी सुझाव है । यह उचित नहीं है । सरकार को गांवों में सुविधाओं के लिए योजनाएं बनानी चाहियें । इसके न केवल अच्छे परिणाम निकलेंगे बल्कि जनता सरकार और सरकार की योजनाओं से सन्तुष्ट होगी । इसके लिये हमें अपनी योजना में परिवर्तन करना होगा । योजना बजट पर चर्चा के समय मैंने बेरोजगारी का मामला उठाया था । यह प्रसन्नता की बात है कि योजना आयोग ने उस समस्या पर विचार किया है । लेकिन यह बात ही पर्याप्त नहीं है । सरकार

को ऐसी योजना और कार्यक्रम बनाना चाहिये जिसके अन्तर्गत अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके ।

यदि सरकार ऐसा करने में सफल होती है तब ही वास्तविक सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना हो सकती है ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

PUBLIC SECTOR INDUSTRIES**

Shri Sita Ram Kesri (Katihha): Mr. chairman—I think that Development in our public sector industries is essential for our economic progress. But it is very sad that progress in those industries has not been made. It is against the interest of the country.

Rupees 2416 crores have been invested in industries under public sector. But we are not able to get even six percent profits from those industries. It is true that they are run on no profit and no loss basis. But it does not mean that the expected progress in the public sector industries may not be made.

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए]

[Shri M. B. Rana in the Chair]

Reports of the public sector industries are placed after every two years. It is therefore not possible to give some solid suggestions in this regard. The report of the Public Sector industries should be submitted within eight to ten months So that appropriate suggestions in this regard may be given.

There is lot of mismanagement and inefficiency in the public sector industries.

Industries in the public sector should enjoy independent autonomy and that autonomous administration should be made responsible to the Parliament. As a result of it efficiency in those industries will increase and that will result in profit.

It is sad that there are differences between the workers and the management of public undertakings. There is lack of democratic feelings in the officers appointed in the public undertakings. Such officers should not be appointed in the public undertakings. They will not be able to run those industries.

Differences between the management and the private sector industries can well be understood because employers of those industries only see their own interests.

But under the public undertakings employers also come under the category of labourers. Therefore, the problems of the poor labouers should be sympathetically be looked into. In case of independent autonomy, employer or management will be able to look after the problems of the labourers independently and sympathetically. They will also be able to furnish proper advice to the Government.

A combined Committee of labourers and management should be formed to look after and to solve the labour problems. Its decision should be acceptable to all. Autonomy will greatly be helpful in solving such problems.

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

**Half an hour discussion

It is not wise to produce such things which have no demands in the market. A Research Committee should be formed to look after the demands of a certain product in the market.

I would suggest that workers and employers should be trained suitably so that they may know that on what principles we want to run on Public Sector Undertakings. That would enable them to make use of their skill in the national interest.

I think that the persons from private sector should be appointed to look after the affairs of Public Sector. They can run them more usefully as they have years of experience. The persons deputed in these undertakings from executive as Managers and administrators create a feeling of distrust.

In order to remove losses also in the Public Sector, experienced persons of the private industries should be engaged . Thereby the Government shall be able to make use of their efficiency. I hope that by making use of their experience, the Government would be able to earn profits in Public Sector Undertakings.

The private and public sectors should be complementary to each other. They should not compete with each other. Private sector should not try to harm the public sector.

A proper enquiry should be made to go into the causes of loss in the public sector undertakings. These losses are not only against the interests of the country but they also contradicts our statements exhibiting the bright picture of public sector undertakings before the world. The officers who are found at fault should be suitably punished. The local people where our undertakings are situated should be made confident that the success of the project would be in their own interest. They should be fully associated in these projects.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): श्रीमान् सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि मंदी तथा कुछ अन्य कारणों से, न केवल सरकारी उपक्रमों के अपितु गैर-सरकारी उद्योगों में भी धीरे धीरे लाभ कम होने जा रहे हैं और बहुत से गैर-सरकारी उद्योगों में तो हानि भी हुई है। उदाहरण के तौर पर एक प्रमुख इंजीनयरी कम्पनी ब्रेथवैट एण्ड को० (इण्डिया) लि० को 1965–66 में 26.44 लाख रुपये का लाभ हुआ था, परन्तु वह अब 1966–67 में घट कर 7.31 लाख रुपये रह गया है और 1967–68 में उन्हें 54.41 लाख रुपये की हानि हुई है। एक और कम्पनी बर्न एण्ड कम्पनी को 1965–66 में 46.76 लाख रुपये का लाभ हुआ था परन्तु 1967–68 में उसके 96.69 लाख रुपये की हानि हुई हैं। 'इस्क' को 1966–67 में 5.54 करोड़ रुपया का लाभ हुआ जो 1967–68 में घट कर 1.06 करोड़ रुपये रह गया ।

'टिस्को' की स्थापना 1907 में हुई थी और उसके 9–10 वर्ष बाद ही उसने पहला लाभांश घोषित किया था । बाद में कई वर्ष तक कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया । स्थापना के 33 वर्ष पश्चात् अर्थात् 1940–41 में ही उसमें लाभ होने लगा ।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में उन्हीं उपक्रमों को आरम्भ किया गया है जिन्हे गैर-सरकारी क्षेत्र ने आरम्भ नहीं किया था क्योंकि उन उद्योगों के लिये अधिक धन की आवश्यकता थी । इसीलिये सन् 1948 तथा 1956 में पारित औद्योगिक नीति संकल्पों के अनुसार ही पूर्ण विकास एवं आर्थिक प्रगति के लिये इन परियोजनाओं को सरकारी क्षेत्र में आरम्भ किया गया था ।

इनमें से कई परियोजनाओं पर भारी मात्रा में पूंजी विनियोजन करना पड़ा और इनमें उत्पादन आरम्भ होने में भी अधिक समय लगा । हमारे सामने कुछ कठिनाइयां भी थीं । जहां 'इस्को'

पर 900 करोड़ रुपये प्रति टन पूंजी लगी, 'टिस्को' पर 1200 करोड़ रुपये प्रति टन लगी। हिन्दुस्तान स्टील पर 2400 रुपये प्रति टन के हिसाब से पूंजी लगी। इसके फलस्वरूप हमें अब रुपये तथा व्याज के लिये भी धन की व्यवस्था करनी पड़ी थी।

हानि का दूसरा कारण यह भी है कि सरकारी क्षेत्र की अधिकतर परियोजनाएं नये और अविकसित क्षेत्रों में आरम्भ की गई थीं और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को जो सस्ती जमीन व कम मजूरी से मजदूर उपलब्ध थे, वे इन्हें नहीं मिल पाये थे। इसके अतिरिक्त अपने समाजवादी सिद्धान्तों के कारण हमें श्रमिकों को अधिक सुख सुविधायें देनी पड़ीं। जिसके परिणामस्वरूप हमें हानियां उठानी पड़ीं। मजदूरों के लिये बस्तियां बसाने के कारण ही हम 17.38 करोड़ रुपये की हानि उठा रहे हैं। हमें इन सब बातों पर तथा मंदी पर भी ध्यान देना चाहिये। उदाहरण के रूप में, हमने भिलाई इस्पात संयंत्र में हमने रेलें बनाने के बारे में एक क्षमता बना ली थी परन्तु मंदी एवं कुछ अन्य कारणों से सरकारी मांग घट गई। बाद में हमने 'रेलों' के निर्यात की भी चेष्टा की थी। इस कारण ही अब हमारा निर्यात बढ़ता जा रहा है।

देश की अर्थ व्यवस्था बनाने के लिये हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता थी और इन चीजों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र ही उपयुक्त थे। हम बहुत सी ऐसी वस्तुओं का निर्माण न कर पाते, जो आज हमारे देश में निर्मित हो रही हैं। लोहे और इस्पात का उत्पादन पिछले 20 वर्षों में दस गुना बढ़ा है। इसी अवधि में कोयले का उत्पादन भी तीन गुना बढ़ा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रयत्नों से ही बिजली के ट्रांसफार्मरों, मोटरों, उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा है। उन्हीं के कारण उत्पादन शुल्क में भी वृद्धि हुई है। उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ शुल्क के और भी बढ़ने की सम्भावना है।

इन उपक्रमों से 1965–66 में 34.9 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी जो 1967–68 में 112.7 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। इस्पात, इंजीनियरी के सामान और मशीनों के निर्माण के क्षेत्र में हम देश की मांग को सरकारी उपक्रमों के बिना पूरा नहीं कर सकते थे। आज इस्पात का 88 लाख टन का निर्माण करते हुये भी हमें 10 लाख टन इस्पात मिश्र धातु का आयात करना पड़ रहा है। इस्पात के निर्माण से 1966–67 में देश को 250 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से 5–6 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इन पर 3333 करोड़ रुपया लगा हुआ है। कुल 83 उपक्रमों में से 15–16 अभी निर्माणाधीन हैं। इन में से 31 उपक्रमों से 48 करोड़ रुपया लाभ हुआ है। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को भी इस वर्ष हानि के स्थान पर लाभ हुआ है। नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का घाटा भी कम हो गया है।

जितनी बिजली बनती है वह अब पूर्णतया उपयोग में आने लगी है और उर्वरकों के निर्माण में भी निकट भविष्य में स्थिति सुधरने की सम्भावना है।

इस्पात संयंत्रों को बढ़ाया जा रहा है। भिलाई की उत्पादन-क्षमता 10 लाख टन से बढ़कर 25 लाख टन हो गई है, जिसके लिये वहां अधिक धन लगाना पड़ा है। इसीलिये उन संयंत्रों में अधिक उपलब्धता के लिये अधिक धन की व्यवस्था करनी पड़ी और ऋणों पर ब्याज भी अधिक देना पड़ा परन्तु फिर भी उत्पादन निर्धारित क्षमता तक नहीं हो पाया।

मन्दी के कारण भी उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि जब रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर स्थित कारखाने पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करने लगेंगे तो स्थिति काफी बदल जायेगी ।

यह ठीक है कि आरम्भ में कुछ कारखानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे ही इन कारखानों में तैयार किया गया माल बाजार में बिकने लगेगा तभी स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा। हम सरकारी क्षेत्र के कारखानों को लाभ अर्जित करने वाले कारखाने ही नहीं समझते परन्तु फिर भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहां कहीं कमियों का पता चले, उन्हें दूर किया जाय ।

तकनीकी विशेषज्ञों (टेक्नोक्रेट्स) की स्थिति में भी सुधार हुआ है परन्तु प्रबन्धक वर्ग के बारे में हम कुछ कमी अनुभव कर रहे हैं। हम इस दिशा में पहले से ही कार्यवाही कर रहे हैं। जैसा कि प्रधान मंत्री ने घोषित किया है, हमारी नीति ऊंचे पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में सामाजिक उद्देश्यों और सम्बन्धित लोगों को लाभ पहुंचाने की भावन पैदा करने की है। इस विचार से हम कुछ मूल परिवर्तन कर रहे हैं।

हम किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं जो बाजार में न बिके। हम बाजार की मांग को ध्यान में रखकर अपने उत्पादन में विविधता ला रहे हैं। यदि गोदाम में माल अधिक जमा हो रहा है तो हम उस पर नियंत्रण रख रहे हैं। हम कारखानों को स्वायत्तता भी अधिक दे रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि हम जो सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं उनसे स्थिति में सुधार होगा। जहां तक स्थानीय लोगों को रोजगार देने का सम्बन्ध है, गृह-कार्य मंत्रालय के एक परिपत्र के अनुसार तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों पर स्थानीय रोजगार दफ्तरों के माध्यम से भर्ती की जाती है। इन पदों पर केवल स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। परन्तु तकनीकी तथा ऊंचे प्रवन्धक पदों के सम्बन्ध में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इन पदों के लिये कुछ विशेष स्तर की आवश्यकता होती है? निश्चय ही हम इन समस्याओं से परिचित हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

Shri Sitaram Kesri (Katihar): The hon'ble Minister has not answered the question regarding acquisition of land.

श्री प्र० चं० सेठी : हमने सरकारी कारखानों से पूछा है कि उनके पास कितनी कितनी फालतू भूमि है। उदाहरणार्थ बोकारो कारखाने में फालतू भूमि थी, अतः उन्हें भूमि वापिस करने के लिये कहा गया है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सरकारी उपक्रमों को जिस प्रकार चलाया जा रहा है उससे कोई लाभ नहीं होगा। गैर सरकारी लोगों के हाथों से कम्पनियों को स्वामित्व के संकल्प द्वारा लिये जाने से आशा थी कि उत्पादन अधिक होगा, आय बढ़ेगी और इस आय का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिये किया जायेगा। परन्तु ये सभी उद्देश्य अभी तो झूठे सिद्ध हो रहे हैं।

आजकल समाजवाद को राष्ट्रीयकरण के साथ संबद्ध किया जा रहा है। लोकतन्त्रीय ढांचे में राष्ट्रीयकरण का अर्थ सरकारीकरण लिया जा रहा है जो अन्ततोगत्वा दफ्तरशाही है। यदि

हमारे मन में समाजवाद की विचारधारा न रही तो संभवतया समाजवाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा और अन्ततोगत्वा जनता पूंजीवादियों की शिकार हो जायेगी क्योंकि पूंजीवादी कहेंगे कि राष्ट्रीयकरण कर के आप अपना प्रयोजन सिद्ध करने में असफल रहे हैं। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का विचार है कि केवल राष्ट्रीयकरण तथा गैर सरकारी उपक्रमों को सरकार के नियंत्रण में लिये जाने से वे लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकते जिनके लिये यह कार्यवाही की गई है। उपर्युक्त आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक प्रमुख उद्योग के लिए स्वायत्त शासी निगम स्थापित किये जाने चाहियें, दूसरे प्रबन्धक ढांचे में परिवर्तन किये जाने चाहिये ; तीसरे नये लोगों को प्रबन्धकार्य में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और चौथे कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये ।

लोकतन्त्रीय ढांचे में यदि राजनीतिक दल के हाथ में आर्थिक शक्ति संकेन्द्रित हुई तो अन्ततोगत्वा वह तानाशाही का रूप ले लेगी जिससे हमारे लोकतन्त्र को खतरा पैदा हो जायेगा। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित करने से कुछ सुधार हो सकता है। क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है और क्या वे उसे स्वीकार करेंगे ?

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : यद्यपि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगभग 12–15 वर्षों से कार्य चल रहा है और पांण्डेय समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति ने सरकारी उपक्रमों में सुधार करने के लिये सिफारिशें की हैं फिर भी क्या इसके बावजूद उपर्युक्त उपक्रमों में आरम्भिक कठिनाइयां हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि गत तीन वर्षों में लाभ की प्रतिशत 3.4, 2.8 और 2.2 रही है। क्या यह सच है कि अच्छे प्रबन्ध, श्रमिक सम्बन्धों तथा अन्य बातों के कारण गैर सरकारी उद्योग अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं जिसके कारण धनवान व्यक्ति अधिक धनवान बन गये हैं। क्या सरकार इस मामले की ब्यौरेवार जांच करेगी ?

श्री वि० ना० शास्त्री (लखीमपुर) : औद्योगिक परियोजना चलाने के लिये प्रशिक्षण और विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। परन्तु हमने देखा है कि सरकार ने अब तक औद्योगिक परियोजना चलाने के लिये सेवानिवृत्त सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है। सरकारी उद्योगों में हानि तथा तनावपूर्ण श्रमिक संबंधों का कारण ऐसे गलत आदमियों की नियुक्ति है जिन्हें उद्योग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है । इस लिये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार सरकारी उद्योगों के लिये विशेष संवर्ग बनाने का है ? दूसरे क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने का है जिसमें वह उद्योग विशेष स्थापित किया गया है ?

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी उपक्रमों की हानि बढ़ती जा रही है। हिन्दुस्तान स्टील को भी हानि हो रही है। गैर सरकारी उद्योग लाभ अर्जित कर रहे हैं परन्तु सरकारी उद्योगों को प्रतिवर्ष हानि हो रही है । सरकार की नीति ऐसी है जिससे गैर सरकारी क्षेत्र को लाभ पहुंचता है । इसका कारण कुप्रबन्ध है । सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के हाथ में दिया गया है जिन्हें व्यापार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चुनाव में पराजित उम्मीदवारों को ऐसे पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। सरकारी उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये। विभिन्न सरकारी उपक्रमों में लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके

प्रति सरकार का रवैया बदलना चाहिये। उनके सहयोग के साथ सही व्यक्तियों के हाथ में प्रबन्ध सौंपा जाना चाहिये ।

मंत्री महोदय कहते हैं कि निर्यात तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु फिर भी हानि और बेरोजगारी बढ़ रही है, इन बातों को ध्यान में रख कर सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : यह सुझाव दिया गया है कि सरकारी उपक्रमों में कार्य निष्पादन के आधार पर बजट बनाया जाना चाहिये और इसका प्रति मास पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। इस सुझाव का क्या हुआ ? यह भी सुझाव दिया गया था कि जमा माल की स्थिति ठीक करनी चाहिये। जब हम हिन्दुस्तान स्टील में गये तो हमने देखा कि 16–20 प्रतिशत माल जमा है जो व्यापारिक स्तर की दृष्टि से अत्यधिक है । इसमें कितनी कमी की गई है ?

Shri Ramavtar Shastri (Patna): After disturbances in 1967 Muslim employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi had left the riot-torn areas but so far they have not been settled. Government have not made any arrangement for their resettlement. Their problem should be solved in the interest of smooth running of the industry. I want to know whether Government have chalked out any scheme for this purpose?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक प्रशासनिक स्वायत्तता का संबंध है हमने इस संबंध में अनुदेश जारी किये हैं और अधिक शक्तियां दी गई हैं और हमने विभिन्न निगमों/उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता दी है ।

जहां तक क्षेत्रीय संगठनों के बारे में प्रासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का संबंध है, सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया है । जिन क्षेत्रों में विभिन्न उद्योग थे वे अब भी उन्हीं क्षेत्रों में चल रहे हैं। उदाहरणार्थ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और बोकारो को हमने एक क्षेत्रीय एकक नहीं बनाया । वे अलग अलग कम्पनियां हैं । इसके अतिरिक्त एक या दो को छोड़ कर हमने प्रशासनिक सुधार आयोग की अधिकतम सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

50 कम्पनियों में कार्य निष्पादन के आधार पर बजट बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है । हम गोदामों में जमा माल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। इस प्रकार के जम माल में हुई कमी के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

जहां तक सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों के योगदान का संबंध है हमारे सामने कुछ कठिनाई है। कुछ बोर्डों में तो श्रमिक प्रतिनिधि हैं । परन्तु जहां तक मजदूर संघों के प्रतिनिधि का संबंध है कुछ कठिनाई है। हमारे देश में बहुत अधिक संघ हैं। एक ही क्रम में दो या तीन संघ बने हुए हैं। इस कठिनाई के बारे में विचार करने और इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया गया था जिससे यदि कोई समझौता हो जाये तो सरकार प्रबन्धक बोर्ड में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दे सके। इस कठिनाई के बारे में हम सबको मिल कर विचार करना चाहिये ।

चौथी योजना में लाभ और उत्पादकता में वृद्धि होने की सम्भावना है। हमें आशा है कि चौथी योजना में 4.5 तथा 5 प्रतिशत के बीच लाभ होगा। हम इस स्थिति में आगे सुधार करने के लिये प्रयत्नशील हैं ।

श्री स० कुन्दू : मंत्री महोदय ने कहा है कि 50 संगठनो में कार्य निष्पादन के आधार पर बजट बनाया गया है तो क्या उनका अभिप्राय आंतरिक लेखा परीक्षा से है ? पृष्ठ 12 में लिखा है कि सरकारी उपक्रम.....

श्री प्र० चं० सेठी : आप पृष्ठ 11 पर 21 के नीचे पैराग्राफ 2 पढ़िये।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि कर्मचारियों को मकानों की कठिनाई है। सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों के रहने की व्यवस्था की गई है। 60–70 प्रतिशत श्रमिकों को मकान दिये गये हैं हम सभी श्रमिकों को मकान दिलाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Ramvatar Shastri: I had asked about Muslim employees particularly.

Shri P. C. Sethi: We cannot draw any distinction between Muslim and Hindu employees As already stated we could not provide houses to all the employees due to lack of resources. We are, however, making efforts in this direction.

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, 30 अगस्त, 1969/8 भाद्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे (म० पू०) तक के लिये स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL ELEVEN OF THE CLOCK ON SATURDAY, AUGUST 30, 1969/ BHADRA 8, 1891 (SAKA).

GMGIPND--LS--III52127 (D) LS --6-1-70--340

[यह लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]